सत्यमेव जयते

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन

31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष के लिए

राजस्व क्षेत्र

रिपोर्ट 18.07.2014 को राज्य सदन के पटल पर रखी गई है

राजस्थान सरकार

वर्ष 2014 का प्रतिवेदन संख्या 4

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन

31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष के लिए

राजस्व क्षेत्र

राजस्थान सरकार

वर्ष 2014 का प्रतिवेदन संख्या 4

विषय सूची

	सन्दर्भ	
	अनुच्छेद	पृष्ठ
प्रस्तावना	–	vii
विहंगावलोकन	–	ix - xvi
अध्याय-I: सामान्य		
राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति	1.1	1
लेखापरीक्षा टिप्पणियों पर सरकार/विभाग का उत्तर	1.2	5
बकाया निरीक्षण प्रतिवेदन एवं लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ	1.2.1	5
विभागीय लेखापरीक्षा समिति की बैठकें	1.2.2	7
विभागों का उत्तर	1.2.3	7
लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्यवाही-संक्षिप्त स्थिति	1.2.4	8
पूर्व लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की अनुपालना	1.2.5	9
लेखापरीक्षा योजना	1.3	9
लेखापरीक्षा के परिणाम	1.4	10
वर्ष के दौरान की गई स्थानीय लेखापरीक्षा की स्थिति	1.4.1	10
यह प्रतिवेदन	1.4.2	10
अध्याय-II: बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर		
कर प्रशासन	2.1	11
प्राप्तियों की प्रवृत्ति	2.2	11
प्रति करदाता वैट का संग्रहण	2.3	12
कर निर्धारण में बकाया	2.4	13
संग्रहण की लागत	2.5	13
लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का प्रभाव	2.6	14
आन्तरिक लेखापरीक्षा समूह की कार्यप्रणाली	2.7	14
लेखापरीक्षा के परिणाम	2.8	16
'वाणिज्यिक कर विभाग में बकाया की वसूली' पर निष्पादन लेखापरीक्षा	2.9	17

	सन्दर्भ	
	अनुच्छेद	पृष्ठ
लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ	2.10	56
अधिनियमों/नियमों एवं अधिसूचनाओं के प्रावधानों की अनुपालना नहीं करना	2.11	56
'डी-ऑयल्ड राइस ब्रान' पर कर का अनारोपण	2.12	57
रिवर्स कर का अनारोपण	2.13	58
अनियमित राहत/छूट स्वीकृत करना	2.14	60
अनियमित/अधिक सब्सिडी प्रदान करना	2.15	61
कर का गलत/अधिक आस्थगन	2.16	64
प्रवेश कर का अनारोपण	2.17	67
अध्याय-III: मोटर वाहनों पर कर		
कर प्रशासन	3.1	69
प्राप्तियों की प्रवृत्ति	3.2	69
राजस्व की बकाया का विश्लेषण	3.3	70
संग्रहण की लागत	3.4	70
लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का प्रभाव	3.5	71
आन्तरिक लेखापरीक्षा समूह की कार्यप्रणाली	3.6	72
लेखापरीक्षा के परिणाम	3.7	73
लेखापरीक्षा टिप्पणियां	3.8	74
अधिनियमों/नियमों के प्रावधानों की अनुपालना नहीं करना	3.9	74
मोटर वाहनों पर कर की वसूली नहीं करना	3.9.1	75
एकमुश्त कर की बकाया किस्तों की अवसूली/कम वसूली	3.9.2	76
राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के मंजिली वाहनों के संबंध में विशेष पथ कर का कम आरोपण	3.9.3	77
अध्याय-IV: भू-राजस्व		
कर प्रशासन	4.1	79
राजस्व की प्रवृत्ति	4.2	79
राजस्व की बकाया का विश्लेषण	4.3	80

	सन्दर्भ	
	अनुच्छेद	पृष्ठ
लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का प्रभाव	4.4	80
आन्तरिक लेखापरीक्षा समूह की कार्यप्रणाली	4.5	81
लेखापरीक्षा के परिणाम	4.6	83
'राजकीय भूमि पर अतिक्रमण' पर निष्पादन लेखापरीक्षा	4.7	84
लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ	4.8	108
नियमों/परिपत्रों के प्रावधानों की अनुपालना नहीं करना	4.9	108
रूपान्तरण प्रभारों की वसूली का अभाव	4.10	109
हिस्सा राशि तथा ब्याज का राजकीय खाते में जमा नहीं करवाना	4.11	111
भूमि के प्रत्यावर्तन का अभाव तथा राजस्व की हानि	4.12	112
डीएलसी दरों के त्रुटिपूर्ण लगाये जाने से भूमि की लागत तथा लीज रेन्ट की कम वसूली	4.13	113
अध्याय-V: मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क		
कर प्रशासन	5.1	115
प्राप्तियों की प्रवृत्ति	5.2	115
बकाया राजस्व का विश्लेषण	5.3	116
संग्रहण की लागत	5.4	116
लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का प्रभाव	5.5	117
आन्तरिक लेखापरीक्षा समूह की कार्यप्रणाली	5.6	118
लेखापरीक्षा के परिणाम	5.7	119
भूमि कर का आरोपण एवं संग्रहण	5.8	120
लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ	5.9	132
अधिनियमों/नियमों के प्रावधानों की अनुपालना नहीं करना	5.10	132
रिप्स के तहत मुद्रांक कर का अनियमित/अदेय लाभ	5.11	133
शर्तों के उल्लंघन पर मुद्रांक कर की छूट की वसूली न होना	5.11.1	133
मुद्रांक कर की छूट का अदेय लाभ देना	5.11.2	134

	सन्दर्भ	
	अनुच्छेद	पृष्ठ
पट्टा विलेखों के पंजीयन पर मुद्रांक कर का कम आरोपण	5.12	134
प्रतिफल में ब्याज राशि के शामिल न करने से मुद्रांक कर तथा पंजीयन शुल्क का कम आरोपण	5.13	136
सम्पत्तियों के अवमूल्यांकन के कारण मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क का कम आरोपण	5.14	136
पट्टे का अधिन्यास के द्वारा हस्तान्तरण का पंजीयन न होने से वसूली न होना	5.15	140
भू-उपयोग परिवर्तन के बाद पट्टा विलेखों पर मुद्रांक कर तथा पंजीयन शुल्क का अनारोपण	5.16	142
छूट प्राप्ति के लिये निर्धारित शर्तों के उल्लंघन पर मुद्रांक कर तथा ब्याज की अवसूली	5.17	144
अध्याय-VI: राज्य आबकारी शुल्क		
कर प्रशासन	6.1	145
प्राप्तियों की प्रवृत्ति	6.2	145
राजस्व की बकाया का विश्लेषण	6.3	146
संग्रहण की लागत	6.4	146
लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का प्रभाव	6.5	147
आन्तरिक लेखापरीक्षा समूह की कार्यप्रणाली	6.6	147
लेखापरीक्षा के परिणाम	6.7	149
आबकारी निरोधक दल की कार्यप्रणाली	6.8	150
अन्य लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ	6.9	167
अधिनियमों और नियमों के प्रावधानों की पालना नहीं करना	6.10	167
ब्राण्ड फीस की वसूली का अभाव	6.10.1	168
वेण्ड फीस का अनारोपण	6.10.2	169
गन्तव्य स्थान पर सुपुर्द नहीं हुई बीयर पर आबकारी शुल्क का अनारोपण	6.10.3	170
अध्याय-VII: कर-इतर प्राप्तियाँ		
प्रस्तावना	7.1	171

	सन्दर्भ	
	अनुच्छेद	पृष्ठ
राजस्व की बकाया का विश्लेषण	7.2	171
लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का प्रभाव	7.3	172
आन्तरिक लेखापरीक्षा समूह की कार्य प्रणाली	7.4	172
लेखापरीक्षा के परिणाम	7.5	173
लेखापरीक्षा टिप्पणियां	7.6	174
अधिनियमों/नियमों के प्रावधानों की अनुपालना का अभाव	7.7	174
खनन पट्टे का अवैध रूप से उप-किरायेदारी पर देना	7.7.1	175
खनिज संरक्षण के प्रावधानों की पालना का अभाव	7.7.2	176
अधिक अधिशुल्क संविदा (ईआरसीसी)/अधिशुल्क संग्रहण संविदा (आरसीसी) का निष्पादन	7.7.3	177
खनन पट्टों का अनियमित हस्तान्तरण	7.7.4	180
वैध प्राधिकार के बिना खनिज मार्बल का उत्खनन एवं निर्गमन	7.7.5	181
ग्रेनाईट पर मांग कायमी में कमी/का अभाव	7.7.6	182
प्रधान खनिज का अवैध रूप से भण्डारण करने पर अधिशुल्क आरोपण का अभाव	7.7.7	183
अधिशुल्क के विलम्ब से भुगतान पर ब्याज का अनारोपण	7.7.8	184
वन क्षेत्र में खनन पट्टों की अनियमित स्वीकृति	7.7.9	186
लोक निर्माण ठेकेदारों द्वारा खनिज का अनधिकृत उत्खनन व उपयोग	7.7.10	187
अनधिकृत रूप से निर्गमित खनिज की कीमत के स्थान पर एकल अधिशुल्क की वसूली	7.7.11	189
विभाग की निष्क्रियता के कारण खनिज चुनाई पत्थर का अवैध रूप से उत्खनन एवं निर्गमन	7.7.12	190

प्रस्तावना

यह प्रतिवेदन भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अन्तर्गत राज्यपाल महोदय को प्रस्तुत करने हेतु तैयार किया गया है।

राज्य सरकार की राजस्व प्राप्तियों की लेखापरीक्षा, नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 16 के अन्तर्गत की जाती है। यह प्रतिवेदन प्राप्तियों की लेखापरीक्षा के परिणाम प्रस्तुत करता है, जिसमें राजस्थान सरकार के बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर, मोटर वाहनों पर कर, मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क, अन्य कर एवं कर-इतर प्राप्तियाँ सम्मिलित हैं।

इस प्रतिवेदन में उल्लिखित मामले उनमें से हैं जो वर्ष 2012-13 के दौरान अभिलेखों की मापक लेखापरीक्षा के समय ध्यान में आए तथा उनमें से भी हैं जो पूर्ववर्ती वर्षों में ध्यान में आए थे, किन्तु विगत प्रतिवेदनों में शामिल नहीं किये जा सके तथा जहां कही आवश्यक हुआ वहां वर्ष 2012-13 के बाद के प्रकरण भी शामिल है।

लेखापरीक्षा, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षा के मानकों के अनुरूप की गई थी।

विहंगावलोकन

विहंगावलोकन

इस प्रतिवेदन में 'वाणिज्यिक कर विभाग में बकाया की वसूली' एवं 'सरकारी भूमि पर अतिक्रमण' विषयों पर दो निष्पादन लेखापरीक्षा सहित 39 अनुच्छेद सम्मिलित हैं, जिनमें ₹ 586.49 करोड़ अन्तर्निहित हैं। महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों में से कुछ का उल्लेख नीचे किया गया है:

I. सामान्य

वर्ष 2011-12 में ₹ 57,010.76 करोड़ के विरूद्ध वर्ष 2012-13 के दौरान राजस्थान सरकार की कुल राजस्व प्राप्तियाँ ₹ 66,913.01 करोड़ थी। कर राजस्व ₹ 30,502.65 करोड़ तथा कर-इतर राजस्व ₹ 12,133.59 करोड़ को समाविष्ट करते हुऐ सरकार द्वारा एकत्रित राजस्व की राशि ₹ 42,636.24 करोड़ थी। भारत सरकार से प्राप्तियाँ ₹ 24,276.77 करोड़ (संघ के विभाज्य करों में से राज्य का भाग: ₹ 17,102.85 करोड़ तथा सहायतार्थ अनुदान: ₹ 7,173.92 करोड़) थी।

(अनुच्छेद 1.1)

जून 2013 के अन्त तक 2,882 निरीक्षण प्रतिवेदनों में सन्निहित राशि ₹ 7,731.42 करोड़ के 9,489 अनुच्छेद बकाया थे। उपरोक्त में से दिसम्बर 2012 तक जारी 80 निरीक्षण प्रतिवेदनों की प्रथम अनुपालना 30 जून 2013 तक प्राप्त नहीं हुई थी।

(अनुच्छेद 1.2.1)

वर्ष 2012-13 के दौरान की गई मापक जाँच में 37,959 प्रकरणों में ₹ 2,286.17 करोड़ की राशि के अवनिर्धारण, कम आरोपण तथा राजस्व हानि का पता चला। सम्बन्धित विभागों ने 23,519 प्रकरणों में राशि ₹ 598.39 करोड़ के अवनिर्धारण एवं अन्य कमियों को स्वीकार किया, जिनमें से राशि ₹ 217.42 करोड़ के 11,973 प्रकरण वर्ष 2012-13 के दौरान तथा शेष पूर्ववर्ती वर्षों में लेखापरीक्षा द्वारा ध्यान में लाये गये थे। विभागों ने वर्ष 2012-13 के दौरान लेखापरीक्षा के इंगित करने पर 5,876 प्रकरणों में ₹ 73.07 करोड़ वसूल किये।

(अनुच्छेद 1.4.1)

II. बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर

'वाणिज्यिक कर विभाग में बकाया की वसूली' पर निष्पादन लेखापरीक्षा में निम्नलिखित पाया गया:

- अवधि 2007-08 से 2011-12 के दौरान करों की बकाया ₹ 2,996.96 करोड़ से बढ़कर ₹ 4,838.04 करोड़ हो गई।

(अनुच्छेद 2.9.7.1)

- वसूली प्रक्रिया प्रारम्भ किया जाना सुनिश्चित करने हेतु राजस्थान वैट अधिनियम, 2003 या राजस्थान वैट नियम, 2006 में या विभाग द्वारा कोई समय सीमा निर्दिष्ट नहीं की गई।

(अनुच्छेद 2.9.9.3)

- सम्पत्तियों की नीलामी में असफलता के कारण चार प्रकरणों में ₹ 69.01 लाख की बकाया की वसूली नहीं की जा सकी।

(अनुच्छेद 2.9.10)

- अवधि 1977-78 से 2009-10 से सम्बन्धित एकपक्षीय कर निर्धारण के 259 प्रकरणों की मापक जांच में पाया कि ₹ 49.44 करोड़ की मांग तथा ब्याज ₹ 37.81 करोड़ की वसूली नहीं की गई।

(अनुच्छेद 2.9.12)

- चैक पोस्टों पर कर संग्रहण कार्य के लिये नियुक्त आठ ठेकेदारों द्वारा ₹ 5.11 करोड़ की बकाया राशि को जमा नहीं कराया गया।

(अनुच्छेद 2.9.13)

- दो सक्रिय व्यवहारियों के विरूद्ध बकाया ₹ 82.42 लाख की वसूली नहीं की गई, यद्यपि, उनका कर निर्धारण लगातार किया जा रहा था।

(अनुच्छेद 2.9.14)

- बारह प्रकरणों में, जिनमें व्यवहारियों की अन्य राज्यों में सम्पत्ति होने पर भी राजस्व वसूली प्रमाण-पत्र विलम्ब से जारी करने तथा अनुसरण की अपर्याप्त कार्यवाही के परिणामस्वरूप ₹ 9.09 करोड़ की वसूली नहीं की जा सकी।

(अनुच्छेद 2.9.15)

- अड़तालीस प्रकरणों की संवीक्षा पर पाया गया कि व्यवहारियों द्वारा ₹ 13.00 करोड़ के आगत कर लाभ (आई.टी.सी.) का दावा किया गया किन्तु, निर्धारण अधिकारी द्वारा इसे सम्बन्धित निर्धारण अधिकारी से सत्यापन रिपोर्ट के अभाव में अनुमत्य नहीं किया गया था।

(अनुच्छेद 2.9.16)

- दो व्यवहारियों के वसूली अभिलेखों की मापक जांच में पाया कि निर्धारण अधिकारी द्वारा शासकीय समापक को ब्याज राशि का दावा प्रस्तुत नहीं किया गया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 5.86 करोड़ के ब्याज की हानि हुई।

(अनुच्छेद 2.9.20)

केन्द्रीय बिक्री कर नियमों के उल्लंघन में केन्द्रीय बिक्री कर घोषणा प्रपत्रों को निर्धारण के बाद स्वीकार करने के परिणामस्वरूप नौ प्रकरणों में ₹ 28.65 लाख के ब्याज एवं कर ₹ 1.14 करोड़ की अनियमित रियायत/छूट दी गई।

(अनुच्छेद 2.14)

देय कर की गलत गणना के परिणामस्वरूप ₹ 1.46 करोड़ की अधिक सब्सिडी स्वीकृत की गई एवं ₹ 12.08 लाख ब्याज की हानि हुई।

(अनुच्छेद 2.15.1 एवं 2.15.2)

कर आस्थगन की गलत स्वीकृति के परिणामस्वरूप ₹ 1.09 करोड़ के ब्याज के अतिरिक्त ₹ 3.65 करोड़ के राजस्व की कम वसूली हुई।

(अनुच्छेद 2.16.1)

III. मोटर वाहनों पर कर

अवधि अप्रेल 2009 से मार्च 2012 में 3,705 वाहनों से सम्बन्धित मोटर वाहन कर व विशेष पथ कर ₹ 10.12 करोड़ का या तो भुगतान नहीं किया गया या कम भुगतान किया गया।

(अनुच्छेद 3.9.1)

एकमुश्त कर ₹ 49.13 लाख का 117 वाहनों द्वारा या तो भुगतान नहीं किया गया या कम भुगतान किया गया, परिणामस्वरूप राजस्व की कम/अवसूली रही।

(अनुच्छेद 3.9.2)

IV. भू-राजस्व

'राजकीय भूमि पर अतिक्रमण' पर निष्पादन लेखापरीक्षा में निम्नलिखित दृष्टिगत हुआ:

- राजकीय भूमि के उसी भूखण्ड पर 13 तहसीलों में 4,503 अतिक्रमियों अथवा उनके परिवार के सदस्यों द्वारा कृषि प्रयोजनार्थ वर्ष दर वर्ष लगातार अतिक्रमण किया गया, अतिक्रमित सम्पूर्ण भूमि का क्षेत्रफल 5,726.77 हैक्टेयर था। इनमें से 1,014 अतिक्रमियों द्वारा एकल रूप में 5 बीघा या अधिक की ₹ 61.27 करोड़ मूल्य की 1,805.92 हैक्टेयर भूमि अतिक्रमित की हुई थी।

(अनुच्छेद 4.7.8.1)

- मांगरोल तहसील के 56 प्रकरणों में, वर्ष 2007-08 से 2011-12 की अवधि की शास्ति एवं फसलों की नीलामी राशि ₹ 7.09 लाख की वसूली बकाया थी।

(अनुच्छेद 4.7.9)

- कोटपुतली तहसील के 156 प्रकरणों में, 83.23 हैक्टेयर राजकीय भूमि पर राशि ₹ 27.79 लाख मूल्य की जब्त फसल की नीलामी करने के प्रमाण नहीं पाये गये।

(अनुच्छेद 4.7.9)

- विभाग द्वारा 11,099.97 हैक्टेयर राजकीय भूमि पर अवैध रूप से उगाई गई फसलों की नीलामी के द्वारा राशि ₹ 1.76 करोड़ मात्र वसूल किये गये। न्यूनतम समर्थन मूल्य एवं प्रति हैक्टेयर उत्पादकता के आधार पर फसल से वसूल योग्य राशि ₹ 24.46 करोड़ आंकलित की गयी।

(अनुच्छेद 4.7.10)

- राजकीय भूमि पर बनाये गये कुओं के नियमितीकरण न करने के कारण राशि ₹ 1.68 करोड़ की वसूली नहीं हो सकी।

(अनुच्छेद 4.7.11)

- गंगापुर सिटी तहसील में ₹ 2.12 करोड़ मूल्य की 77.27 हैक्टेयर निष्क्रान्त भूमि लगातार अतिक्रमण के अधीन थी।

(अनुच्छेद 4.7.13.2)

- गलत तथ्यों के आधार पर 128 अतिक्रमियों को ₹ 1.34 करोड़ मूल्य की 49.9 हैक्टेयर अतिक्रमित भूमि को ₹ 21.59 लाख के रियायती मूल्य पर आवंटित किया गया, जिससे राजकोष को हानि हुई।

(अनुच्छेद 4.7.14)

- बाँसवाड़ा तहसील में गलत नियम लागू कर अतिक्रमियों को 8.63 हैक्टेयर राजकीय भूमि के रियायती दरों पर आवटंन करने पर राशि ₹ 34.93 लाख की हानि हुई।

(अनुच्छेद 4.7.14)

- तहसीलदारों द्वारा, अतिक्रमियों के विरूद्ध राशि ₹ 1.04 लाख की शास्ति का आरोपण किया गया। इन अतिक्रमियों ने ₹ 160.66 करोड़ मूल्य की बेशकीमती राजकीय भूमि पर आवासीय एवं व्यावसायिक प्रयोजनों हेतु अतिक्रमण कर रखा था।

(अनुच्छेद 4.7.15.1)

- सोजतसिटी तहसील के 209 प्रकरणों में, 111 अतिक्रमियों द्वारा ₹ 3.82 करोड़ मूल्य की 286.57 हैक्टेयर राजकीय भूमि पर वर्ष 1981-82 से मेंहन्दी (हिना) उगाने हेतु अतिक्रमण कर रखा था।

(अनुच्छेद 4.7.15.3)

- भीलवाडा तहसील में ₹ 5.96 करोड़ मूल्य की 0.7128 हैक्टेयर राजकीय भूमि पर विभिन्न समुदायों द्वारा अतिक्रमण किया गया था लेकिन उन्हें बेदखल करने के लिये कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं की गयी।

(अनुच्छेद 4.7.16)

- चार तहसीलों में 101 प्रकरणों में राजकीय भूमि औद्योगिक प्रयोजनार्थ अतिक्रमण के अधीन थी, तथा ₹ 1.03 करोड़ के स्थान पर ₹ 0.38 लाख शास्ति प्रभारित की गयी।

(अनुच्छेद 4.7.17)

- तीन तहसीलों के 29 प्रकरणों में, अतिक्रमियों द्वारा राजकीय भूमि का खनन प्रयोजनार्थ उपयोग करने पर तहसीलदारों द्वारा किराया राशि ₹ 33.07 लाख के आधार पर वसूल योग्य ₹ 16.54 करोड़ के स्थान पर राशि ₹ 240 की शास्ति प्रभारित की गयी।

(अनुच्छेद 4.7.18)

- तीन तहसीलों के 49 प्रकरणों में, तहसीलदारों द्वारा राजकीय भूमि पर ईंट भट्टा उद्योग की स्थापना के लिये अतिक्रमियों से ₹ 68.38 लाख के स्थान पर ₹ 970 की शास्ति प्रभारित की गयी।

(अनुच्छेद 4.7.19)

बिना रूपान्तरण कराये खातेदारी भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग किया गया जिसके परिणामस्वरूप भू-रूपान्तरण के लिये देय प्रीमियम ₹ 8.11 करोड़ की अवसूली रही।

(अनुच्छेद 4.10)

कृषि भूमि के अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग पर एकत्रित नियमन शुल्क और इस पर ब्याज सहित राशि ₹ 1.23 करोड़ को राजकीय खाते में जमा नहीं किया गया।

(अनुच्छेद 4.11)

V. मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क

'भूमि कर का आरोपण एवं संग्रहण' पर अनुच्छेद से निम्नलिखित दृष्टिगत हुआ:

- अन्तरिम कर निर्धारण सूची तैयार करने के उद्देश्य से निर्धारण अधिकारियों द्वारा उनके अधिकाराधीन क्षेत्र में न तो सर्वे किया गया न ही भूमि कर अदायगी के लिये दायी व्यक्तियों की पहचान की गयी।

(अनुच्छेद 5.8.5)

- निर्धारितियों द्वारा उठायी गयी आपत्तियों पर विचार किये बिना तथा उनको सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना ही अंतरिम कर निर्धारण सूचियों को अंतिम रूप दे दिया गया। अंतिम प्रमाणित कर निर्धारण सूचियों को प्रकाशित नहीं किया गया।

(अनुच्छेद 5.8.6)

- भूमि कर के निर्धारण से बच निकलने के परिणामस्वरूप भूमि कर ₹ 7.29 करोड़ का अनारोपण रहा।

(अनुच्छेद 5.8.7)

- त्रुटिपूर्ण कर निर्धारण आदेशों को जारी करने के परिणाम्स्वरूप भूमि कर ₹ 4.87 करोड़ का अधिक निर्धारण हुआ।

(अनुच्छेद 5.8.8.3)

- निर्धारण अधिकारियों द्वारा भूमि कर विलम्ब से जमा कराने पर ₹ 16.77 करोड़ की शास्ति आरोपित नहीं की गयी।

(अनुच्छेद 5.8.10)

राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना, 2003 एवं 2010 की शर्तों के उल्लघंन पर मुद्रांक कर की अवसूली के परिणामस्वरूप ₹ 3.29 करोड़ के राजस्व की हानि हुई।

(अनुच्छेद 5.11)

पट्टा विलेखों के पंजीयन के समय सम्पत्तियों का त्रुटिपूर्ण मूल्यांकन एवं अवमूल्यांकन हुआ जिसके परिणामस्वरूप मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क ₹ 4.86 करोड़ की कम वसूली हुई।

(अनुच्छेद 5.12)

दरों के त्रुटिपूर्ण ढंग से लगाने एवं दस्तावेजों के गलत वर्गीकरण के कारण सम्पत्तियों का अवमूल्यांकन हुआ जिसके परिणामस्वरूप मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क ₹ 4.91 करोड़ का कम आरोपण हुआ।

(अनुच्छेद 5.14)

पट्टे का अधिन्यास के द्वारा हस्तान्तरण के दस्तावेजों पर मुद्रांक कर राशि ₹ 6.00 करोड़ का अनारोपण रहा।

(अनुच्छेद 5.15)

पूर्व भूमि एवं इसके भू-उपयोग परिवर्तन के बाद के बाजार मूल्यों की अन्तर राशि पर मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क राशि ₹ 31.88 करोड़ पट्टा विलेख पर प्रभारित नहीं किये गये।

(अनुच्छेद 5.16)

VI. राज्य आबकारी शुल्क

'आबकारी निरोधक दल' की कार्यप्रणाली पर आक्षेप में निम्न तथ्य प्रकट हुए:

- मूवमेन्ट पंजिका व लॉग-बुक में गश्त की अशुद्ध प्रविष्टियाँ की गई थी। अभिलेखों में की गई प्रविष्टियों की शुद्धता एवं वास्तविकता की जाँच हेतु कोई नियन्त्रण क्रियाविधि नहीं थी।

(अनुच्छेद 6.8.4.1)

- आबकारी निरोधक दल के स्टॉफ द्वारा गश्त और छापों में कोई अन्तर नहीं समझ कर मूवमेन्ट रजिस्टरों में सभी प्रविष्टियाँ छापों के रूप में अंकित की गयी तथा इसी रूप में उच्च अधिकारियों को प्रतिवेदित की गयी। आगे, विभाग द्वारा उत्पादन, संग्रहण और अवैध मदिरा के संवेदनशील स्थानों की सूची का सामयिक निरीक्षण भी यह देखने के लिए नहीं किया गया कि वे अभी तक राज्य में संवेदनशील स्थान हैं।

(अनुच्छेद 6.8.4.3)

- चयनित 48 आबकारी निरोधक दल स्टेशनों (कुल 52 स्टेशनों में से) के गश्त अधिकारियों द्वारा उनके लिये निर्धारित 120 मामले पकड़ने तथा दर्ज करने के प्रतिवर्ष के लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सके। आबकारी निरोधक दल स्टेशनों का प्रदर्शन विशेष प्रतिवेदन प्रकरणों के सम्बन्ध में निराशाजनक रहा।

(अनुच्छेद 6.8.4.4)

- आबकारी निरोधक दल के कार्मिकों द्वारा अपराधियों से इस बात की जाँच, कि उन्हें मदिरा की आपूर्ति किस स्रोत से की गई थी, नहीं की गई और अनुसंधान प्रतिवेदन केवल इस निष्कर्ष के साथ समाप्त कर दिया गया कि दोषी व्यक्ति के पास अवैध मदिरा/हथकड़ मदिरा थी। जाँचकर्ता अधिकारियों द्वारा एक से पाँच वर्ष की अवधि व्यतीत हो जाने पर भी अनुसंधान पूर्ण नहीं किया।

(अनुच्छेद 6.8.4.5)

- आबकारी निरोधक स्टेशनों में अवैध मदिरा के संवेदनशील स्थानों एवं आदतन अपराधियों से सम्बन्धित सूचनायें राज्य पुलिस विभाग से बाँटने अथवा आदान-प्रदान करने का कोई तन्त्र स्थापित नहीं था।

(अनुच्छेद 6.8.4.6)

जयपुर व बीकानेर में स्थित केन्टीन स्टोर डिपार्टमेन्ट (सी.एस.डी.), द्वारा वर्ष 2011-12 में अपने रिटेल ऑफ अनुज्ञाधारियों को (जो केन्टीन की तरह चल रही थी) 67.98 लाख बल्क लीटर आई.एम.एफ.एल. (इण्डियन मेड फॉरेन लिकर) व 6.88 लाख बल्क लीटर बीयर का विक्रय किया। जबकि स्पेशल वेण्ड फीस

राशि ₹ 6.80 करोड़ आई.एम.एफ.एल. पर तथा ₹ 0.34 करोड़ बीयर पर केन्टीन स्टोर डिपार्टमेन्ट द्वारा न तो जमा कराये गये ओर न ही सरकार द्वारा मांगे गये जिसके परिणामस्वरूप राशि ₹ 7.14 करोड़ स्पेशल वेण्ड फीस की अवसूली रही।

(अनुच्छेद 6.10.2)

अन्य राज्यों को बॉण्ड के अन्तर्गत पांच ब्रेवरीज द्वारा भेजी 1.32 लाख बल्क लीटर (16,233 कार्टन) बीयर जिसमें राशि ₹ 55.27 लाख का आबकारी शुल्क सन्निहित था। गन्तव्य स्थान तक नहीं पहुँची। ना तो ब्रेवरीज द्वारा शुल्क अदा किया गया और ना ही विभाग द्वारा मांगा गया। परिणामस्वरूप राशि ₹ 55.27 लाख राज्य आबकारी शुल्क की अवसूली रही।

(अनुच्छेद 6.10.3)

VII. कर-इतर प्राप्तियाँ

खान एवं भू-विज्ञान और पेट्रोलियम विभाग

छः प्रकरणों में, अवैध रूप से उप-किराये पर दिये गये पट्टे के क्षेत्रों से अवैध रूप से उत्खनित व निर्गमित 1,25,679 मै.टन खनिज चुनाई पत्थर के ₹ 1.57 करोड़ की मांग न तो कायम की गई, न ही वसूली की गई।

(अनुच्छेद 7.7.1)

अधिक अधिशुल्क संग्रहण ठेका/अधिशुल्क संग्रहण ठेका के अन्तिम रूप देने में देरी के परिणामस्वरूप ₹ 3.47 करोड़ की कम वसूली हुई।

(अनुच्छेद 7.7.3)

खनिज मार्बल के 49 बापी पट्टा प्रकरणों में अवैध रूप से उत्खनित खनिज मार्बल की ₹ 10.87 करोड़ की वसूली नहीं की गई। बापी पट्टाधारकों को विभाग द्वारा ना तो नियमित किया गया, ना ही निष्काषित किया गया।

(अनुच्छेद 7.7.5)

अल्पावधि अनुमति पत्र की प्राप्ति के बिना खनिज का उत्खनन अथवा अनुमत्य सीमा से अधिक मात्रा में उत्खनन के फलस्वरूप ₹ 6.70 करोड़ के राजस्व की कम वसूली हुई।

(अनुच्छेद 7.7.10)

अवैध रूप से निकाले गये/निर्गमित खनिज की कीमत वसूली की बजाय एकल अधिशुल्क की वसूली के फलस्वरूप ₹ 66.08 करोड़ की राजस्व की हानि हुई।

(अनुच्छेद 7.7.11)

अध्याय–I सामान्य

अध्याय-I: सामान्य

1.1 राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति

1.1.1 वर्ष 2012-13 के दौरान, राज्य सरकार द्वारा वसूल किया गया कर एवं कर-इतर प्राप्तियाँ, भारत सरकार से प्राप्त विभाजित होने वाले संघीय करों एवं शुल्क में राज्य का भाग और भारत सरकार से प्राप्त सहायतार्थ अनुदान तथा गत चार वर्षों के तद्नुरूपी आंकड़ों की स्थिति नीचे दर्शायी गई है:

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
1.	**राज्य सरकार द्वारा एकत्रित राजस्व**					
	• कर राजस्व	14,943.75	16,414.27	20,758.12	25.377.05	30,502.65
	• कर इतर राजस्व	3,888.46	4,558.22	6,294.12	9,175.10	12,133.59
	योग	**18,832.21**	**20,972.49**	**27,052.24**	**34,552.15**	**42,636.24**
2.	**भारत सरकार से प्राप्तियाँ**					
	• विभाजित होने वाले संघीय करों एवं शुल्कों की शुद्ध प्राप्तियों में भाग	8,998.47	9,258.13	12,855.63	14,977.05	17,102.85
	• सहायतार्थ अनुदान	5,638.17	5,154.39	6,020.33	7,481.56	7,173.92
	योग	**14,636.64**	**14,412.52**	**18,875.96**	**22,458.61**	**24,276.77**
3.	**राज्य सरकार की कुल राजस्व प्राप्तियाँ** (1 और 2)	**33,468.85**	**35,385.01**	**45,928.20**	**57,010.76**	**66,913.01**[1]
4.	**1 की 3 से प्रतिशतता**	**56**	**59**	**59**	**61**	**64**

[1] ब्यौरे के लिए कृपया राजस्थान सरकार के वर्ष 2012-13 के वित्त लेखे की विवरणी संख्या-11-लघु शीर्षवार राजस्व के विस्तृत लेखे देखें। वित्त लेखों में 'क-कर राजस्व के अन्तर्गत प्रदर्शित मद 0020-निगम कर, 0021-निगम कर से भिन्न आय पर कर, 0022-कृषि आय पर कर, 0032-सम्पदा पर कर, 0037-सीमा शुल्क, 0038-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं 0044-सेवा कर-शुद्ध प्राप्तियों में से राज्य को दिया गया भाग' के आंकड़ों को उपर्युक्त विवरण में 'राज्य सरकार द्वारा एकत्रित राजस्व' में से घटाया गया है एवं 'विभाजित होने वाले संघीय करों मे राज्य का भाग' में जोड़ा गया है।

उपरोक्त तालिका इंगित करती है कि वर्ष 2012-13 के दौरान राज्य सरकार द्वारा एकत्रित राजस्व (₹ 42,636.24 करोड़) कुल राजस्व प्राप्तियों का 64 प्रतिशत रहा। शेष 36 प्रतिशत प्राप्तियाँ भारत सरकार से प्राप्त हुई थी।

1.1.2 निम्नलिखित तालिका वर्ष 2008-09 से 2012-13 की अवधि के दौरान एकत्रित कर राजस्व का वर्णन करती है:

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	राजस्व शीर्ष	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2012-13 में 2011-12 पर वृद्धि (+)/ कमी (-) की प्रतिशतता
1.	बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर	8,442.02	9,681.38	11,901.24	14,665.63	17,214.34	(+) 17
	केन्द्रीय बिक्री कर	462.48	482.15	728.35	1,100.80	1,360.31	(+) 24
2.	राज्य आबकारी शुल्क	2,169.90	2,300.48	2,861.41	3,287.05	3,987.83	(+) 21
3.	मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क						
	मुद्रांक-न्यायिक	30.61	30.47	43.07	79.40	144.27	(+) 82
	मुद्रांक-गैर न्यायिक	1,137.54	1,104.79	1,522.01	2,153.68	2,693.13	(+) 25
	पंजीयन शुल्क	188.48	227.68	375.96	418.29	497.47	(+) 19
4.	विद्युत पर कर एवं शुल्क	654.05	699.99	905.81	1,094.48	1,570.06	(+) 43
5.	मोटर वाहनों पर कर	1,213.56	1,372.87	1,612.25	1,927.05	2,283.13	(+) 18
6.	माल एवं यात्रियों पर कर	189.87	176.10	230.69	220.13	248.57	(+) 13
7.	आय एवं व्यय पर अन्य कर, व्यवसाय, व्यापार, पेशा एवं रोजगार पर कर	0.04	0.04	0.02	0.06	0.19	(+) 217
8.	वस्तुओं एवं सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क	64.52	58.52	64.43	43.44	48.47	(+) 12
9.	भू-राजस्व	162.52	147.66	222.17	209.01	304.55	(+) 46
10.	अन्य कर	228.16	132.14	290.71	178.03	150.33	(-) 16
योग		**14,943.75**	**16,414.27**	**20,758.12**	**25,377.05**	**30,502.65**	(+) 20

सम्बन्धित विभागों द्वारा वर्ष 2011-12 की तुलना में 2012-13 में रहे अन्तर के निम्न कारण बताये:

बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर: सघन अनुश्रवण, कर अपवंचन पर रोकथाम एवं विभाग के राजस्व वसूली प्रयासों तथा कुछ वस्तुओं पर कर की दर में वृद्धि के कारण वृद्धि (17 प्रतिशत) हुई।

केन्द्रीय बिक्री कर: सघन अनुश्रवण, कर अपवंचन पर रोकथाम एवं विभाग के राजस्व वसूली प्रयासों के कारण वृद्धि (24 प्रतिशत) हुई।

राज्य आबकारी शुल्क: वृद्धि (21 प्रतिशत) मुख्यत: माल्ट मदिरा, विदेशी मदिरा तथा प्रासव की बिक्री गारन्टी राशि तथा अनुज्ञा शुल्क की वृद्धि एवं आबकारी निरोधक दल की प्रभावी सक्रियता से अधिक प्राप्तियों के कारण थी।

मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क: गैर न्यायिक मुद्रांक की अधिक बिक्री, पंजीयन होने वाले दस्तावेजों की पंजीयन फीस तथा कोर्ट फीस एवं जिला स्तरीय समिति की दरों में वृद्धि के कारण वृद्धि (26 प्रतिशत) हुई।

विद्युत पर कर एवं शुल्क: विद्युत के उपयोग एवं बिक्री पर कर की अधिक प्राप्ति के कारण वृद्धि (43 प्रतिशत) हुई।

मोटर वाहनों पर कर: कर, अधिभार, हरित कर से अधिक प्राप्ति के कारण वृद्धि (18 प्रतिशत) हुई।

माल एवं यात्रियों पर कर: माल के प्रवेश पर कर की अधिक प्राप्ति के कारण वृद्धि (13 प्रतिशत) रही।

1.1.3 निम्नलिखित तालिका वर्ष 2008-09 से 2012-13 की अवधि के दौरान राज्य द्वारा वसूल किये गये कर-इतर राजस्व का विवरण प्रदर्शित करती है:

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	राजस्व शीर्ष	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2012-13 में 2011-12 पर वृद्धि (+)/ कमी (-) की प्रतिशतता
1.	ब्याज प्राप्तियाँ	1,195.96	1,185.45	1,276.70	1,714.53	2,067.00	(+) 21
2.	वानिकी एवं वन्य जीवन	57.74	56.35	93.20	74.95	91.24	(+) 22
3.	अलौह खनन एवं धातु कर्म उद्योग	1,275.59	1,612.26	1,929.58	2,366.32	2,838.59	(+) 20
4.	विविध सामान्य सेवाएं	580.33	739.30	271.19	353.09	686.10	(+) 94
5.	वृहद एवं मध्यम सिंचाई	54.16	48.83	86.04	91.83	87.21	(-) 5
6.	चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	36.87	56.55	45.46	59.38	96.04	(+) 62
7.	सहकारिता	18.13	21.03	16.35	22.38	22.02	(-) 2
8.	सार्वजनिक निर्माण	93.43	62.75	62.10	55.85	57.63	(+) 3
9.	पुलिस	71.43	126.24	133.93	143.54	192.07	(+) 34
10.	अन्य प्रशासनिक सेवायें	49.57	49.12	80.33	110.99	85.50	(-) 23
11.	अन्य कर-इतर प्राप्तियाँ	455.25	600.34	2,299.24	4,182.24	5,910.19	(+) 41
	योग	**3,888.46**	**4,558.22**	**6,294.12**	**9,175.10**	**12,133.59**	(+) **32**

सम्बन्धित विभागों द्वारा वर्ष 2011-12 की तुलना में 2012-13 में रहे अन्तर के निम्न कारण बताये:

ब्याज प्राप्तियां: नगद शेष के निवेश पर अधिक ब्याज प्राप्ति के कारण (21 प्रतिशत) वृद्धि हुई।

वानिकी एवं वन्य जीवन: वानिकी व वन्य जीवन, वानिकी उत्पादों व इमारती लकड़ी की बिक्री से अधिक प्राप्ति के कारण (22 प्रतिशत) वृद्धि रही।

चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य: कर्मचारी राज्य बीमा योजना व अन्य प्राप्तियों से अधिक प्राप्तियों के कारण (62 प्रतिशत) वृद्धि हुई।

पुलिस: मुख्यत: अन्य सरकारी पक्षों को पुलिस कार्मिक उपलब्ध कराने से प्राप्त प्राप्तियों, अन्य प्राप्तियों व राज्य मुख्यालय की प्राप्तियों में अधिक प्राप्ति के कारण (34 प्रतिशत) वृद्धि रही।

बाकी शीर्षों में रहे अन्तर के कारण विभागों से मांगने (अप्रेल/जून 2013) के उपरान्त भी दिसम्बर 2013 तक प्राप्त नहीं हुए।

1.2 लेखापरीक्षा टिप्पणियों पर सरकार/विभाग का उत्तर

निर्धारित नियमों एवं प्रक्रियाओं के अनुरूप महत्वपूर्ण लेखों एवं अन्य अभिलेखों के रख-रखाव का सत्यापन एवं कार्य निष्पादन की नमूना जाँच के लिए महालेखाकार (आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्र लेखापरीक्षा), राजस्थान, सरकारी विभागों का सामयिक निरीक्षण करते हैं। निरीक्षण के दौरान पाई गई अनियमितताओं, जिन्हें स्थल पर ही निस्तारित नहीं किया गया, उनको सम्मिलित करते हुए निरीक्षण प्रतिवेदन जारी किये जाते हैं जो निरीक्षण किये गये कार्यालय के अध्यक्ष तथा उससे अगले उच्च प्राधिकारी को शीघ्र सुधारात्मक कार्यवाही करने हेतु प्रतिलिपि भेजते हुए जारी किये जाते हैं। कार्यालय प्रमुखों/सरकार को निरीक्षण प्रतिवेदनों में शामिल आक्षेपों की शीघ्रता से अनुपालना, कमियों एवं त्रुटियों में सुधार के साथ निरीक्षण प्रतिवेदन जारी करने के एक माह के अन्दर प्रथम अनुपालना के माध्यम से महालेखाकार को प्रतिवेदित करना होता है। गम्भीर वित्तीय अनियमितताएं विभागाध्यक्षों एवं सरकार को प्रतिवेदित की जाती हैं।

1.2.1 बकाया निरीक्षण प्रतिवेदन एवं लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ

31 दिसम्बर 2012 तक जारी निरीक्षण प्रतिवेदनों की स्थिति की समीक्षा से पता चलता है कि 2,882 निरीक्षण प्रतिवेदनों में ₹ 7,731.42 करोड़ राशि के 9,489 अनुच्छेद जून 2013 के अन्त तक बकाया थे, बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षा आक्षेपों का विवरण, विगत दो वर्षों के आंकड़ों के साथ निम्न तालिका में दर्शाया गया है:

विवरण	जून 2011	जून 2012	जून 2013
बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	2,469	2,628	2,882
बकाया लेखापरीक्षा आक्षेपों की संख्या	7,464	8,260	9,489
सन्निहित राशि (₹ करोड़ में)	2,748.76	5,958.95	7,731.42

30 जून 2013 को बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षा आक्षेपों तथा उनमें सन्निहित राशि का विभागानुसार विवरण नीचे दर्शाया गया है:

क्र. सं.	विभाग का नाम	प्राप्तियों की प्रकृति	बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	बकाया लेखापरीक्षा आक्षेपों की संख्या	सन्निहित राशि (₹ करोड़ में)
1.	वाणिज्यिक कर	बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर/मूल्य परिवर्धित कर	554	2,577	3,229.46
		मनोरंजन कर, विलासिता कर इत्यादि	27	33	7.29
2.	परिवहन	मोटर वाहनों पर कर	424	1,490	204.37
3.	भू-राजस्व	भू-राजस्व	259	539	1,157.25
		भूमि एवं भवन कर	8	12	0.50
4.	पंजीयन एवं मुद्रांक	मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क	1,183	3,156	145.28
5.	राज्य आबकारी	राज्य आबकारी शुल्क	156	349	325.58
6.	खान एवं भू-विज्ञान, पेट्रोलियम	अलौह खनन एवं धातुकर्म उद्योग	271	1,333	2,661.69
योग			**2,882**	**9,489**	**7,731.42**

निरीक्षण प्रतिवेदनों के जारी होने की तिथि से एक माह के अन्दर कार्यालय प्रमुखों से प्राप्त होने वाली प्रथम अनुपालना दिसम्बर 2012 तक जारी निरीक्षण प्रतिवेदनों में से 80 प्रतिवेदनों में प्राप्त नहीं हुई थी (30 जून 2013)। बड़ी संख्या में लम्बित निरीक्षण प्रतिवेदन इस तथ्य का सूचक है कि महालेखाकार द्वारा निरीक्षण प्रतिवेदनों में बतायी गयी कमियों, त्रुटियों एवं अनियमितताओं को ठीक करने की कार्यवाही कार्यालय प्रमुख एवं विभागाध्यक्ष द्वारा प्रारम्भ नहीं की गयी।

लेखापरीक्षा आक्षेपों पर शीघ्र एवं समुचित कार्यवाही करने हेतु एक प्रभावी प्रणाली स्थापित करने के लिए सरकार उचित कदम उठाये तथा इसके साथ-साथ उन कर्मचारियों/अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही करें जो निर्धारित समय सीमा के अनुसार निरीक्षण प्रतिवेदनों/अनुच्छेदों के उत्तर भेजने में विफल रहे तथा राजस्व हानि/बकाया की वसूली के लिए समयबद्ध तरीके से कार्यवाही करने में भी विफल रहे।

1.2.2 विभागीय लेखापरीक्षा समिति की बैठकें

निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनुच्छेदों के निस्तारण की निगरानी एवं शीघ्र प्रगति के लिए सरकार ने लेखापरीक्षा समितियों[2] का गठन किया है। विभाग द्वारा एक वर्ष में कम से कम चार (प्रत्येक तिमाही में एक) लेखापरीक्षा समिति की बैठकें आयोजित करनी होती हैं। इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा अनुच्छेदों के निस्तारण हेतु विभाग में लेखापरीक्षा उप-समितियों की बैठकें भी आयोजित की जाती हैं। वर्ष 2012-13 के दौरान सम्पन्न हुई लेखापरीक्षा समिति तथा लेखापरीक्षा उप-समिति की बैठकों तथा निस्तारित किये गये अनुच्छेदों का विवरण नीचे दर्शाया गया है:

विभाग का नाम	लेखापरीक्षा समिति की बैठकों की संख्या	लेखापरीक्षा उप-समिति की बैठकों की संख्या	निस्तारित अनुच्छेदों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
वाणिज्यिक कर	2	1	–	–
परिवहन	3	6	57	2.77
भू-राजस्व	–	6	–	–
पंजीयन एवं मुद्रांक	2	13	126	1.40
राज्य आबकारी	3	4	80	7.21
खान एवं भू-विज्ञान, पेट्रोलियम	1	–	–	–
योग	**11**	**30**	**263**	**11.38**

उपरोक्त तालिका यह दर्शाती है कि अपेक्षित लेखापरीक्षा समितियों की 24 बैठकों के विरूद्ध केवल 11 बैठकें ही आयोजित की गई।

यह सिफारिश की जाती है कि सरकार लेखापरीक्षा समितियों की बैठकों की क्रियाविधि को सुदृढ़ करें और लेखापरीक्षा समितियों की बैठकों की संख्या में वृद्धि हेतु निर्देश जारी करने चाहिए।

1.2.3 विभागों का उत्तर

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में सम्मिलित करने के लिए प्रस्तावित प्रारूप लेखापरीक्षा अनुच्छेदों के उत्तर, उनकी प्राप्ति से तीन सप्ताह के अन्दर भिजवाने हेतु वित्त विभाग ने अगस्त 1969 में सभी विभागों को निर्देश जारी किये थे। प्रारूप अनुच्छेद सम्बन्धित विभागों के सचिवों को अर्द्धशासकीय पत्रों के माध्यम से लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर उनका ध्यान आकृष्ट करने तथा यह

[2] राजस्थान सरकार के परिपत्र सं. 1/2005 दिनांक 18.1.2005 के अनुसार लेखापरीक्षा समितियों में, अन्य के साथ सम्बन्धित विभागों के सचिव व महालेखाकार/उसके प्रतिनिधि शामिल होते है। इसके अतिरिक्त विभागों के अधिकारियों व महालेखाकार के प्रतिनिधियों को मिलाकर लेखापरीक्षा उप-समितियों का गठन भी किया गया है।

अनुरोध करते हुए भेजे जाते हैं कि वे उनके उत्तर निर्धारित अवधि में भिजवा दें। सरकार से उत्तर प्राप्त नहीं होने के तथ्य को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित प्रत्येक अनुच्छेद के अन्त में दर्शाया जाता है।

31 मार्च 2013 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन (राजस्व क्षेत्र) में सम्मिलित करने के लिए प्रस्तावित 'वाणिज्य कर विभाग में बकाया की वसूली' व 'राजकीय भूमि पर अतिक्रमण' निष्पादन लेखापरीक्षा सहित 52 ड्राफ्ट पैरा (इस प्रतिवेदन के 39 अनुच्छेदों में संकलित) सम्बन्धित विभागों के सचिवों को सितम्बर एवं दिसम्बर 2013 के मध्य प्रेषित किये गये थे। इन में से 50 ड्राफ्ट पैराओं के उत्तर प्राप्त हुए जिनमें 68 प्रकरण समाहित थे। इसके अतिरिक्त 'वाणिज्यिक कर विभाग में बकाया की वसूली' व 'राजकीय भूमि पर अतिक्रमण' पर निष्पादन लेखापरीक्षा के निष्कर्षों पर समापन सम्मेलनों में सम्बन्धित विभागों/सरकार से चर्चा की गई।

1.2.4 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्यवाही-संक्षिप्त स्थिति

लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल किये गये तथा 31 दिसम्बर 2013 को चर्चा हेतु बकाया अनुच्छेदों की स्थिति **परिशिष्ट 'अ'** में दर्शायी गई हैं। वर्ष 2005-06 से 2011-12 की अवधि से सम्बन्धित कुल मिलाकर 99 अनुच्छेद जन लेखा समिति में चर्चा हेतु शेष थे।

राजस्थान राज्य विधानसभा की जन लेखा समिति के लिए वर्ष 1997 में बनाये गये नियमों एवं कार्यविधियों के अनुसार, लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर जन लेखा समिति द्वारा की गई सिफारिशों के विधानसभा में प्रस्तुत करने के छः माह के अन्दर उन पर क्रियान्विति विषयक टिप्पणी प्रेषित करने हेतु सम्बन्धित विभागों को आवश्यक कार्यवाही करनी होती है। हमने पाया कि **परिशिष्ट 'ब'** में दर्शायी 251 क्रियान्विति विषयक टिप्पणियां 31 दिसम्बर 2013 को बकाया थी।

1.2.5 पूर्व लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की अनुपालना

पिछले 10 वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित, स्वीकार किए गए अनुच्छेदों तथा 31 दिसम्बर 2013 तक वसूल की गई राशि की स्थिति नीचे तालिका में दर्शायी गई है:

(₹ करोड़ में)

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	सम्मिलित अनुच्छेदों की संख्या	अनुच्छेदों की धन राशि	स्वीकार्य अनुच्छेदों की संख्या	स्वीकार्य अनुच्छेदों की धन राशि	वर्ष के दौरान वसूली गई राशि[3]	31 दिसम्बर 2013 तक कुल वसूली
2002-03	46	382.52	36	220.03	शून्य	62.83
2003-04	31	381.48	30	234.77	शून्य	49.52
2004-05	27	276.63	23	16.14	शून्य	6.15
2005-06	39	352.81	27	118.93	शून्य	23.28
2006-07	41	315.25	25	254.28	शून्य	6.60
2007-08	39	666.55	34	247.33	0.51	99.70
2008-09	48	392.71	35	72.25	1.78	23.63
2009-10	28	638.85	21	432.30	5.76	22.89
2010-11	32	617.96	21	341.98	2.97	10.66
2011-12	43	763.52	31	405.06	15.88	15.88
योग	**374**	**4,788.28**	**283**	**2,343.07**	**26.90**	**321.14**

वर्ष 2002-03 से 2011-12 के दौरान ₹ 4,788.28 करोड़ सन्निहित राशि के 374 अनुच्छेद लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित थे। सरकार/विभागों ने ₹ 2,343.07 करोड़ की लेखापरीक्षा टिप्पणियां स्वीकार की, जिनमें से केवल ₹ 321.14 करोड़ (13.70 प्रतिशत) ही 31 दिसम्बर 2013 तक वसूल किये गये।

सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि स्वीकार किये गये अनुच्छेदों में सन्निहित राशि की पूर्ण वसूली हो सके।

1.3 लेखापरीक्षा योजना

विभिन्न विभागों के अधीन इकाई कार्यालयों को, उनकी राजस्व की स्थिति, पूर्व के लेखापरीक्षा आक्षेपों की प्रवृत्ति तथा अन्य मापदण्डों के अनुसार उच्च, मध्यम एवं कम जोखिम में श्रेणीबद्ध किया गया है। वार्षिक लेखापरीक्षा योजना, जोखिम विश्लेषण के अलावा सरकार के राजस्व तथा कर प्रशासन में सन्निहित महत्वपूर्ण

[3] जनवरी, 2013 से दिसम्बर 2013

बिन्दुओं जैसे बजट भाषण, राज्य वित्त पर श्वेत-पत्र, वित्त आयोग (राज्य एवं केन्द्रीय) के प्रतिवेदनों, कराधान सुधार समिति की सिफारिशों, गत पाँच वर्षों के दौरान राजस्व प्राप्तियों का सांख्यिकीय विश्लेषण, कर प्रशासन की विशिष्टता, गत पाँच वर्षों के दौरान लेखापरीक्षा से आच्छादित क्षेत्र तथा इसके प्रभाव आदि के आधार पर तैयार की गयी है।

वर्ष 2012-13 के दौरान, लेखापरीक्षा के लिए उपलब्ध कुल 761 इकाइयों में से 382 इकाइयों की लेखापरीक्षा की योजना बनायी तथा 380 इकाईयों की लेखापरीक्षा की गई। शेष दो इकाईयों की लेखापरीक्षा (मार्च 2013 तक) निवेदन के उपरान्त भी रिकार्ड उपलब्ध न कराने के कारण सम्पन्न नहीं की जा सकी। अनुपालना लेखापरीक्षा के अतिरिक्त दो निष्पादन लेखापरीक्षा, विभागों की दक्षता तथा कार्यप्रणाली/प्रक्रिया जाँचने के लिए की गई थी।

1.4 लेखापरीक्षा के परिणाम

1.4.1 वर्ष के दौरान की गई स्थानीय लेखापरीक्षा की स्थिति

वर्ष 2012-13 के दौरान वाणिज्यिक कर, परिवहन, भू-राजस्व, पंजीयन एवं मुद्रांक, राज्य आबकारी, खान एवं अन्य विभागीय कार्यालयों की 380 इकाइयों के अभिलेखों की मापक जाँच में 37,959 प्रकरणों में ₹ 2,286.17 करोड़ राशि के अवनिर्धारण, कम आरोपण/राजस्व हानि आदि का पता चला। वर्ष के दौरान सम्बन्धित विभागों ने अवनिर्धारण एवं अन्य कमियों में निहित राशि ₹ 598.39 करोड़ के 23,519 प्रकरण स्वीकार किये, जिनमें से ₹ 217.42 करोड़ सन्निहित राशि के 11,973 प्रकरण वर्ष 2012-13 के दौरान तथा शेष पूर्ववर्ती वर्षों में लेखापरीक्षा में ध्यान में लाये गये थे। वर्ष 2012-13 के दौरान सम्बन्धित विभागों ने 5,876 प्रकरणों में ₹ 73.07 करोड़ वसूल किये।

1.4.2 यह प्रतिवेदन

इस प्रतिवेदन में ₹ 586.49 करोड़ वित्तीय प्रभाव के 39 अनुच्छेद (इनकी पहचान उपरोक्त वर्णित लेखापरीक्षा के दौरान की गई या पूर्व के वर्षों में की गई किन्तु पूर्व लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल नहीं किये जा सके थे) समाहित हैं जिनमें 'वाणिज्यिक कर विभाग में बकाया की वसूली' व 'राजकीय भूमि पर अतिक्रमण' पर दो निष्पादन लेखापरीक्षा, जिनमें सन्निहित राशि ₹ 369.02 करोड़ है, शामिल है। विभाग/सरकार ने ₹ 87.57 करोड़ राशि की लेखापरीक्षा टिप्पणियां स्वीकार की, जिनमें से ₹ 11.30 करोड़ वसूल कर लिए गये। शेष प्रकरणों में उत्तर प्राप्त नहीं हुए (दिसम्बर 2013)। इन पर आगामी अध्याय-II से VII में चर्चा की गई है।

अध्याय–II

बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर

अध्याय-II: बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर

2.1 कर प्रशासन

वाणिज्यिक कर विभाग मुख्य रूप से वैट, केन्द्रीय बिक्री कर, प्रवेश कर, विलासिता कर, मनोरंजन कर एवं विद्युत शुल्क से सम्बन्धित कार्य देखता है, जो निम्नलिखित अधिनियमों एवं उसके अधीन बनाये गये नियमों से विनियमित होते हैं:

1. राजस्थान वैट अधिनियम, 2003;
2. राजस्थान वैट नियम, 2006;
3. केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956;
4. केन्द्रीय बिक्री कर नियम, 1957;
5. राजस्थान स्थानीय क्षेत्रों में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1999;
6. राजस्थान विलासिता कर (होटल और ठहराव घरों में) अधिनियम, 1990;
7. राजस्थान मनोरंजन एवं विज्ञापन कर अधिनियम, 1957; तथा
8. राजस्थान विद्युत (शुल्क) अधिनियम, 1962 ।

राजस्थान में वैट का निर्धारण, आरोपण और संग्रहण, राजस्थान वैट अधिनियम, 2003, जो 1 अप्रेल 2006 से लागू है, द्वारा शासित होते हैं। इससे पूर्व, राजस्थान बिक्री कर अधिनियम, 1994 प्रचलन में था, जिसको राजस्थान वैट अधिनियम से प्रतिस्थापित किया गया। यद्यपि राजस्थान बिक्री कर की अवधि से सम्बन्धित प्रकरण राजस्थान बिक्री कर अधिनियम से शासित होते रहे। इसके अतिरिक्त, अन्तर्राज्यीय बिक्री के मामलों में केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 एवं उसके अधीन निर्मित नियम भी प्रचलन में हैं।

आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, राजस्थान सरकार के समग्र नियन्त्रण में रहते हुए, उपरोक्त वर्णित अधिनियमों एवं नियमों को लागू करता है। आयुक्त, वाणिज्यिक कर की सहायता हेतु 8 अतिरिक्त आयुक्त, 34 उपायुक्त एवं 1 वित्तीय सलाहकार हैं। सरकारी नीतियों एवं कराधान क्रियाकलापों को प्रभावी रूप से लागू करने के लिये वाणिज्यिक कर विभाग (विभाग) 14 संभागों में विभाजित है। संभाग स्तर पर उपायुक्त सबसे वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी होता है।

2.2 प्राप्तियों की प्रवृत्ति

वर्ष 2008-09 से 2012-13 की अवधि में बजट अनुमानों के सापेक्ष में बिक्री, व्यापार इत्यादि से कर की वास्तविक प्राप्तियों तथा इसी अवधि की राज्य की कुल

कर प्राप्तियाँ निम्नलिखित तालिका में दर्शाई गई हैं:

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बिक्री, व्यापार पर कर का बजट अनुमान	बिक्री, व्यापार पर कर से वास्तविक प्राप्तियाँ	अन्तर अधिक(+)/ कमी (-)	अन्तर का प्रतिशत	बढ़ोतरी की दर	राज्य की कुल कर प्राप्तियाँ	वास्तविक प्राप्तियों(3) का कुल कर प्राप्तियों(7) पर प्रतिशत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2008-09	8,500.00	8,904.50	(+) 404.50	(+) 4.76	14.89	14,943.75	59.59
2009-10	10,030.00	10,163.53	(+) 133.53	(+) 1.33	14.14	16,414.27	61.92
2010-11	11,730.00	12,629.59	(+) 899.59	(+) 7.67	24.26	20,758.12	60.84
2011-12	13,490.00	15,766.43	(+)2,276.43	(+) 16.87	24.84	25,377.05	62.13
2012-13	16,550.00	18,574.65	(+)2,024.65	(+) 12.23	17.81	30,502.65	60.90

स्रोत: वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा उपलब्ध करवाये गये।

वर्ष 2008-09 से 2012-13 की अवधि में राज्य की कुल कर प्राप्तियों के समक्ष, बिक्री, व्यापार इत्यादि से करों की प्राप्तियाँ 59.59 से 62.13 प्रतिशत के मध्य रही जो राज्य के राजस्व प्राप्तियों का बड़ा हिस्सा है।

2.3 प्रति करदाता वैट का संग्रहण

विगत पाँच वर्षों के दौरान प्रति करदाता बिक्री कर/वैट का संग्रहण निम्न तालिका में दर्शाया गया है:

वर्ष	करदाताओं की संख्या	बिक्री कर/वैट राजस्व (₹ करोड़ में)	प्रति करदाता राजस्व (₹ लाख में)
2008-09	3,44,852	8,904.50	2.58
2009-10	3,76,688	10,163.53	2.70
2010-11	4,09,323	12,629.59	3.09
2011-12	4,40,842*	15,766.43	3.58
2012-13	4,71,505**	18,574.65	3.94**

* गत वर्ष के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में दर्शाये गये आँकड़े, जो विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये, प्रोविजनल थे।

** प्रोविजनल आँकड़े।

उक्त आँकड़े प्रति करदाता वैट के संग्रहण की बढती हुई प्रवृत्ति को इंगित करते हैं।

2.4 कर निर्धारण में बकाया

राजस्थान वैट अधिनियम, 2003 की धारा 23 के अनुसार, पंजीकृत व्यवहारी के द्वारा निर्धारित समयावधि में विवरणियाँ प्रस्तुत कर देने पर उसका कर निर्धारण किया हुआ मान लिया जाता है। विभाग द्वारा विवरणियों की जांच के दौरान कोई त्रुटि या अशुद्धि ध्यान में आने पर राजस्थान वैट अधिनियम, 2003 की धारा 24 के प्रावधानों के अनुसार व्यवहारी को उसका परिशोधन करना होता है। वर्ष 2008-09 से 2012-13 के दौरान कर निर्धारण के लम्बित प्रकरणों का विवरण नीचे दर्शाया गया है:

वर्ष	प्रारम्भिक शेष	निर्धारण योग्य नये प्रकरण	योग	निपटाये गये प्रकरण	वर्ष के अन्त में बकाया प्रकरण
2008-09	1,344	2,54,289	2,55,633	2,55,262	371
2009-10	371	3,03,950	3,04,321	3,04,222	99
2010-11	99	3,20,298	3,20,397	3,20,382	15
2011-12	15	3,25,019	3,25,034	3,25,024	10
2012-13	10	3,59,569	3,59,579	3,59,559	20

स्रोत: वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा उपलब्ध करवाये गये।

लम्बित निर्धारण प्रकरणों का वर्ष 2008-09 के अन्त में 371 प्रकरणों से वर्ष 2012-13 के अन्त में 20 प्रकरणों तक आना सार्थक कमी दर्शाता है।

2.5 संग्रहण की लागत

वर्ष 2008-09 से 2012-13 की अवधि के दौरान राजस्व प्राप्तियों का सकल संग्रहण, संग्रहण पर किया गया व्यय तथा सकल संग्रहण पर हुये व्यय प्रतिशतता की सुसंगत अखिल भारतीय औसत प्रतिशतता से तुलना निम्न प्रकार है:

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	वर्ष	संग्रहण	राजस्व के संग्रहण पर व्यय	संग्रहण पर व्यय का प्रतिशत	अखिल भारतीय औसत प्रतिशतता
1.	2008-09	8,904.50	70.21	0.80	0.88
2.	2009-10	10,163.53	85.90	0.85	0.96
3.	2010-11	12,629.59	86.97	0.69	0.75
4.	2011-12	15,766.43	84.89	0.54	0.83
5.	2012-13	18,574.65	88.61	0.48	उपलब्ध नहीं

उपरोक्त को देखने से ज्ञात होता है कि सभी वर्षों के दौरान राजस्व संग्रहण पर किये गये व्यय का प्रतिशत अखिल भारतीय औसत प्रतिशत से कम था।

2.6 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का प्रभाव

वर्ष 2011-12 तक के गत पाँच वर्षों में, कर का अनारोपण/कम आरोपण, अवसूली/कम वसूली, अवनिर्धारण/राजस्व की हानि, गलत छूट, टर्नओवर को छिपाना, कर की गलत दर लगाना, कर की गलत गणना इत्यादि से सम्बन्धित ₹ 551.98 करोड़ राजस्व प्रभाव के 38 अनुच्छेद लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में दर्शाये गये। इनमें से 30 अनुच्छेदों में सन्निहित ₹ 361.01 करोड़ राशि के लेखापरीक्षा आक्षेपों को विभाग/सरकार द्वारा स्वीकार किया गया और जिनमें से दिसम्बर 2013 तक ₹ 5.33 करोड़ की वसूली कर ली गई जिसका विवरण निम्न तालिका में दर्शाया गया है:

(₹ करोड़ में)

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	सम्मिलित अनुच्छेद		स्वीकृत अनुच्छेद		वसूल की गई राशि*	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	अनुच्छेदों की संख्या	राशि
2007-08	5	17.88	3	0.82	3	0.54
2008-09	10	28.25	7	17.79	5	0.96
2009-10	8	4.47	6	3.38	6	1.18
2010-11	9	105.18	9	3.38	7	1.95
2011-12	6	396.20	5	335.64	3	0.70
योग	**38**	**551.98**	**30**	**361.01**	**24**	**5.33**

* कुछ अनुच्छेदों में राशि की आंशिक वसूली की गई।

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि आक्षेपित एवं स्वीकार की गई राशि के समक्ष वसूली की राशियाँ क्रमशः एक प्रतिशत एवं डेढ़ प्रतिशत रही।

सरकार को सुनिश्चित करना चाहिये कि जिन अनुच्छेदों को स्वीकार कर लिया गया है उन प्रकरणों में पूर्ण वसूली करें।

2.7 आन्तरिक लेखापरीक्षा समूह की कार्यप्रणाली

वित्तीय सलाहकार आन्तरिक लेखापरीक्षा समूह का प्रमुख होता है। विभाग में, 13 आन्तरिक लेखापरीक्षा दल कार्यरत हैं और प्रत्येक दल का प्रभारी सहायक लेखाधिकारी होता है। आन्तरिक लेखापरीक्षा की योजना, इकाइयों की महत्ता एवं अर्जित राजस्व के आधार पर की जाती है। विगत पाँच वर्षों की आन्तरिक

लेखापरीक्षित इकाइयाँ की स्थिति निम्नानुसार थी:

वर्ष	लेखापरीक्षा के लिये लम्बित इकाइयाँ	वर्ष के दौरान लेखापरीक्षा के लिए इकाइयों का देय होना	लेखापरीक्षा के लिये कुल बकाया इकाइयाँ	वर्ष के दौरान लेखापरीक्षित इकाइयाँ	लेखापरीक्षा से वंचित रही इकाइयाँ	कमी प्रतिशत में
2008-09	65	396	461	357	104	23
2009-10	104	393	497	299	198	40
2010-11	198	384	582	489	93	16
2011-12	93	384	477	411	66	14
2012-13	66	384	450	267	183	41

वर्ष 2008-09 से 2012-13 के दौरान आन्तरिक लेखापरीक्षा के आयोजन में 14 से 41 प्रतिशत के मध्य कमी रही।

यह भी देखा गया कि वर्ष 2012-13 के अन्त में आन्तरिक लेखापरीक्षा के 17,202 अनुच्छेद बकाया थे। वर्षवार बकाया अनुच्छेदों की स्थिति निम्न प्रकार है:

वर्ष	2007-08 तक	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	योग
अनुच्छेदों की संख्या	9,325	1,557	1,618	1,459	1,811	1,432	17,202

बड़ी संख्या में अनुच्छेदों का बकाया होना तथा उनका निस्तारण नहीं होना यह दर्शाता है कि विभाग स्वयं के आन्तरिक लेखापरीक्षा समूह के द्वारा लिये गये आक्षेपों के निपटान की निगरानी नहीं कर रहा है।

यह सिफारिश की जाती है कि विभाग आन्तरिक लेखापरीक्षा समूह के द्वारा लिये गये आक्षेपों के समाधान के लिये शीघ्र प्रभावी कार्यवाही करें।

2.8 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 2012-13 में वाणिज्यिक कर विभाग से सम्बन्धित 154 में से 89 इकाइयों के अभिलेखों की मापक जांच के दौरान 1,322 प्रकरणों में ₹ 275.96 करोड़ के कर के कम निर्धारण/अवनिर्धारण, अनियमित छूट प्रदान करना, ब्याज का अनारोपण एवं अन्य अनियमितताएँ पायी गई, जो मुख्यत: निम्नलिखित श्रेणियों में आती है:

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	श्रेणी	प्रकरणों की संख्या	राशि
1.	'वाणिज्यिक कर विभाग में बकाया की वसूली' पर निष्पादन लेखापरीक्षा	1	150.02
2.	कर योग्य टर्नओवर का निर्धारण नहीं करना	275	17.38
3.	कटौती की अनियमित या गलत स्वीकृति के कारण अवनिर्धारण	86	5.37
4.	कर की गलत दर लगाने के कारण कर का कम आरोपण	77	6.25
5.	अनियमित छूट प्रदान करना	124	16.41
6.	क्रय कर का अनारोपण	7	0.38
7.	शास्ति/ब्याज का अनारोपण	154	7.69
8.	अन्य अनियमितताएँ		
	(i) राजस्व	554	72.24
	(ii) व्यय	44	0.22
योग		**1,322**	**275.96**

वर्ष 2012-13 के दौरान, विभाग ने 615 प्रकरणों में ₹ 4.59 करोड़ के अवनिर्धारण एवं अन्य कमियों को स्वीकार किया, जिनमें से ₹ 21.63 लाख के 28 प्रकरण वर्ष 2012-13 की लेखापरीक्षा के दौरान तथा शेष पूर्ववर्ती वर्षों में ध्यान में लाये गये थे। विभाग ने वर्ष 2012-13 के दौरान 22 प्रकरणों में ₹ 10.20 लाख वसूल किये, जो पूर्ववर्ती वर्षों से सम्बन्धित थे।

तीन प्रकरणों में विभाग और सरकार को ड्राफ्ट पैराग्राफ जारी किये जाने के पश्चात विभाग द्वारा ₹ 59.58 लाख की सम्पूर्ण राशि वसूल कर ली गई।

'वाणिज्यिक कर विभाग में बकाया की वसूली' पर एक निष्पादन लेखापरीक्षा जिसमें सन्निहित राशि ₹ 150.02 करोड़ है एवं ₹ 10.54 करोड़ के कुछ लेखापरीक्षा आक्षेपों के उदाहरण अनुवर्ती अनुच्छेदों में दिये गये हैं।

2.9 'वाणिज्यिक कर विभाग में बकाया की वसूली' पर निष्पादन लेखापरीक्षा

मुख्य बिन्दु

- अवधि 2007-08 से 2011-12 के दौरान करों की बकाया ₹ 2,996.96 करोड़ से बढ़कर ₹ 4,838.04 करोड़ हो गई।

(अनुच्छेद 2.9.7.1)

- वसूली प्रक्रिया के प्रारम्भ करने को सुनिश्चित करने हेतु राजस्थान वैट अधिनियम, 2003 या राजस्थान वैट नियम, 2006 में या विभाग द्वारा कोई समय सीमा निर्दिष्ट नहीं की गई।

(अनुच्छेद 2.9.9.3)

- सम्पत्तियों की नीलामी में असफलता के कारण चार प्रकरणों में ₹ 69.01 लाख की बकाया की वसूली नहीं की जा सकी।

(अनुच्छेद 2.9.10)

- अवधि 1977-78 से 2009-10 से सम्बन्धित एकपक्षीय कर निर्धारण के 259 प्रकरणों की मापक जाँच में पाया कि ₹ 49.44 करोड़ की मांग तथा ब्याज ₹ 37.81 करोड़ की वसूली नहीं की गई।

(अनुच्छेद 2.9.12)

- चैक पोस्टों पर कर संग्रहण कार्य के लिये नियुक्त आठ ठेकेदारों द्वारा ₹ 5.11 करोड़ की बकाया राशि को जमा नहीं कराया गया।

(अनुच्छेद 2.9.13)

- दो सक्रिय व्यवहारियों के विरूद्ध बकाया ₹ 82.42 लाख की वसूली नहीं की गई, यद्यपि, उनका कर निर्धारण लगातार किया जा रहा था।

(अनुच्छेद 2.9.14)

- बारह प्रकरणों में, जिनमें व्यवहारियों की अन्य राज्यों में सम्पत्ति होने पर भी राजस्व वसूली प्रमाण-पत्र विलम्ब से जारी करने तथा अनुसरण की अपर्याप्त कार्यवाही के परिणामस्वरूप ₹ 9.09 करोड़ की वसूली नहीं की जा सकी।

(अनुच्छेद 2.9.15)

- अड़तालीस प्रकरणों की संवीक्षा पर पाया गया कि व्यवहारियों द्वारा ₹ 13.00 करोड़ के आगत कर लाभ (आई.टी.सी.) का दावा किया गया किन्तु, निर्धारण अधिकारी द्वारा इसे सम्बन्धित निर्धारण अधिकारी से सत्यापन रिपोर्ट के अभाव में अनुमत्य नहीं किया गया था।

(अनुच्छेद 2.9.16)

- ₹ 1.34 करोड़ बकाया कर की राशि व्यवहारियों द्वारा चैक पोस्टों तथा स्रोत पर कर की कटौती के रूप में जमा करा रखी थी किन्तु, विभाग द्वारा सत्यापन में विलम्ब के कारण बकाया चल रही थी।

(अनुच्छेद 2.9.17)

- वर्ष 1992-93 से 2009-10 की अवधि से सम्बन्धित 178 प्रकरणों में, केन्द्रीय बिक्री कर के घोषणा पत्रों को प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण मांग ₹ 10.51 करोड़ तथा ब्याज ₹ 2.31 करोड़ वसूली हेतु बकाया रहे।

(अनुच्छेद 2.9.18)

- वर्ष 1993-94 से 2009-10 की अवधि से सम्बन्धित 64 प्रकरणों में राजस्थान बिक्री कर/राजस्थान वैट के घोषणा पत्रों को प्रस्तुत नहीं किये जाने के फलस्वरूप मांग ₹ 2.09 करोड़ एवं ब्याज ₹ 1.13 करोड़ वसूली हेतु बकाया रहे।

(अनुच्छेद 2.9.19)

- दो व्यवहारियों के वसूली अभिलेखों की मापक जांच में पाया कि निर्धारण अधिकारी द्वारा शासकीय समापक को ब्याज राशि का दावा प्रस्तुत नहीं किया गया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 5.86 करोड़ के ब्याज की हानि हुई।

(अनुच्छेद 2.9.20)

- ऋण वसूली अधिकरण के यहां अपर्याप्त कार्यवाही किये जाने के फलस्वरूप एक कम्पनी से ₹ 1.99 करोड़ कर के बकाया को प्राप्त नहीं किया जा सका। ऋण वसूली अधिकरण ने वर्ष 2005 में कम्पनी की चल एवं अचल सम्पत्ति को बेच दिया एवं वितरण योग्य कोई सम्पत्ति छोड़े बिना प्राप्त विक्रय राशि को वित्तीय संस्थानों के मध्य वितरित कर दिया गया।

(अनुच्छेद 2.9.21)

- ऐसे मामलों में जहां व्यवहारी समय पर कर का भुगतान नहीं कर रहा हो, उनमें विभाग द्वारा जमानत राशि को गत माह या तिमाही या वर्ष जैसा भी प्रकरण हो, के अधिकतम देय कर के 25 प्रतिशत तक वृद्धि करने के बारे में कोई कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की गई।

(अनुच्छेद 2.9.23.2)

2.9.1 प्रस्तावना

वैल्यु एडेड टैक्स अर्थात वैट तथा केन्द्रीय बिक्री कर के निर्धारण, आरोपण और संग्रहण का कार्य राजस्थान वैट अधिनियम, 2003, केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 और उसके अधीन निर्मित नियमों द्वारा शासित होता है। राजस्थान वैट अधिनियम के लागू होने से पूर्व राज्य के भीतर माल के किसी भी प्रकार के विक्रय पर राजस्थान बिक्री कर अधिनियम, 1994 तथा उसके अधीन निर्मित नियम लागू होते थे।

राजस्थान वैट अधिनियम 2003, की धारा 23 के अनुसार एक पंजीकृत व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत विवरणियों के आधार पर त्रैमासिक या वार्षिक कर निर्धारण किया हुआ मान लिया जाता है। राजस्थान बिक्री कर नियमों के नियम 27 एवं राजस्थान वैट नियमों के नियम 24 के प्रावधानों के अनुसार, व्यवहारी से यह अपेक्षित है कि वह मांग पत्र प्राप्ति के 30 दिवस के भीतर अथवा ऐसे सूचना पत्र में निर्धारण अधिकारी द्वारा निर्दिष्ट समय के अन्दर मांग का भुगतान करे। यदि कोई मांग उस वर्ष की समाप्ति तक बकाया रहती है तो उसे आगामी वर्ष के मांग एवं संग्रहण पंजिका (डी.सी.आर.) में अग्रेषित किया जाना चाहिए। यदि कोई निर्धारिती मांग पत्र में निर्दिष्ट तिथि के भीतर राशि चुकाने में असफल रहता है तो विभाग बकाया राशि को राजस्थान वैट अधिनियम की धारा 49 और राजस्थान बिक्री कर अधिनियम की धारा 52 के अनुसार भू-राजस्व की बकाया के रूप में वसूल कर सकता है।

राजस्थान बिक्री कर अधिनियम की धारा 42 मे 53 एवं राजस्थान वैट अधिनियम की धारा 38 से 50 के अनुसार, किसी व्यवहारी से बकाया एवं वसूली योग्य मांग को भू-राजस्व की बकाया के तौर पर वसूली के प्रयोजन हेतु आयुक्त, वाणिज्यिक कर या उसके द्वारा अधिकृत किसी प्राधिकारी को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम (भू-राजस्व अधिनियम), 1956 के अन्तर्गत सभी शक्तियां प्राप्त है तथा वह सभी कार्य कर सकता है जिसमें मांग आदेश जारी करना, सम्पति की कुर्की तथा बेचान करने की प्रक्रिया भी शामिल है।

ऐसे प्रकरणों में, जहां चूककर्ताओं के पास राज्य में कोई भी सम्पति न हो किन्तु अन्य किसी राज्य में उनकी सम्पति हो, तो सम्बन्धित निर्धारण अधिकारी, राजस्व वसूली अधिनियम (आर.आर. अधिनियम), 1890 के प्रावधानों के अनुसार मांग प्रकरणों को उन राज्यों के जिला कलेक्टर को अग्रेषित करता है, जिसमें उनकी सम्पति है।

2.9.2 संगठनात्मक ढांचा

आयुक्त वाणिज्यिक कर उपरोक्त वर्णित अधिनियमों एवं नियमों को लागू करता है जिन पर सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, राजस्थान सरकार का समग्र नियंत्रण रहता है। आयुक्त, वाणिज्यिक कर की सहायता के लिए 8 अतिरिक्त आयुक्त,

34 उपायुक्त एवं एक वित्तीय सलाहकार है। सरकारी नीतियों के प्रभावी क्रियान्वयन एवं कर निर्धारण कार्यों के लिये वाणिज्यिक कर विभाग (विभाग) को 14 संभागों में बांटा गया है। पुरानी बकाया की वसूली पर निगरानी के उद्देश्य से वर्ष 2007-08 में निरीक्षण, अंकेक्षण एवं वसूली (आई.ए.आर.) शाखा का पृथक से गठन किया गया है। संभाग स्तर पर उपायुक्त (प्रशासन) जो कि सबसे वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी है, वह अतिरिक्त आयुक्त, निरीक्षण, अंकेक्षण एवं वसूली (आई.ए.आर.) के नियन्त्रणाधीन वसूली पर निगरानी के लिए उत्तरदायी है।

कर निर्धारण एवं वसूली का कार्य वृत्तों एवं घटों में पदस्थापित निर्धारण अधिकारियों क्रमशः सहायक आयुक्त/वाणिज्यिक कर अधिकारी एवं सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी द्वारा किया जाता है। निर्धारण अधिकारियों द्वारा पारित आदेशों के विरूद्ध अपीलों की सुनवाई हेतु 11 उपायुक्त (अपील्स) कार्यरत हैं, जो प्रथम अपीलीय प्राधिकारी कहलाते हैं।

2.9.3 लेखापरीक्षा के उद्देश्य

निष्पादन लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित करने के लिये की गई थी कि:

- संचित बकाया की मात्रा एवं उसके एकत्र होने के कारण;
- क्या अधिनियमों एवं नियमों में वसूली हेतु निर्धारित प्रक्रिया एवं नियमों का सावधानीपूर्वक पालन किया गया;
- बकाया कर के संग्रहण तंत्र की कुशलता एवं प्रभावशीलता; तथा
- क्या बकाया राजस्व की शीघ्र वसूली हेतु सुदृढ आन्तरिक नियंत्रण एवं निगरानी का तन्त्र विद्यमान है।

2.9.4 लेखापरीक्षा के मानदण्ड

निष्पादन लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षा मानदण्ड निम्नलिखित अधिनियमों, नियमों और इसके अन्तर्गत जारी अधिसूचनाओं के प्रावधानों से लिए गये:

राज्य कानून

- राजस्थान बिक्री कर अधिनियम, 1954/1994;
- राजस्थान बिक्री कर नियम, 1955/1995;
- राजस्थान वैट अधिनियम, 2003;
- राजस्थान वैट नियम, 2006;

केन्द्रीय कानून

- केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956; एवं
- केन्द्रीय बिक्री कर (पंजीकरण एवं टर्न ओवर) नियम, 1957

2.9.5 निष्पादन लेखापरीक्षा का क्षेत्र एवं प्रक्रिया

अवधि 2007-08 से 2011-12 में विभाग की प्राप्तियां ₹ 7,750.73 करोड़ से बढ़कर ₹ 15,766.43 करोड़ (103 प्रतिशत) हो गयी । यद्यपि, इसी अवधि में करों की बकाया राशि भी ₹ 2,996.96 करोड़ से बढ़कर ₹ 4,838.04 करोड़ हो गयी। इसलिए, माह अप्रेल 2012 एवं मई 2013 के मध्य बकाया की वसूली पर एक निष्पादन लेखापरीक्षा की गई, जिसमें कर की बकाया के संचयन तथा उसकी विभाग द्वारा वसूली नहीं किये जाने के कारणों की जांच की जानी थी।

आयुक्त, वाणिज्यिक कर कार्यालय के साथ-साथ 14 वृत्तों[1] के वर्ष 2007-08 से 2011-12 की अवधि के अभिलेखों का चयन विस्तृत लेखापरीक्षा संवीक्षा हेतु किया गया। राज्य के सम्पूर्ण भौगोलिक क्षेत्र की बकाया की स्थिति का प्रतिनिधित्व दर्शाने हेतु प्रत्येक संभाग से एक वृत्त का चयन किया गया। उपरोक्त के अतिरिक्त, वृत्त विशेष-III, जयपुर एवं उपायुक्त (अपील) जयपुर-I के कार्यालयों का भी प्रारम्भिक अध्ययन हेतु चयन किया गया। चयनित वृत्तों एवं घटों में बकाया के कुल 51,809 प्रकरण थे, उनमें से 4,389 प्रकरणों का जोखिम के आधार पर लेखापरीक्षा हेतु चयन किया गया। विभाग द्वारा 3,801 प्रकरणों से सम्बन्धित अभिलेख प्रस्तुत किये गये, जिनकी जांच की गयी, 566 पत्रावलियाँ प्रस्तुत नहीं की गयी तथा 22 पत्रावलियाँ विधि शाखा के पास बतायी गयी।

आयुक्त, वाणिज्यिक कर एवं उप सचिव (कर), वित्त विभाग के साथ एक प्रारम्भिक सभा 25 अक्टूबर 2012 को की गयी, जिसमें निष्पादन लेखापरीक्षा के क्षेत्र, प्रक्रिया एवं उद्देश्यों को स्पष्ट किया गया। सरकार तथा आयुक्त, वाणिज्यिक कर को अगस्त 2013 में तथ्यात्मक विवरण अग्रेषित किया गया। आयुक्त, वाणिज्यिक कर एवं सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग के साथ 24 अक्टूबर 2013 को एक समापन सभा रखी गई, जिसमें निष्पादन लेखापरीक्षा के निष्कर्षों पर चर्चा की गई। समापन सभा के दौरान एवं अन्य समय पर प्राप्त उनके प्रत्युत्तरों पर समुचित विचार कर सम्बन्धित अनुच्छेदों में शामिल किया गया।

2.9.6 आभार

भारतीय लेखा एवं लेखापरीक्षा विभाग, लेखापरीक्षा को आवश्यक सूचनायें और अभिलेखों को उपलब्ध कराने के लिये वाणिज्यिक कर विभाग एवं उसके अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा दिये गये सहयोग के प्रति आभार प्रकट करता है।

[1] वृत्त: बी-भरतपुर, बी-भिवाड़ी, ए-जयपुर, बी-जयपुर, ई-जयपुर, विशेष द्वितीय-जोधपुर, झुंझुनू, बी-कोटा, मकराना, राजसमन्द, सिरोही, विशेष-श्रीगंगानगर, बी-उदयपुर तथा प्रतिकरापवंचन-II राजस्थान, जयपुर।

2.9.7 बकाया की स्थिति

2.9.7.1 विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के अनुसार 31 मार्च 2012 को कुल ₹ 4,838.04 करोड़ वसूली हेतु बकाया थे। अवधि वर्ष 2007-08 से 2011-12 की वर्षवार बकाया की स्थिति निम्नलिखित तालिका में दर्शायी गई है:

(₹ करोड़ में)

वर्ष	वर्ष के प्रारम्भ में बकाया	वर्ष के दौरान वृद्धि	वर्ष के दौरान वसूली/ समायोजन	वसूली का प्रतिशत (कॉलम 4 का 2 से)	वर्ष के अन्त में बकाया राजस्व
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2007-08	2,665.48	1,471.21	1,139.73	43	2,996.96
2008-09	2,996.96	1,918.47	1,192.05	40	3,723.38
2009-10	3,723.38	2,105.33	1,250.67	34	4,578.04
2010-11	4,578.04	2,070.25	1,558.35	34	5,089.94
2011-12	5,089.94	1,910.69	2,162.59	42	4,838.04

स्रोत: वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा उपलब्ध करवाये गये।

वर्ष 2007-08 से 2011-12 की अवधि के दौरान विभाग की प्राप्तियां ₹ 7,750.73 करोड़ से बढकर ₹ 15,766.43 करोड़ (103 प्रतिशत) हो गई एवं इसके साथ-साथ ही बकाया राजस्व भी ₹ 2,996.96 करोड़ से बढकर ₹ 4,838.04 करोड़ (61 प्रतिशत) हो गई। वसूली योग्य कुल बकाया में से 34 से 43 प्रतिशत ही बकाया की वसूली हुई।

2.9.7.2 बकाया मांग का अवधिवार विवरण नीचे दिया गया है:

(₹ करोड़ में)

लम्बित बकाया	राशि	बकाया का प्रतिशत
एक वर्ष से कम पुरानी मांग	1,757.02	36.32
1 एवं 2 वर्ष के मध्य की पुरानी मांग	1,217.94	25.17
2 एवं 5 वर्ष के मध्य की पुरानी मांग	675.40	13.96
5 एवं 10 वर्ष के मध्य की पुरानी मांग	630.92	13.04
10 वर्ष से अधिक पुरानी मांग	556.76	11.51
योग	**4,838.04**	**100.00**

स्रोत: वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा उपलब्ध करवाये गये।

बकाया राशि में ₹ 1,187.68 करोड़ (24.55 प्रतिशत) पांच वर्ष से अधिक से बकाया थी, जिसमें से ₹ 556.76 करोड़, जो कि 11.51 प्रतिशत होती है, 10 वर्ष से अधिक बकाया चल रही थी। विभाग द्वारा बकाया के निपटान हेतु कोई भी मानदण्ड/लक्ष्यों को निर्धारित नहीं किये जाने से समय व्यतीत होने के साथ-साथ ऐसे बकाया की वसूली उत्तरोत्तर कठिन होती जावेगी।

विभाग ने अपने उत्तर (जून 2013) में स्वीकारा कि अवधि 2007-08 से 2011-12 के दौरान बकाया की वसूली के कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किये गये थे। हालांकि, आयुक्त द्वारा प्रत्येक संभाग के लिये वर्ष 2012-13 में बकाया की वसूली के लक्ष्य निर्धारित किये गये थे।

आयुक्त, वाणिज्यिक कर द्वारा समापन सभा के दौरान अवगत कराया कि विभाग बकाया की वसूली नहीं किये जाने पर शून्य सहिष्णुता की नीति रखता है तथा कनिष्ठ वाणिज्यिक कर अधिकारियों तथा निर्धारण अधिकारी द्वारा की गई वसूली पर गहन निगरानी रखने के लिये उच्चाधिकारियों को कहा गया है। यह भी बताया है कि बकाया राशि में वृद्धि नहीं हो, इसलिये विभाग मांग की वसूली पर तत्परता से कार्यवाही करता है।

2.9.8 बकाया की श्रेणियां

विभाग द्वारा बकाया को 16 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। 31 मार्च 2010, 2011 एवं 2012 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष में प्रत्येक श्रेणी में बकाया राशि की स्थिति निम्न थी:

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	श्रेणियां	31 मार्च 2010	31 मार्च 2011	31 मार्च 2012
1	आई.टी.सी./जमाओं के सत्यापन नहीं किये जाने के कारण बकाया	1,066.22	1,197.54	527.21
2	घोषणा पत्रों (सी.एस.टी./आर.एस.टी./आर. वैट) को प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण बकाया	876.66	1,262.93	973.91
3	एकपक्षीय कर निर्धारण	371.53	436.72	468.92
4	विभिन्न न्यायालयों में स्थगन	420.37	598.80	956.98
5	लापता व्यवहारी	269.36	323.36	331.16
6	विभाग द्वारा वसूली योग्य माना गया बकाया	368.09	548.57	664.91
7	ऐसे व्यवहारियों पर मांग जिनकी इकाईयां बी.आई.एफ.आर. में है	137.40	153.21	119.59
8	अभियोजन प्रकरण जिनमें स्थगन नहीं दिया गया	89.61	91.75	94.77
9	आर.आर. अधिनियम के अन्तर्गत वसूली	80.52	85.11	32.28
10	ऐसे व्यवहारियों पर मांग जिनकी इकाईयां समापन में है	72.37	74.02	76.26
11	बकाया मांग जिसका अपलेखन होना है	43.06	60.95	68.83
12	एल.आर. अधिनियम के अन्तर्गत वसूली	32.35	55.71	127.75
13	विभाग/अपीलीय प्राधिकारियों/न्यायालयों द्वारा निर्धारित बकाया मांग व्यवहारियों द्वारा किश्तों में चुकाया जाना है	53.51	42.01	39.75
14	राजकीय विभागों के विरूद्ध बकाया मांग	13.83	20.52	13.65
15	ऐसे व्यवहारियों पर मांग जिनकी इकाईयां रूग्ण इकाई घोषित की जा चुकी है	6.68	6.62	4.45
16	अन्य	676.48	132.12	337.62
	योग	**4,578.04**	**5,089.94**	**4,838.04**

स्रोत: वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा उपलब्ध करवाये गये।

31 मार्च 2012 को कुल बकाया राजस्व में आई.टी.सी./जमाओं के सत्यापन (क्र.सं.1), घोषणा पत्रों (क्र.सं.2), एकपक्षीय निर्धारणों (क्र.सं.3) तथा विभाग द्वारा वसूली योग्य (क्र.सं.6) श्रेणी में ही राशि ₹ 2,634.95 करोड़ या 54 प्रतिशत बकाया है, यह राशि सक्रिय व्यवहारियों के विरूद्ध बकाया थी, इसके बावजूद भी अभी तक वसूली होना शेष है। लापता व्यवहारियों पर बकाया मांग वर्ष 2009-10 में ₹ 269.36 करोड़ की तुलना में वर्ष 2011-12 में बढ़कर ₹ 331.16 करोड़ हो गई है। विभाग ऐसे मामलों में कार्यवाही करने में भी शिथिल रहा, जहां बकाया राशि को अपलेखित किया जाना था, जैसा कि ये प्रकरण आयुक्त वाणिज्यिक कर कार्यालय के पास लम्बित थे तथा ऐसी बकाया राशि 31 मार्च 2010 में ₹ 43.06 करोड़ से बढ़कर 31 मार्च 2012 में ₹ 68.83 करोड़ हो गई। इसके अलावा, बकाया राशि का एक बड़ा भाग ₹ 956.98 करोड़ या कुल बकाया राशि का 20 प्रतिशत राशि, उपायुक्त (अपील्स), राजस्थान कर बोर्ड या राजस्थान उच्च न्यायालय/सर्वोच्च न्यायालय में लम्बित प्रकरणों से सम्बन्धित था।

समापन सभा के दौरान आयुक्त वाणिज्यिक कर ने बताया कि बकाया की वसूली को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है। उन्होंने यह भी बताया कि निर्धारण अधिकारी को अवधिवार एवं राशिवार दोनों ही प्रकार की पुरानी मांगों पर निगरानी रखनें के लिये निर्देश दिए गए है। न्यायालय के प्रकरणों के सम्बन्ध में जल्दी सुनवाई के लिये आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के निर्देश जारी किये जा रहे हैं।

लेखापरीक्षा निष्कर्षों की चर्चा अनुवर्ती अनुच्छेदों में की गई है।

2.9.9 मांगों की वसूली के लिए दोषपूर्ण प्रक्रिया

2.9.9.1 नियन्त्रण पंजिकाओं का संधारण नहीं किया जाना

परिपत्र दिनांक 3 जनवरी 2008 के अनुसार जब किसी व्यवहारी के विरूद्ध किसी कर, शास्ति एवं ब्याज की मांग कायम की जावे तो इसे डी.सी.आर. में अंकित किया जाता है तथा इस सम्बन्ध में एक टिप्पणी विवरणियों में तथा कर भुगतान पंजिका में अंकित की जाती है। निर्धारण अधिकारी द्वारा कर निर्धारण कार्य तथा संग्रहण की प्रगति पर डी.सी.आर. के माध्यम से निगरानी रखी जाती है। यह भी पाया कि सभी चयनित वृत्तों में डी.सी.आर. का संधारण किया जा रहा था।

तथापि, विभाग द्वारा बकाया वसूली की प्रगति पर निगरानी हेतु पृथक से नियन्त्रण पंजिकायें यथा; मांग पत्र को जारी करना, व्यवहारी की चल और अचल सम्पत्ति का विवरण, स्थगन पंजिका, औद्योगिक और वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड, रूग्ण कम्पनियों एवं परिसमापन के तहत कम्पनियों आदि की पंजिकायें निर्धारित नहीं की गई। इन पृथक-पृथक पंजिकाओं के अभाव में, बकाया की सत्यता, इस राशि की समय पर वसूली की कार्यवाही करना एवं निगरानी रखने को सुनिश्चित नहीं किया जा सकता था।

2.9.9.2 आन्तरिक नियन्त्रण प्रक्रिया की कमी

अर्द्धशासकीय (डी.ओ.) पत्र के प्रारूप में एक सांख्यिकीय विवरणी निर्धारित की गई जिसमें प्रत्येक निर्धारण अधिकारी द्वारा बकाया मांग के संग्रहण एवं शेष की मासिक प्रगति सम्बन्धित संभाग के उपायुक्त (प्रशासन) के माध्यम से आयुक्त, वाणिज्यिक कर को प्रस्तुत करनी होती है।

यह देखा गया कि डी.ओ. पत्र में वृत्त में पांच वर्षों से ज्यादा पुरानी बकाया का वर्षवार विवरण नहीं दिया गया था। इस कारण से पुरानी बकाया की वसूली पर वर्षवार की गई कार्यवाही पर निगरानी नहीं रखी जा सकती थी। डी.ओ. पत्र में अधिकतम बकाया कर वाले चूककर्ता व्यवहारियों के नाम एवं उनके बकाया की अवधि का उल्लेख नहीं था। इसके अलावा, वाणिज्यिक कर अधिकारी/उपायुक्त स्तर पर बकाया राशि की वसूली की निगरानी केवल मासिक डी.ओ. पत्र के माध्यम से ही प्रतिवेदित करने तक सीमित था।

चयनित वृत्तों के अभिलेखों से पता चला कि वसूली की प्रगति पर निगरानी के लिए उपायुक्तों द्वारा निर्धारण अधिकारी के साथ नियमित रूप से बैठक नहीं ली गई थी।

सचिव (राजस्व) द्वारा समापन सभा के दौरान अनुच्छेद संख्या 2.9.9.1 तथा 2.9.9.2 के सन्दर्भ में सुझाव दिया कि वसूली के प्रकरणों में अपवादित स्थिति को सूचित करने के लिये एक पृथक मोड्युल 'प्रबन्धकीय सूचना प्रणाली' (एम.आई.एस.) लागू किया जाना चाहिए। इससे निर्धारण अधिकारी को शीघ्र कार्यवाही करने में सहायता मिलेगी। आगामी कार्यवाही से अवगत नहीं कराया गया (फरवरी 2014)।

2.9.9.3 वसूली प्रक्रिया को प्रारम्भ करने की विशिष्ट समय सीमा का नहीं होना

यह देखा गया (अगस्त 2013) कि राजस्थान वैट अधिनियम, 2003 अथवा राजस्थान वैट नियम, 2006 में या आयुक्त, वाणिज्यिक कर द्वारा (अधिसूचना/ परिपत्र/ कार्यालय आदेश जारी कर) विनिर्दिष्ट समय तक वसूली प्रक्रिया प्रारम्भ करने यथा, मांग पत्र जारी करने, बैंक खाते की कुर्की करने, जमानतियों से वसूली करने, चल एवं अचल सम्पति को तलाशने, ऐसी सम्पति को कुर्क तथा बेचान करने आदि को सुनिश्चित करने की कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई थी। भू-राजस्व अधिनियम में वसूली की कार्यवाही नहीं करने के कुछ प्रकरणों को अनुच्छेद संख्या 2.9.10 में चर्चा की गयी है।

विभाग ने प्रत्युत्तर में कहा (अक्टूबर 2013) कि बकाया के प्रकरण विभिन्न प्रकार के होने के कारण कोई विनिर्दिष्ट समय सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती। मुख्यालय पर एक करोड़ से ज्यादा की बकाया राशि वाले प्रकरणों में वसूली पर

निगरानी रखी जाती है तथा उनकी वसूली की सूचना मासिक रूप से ली जाती है एवं उनकी वसूली के निर्देश दिये जाते है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि एक बार जिसे बकाया घोषित कर दिया गया हो तो ऐसे सभी प्रकार के प्रकरणों में विनिर्दिष्ट समय सीमा निर्धारित की जा सकती है, इससे विभाग को बकाया राशि की समय पर वसूली में सहायता मिलेगी।

2.9.10 सम्पत्ति के कुर्की वारण्ट का क्रियान्वयन नहीं होना तथा नीलामी का अभाव

राजस्थान बिक्री कर अधिनियम की धारा 52 तथा राजस्थान वैट अधिनियम, 2003 की धारा 49 सपठित राजस्थान बिक्री कर नियम के नियम 27 तथा राजस्थान वैट नियम, 2006 के नियम 24 जिनमें यह प्रावधान है कि जहां कोई कर या अन्य देय राशि व्यवहारी से भू-राजस्व बकाया के रूप में आर.एल.आर. अधिनियम, 1956 की धारा 228 से 257 के प्रावधानों के अन्तर्गत वसूलनीय है, तो उक्त कर या अन्य राशि की वसूली करने के लिए उस व्यवहारी या व्यक्ति की चल या अचल सम्पत्ति की कुर्की एवं बेचान करने हेतु निर्धारण अधिकारी या आयुक्त वाणिज्यिक कर द्वारा अधिकृत किसी अन्य प्राधिकारी में शक्तियां निहित होगी।

दो वृत्तों (झुंझुनू तथा बी-भरतपुर) के अभिलेखों की संवीक्षा पर पाया कि चार प्रकरणों में ₹ 69.01 लाख की वसूली नहीं हुई, जबकि भू-राजस्व प्राधिकारियों द्वारा सम्पत्ति की जानकारी उपलब्ध करा दी गई थी, फिर भी निर्धारण अधिकारी द्वारा सम्पति की कुर्की के वारण्ट 8 से 36 माह के विलम्ब से जारी किये गये। इसके अलावा, एक प्रकरण में सम्पति के कुर्की वारण्ट का निष्पादन नहीं होने से शीघ्र वसूली का उददेश्य पूरा नहीं हुआ।

यह देखा गया (फरवरी एवं मई 2013) कि निर्धारण अधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए कि कनिष्ठ वाणिज्यिक कर अधिकारियों द्वारा चूककर्ता व्यवहारी की सम्पत्ति के कुर्क करने के लिए उचित प्रयास किये गये हैं, कोई निगरानी नहीं की जा रही थी। कुछ प्रकरणों में, जहां विभाग द्वारा सम्पत्ति कुर्क की गई थी, किन्तु, निर्धारण अधिकारी नीलामी करने में विफल रहे। उनकी चर्चा आगामी अनुच्छेदों में की गई है:

2.9.10.1 वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त झुंझुनू की वसूली पत्रावलियों की संवीक्षा में पाया (मई 2013) कि मैसर्स मनोज ट्रेडिंग कम्पनी, पिलानी के अवधि 1988-89, 1989-90 एवं 1994-95 के लिये ₹ 26.33 लाख की मांग कायम होकर (मार्च 2000) बकाया थी। विभाग द्वारा व्यवहारी की चिड़ावा तहसील में एक संयुक्त सम्पत्ति की पहचान (फरवरी 2003) की गई। निर्धारण अधिकारी द्वारा मार्च 2003 में इस सम्पत्ति का कुर्की वारण्ट जारी किया गया। यह पाया गया कि

निर्धारण अधिकारी ने वाणिज्यिक कर निरीक्षक को यह सम्पत्ति कुर्क करने का निर्देश (अप्रेल 2003) दिया था लेकिन, वाणिज्यिक कर निरीक्षक द्वारा सम्पत्ति की कुर्की करने के लिये प्रत्येक अवसर पर समय बढ़ाने की मांग (मई 2003 से अक्टूबर 2009 तक) की गई। वसूली पत्रावली में इसके अलावा कोई पत्राचार नहीं पाया गया।

सरकार ने सूचित किया (फरवरी 2014) कि वर्ष 1988-89 एवं 1989-90 की मांग ₹ 26.27 लाख को नवम्बर 2005 में उपायुक्त (अपील) बीकानेर द्वारा अपास्त कर दिया गया एवं 1994-95 की मांग ₹ 0.06 लाख वसूली योग्य थी। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि विभाग द्वारा पूर्ण राशि को अभिलेखों में बकाया दर्शाया जा रहा था तथा मांग ₹ 26.33 लाख की वसूली हेतु अगस्त 2009 में संपत्ति का कुर्की वारण्ट जारी किया गया था।

2.9.10.2 वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त झुंझुनू, की वसूली पत्रावलियों की संवीक्षा में पाया (मई 2013) कि मैसर्स सूरजगढ़ केमिकल्स एण्ड फर्टिलाईजर प्रा.लि., सूरजगढ़ के अवधि 1992 से 1999 के लिये ₹ 14.28 लाख की मांग (अगस्त 2002) के विरूद्ध निर्धारण अधिकारी द्वारा अचल सम्पत्ति (कारखाना एवं संयंत्र) मई 2002 में कुर्क किये गये थे। निर्धारण अधिकारी द्वारा कारखाना एवं संयंत्र की नीलामी के लिये मई 2002 एवं फरवरी 2013 के मध्य कई बार सूचना पत्र जारी किये लेकिन किसी भी बोलीदाता को आकर्षित करने में असफल रहे।

सरकार ने सूचित किया (फरवरी 2014) कि अक्टूबर 2013 में ₹ 8.66 लाख वसूल किये जा चुके हैं तथा शेष मांग की समाप्ति के लिए व्यवहारी द्वारा आयुक्त वाणिज्यिक कर को लिखा गया है।

2.9.10.3 सहायक आयुक्त, वृत्त-बी, भरतपुर, की वसूली पत्रावलियों की संवीक्षा में पाया (फरवरी 2013) कि निर्धारण अधिकारी द्वारा मैसर्स शंकरलाल ओमप्रकाश, भरतपुर के अवधि 1994-95 की बकाया मांग ₹ 23.82 लाख के लिये अचल सम्पत्ति कुर्क (अप्रेल 1996) कर रखी थी। यद्यपि, निर्धारण अधिकारी द्वारा कुर्क सम्पत्ति के लिये अगस्त 1996 से सितम्बर 2011 के दौरान कई बार नीलामी का प्रयास किया गया, किन्तु किसी भी बोलीदाता ने नीलामी प्रक्रियाओं में भाग नहीं लिया। सितम्बर 2011 के पश्चात् कोई कार्यवाही होना नहीं पाया गया।

सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया (फरवरी 2014) कि किसी भी बोलीदाता के नीलामी प्रक्रिया में भाग नहीं लेने से नीलामी नहीं की जा सकी।

2.9.10.4 वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त झुंझुनू, की वसूली पत्रावलियों की संवीक्षा में पाया (मई 2013) कि मैसर्स जीवनराम बीरबलराम के अवधि 1988 से 1990 के लिये मार्च 1994 में कायम मांग ₹ 4.58 लाख के विरूद्ध निर्धारण अधिकारी द्वारा अचल सम्पत्ति को कुर्क किया गया था। निर्धारण अधिकारी द्वारा फरवरी 1996 से जुलाई 2010 के दौरान कई बार कुर्क सम्पत्ति की नीलामी का प्रयास

किया गया। किन्तु, सम्पत्ति को नहीं बेचा जा सका। वसूली पत्रावली में इसके अलावा कोई पत्राचार नहीं पाया गया।

सरकार ने कहा (फरवरी 2014) कि पर्याप्त प्रचार के बावजूद भी सम्पत्ति को नीलाम नहीं किया जा सका। उत्तर में यह भी बताया कि सम्पत्ति के बेचान के लिए नीलामी की आगामी तिथि 13 फरवरी 2014 नियत की गयी है।

काफी समय बीत जाने के बाद भी विभाग उन व्यवहारियों से बकाया की वसूली करने में विफल रहा, जिनकी सम्पत्तियों की पहचान होकर कुर्की की जा चुकी थी।

विभाग द्वारा कुर्क सम्पत्तियों की नीलामी किये जाने में लगातार विफलता के बावजूद, ऐसी विफलता के पीछे कारणों एवं कमियों की पहचान करने के लिये किसी प्रणाली को विकसित नहीं किया गया। राजस्व की वसूली के लिये नीलामी की एक उचित प्रणाली को विकसित किया जाना चाहिए।

समापन सभा के दौरान आयुक्त वाणिज्यिक कर द्वारा बताया गया कि एल.आर. अधिनियम के अन्तर्गत बकाया प्रकरणों का नियमित रूप से अनुसरण किया जा रहा है तथा उपरोक्त प्रकरणों में गति देने के लिये पुन: निर्देश जारी किये जायेंगे।

2.9.11 लापता व्यवहारियों से बकाया की वसूली नहीं किया जाना

अधिनियम अथवा नियमों में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि पंजीयन के समय व्यवहारियों एवं उनके जमानतियों की चल एवं अचल सम्पत्ति के बारे में सूचना प्राप्त की जाये। इस कारण से विभाग द्वारा भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत बकाया की वसूली हेतु व्यवहारियों एवं उनके जमानतियों के चल और अचल सम्पत्ति सम्बन्धी उचित रिकार्ड नहीं रखे जा रहे थे। परिणामत: विभाग, बकाया कर के भुगतान में चूक करने पर व्यवहारियों या उनकी सम्पति की तलाश नहीं कर सका। यह देखा गया कि छ: प्रकरणों में चूक होने पर भी निर्धारण अधिकारी द्वारा शीघ्र कार्यवाही नहीं की गई बल्कि, दो से तीन वर्षों तक एकपक्षीय कर निर्धारण आदेश जारी किये जाते रहे एवं कनिष्ठ वाणिज्यिक कर अधिकारी के माध्यम से ऐसे व्यवहारियों की तलाश करने के कोई प्रयास भी नहीं किये गये थे। यद्यपि, तब तक व्यवहारी अपना व्यवसाय बन्द कर चुके थे।

विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के अनुसार ₹ 331.16 करोड़ की बकाया ऐसे व्यवहारियों के विरूद्ध थी, जिनके बारे में विभाग के पास कोई जानकारी उपलब्ध नहीं थी। ऐसे कुछ प्रकरण, जिनमें ₹ 5.43 करोड़ का बकाया का दायित्व था, की चर्चा आगामी अनुच्छेदों में की गयी है:

2.9.11.1 सहायक आयुक्त, वृत्त-बी, जयपुर की वसूली पत्रावलियों की मापक जांच में पाया (दिसम्बर 2012 एवं अगस्त 2013) कि एक व्यवहारी मैसर्स सुभिक्षा ट्रेडिंग सर्विस लि., जयपुर मई 2007 में पंजीकृत हुआ था जिस पर वर्ष 2007-08 एवं 2008-09 के लिए कर निर्धारण (मार्च 2010 एवं जनवरी 2011) करते हुए ₹ 1.03 करोड़ की मांग कायम की गई। व्यवहारी द्वारा मांग जमा नहीं करायी गई तथा मांग पत्र तामिल हुए बिना लौट आये थे। कनिष्ठ वाणिज्यिक कर

अधिकारी द्वारा सूचित किया गया (जून 2011) कि दिये गये पते पर फर्म अस्तित्व में नहीं थी एवं प्रबन्धक के निवास के बारे में भी कोई सूचना नहीं थी।

निर्धारण अधिकारी द्वारा व्यवहारी की कोई भी चल तथा अचल सम्पत्ति की तलाश नहीं की जा सकी। इसके पश्चात, व्यवहारी को लापता श्रेणी में मान लिया गया। इसके बाद व्यवहारी के बारे में जानकारी करने के लिए भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत कोई भी प्रयास नहीं किये गये। इसके परिणामस्वरूप वसूली योग्य बकाया ₹ 1.03 करोड़ की हानि हुई जिसमें ₹ 0.67 लाख की शास्ति शामिल है।

पत्रावली की संवीक्षा से यह भी पता चलता है कि व्यवहारी पंजीयन के वर्ष (2007) में ही चूककर्ता बन चुका था। यदि चूक होने के प्रथम वर्ष में ही निर्धारण अधिकारी द्वारा शीघ्र कार्यवाही कर ली जाती, तो बकाया को संचित होने से रोका जा सकता था।

विभाग ने प्रत्युत्तर में कहा (दिसम्बर 2013) कि राशि ₹ 47.34 लाख आई.टी.सी. के सत्यापन किये जाने के बाद मांग में कमी की गयी। सरकार ने सूचित किया (फरवरी 2014) कि निदेशकों को सूचना पत्र जारी किये जा चुके हैं।

2.9.11.2 सहायक आयुक्त, वृत्त-बी, कोटा की वसूली पत्रावलियों की मापक जांच में पाया (मई 2012 एवं अगस्त 2013) कि एक व्यवहारी मैसर्स अरविन्द ट्रेडर्स, कोटा ने वर्ष 2001-02 एवं 2002-03 की अवधि के लिए निर्धारित की गई मांग ₹ 3.37 करोड़ को जमा नहीं कराया। मांग पत्र तामिल हुये बिना ही लौट आया था (जुलाई 2004)। निर्धारण अधिकारी द्वारा कनिष्ठ वाणिज्यिक कर अधिकारी को व्यवहारी की सम्पत्ति एवं उसके बारे में जानकारी करने के निर्देश (मार्च 2008) दिये। कनिष्ठ वाणिज्यिक कर अधिकारी ने सूचित किया (फरवरी 2009) कि व्यवहारी चार वर्ष पूर्व ही अपना व्यवसाय बन्द कर चुका था तथा लापता था। व्यवहारी की सम्पत्तियों या जमानतियों को तलाशने सम्बन्धी कोई आगे कार्यवाही नहीं की गयी।

सरकार ने सूचित किया (फरवरी 2014) कि राशि ₹ 0.55 लाख जमानतियों एवं राष्ट्रीय बचत पत्र से वसूल किये जा चुके थे।

2.9.11.3 सहायक आयुक्त, वृत्त-ए, जयपुर की वसूली पत्रावलियों की मापक जांच में पाया (अप्रेल 2012 एवं अगस्त 2013) कि एक व्यवहारी मैसर्स एस. रोबर्टस फार्मास्यूटिकल्स, जयपुर पर अवधि 2002 से 2005 तक के लिए मार्च 2005 से मार्च 2007 के दौरान निर्धारित किये गये कर के ₹ 22.86 लाख बकाया थे। निर्धारण अधिकारी द्वारा जुलाई एवं अगस्त 2012 में वसूली हेतु सूचना पत्र जारी किये। किन्तु, ये तामिल हुए बिना लौट आये थे। निर्धारण अधिकारी द्वारा व्यवहारी या उसकी सम्पत्ति की तलाश नहीं की जा सकी। निर्धारण अधिकारी जमानतियों के अता-पता ढूढ़ने में भी असफल रहे। इसके पश्चात व्यवहारी को लापता घोषित कर दिया था।

सरकार ने सूचित किया (फरवरी 2014) कि वसूली के लिये जमानतियों को सूचना पत्र जारी किये जा रहे हैं।

2.9.11.4 सहायक आयुक्त, वृत्त-ए, जयपुर की वसूली पत्रावलियों की मापक जांच में पाया (अगस्त 2013) कि एक व्यवहारी मैसर्स अलमीजन लेदर प्राईवेट लिमिटेड, जयपुर पर अवधि 1985 से 1988 के लिए ₹ 11.97 लाख कर के बकाया थे। पत्रावली की संवीक्षा से ज्ञात हुआ कि व्यवहारी की सम्पत्ति चैन्नई में स्थित होने से निर्धारण अधिकारी द्वारा आर.आर. अधिनियम, 1890 के अन्तर्गत कलेक्टर, चैन्नई के माध्यम से वसूली कराये जाने के लिये कलेक्टर, जयपुर को लिखा गया (अप्रेल 1992, जुलाई 1994 एवं मई 2013)। निर्धारण अधिकारी द्वारा कलेक्टर, जयपुर से बीस वर्ष में केवल तीन बार ही पत्राचार किया गया। तथापि, व्यवहारी से कोई वसूली नहीं की जा सकी। इसके पश्चात् व्यवहारी को लापता घोषित किया गया।

सरकार ने सूचित किया (फरवरी 2014) कि आगामी प्रगति से शीघ्र अवगत करा दिया जावेगा।

2.9.11.5 सहायक आयुक्त, विशेष वृत्त, श्रीगंगानगर की वसूली पत्रावलियों की मापक जांच में पाया (अगस्त 2013) कि एक व्यवहारी मैसर्स रोशनलाल राजेश कुमार, सादुलशहर पर अवधि 2002-03 एवं 2003-04 के लिए ₹ 2.97 लाख बकाया थे। वाणिज्यिक कर निरीक्षक ने सूचित किया (जनवरी 2004 एवं मार्च 2006) कि व्यवहारी ने मई 2003 में व्यवसाय बन्द कर दिया एवं फर्म के सभी भागीदार दिवालिया एवं लापता हो गये। निर्धारण अधिकारी द्वारा जमानतियों को सूचना पत्र (दिसम्बर 2005) जारी किये गये तथा एक जमानती से ₹ 0.10 लाख वसूल किये गये। यद्यपि, व्यवहारी की सम्पत्ति की पहचान नहीं कर पाने से व्यवहारी से कोई भी राशि वसूल नहीं की जा सकी। इसके पश्चात्, निर्धारण अधिकारी द्वारा वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त हनुमानगढ़ को राष्ट्रीय बचत पत्र तथा जमानती बॉण्डस् के नकदीकरण के लिए लिखा गया (अगस्त 2011 एवं फरवरी 2013) क्योंकि व्यवहारी को पंजीयन प्रमाण-पत्र उनके कार्यालय से जारी किया गया था। तथापि, वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त हनुमानगढ़ से मार्च 2013 तक कोई प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं हुआ था।

सरकार ने सूचित किया (फरवरी 2014) कि व्यवहारी की संपत्ति का पता लगाने के लिये भू-राजस्व प्राधिकारियों के माध्यम से प्रयास किये जा रहे हैं।

2.9.11.6 वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त-बी, उदयपुर की कर निर्धारण पत्रावलियों की मापक जांच में पाया कि मैसर्स सी.के.दफ्तरी एण्ड ऐसोसिएट्स, उदयपुर पर 2001 से 2003 की अवधि के कर निर्धारण आदेशों (फरवरी 2010) के अनुसार ₹ 65.35 लाख की मांग बकाया थी। पत्रावली की संवीक्षा से ज्ञात हुआ कि कर निर्धारण के पश्चात व्यवहारियों को मांग जमा कराने हेतु मात्र दो सूचना पत्र जारी (मार्च 2010) किये गये थे। व्यवहारी द्वारा देय कर जमा नहीं कराये जाने के परिणामस्वरूप ₹ 65.35 लाख की मांग एवं ब्याज वसूली हेतु शेष रहे थे। विभाग

ने सूचित किया (अक्टूबर 2013) कि व्यवहारी द्वारा व्यवसाय बन्द कर दिया गया था और उसे लापता की श्रेणी में रखा गया हैं।

जैसा कि पूर्व में बताया, निर्धारण अधिकारी मांग की वसूली के लिये कार्यवाही करने को तत्पर नहीं थे। विभाग में पंजीयन प्रमाण-पत्र जारी करने के पश्चात् व्यवहारियों की स्थिति एवं उनके जमानतियों की नियमित जांच किये जाने की कोई प्रणाली विद्यमान नहीं थी। इन व्यवहारियों की सम्पत्ति का विवरण भी विभाग के पास उपलब्ध नहीं था।

विभाग ने सूचित किया (अक्टूबर 2013) कि व्यवहारियों की जानकारी प्राप्त करने के प्रयास किये जा रहे हैं। सरकार ने सूचित किया (फरवरी 2014) कि भागीदारों एवं जमानतियों को पुन: सूचना पत्र जारी किये गये।

चूककर्ता/लापता व्यवहारियों के बारे में किसी भी जानकारी के अभाव में सरकार को देय राशि की वसूली की संभावना क्षीण है।

2.9.12 एकपक्षीय निर्धारण हुए व्यवहारियों के विरूद्ध बकाया की वसूली नहीं होना

राजस्थान बिक्री कर अधिनियम की धारा 26 सपठित राजस्थान बिक्री कर नियम के नियम 19 तथा राजस्थान वैट अधिनियम की धारा 21 सपठित राजस्थान वैट नियम के नियम 19 जिसमें पंजीकृत व्यवहारी द्वारा विवरणी प्रस्तुत करने का समय एवं रीति का प्रावधान किया गया है, तथा राजस्थान बिक्री कर अधिनियम की धारा 27 एवं 29 तथा राजस्थान वैट अधिनियम की धारा 22 एवं 24 में निर्धारण अधिकारी द्वारा सर्वोत्तम विवेक से कर निर्धारण करने का प्रावधान है। राजस्थान बिक्री कर अधिनियम की धारा 38 तथा राजस्थान वैट अधिनियम की धारा 34 के अनुसार, जब एकपक्षीय (सर्वोत्तम विवेक के आधार पर) निर्धारण किया गया हो, तो व्यवहारी के प्रार्थना पत्र पर उपायुक्त (प्रशासन) उस आदेश को निरस्त करते हुये निर्धारण अधिकारी को नया कर निर्धारण आदेश पारित करने का निर्देश दे सकता है।

13 वृत्तों[2] के अभिलेखों की मापक जांच में पाया कि अवधि वर्ष 1977-78 से 2009-10 से सम्बन्धित 259 प्रकरणों में, व्यवहारियों द्वारा या तो कर निर्धारण की तिथि तक विवरणियां प्रस्तुत नहीं की गई या अधिसूचित तिथियों पर वे कर निर्धारण हेतु उपस्थित नहीं हुए। निर्धारण अधिकारी द्वारा ऐसे व्यवहारियों के निर्धारण आदेशों को पारित करते हुए ₹ 49.44 करोड़ की मांग कायम की गई। यह पाया कि इन व्यवहारियों ने कर

[2] वृत्त: बी-भरतपुर, बी-भिवाड़ी, ए-जयपुर, बी-जयपुर, ई-जयपुर, विशेष द्वितीय जोधपुर, झुंझुनू, बी-कोटा, मकराना, राजसमन्द, सिरोही, बी-उदयपुर तथा प्रतिकरापवंचन-II राजस्थान, जयपुर।

निर्धारण आदेशों को पुन: खोलने के लिये आवेदन नहीं किया था, फिर भी निर्धारण अधिकारी द्वारा अधिनियम के अनुसार इन व्यवहारियों के विरूद्ध वसूली के लिये कोई प्रभावी कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की गई, इसके परिणामस्वरूप मांग ₹ 49.44 करोड़ एवं ब्याज ₹ 37.81 करोड़ (मार्च 2013 तक) की वसूली नहीं हो सकी।

यह भी पाया कि इस श्रेणी के अन्तर्गत अधिकांश प्रकरण ऐसे व्यवहारियों से सम्बन्धित थे, जिन्होनें अपने व्यवसाय बन्द कर दिये थे। चूँकि, ऐसे प्रकरणों में वसूली की संभावनाए क्षीण होती है इसलिए, ये मामले निर्धारिती की अनुमानित बिक्री को अपनाने के बजाय वास्तविक बिक्री/टर्नओवर के आधार पर निर्धारित किये जाने चाहिए थे। इन प्रकरणों में मांग को बढाकर कायम करने की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता।

यह देखा गया कि उपरोक्त 259 प्रकरणों में से 181 प्रकरणों में मांग पत्र जारी नहीं हुये। शेष 78 प्रकरणों में व्यवहारियों को मांग पत्र जारी किये गये थे। इनमें से 28 प्रकरणों में मांग आदेश पत्र दिये गये एवं 11 प्रकरणों में सम्पत्ति के कुर्की वारण्ट जारी किये गये थे।

दो वृत्तों से सम्बन्धित छ: एकपक्षीय प्रकरणों में, जिनमें कर ₹ 24.01 करोड़ एवं ब्याज ₹ 16.31 करोड़ (मार्च 2013 तक) बकाया थे, की चर्चा अनुवर्ती अनुच्छेदों में की गई है:

2.9.12.1 सहायक आयुक्त, वृत्त-बी, भिवाड़ी की वसूली पत्रावलियों की मापक जांच में पाया (मई 2013) कि मैसर्स शिवा एन्टरप्राईजेज, भिवाड़ी को पंजीयन प्रमाण-पत्र जनवरी 2006 में जारी किया गया जिसे मार्च 2006 में निरस्त कर दिया गया। कर निर्धारण पत्रावली की संवीक्षा में पाया कि लेखा पुस्तकें एवं सम्बन्धित सूचनाएं प्रस्तुत करने के कई अवसर देने के बावजूद व्यवहारी के निर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत नहीं होने के कारण अवधि 2005-06 का एकपक्षीय आदेश पारित (जून 2006) किया जाकर ₹ 2.63 करोड़ की मांग कायम की गई। मांग पत्र व्यवसाय स्थल पर चस्पा किया गया (जून 2006)। फिर भी, व्यवहारी द्वारा मांग को जमा नहीं कराया गया था। अभिलेखों पर आगामी प्रगति उपलब्ध नहीं थी। परिणामत: कर ₹ 2.63 करोड़ तथा ब्याज ₹ 2.10 करोड़ (मार्च 2013 तक) की वसूली नहीं की जा सकी।

सरकार ने सूचित किया (अक्टूबर 2013) कि आर.आर. अधिनियम के अन्तर्गत वसूली की कार्यवाही कलेक्टर, दिल्ली (पश्चिम) के माध्यम से प्रारम्भ की जा चुकी। सरकार ने आगे सूचित किया (फरवरी 2014) कि राशि ₹ 0.34 लाख की वसूली राष्ट्रीय बचत पत्र के नकदीकरण से की गयी।

2.9.12.2 सहायक आयुक्त, वृत्त-बी, भिवाड़ी की वसूली पत्रावलियों की मापक जांच में पाया कि मैसर्स यूकोन सेल्स कॉरपोरेशन, भिवाड़ी को 22 अगस्त 2003 को पंजीकृत किया गया तथा 31 मार्च 2006 को पंजीयन प्रमाण-पत्र निरस्त कर दिया था। लेखा पुस्तकें तथा अन्य सम्बन्धित सूचनायें, यथा खरीद का ब्यौरा,

बीजक इत्यादि प्रस्तुत करने के कई मौके देने के बावजूद, व्यवहारी ने केवल माल के स्थानान्तरण के समर्थन में 'एफ' घोषणा पत्र प्रस्तुत किये थे, जिन्हें भी निर्धारण अधिकारी द्वारा अस्वीकार कर दिया गया। व्यवहारी को बार-बार स्मरण-पत्र जारी किये जाने के उपरान्त भी वह निर्धारण अधिकारी के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ, तब एकपक्षीय निर्धारण की कार्यवाही प्रारम्भ की गई तथा व्यवहारी के विरूद्ध 2003-04 से 2005-06 की अवधि के लिए कुल ₹ 3.18 करोड़ की मांग कायम की गई (जून 2006 एवं मार्च 2008)। तथापि, व्यवहारी द्वारा मांग जमा नहीं करायी गई थी। वाणिज्यिक कर निरीक्षक ने सूचित किया (जनवरी 2006) कि व्यवहारी ने अपना व्यवसाय बन्द (नवम्बर 2005) कर दिया है एवं उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। पत्रावली की संवीक्षा में पाया कि व्यवहारी ने पंजीयन के समय दिल्ली का पता दिया था लेकिन पंजीयन प्रमाण-पत्र में अंकित दिल्ली के पते पर कोई मांग पत्र नहीं भेजा गया। इस प्रकार मांग ₹ 3.18 करोड़ एवं ब्याज ₹ 2.21 करोड़ (मार्च 2013 तक) की वसूली बकाया रही।

सरकार ने सूचित किया (फरवरी 2014) कि राशि ₹ 0.37 लाख की वसूली राष्ट्रीय बचत पत्र के नकदीकरण से की गयी।

2.9.12.3 सहायक आयुक्त, वृत्त प्रतिकरापवंचन-II, राजस्थान, जयपुर की वसूली पत्रावलियों की मापक जांच में पाया (जनवरी 2013) कि मैसर्स आर.के. ग्लास, जयपुर के वर्ष 2004-05 का कर निर्धारण, लेखा पुस्तकें एवं अन्य सम्बन्धित अभिलेख प्रस्तुत करने में असफल रहने तथा सुनवाई की निश्चित तिथि पर व्यवहारी स्वयं के उपस्थित नहीं होने के कारण एकपक्षीय कर निर्धारण आदेश पारित किया गया (मार्च 2007)। इसके परिणामस्वरूप ₹ 1.40 करोड़ की मांग कायम की गई तथा मांग पत्र जारी किया गया (मार्च 2007)। फिर भी, व्यवहारी ने कर राशि को जमा नहीं कराया। कनिष्ठ वाणिज्यिक कर अधिकारी की रिपोर्ट के सिवाय पत्रावली में आगे कोई पत्राचार नहीं पाया, जिसमें उन्होंने सूचित किया (फरवरी 2012) कि व्यवहारी चार से पांच वर्ष पूर्व अपना व्यवसाय बन्द कर चुका था तथा व्यवहारी की किसी सम्पत्ति की पहचान नहीं हो सकी थी। पत्रावली में कोई आगामी प्रगति उपलब्ध नहीं थी। मांग निर्धारित किये जाने के तुरन्त बाद, यदि मांग की वसूली हेतु शीघ्र कार्यवाही की जाती, तो वसूली की संभावना बेहतर हो सकती थी। मांग की वसूली हेतु समय पर कार्यवाही प्रारम्भ नहीं किये जाने से मार्च 2013 तक के ब्याज ₹ 99.13 लाख को शामिल करते हुए ₹ 2.39 करोड़ की बकाया, संचित हो गई।

सरकार ने सूचित किया (फरवरी 2014) कि व्यवहारी की सम्पत्ति को तलाशने के प्रयास किये जा रहे हैं।

2.9.12.4 सहायक आयुक्त, वृत्त प्रतिकरापवंचन-II, राजस्थान, जयपुर की वसूली पत्रावलियों की मापक जांच में पाया (जनवरी 2013) कि मैसर्स रामप्रताप भंवरलाल के प्रकरण में अवधि 2000-01 से 2006-07 के आवश्यक अभिलेख/दस्तावेज

प्रस्तुत करने के लिये व्यवहारी को कई अवसर देने के उपरान्त भी इसमें असफल रहने तथा सुनवाई की अन्तिम तिथि पर अनुपस्थित रहने से मार्च 2007 से जून 2010 के दौरान एकपक्षीय कर निर्धारण आदेश पारित किये गए। वर्ष 2000-01 से 2006-07 की अवधि के लिए उसके विरूद्ध कुल ₹ 11.59 करोड़ का कर दायित्व कायम किया गया, जिसमें ₹ 7.31 करोड़ कर एवं ₹ 4.28 करोड़ ब्याज (मार्च 2013 तक) के शामिल थे। यह देखा गया कि व्यवहारी द्वारा जिन क्रेताओं से सौदे किये गये, उनसे प्राप्त विवरणों के आधार पर मांग कायम की गई थी।

वर्ष 2007 एवं 2008 में कुछ सूचना पत्र जारी किये गए, लेकिन व्यवहारी द्वारा मांग के विरूद्ध कोई राशि जमा नहीं करायी गई। इसके पश्चात् कोई सूचना पत्र जारी नहीं किये गये सिवाय अगस्त 2012 के, जिसे व्यवहारी ने लेने से इंकार कर दिया। निर्धारण अधिकारी द्वारा वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त-ए, अजमेर के माध्यम से भी प्रयास किये गए, जिन्होंने सूचित किया (अगस्त 2012) कि व्यवहारी द्वारा व्यवसाय बन्द कर दिया गया एवं सूचना पत्रों को भी प्राप्त नहीं कर रहा है। विभागीय नोट शीट (सितम्बर 2012) से यह भी पता चला कि व्यवहारी द्वारा प्रकरण को टैक्स सेटलमेन्ट बोर्ड में ले जाने की एकबार इच्छा अभिव्यक्त की गई थी, लेकिन, इसकी कोई अग्रिम प्रगति अभिलेख पर नहीं पायी गई।

विभाग द्वारा कर निर्धारण आदेश पारित करने में अनावश्यक रूप से अधिक समय लिया गया। यदि समय पर कर निर्धारण पारित कर दिए गये होते, तब व्यवहारी का व्यवसाय चालू स्थिति में होने से मांग की वसूली भी की जा सकती थी।

सरकार ने अक्टूबर 2013 में दिये गये पूर्व के उत्तर को दोहराया (फरवरी 2014) कि व्यवहारी से वसूली के लिए सम्पत्ति को कुर्क करने का वारण्ट उपायुक्त (प्रशासन), अजमेर को भिजवाया गया (अक्टूबर 2012)।

2.9.12.5 सहायक आयुक्त, वृत्त प्रतिकरापवंचन-II, राजस्थान, जयपुर की वसूली पत्रावलियों की मापक जांच में पाया (जनवरी 2013) कि मैसर्स रमेश एण्ड कम्पनी, अजमेर के वर्ष 2001-02 से 2005-06 की अवधि के पांच एकपक्षीय निर्धारण, व्यवहारी द्वारा वांछित दस्तावेज प्रस्तुत करने में असफल रहने एवं सुनवाई की अन्तिम तिथि को उपस्थित नहीं होने के कारण पारित किये गये (मार्च 2007 से मार्च 2008 के दौरान)। निर्धारण अधिकारी द्वारा कर, शास्ति एवं ब्याज आदि के पेटे कुल ₹ 6.74 करोड़ की मांग कायम की गई। इसके अलावा, मांग पर वास्तविक भुगतान तिथि तक का ब्याज भी देय था। लेखापरीक्षा में देखा गया कि कर निर्धारण पारित करने की तिथि से इस मांग राशि पर ब्याज ₹ 4.50 करोड़ (मार्च 2013 तक) देय बनता था। इस प्रकार, व्यवहारी से ₹ 11.24 करोड़ की राशि वसूली योग्य थी।

यह देखा गया कि व्यवहारी के व्यवसाय स्थल पर विक्रय योग्य टर्नओवर को छुपाने की आशंका के आधार पर एक सर्वे किया गया (सितम्बर 2005) तथा कुछ अभिलेख जब्त भी किये गये। इस सर्वे के बाद व्यवहारी के कर निर्धारण

(मार्च 2007) को अन्तिम रूप देने में लगभग दो वर्ष का समय लिया गया, इन तथ्यों के बावजूद कि कर निर्धारण आदेश वर्ष 2001-02 से पारित किये जाने बकाया थे। इसके अलावा, निर्धारण अधिकारी द्वारा सूचना पत्र जारी करने के अतिरिक्त वसूली हेतु कोई ठोस कदम नहीं उठाये गये। कनिष्ठ वाणिज्यिक कर अधिकारी ने सूचित किया (जून 2011) कि निर्धारिती द्वारा व्यवसाय बन्द किया जा चुका था।

यदि सर्वे के तुरन्त बाद कर निर्धारणों को अन्तिम रूप देने की शीघ्र कार्यवाही की जाती, तो व्यवहारी के व्यवसाय के चालू रहते मांग की वसूली की जा सकती थी। अब वसूली की संभावना क्षीण है।

सरकार ने सूचित किया (फरवरी 2014) कि वसूली के सम्बन्ध में आयकर विभाग एवं रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स से सूचनायें मांगी जा रही हैं। व्यवहारी की सम्पत्ति का कुर्की वारण्ट भी उपायुक्त (प्रशासन), अजमेर को वसूली हेतु भेजा (अक्टूबर 2012) गया है।

2.9.12.6 सहायक आयुक्त, वृत्त-बी, भिवाड़ी की वसूली पत्रावलियों की मापक जांच में पाया (मई 2013) कि वाणिज्यिक कर निरीक्षक ने अपनी रिपोर्ट में सूचित किया (मई 2005) कि व्यवहारी मैसर्स सनशाईन ट्रेडिंग कम्पनी, भिवाड़ी ने अपना व्यवसाय बन्द कर दिया। निर्धारण अधिकारी ने वर्ष 2003-04 की द्वितीय एवं तृतीय तिमाही विवरणियों के आधार पर वर्ष 2003-04 एवं 2004-05 का एकपक्षीय निर्धारण किया (मई 2006) तथा पंजीयन प्रमाण-पत्र निरस्त कर दिया। वर्ष 2004-05 के लिए कोई सूचना उपलब्ध नहीं होने से निर्धारण अधिकारी द्वारा गत वर्ष से 20 प्रतिशत अधिक बिक्री मानी गई। व्यवहारी द्वारा सम्पूर्ण अवधि में कोई कर जमा नहीं कराया गया था। निर्धारिती पर ₹ 2.75 करोड़ की मांग कायम की गई तथा मांग का सूचना पत्र उसके व्यवसाय परिसर पर चस्पा किया गया। एक पत्र के अतिरिक्त, जो निर्धारण अधिकारी द्वारा (जून 2010) सहायक आयुक्त, विशेष वृत्त-उदयपुर को व्यवहारी के बारे में सतर्क करने को लिखा गया, पत्रावली पर कोई और पत्राचार नहीं पाया गया। अभिलेख पर आगामी प्रगति नहीं पायी गई। इस प्रकार, वसूली योग्य मांग ₹ 2.75 करोड़ एवं ब्याज ₹ 2.23 करोड़ (मार्च 2013 तक) बकाया रही।

सरकार ने उत्तर दिया (फरवरी 2014) कि राशि ₹ 0.37 लाख की वसूली राष्ट्रीय बचत पत्रों से की गयी तथा कलेक्टर, बुलन्दशहर को आर.आर.अधिनियम के अन्तर्गत बकाया की वसूली हेतु अनुरोध किया गया है।

ऐसा देखा गया कि निर्धारण अधिकारी द्वारा विवरणियों की प्रस्तुति पर निगरानी नहीं रखने के परिणामस्वरूप निर्धारण में विलम्ब हुआ। व्यवहारी की स्थिति पर जब तक वाणिज्यिक कर अधिकारी/कनिष्ठ वाणिज्यिक कर अधिकारी द्वारा सूचना दी जाती तब तक तो वे अपना व्यवसाय बन्द कर चुके होते। एकपक्षीय कर निर्धारण किये गये, किन्तु वसूली की संभावनायें क्षीण थी।

समापन सभा के दौरान आयुक्त वाणिज्यिक कर द्वारा बताया गया कि निर्धारण अधिकारी को एकपक्षीय निर्धारण से बचने के लिये वांछित विवरणियों की प्रस्तुतिकरण पर गहन निगरानी के लिये कहा गया है। उन्होनें एकपक्षीय निर्धारण के प्रकरणों में यह भी बताया कि निर्धारण अधिकारियों को प्रकरण पुन: खोलने एवं मांग की पुन: जांच करने हेतु कहा गया है।

सरकार ने सूचित किया (अक्टूबर 2013) कि 17 प्रकरणों में ₹ 62.34 लाख की मांग की वसूली की जा चुकी है तथा शेष प्रकरणों में वसूली के प्रयास किये जा रहे हैं।

2.9.13 कर संग्रहण करने वाले ठेकेदारों से बकाया की वसूली का अभाव

राजस्थान बिक्री कर अधिनियम, 1994 की धारा 79 तथा राजस्थान वैट अधिनियम, 2003 की धारा 77 के अनुसार, आयुक्त एक ठेकेदार को समय-समय पर अधिसूचित दरों पर कर संग्रहण की अनुमति दे सकता है। राजस्थान वैट नियम, 2006 के नियम 44(i) में प्रावधान है कि ठेकेदार द्वारा कुल संग्रहित कर या वार्षिक कर राजस्व का 1/52वां भाग, जो भी ज्यादा हो, को प्रत्येक सोमवार को जमा कराया जायेगा। ऐसी राशि को उक्त रीति मे जमा कराने में जहां ठेकेदार असफल रहता है, तो निर्धारण अधिकारी ऐसी राशि को ऐसी रीति से वसूल करेगा जैसे कि यह इस अधिनियम के अन्तर्गत बकाया मांग राशि है। इसके अलावा, पूर्व में राजस्थान बिक्री कर अधिनियम के अन्तर्गत ठेका राशि के 25 प्रतिशत के बराबर सम्पत्ति का स्वामी होने का सक्षम भू-राजस्व अधिकारी द्वारा प्रमाणित एक हैसियत प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने का प्रावधान था, जिसे अब हटाया जा चुका है। नियम 44(j) के अनुसार, यदि ठेकेदार किसी भी शर्त का उल्लंघन करता है, तो ठेकेदार को सुनवाई का अवसर दिये जाने के बाद आयुक्त द्वारा ठेके को निरस्त किया जा सकेगा।

चयनित वृत्तों के अभिलेखों की संवीक्षा में पाया कि चैक पोस्टों पर कर संग्रहण में लगे ठेकेदारों द्वारा निधारित तिथियों पर देय कर जमा नहीं कराया गया तथा विभाग द्वारा कर की वसूली के लिये शीघ्र कार्यवाही नहीं की गई। यह भी पाया गया कि सही समय पर इन ठेकेदारों के ठेके भी निरस्त नहीं किये गये। इसके परिणामस्वरूप चार वृत्तों[3] के आठ प्रकरणों, जिनकी चर्चा नीचे की गई है, में राशि ₹ 5.11 करोड़ का बकाया राजस्व संचित हो गया:

2.9.13.1 वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त-बी, उदयपुर के अभिलेखों की संवीक्षा में पाया (मार्च 2013) कि मैसर्स जसवन्त सिंह एण्ड पार्टी, जोधपुर को उदयपुर जिले

[3] वृत्त: बी-भिवाड़ी, बी-कोटा, मकराना एवं बी-उदयपुर।

में राजस्व *तहसील* मावली, वल्लभनगर, सलूम्बर तथा गिर्वा में *बजरी* पर 16 जुलाई 2000 से 15 जुलाई 2002 तक की अवधि का कर संग्रहण का ठेका प्रथम वर्ष के लिये ₹ 1.07 करोड़ एवं द्वितीय वर्ष के लिये ₹ 1.18 करोड़ के एवज में जारी किया गया (जुलाई 2000)। ठेकेदार द्वारा ठेका अवधि में ₹ 1.03 करोड़ विभिन्न समय पर विलम्ब से जमा कराये गये थे। निर्धारण अधिकारी द्वारा निर्धारण आदेश पारित कर (मार्च 2002 एवं सितम्बर 2002) ठेका अवधि के लिये ₹ 1.41 करोड़ (₹ 0.19 करोड़ ब्याज शामिल करते हुये) की मांग कायम की गई। इसके पश्चात्, ₹ 0.38 करोड़ वसूल/समायोजित किये गये तथा मई 2005 में ₹ 1.03 करोड़ बकाया रहे। ठेकेदार द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में एक अपील प्रस्तुत की गई, जिसमें आयुक्त वाणिज्यिक कर को विवाद का शीघ्र निपटान करने के निर्देश (अगस्त 2004) दिये गये। विभाग द्वारा मई 2005 से सितम्बर 2011 के दौरान 12 बार सुनवाई की तिथि नियत की गई, किन्तु ठेकेदार किसी भी तिथि को उपस्थित नहीं हुआ। प्रकरण दस वर्ष से ज्यादा पुराना हो जाने से ₹ 1.03 करोड़ तथा इस पर देय ब्याज की वसूली सम्भावना क्षीण है।

सरकार ने सूचित किया (फरवरी 2014) कि आगामी कार्यवाही की जा रही है।

2.9.13.2 वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त-बी, उदयपुर के अभिलेखों की संवीक्षा में पाया (मार्च 2013) कि श्री जैजसाब को उदयपुर जिले की राजस्व तहसील सराड़ा में *बजरी* पर कर संग्रहण का ठेका 1 जुलाई 2000 से 30 जून 2002 तक की अवधि का ₹ 8 लाख प्रथम वर्ष के लिये एवं ₹ 8.81 लाख द्वितीय वर्ष के एवज में जारी (जून 2000) किया गया। मासिक कर संग्रहण की किश्त ₹ 70,044 निर्धारित की गई थी। यद्यपि, जुलाई 2000 से मार्च 2001 की अवधि के दौरान ठेकेदार द्वारा प्रतिमाह भिन्न-भिन्न राशि जमा करायी गई थी, जो कि निर्धारित किश्त से कम थी। निर्धारण अधिकारी द्वारा निर्धारण आदेश पारित कर (अक्टूबर 2002) ₹ 4.84 लाख वसूल की गई राशि को समायोजित करते हुये ₹ 14.87 लाख (ब्याज ₹ 2.90 लाख शामिल) की मांग कायम की गई। निर्धारण अधिकारी द्वारा ठेकेदार तथा जमानतियों की सम्पत्ति कुर्की हेतु वारण्ट मार्च एवं अक्टूबर 2003 के बीच उनके धौलपुर के पते पर वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त धौलपुर के माध्यम से भेजे। इसके अलावा, निर्धारण अधिकारी द्वारा ठेकेदार एवं जमानती को मांग आदेश जारी किये गये (अगस्त 2009)। तथापि, कोई प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं हुआ तथा निर्धारण अधिकारी द्वारा बकाया ₹ 14.87 लाख एवं ब्याज की वसूली हेतु कोई प्रयास भी नहीं किये गये।

सरकार ने सूचित किया (फरवरी 2014) कि ₹ 1.40 लाख बैंक गारण्टी से वसूल कर लिये गये थे।

2.9.13.3 वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त-बी, उदयपुर के एक अन्य प्रकरण में पाया (मार्च 2013) कि मैसर्स गणपत सिंह अभय सिंह, भीलवाड़ा को उदयपुर जिले में राजस्व *तहसील* खैरवाड़ा, कोटड़ा तथा झाल्लरा में पशुधन पर कर संग्रहण का ठेका 18 अक्टूबर 2000 से 17 अक्टूबर 2001 तक की अवधि के

लिये जारी किया गया (सितम्बर 2000)। तत्पश्चात् ठेके को 17 जनवरी 2002 तक ₹ 94.39 लाख के एवज में बढ़ाया गया। ठेकेदार द्वारा यह राशि विलम्ब से जमा करायी गई, जिसके कारण से निर्धारण अधिकारी द्वारा ₹ 6.69 लाख के ब्याज की मांग कायम की गयी (अगस्त 2002)। यह ध्यान में आया कि निर्धारण अधिकारी द्वारा इस ब्याज राशि की वसूली के लिये कोई प्रयास नहीं किये गये, जैसा कि सात वर्षो के बीत जाने के बाद ठेकेदार एवं जमानतियों को प्रथम मांग पत्र जारी किये गये (जुलाई 2009)। भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत ठेकेदार तथा जमानती को मांग आदेश अगस्त 2009 में जारी किये गये। इसके बाद कोई कार्यवाही नहीं की गई। इसके परिणामस्वरूप मांग ₹ 6.69 लाख एवं उस पर ब्याज की वसूली नहीं की गई।

सरकार ने सूचित किया (फरवरी 2014) कि जनवरी 2014 में एक सूचना पत्र जारी किया गया।

2.9.13.4 वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त-बी, उदयपुर के ही एक और प्रकरण में पाया (मार्च 2013) कि मैसर्स मेवाड़ ऐसोसिएट्स, उदयपुर को राशि ₹ 60.10 लाख के एवज में *चेजा* पत्थर पर कर संग्रहण का ठेका 28 दिसम्बर 2002 से 27 दिसम्बर 2003 की अवधि हेतु जारी किया गया। तत्पश्चात्, ठेके को दो माह के लिये फिर से बढ़ाया गया। ठेके की शर्तो के अनुसार, ठेकेदार द्वारा प्रत्येक माह की 28 तारीख को ₹ 4.29 लाख अग्रिम कर के रूप में जमा कराये जाने थे। ठेकेदार द्वारा बढ़ाई गई अवधि के लिये कोई कर राशि जमा नहीं करायी गई। निर्धारण अधिकारी द्वारा बढ़ाई गई अवधि के लिये निर्धारण आदेश पारित कर (जनवरी तथा अप्रेल 2004) ₹ 9.96 लाख (₹ 1.38 लाख की ब्याज एवं शाम्ति सहित) की मांग कायम की। तत्पश्चात्, मांग में से ₹ 3.36 लाख समायोजित कर वसूली योग्य मांग ₹ 6.60 लाख बकाया रहे। निर्धारण अधिकारी द्वारा ठेकेदार व जमानती को कुर्की के सूचना पत्र जारी किये गये (अगस्त 2009)। बकाया के वसूली की आगामी कार्यवाही पत्रावली पर नहीं पायी गयी।

सरकार ने सूचित किया (फरवरी 2014) कि भागीदार को एक सूचना पत्र दिसम्बर 2013 में जारी किया गया है।

2.9.13.5 सहायक आयुक्त, वृत्त-बी, कोटा के अभिलेखों की संवीक्षा में पाया (मई 2013) कि मैसर्स अफसर अली एण्ड पार्टी को कोटा जिले में अनन्तपुरा, जगपुरा, रेतिया चौकी, लखावा तथा गोबरिया बावड़ी में *चेजा* पत्थर पर कर संग्रहण हेतु जांच चौकी चलाने के लिये 18 मार्च 2002 से 17 मार्च 2003 की अवधि का ठेका ₹ 85.79 लाख में स्वीकार किया गया (मार्च 2002)। ठेके की अवधि को 13 मई 2004 तक आगे बढ़ाया गया। ठेकेदार का निर्धारण अप्रेल 2004 में किया गया। ठेकेदार के विरूद्ध, बैंक गारन्टी को जब्त कर एवं राष्ट्रीय बचत पत्र का नकदीकरण किये जाने के पश्चात्, ₹ 25.97 लाख बकाया रहे। बकाया मांग की वसूली के लिये निर्धारण अधिकारी द्वारा भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही प्रारम्भ की गई। तथापि, फर्म की सम्पत्ति नीलाम नहीं की जा

सकी, क्योंकि सम्पत्ति का स्वामित्व उसके नाम पर नहीं था। विभाग द्वारा फर्म के विरूद्ध एक प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गई (अगस्त 2004)। राशि ₹ 25.97 लाख की वसूली के लिये कोई आगामी प्रगति नहीं पायी गई थी।

निर्धारण अधिकारी द्वारा ठेका जारी करने मे पहले ही फर्म द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की सत्यता की जांच कर ली गई होती, तो विभाग इस राशि को वसूल कर सकता था।

सरकार ने सूचित किया (फरवरी 2014) कि भागीदारों को जनवरी 2014 में सूचना पत्र जारी किये गये।

2.9.13.6 सहायक आयुक्त, वृत्त-बी, भिवाड़ी के अभिलेखों की संवीक्षा में पाया (अप्रेल 2013) कि श्री नेतराम को राजस्व *तहसील* तिजारा में लौह स्क्रेप एवं अलौह स्क्रेप पर कर संग्रहण के लिये 12 अगस्त 2009 से 11 अगस्त 2010 की अवधि के लिये ₹ 5.77 करोड़ के वार्षिक कर राजस्व (ए.टी.आर.) के एवज में एक ठेका (जुलाई 2009) स्वीकार किया गया। ठेकेदार द्वारा वांछित कर जमा नहीं कराया गया। आयुक्त वाणिज्यिक कर द्वारा 23 अक्टूबर 2009 को अनुबन्ध निरस्तीकरण हेतु सूचना पत्र जारी किया गया, इसके विरूद्ध ठेकेदार द्वारा राजस्थान उच्च न्यायालय की एकल पीठ से तथा इसके पश्चात् डबल पीठ से स्थगन प्राप्त कर लिया। स्थगन 2 अप्रेल 2010 को हटा दिया गया। ₹ 2.23 करोड़ की बैंक गारन्टी, स्थायी जमा, ठेकेदार द्वारा चुकाया गया कर को समायोजित किये जाने के बाद कुल ठेका अवधि के लिये कर निर्धारण आदेश पारित किया (नवम्बर 2010) जाकर शुद्ध मांग ₹ 4.21 करोड़ (ब्याज ₹ 0.67 करोड़ सहित) की कायम की गई थी। इसके पश्चात् ₹ 1.20 करोड़ जमानतियों से एवं ठेकेदार को देय संग्रहण प्रभार के रूप में वसूल किये गये। इस प्रकार, ₹ 3.01 करोड़ की मांग ठेकेदारों के विरूद्ध बकाया थी।

कर निर्धारण पत्रावली की संवीक्षा में पाया कि विभाग द्वारा दो वर्षों में कोई मांग पत्र जारी नहीं किये गये। यह भी पाया गया कि ठेकेदार द्वारा अनुबन्ध के आवेदन पत्र में अचल सम्पत्ति का विवरण अंकित नहीं किया गया। यद्यपि, विभाग द्वारा इसका प्रावधान निविदा प्रपत्र में किया गया था। अक्टूबर 2012 में निर्धारण अधिकारी द्वारा कनिष्ठ वाणिज्यिक कर अधिकारी को ठेकेदार की चल एवं अचल सम्पत्ति की तलाश करने के लिये निर्देश दिये गये। वसूली पत्रावली पर, जिसकी आगामी प्रगति नहीं पायी गई।

विभाग ने एक ऐसे ठेकेदार को बड़ी राशि का ठेका देना स्वीकार किया जिसके पास कोई स्थायी सम्पत्ति ही नहीं थी। ठेके के नियम एवं शर्तो में भी सम्पत्ति के विवरण दिये जाने को अनिवार्य नहीं बनाया गया था।

सरकार ने सूचित किया (फरवरी 2014) कि कलेक्टर को आर.आर.अधिनियम के अन्तर्गत बकाया की वसूली करने को लिखा जा चुका है।

2.9.13.7 सहायक आयुक्त, वृत्त-बी, भिवाड़ी के एक अन्य प्रकरण में श्री विनोद तंवर को तिजारा *तहसील* में ईटों पर कर संग्रहण का ठेका 24 दिसम्बर 2008 से 23 दिसम्बर 2010 तक की अवधि का प्रथम वर्ष में ₹ 50 लाख एवं द्वितीय वर्ष में ₹ 55 लाख की राशि के एवज में जारी किया गया (दिसम्बर 2008)। निर्धारण अधिकारी द्वारा ₹ 48.92 लाख का समायोजन देते हुये उक्त अवधि का कर निर्धारण किया (फरवरी 2011) जाकर मांग ₹ 65.17 लाख (ब्याज ₹ 9.09 लाख सहित) की कायम की गई। इसके पश्चात्, ₹ 4.17 लाख एक जमानती से वसूल किये गये तथा ठेकेदारों को देय संग्रहण प्रभार के ₹ 14.85 लाख समायोजित किये गये और इस प्रकार ₹ 46.15 लाख की मांग बकाया रही। विभाग एक अन्य जमानती से जमानत राशि वसूल नहीं कर सका, यद्यपि, कुर्की वारण्ट जारी किया (दिसम्बर 2010) जाकर तामील हो चुका था (अगस्त 2012)।

यह देखा गया कि ठेकेदार की सम्पत्ति का विवरण तथा उसको जारी कुर्की वारण्ट की प्रति वसूली पत्रावली में नहीं पायी गयी, यद्यपि, निर्धारण अधिकारी द्वारा कनिष्ठ वाणिज्यिक कर अधिकारी को निर्देशित (अप्रेल 2012) करने वाला पत्र, कि जारी कुर्की वारण्ट का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जावे, पत्रावली में पाया गया।

सरकार ने सूचित किया (फरवरी 2014) कि भू-राजस्व प्राधिकारियों से कहा गया है कि ठेकेदार की सम्पत्ति के विक्रय पर रोक लगायी जाये।

2.9.13.8 वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त मकराना, की वसूली पत्रावलियों की मापक जांच में पाया (अप्रेल 2013) कि श्री जयसिंह, नावां को तहसील नावां एवं मकराना में *चेजा* पत्थर एवं *बजरी* पर 6 जून 2009 से 5 जून 2010 तक की अवधि का कर संग्रहण का ठेका ₹ 56 लाख के एवज में जारी किया गया (मई 2009)। ठेकेदार द्वारा 6 जून 2009 से 1 सितम्बर 2009 की अवधि में कर का कोई भुगतान नहीं किया गया था तथा आयुक्त वाणिज्यिक कर को ठेका निरस्त करने का आवेदन किया गया (1 सितम्बर 2009), जिसे स्वीकार कर लिया गया था (18 सितम्बर 2009)। निर्धारण अधिकारी द्वारा सम्पूर्ण अवधि (6 जून 2009 से 5 जून 2010) का निर्धारण आदेश पारित किया जाकर ठेकेदार के विरूद्ध ₹ 56 लाख की मांग कायम की गई। ठेकेदार को मांग पत्र तामील किया गया (जनवरी 2010)। सम्पत्ति की कुर्की के लिये सूचना पत्र भी जारी किये गये (अप्रेल एवं अगस्त 2011)। ठेकेदार द्वारा मांग जमा नहीं करायी गई थी, फलत: निर्धारण अधिकारी द्वारा राशि ₹ 9.34 लाख की बैंक गारन्टी जब्त की गई। इसके पश्चात्, निर्धारण अधिकारी द्वारा वसूली हेतु सूचना पत्र फरवरी 2012 में ठेकेदार को डाक से भेजा गया तथा दूसरा सूचना पत्र अगस्त 2012 में व्यक्तिश: तामील कराया गया। मार्च 2013 में जारी सूचना पत्र इस टिप्पणी के साथ पुन: लौट आया कि ठेकेदार पते पर नहीं पाया गया।

यह देखा गया कि निर्धारण अधिकारी द्वारा ठेकेदार के विरूद्ध पूर्ण वार्षिक कर राजस्व (ए.टी.आर.) राशि प्रभारित कर अनियमित मांग का निर्धारण किया गया था जबकि यह आनुपातिक आधार पर होना था क्योंकि अनुबन्ध के क्लॉज 3 में

स्पष्ट लिखा है कि ठेकेदार द्वारा ठेका निरस्त करने के आवेदन करने के प्रकरण में ठेकेदार आनुपातिक आधार पर ए.टी.आर. राशि चुकाने का उत्तरदायी होगा। इसके अनुसार, अवधि 6 जून 2009 से 18 सितम्बर 2009 का ठेकेदार पर कर दायित्व ₹ 15.96 लाख बनता है जिसमें से ₹ 9.34 लाख की बैंक गारन्टी को समायोजित किये जाने के बाद ₹ 6.62 लाख शेष बकाया रहे। इसलिये, कर निर्धारण आदेश को, संशोधित किये जाने की आवश्यकता है। इसके अलावा, ठेकेदार को तलाशनें के प्रयास किये जाने चाहिये तथा बकाया राशि को वसूल करने के लिये जमानतियों को भी सूचना पत्र जारी किये जाने चाहिये।

सरकार ने सूचित किया (फरवरी 2014) कि उपायुक्त (अपील) अजमेर द्वारा जुलाई 2013 में वसूली पर स्थगन दे दिया गया था।

ऊपर बताये गये प्रकरणो से स्पष्ट होता है कि ठेकेदारों द्वारा कर की देय राशि एवं इसके भुगतान हेतु निर्धारित समय की पालना, दोनों ही के सम्बन्ध में बार-बार चूक होने पर भी विभाग द्वारा ठेकों को निरस्त नहीं किया गया। इसके परिणामस्वरूप, दोषी ठेकेदारों के विरूद्ध बकाया राशि बढती रही। विभाग तथा निर्धारण अधिकारियों के निरूत्साही व्यवहार के चलते ठेकेदारों द्वारा लाभ उठाया गया एवं सरकार को देय सही धन की वसूली नहीं की जा सकी।

2.9.14 सक्रिय व्यवहारियों से बकाया की वसूली का अभाव

चयनित वृत्तों के कर निर्धारण अभिलेखों की मापक जांच में पाया कि दो वृत्तों के दो सक्रिय व्यवहारियों के विरूद्ध वसूली योग्य बकाया के ₹ 82.42 लाख ब्याज सहित बकाया थे। तथापि, इन बकाया को वसूल करने हेतु कोई भी प्रयास नहीं किये गये तथा ये मांग तीन से पांच वर्ष के समय से बकाया चल रही थी। ऐसे प्रकरणों की चर्चा नीचे की जा रही है:

2.9.14.1 सहायक आयुक्त, वृत्त-ए, जयपुर के निर्धारण पत्रावलियों की मापक जांच में पाया (मई 2012) कि मैसर्स हनीवेल ऑटोमेशन इण्डिया लि., जयपुर के वर्ष 2007-08 तथा 2008-09 के कर निर्धारण क्रमशः मार्च 2010 तथा जनवरी 2011 में किये गये जिनमें ₹ 48.87 लाख कर के बकाया थे। पत्रावली की संवीक्षा पर पता चला कि व्यवहारी को वर्ष 2008-09 की मांग के लिये कोई मांग पत्र जारी नहीं किया गया। यह देखा गया कि व्यवहारी बाद के वर्षो का कर जमा करा रहा था। दोनों वर्षो की बकाया की वसूली हेतु किये गये प्रयासों के सम्बन्ध में अभिलेखों में कोई प्रगति उपलब्ध नहीं थी। इस प्रकार, व्यवहारी के विरूद्ध ₹ 48.87 लाख का कर एवं इस पर ब्याज राशि बकाया थी।

सरकार ने सूचित किया (फरवरी 2014) कि ₹ 21.47 लाख की राशि वसूल की जा चुकी है।

2.9.14.2 सहायक आयुक्त, वृत्त-बी, भिवाड़ी के कर निर्धारण पत्रावलियों की मापक जांच में पाया (मई 2013) कि मै. रेलीसन इलेक्ट्रिकल्स प्रा.लि., भिवाड़ी

पर वर्ष 2007-08 के लिये ₹ 33.55 लाख की मांग बकाया थी। व्यवहारी द्वारा बाद के वर्षों का कर नियमित रूप से जमा कराया जा रहा था। पत्रावली में वर्ष 2007-08 की मांग के लिये कोई मांग पत्र जारी किया जाना नहीं पाया गया। राशि ₹ 33.55 लाख की मांग एवं ब्याज अब तक वसूली से शेष रही।

सरकार ने सूचित किया (फरवरी 2014) कि राशि ₹ 25.64 लाख वसूल/ समायोजित की जा चुकी है।

2.9.15 व्यवहारियों के अन्य राज्यों में स्थित सम्पत्ति से आर.आर. अधिनियम के अन्तर्गत वसूली नहीं किया जाना

राज्य के बाहर निवास कर रहे व्यवहारियों से या वहां उनकी सम्पत्ति हो, तो ऐसे चूककर्ता व्यवहारियों से कोई भी राशि आर.आर. अधिनियम, 1890 के अन्तर्गत वसूली योग्य है। निर्धारण अधिकारी ऐसे प्रकरण उस जिले के कलेक्टर को भेजते हैं जहां चूककर्ता व्यवसाय करता था। इसके उपरान्त कलेक्टर वसूली प्रमाण पत्र अन्य राज्य के उस जिले के कलेक्टर को भेजता है जहां चूककर्ता की सम्पत्ति है या निवास कर रहा है।

चयनित किये गये वृतों की वसूली पत्रावलियों की मापक जांच में पाया कि सम्बन्धित निर्धारण अधिकारी द्वारा राजस्व वसूली प्रमाण-पत्र (आर.आर.सी.) सम्बन्धित जिले के कलेक्टर को, अन्य राज्य के राजस्व प्राधिकारी के पास वसूली हेतु भिजवाने के लिये, अग्रेषित किये गये थे। आर.आर.सी. विलम्ब से जारी करने एवं निर्धारण अधिकारी द्वारा यथेष्ट अनुसरण कार्यवाही के अभाव में चार वृतों के 12 प्रकरणों में ₹ 9.09 करोड़ की वसूली नहीं हुई, इनमें से कुछ प्रकरणों का विवरण नीचे दिया गया है:

2.9.15.1 सहायक आयुक्त, वृत-बी, कोटा की वसूली पत्रावलियों की संवीक्षा में पाया (मई 2013) कि मैसर्स हिसारिया फूडस्, कोटा पर वर्ष 2001 से 2006 की अवधि के लिये निर्धारित कर ₹ 3.79 करोड़ की मांग बकाया थी। व्यवहारी की सम्पत्ति को कुर्क करने के लिये निर्धारण अधिकारी द्वारा राजस्थान वैट अधिनियम की धारा 49 के अन्तर्गत सितम्बर 2008 में सूचना पत्र जारी किये गये। व्यवहारी की सम्पत्तियों का पता सुनिश्चित करने के लिये वाणिज्यिक कर निरीक्षक को जनवरी 2009 में एक पत्र दिया गया। तथापि, व्यवहारी की सिरसा (हरियाणा) स्थित सम्पत्ति से आर.आर. अधिनियम के अन्तर्गत वसूली करने हेतु कलेक्टर, कोटा को लिखे जाने (जुलाई 2011) तक निर्धारण अधिकारी द्वारा कोई अग्रिम कार्यवाही नहीं की गयी थी। कलेक्टर, कोटा ने निर्धारित प्रारूप में दावे की सूचना भेजने तथा व्यवहारी की सम्पत्ति का पूर्ण विवरण भेजने को कहा (जुलाई 2011)। वसूली पत्रावली में आगे कोई प्रगति नहीं पायी गयी।

सरकार ने सूचित किया (फरवरी 2014) कि बैंक खाते से ₹ 0.45 लाख की वसूली की जा चुकी है।

2.9.15.2 सहायक आयुक्त, वृत राजसमन्द की वसूली पत्रावलियों की संवीक्षा में पाया (मार्च 2013) कि मैसर्स महावीर मार्केटिंग, राजसमन्द पर वर्ष 1993 से 1995 की अवधि के लिये निर्धारित कर ₹ 39.88 लाख की मांग बकाया थी, फिर भी निर्धारण अधिकारी द्वारा वसूली की कोई कार्यवाही प्रारंभ नहीं की गई। पांच वर्ष व्यतीत हो जाने के बाद, अगस्त 2000 में कलेक्टर, राजसमन्द द्वारा वसूली के लिये आर.आर.सी. कलेक्टर, अहमदाबाद को जारी की गयी। उन्होने अपने जवाब में सूचित किया (अक्टूबर 2011) कि चूककर्ता दिये गये पते पर नहीं रहता है। सात वर्ष बीत जाने के बाद फरवरी 2007 में आर.आर.सी. पुनः जारी की गयी। वसूली अभिलेखों पर आगे कोई प्रगति नहीं पायी गयी।

सरकार ने सूचित किया (फरवरी 2014) कि ₹ 0.20 लाख की राशि राष्ट्रीय बचत पत्रों से वसूल की जा चुकी है।

2.9.15.3 वाणिज्यिक कर अधिकारी, विशेष वृत्त-III, जयपुर की वसूली पत्रावलियों की संवीक्षा में पाया (अप्रेल 2012) कि मैसर्स बी.आर. इण्डस्ट्रीज लि., जयपुर पर वर्ष 1990-91 से 1996-97 की अवधि के लिये निर्धारित कर ₹ 48.28 लाख की मांग बकाया थी। व्यवहारी अपना व्यवसाय बन्द कर दिल्ली चला गया। निर्धारण अधिकारी द्वारा व्यवहारी तथा जमानती की सम्पत्ति कुर्क करने के लिये कुर्की वारण्ट जारी किया गया (जनवरी 1999)। व्यवहारी को उक्त वारण्ट तामील नहीं हुआ तथा इस टिप्पणी के साथ वसूली पत्रावली में फाईल कर दिया गया कि 'व्यवसाय बन्द है तथा व्यवसायी की सम्पत्ति के बारे में कोई सूचना उपलब्ध नहीं है'। विभाग द्वारा जमानती से केवल ₹ 0.10 लाख की वसूली की गई। निर्धारण अधिकारी द्वारा मार्च 2006 तथा नवम्बर 2011 में बकाया की वसूली हेतु कलेक्टर, जयपुर को पत्र लिखे गये। अभिलेखों पर आगे कोई प्रगति नहीं पायी गयी।

सरकार ने सूचित किया (अक्टूबर 2013) कि कलेक्टर, जयपुर को वसूली हेतु मार्च 2012 तथा मई 2013 में पत्र लिखे गये थे। सरकार ने आगे सूचित किया (फरवरी 2014) कि कलेक्टर, जयपुर को आर.आर.सी की प्रति पुनः भेजी गयी है।

2.9.15.4 सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट-I, वृत्त-ए, जयपुर की वसूली पत्रावलियों की संवीक्षा में पाया (मई 2012) कि मैसर्स सूर्या एग्रो ऑयल लि., जयपुर पर वर्ष 1999-2000 से 2001-02 की अवधि के लिये निर्धारित मांग ₹ 2.58 करोड़ बकाया थी। व्यवहारी अपना व्यवसाय बन्द कर भोपाल चला गया। सितम्बर 2004 में कलेक्टर, जयपुर द्वारा कलेक्टर, भोपाल को वसूली हेतु आर.आर.सी. जारी किया गया। तत्पश्चात, निर्धारण अधिकारी द्वारा कलेक्टर, भोपाल को फरवरी 2011 तक निरन्तर पत्र लिखे जाते रहे लेकिन कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई। यह देखा गया कि पंजीयन प्रमाण-पत्र के अनुसार फर्म के निदेशक एवं

जमानती राजस्थान में निवास कर रहे थे। यह सूचना विभाग के पास उपलब्ध होते हुये भी निर्धारण अधिकारी द्वारा उनके विरूद्ध राजस्थान बिक्री कर अधिनियम की धारा 49 के अन्तर्गत बकाया की वसूली के लिये कोई कार्यवाही प्रारंभ नहीं की गई।

सरकार ने सूचित किया (फरवरी 2014) कि माननीय उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश द्वारा व्यवहारी की संपत्तियों के निपटान हेतु रिसीवर की नियुक्ति कर दी गयी है तथा सहायक आयुक्त, बिक्री कर, भोपाल को आगामी कार्यवाही हेतु पत्र भेजा गया है।

2.9.15.5 सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट-III, वृत्त-ए, जयपुर की वसूली पत्रावलियों की संवीक्षा में पाया (मई 2012) कि मैसर्स मोटोरोला इण्डस्ट्रीज लि., जयपुर पर वर्ष 1992-93 से 1997-98 की अवधि के लिये निर्धारित कर ₹ 89.79 लाख बकाया थे। व्यवहारी अपना व्यवसाय बन्द कर बड़ौदा (गुजरात) चला गया। दो जमानतियों को वसूली नोटिस जारी (मार्च 2006) करने पर पता चला कि एक जमानती की अगस्त 2005 में मृत्यु हो चुकी थी एवं दूसरा जमानती गायब था। इस प्रकार, जमानतियों से कोई राशि वसूल नहीं की जा सकी। तत्पश्चात, कलेक्टर, जयपुर द्वारा वसूली हेतु कलेक्टर, बड़ौदा को आर.आर.सी. भिजवाये गये (मार्च 2006)। यह देखा गया कि इस बारे में आगामी पांच वर्षो तक कोई पत्राचार नहीं किया गया। कलेक्टर द्वारा दिसम्बर 2011 में एक स्मरण पत्र जारी किया गया था। अभिलेखों पर आगामी प्रगति उपलब्ध नहीं थी।

सरकार ने सूचित किया (फरवरी 2014) कि कलेक्टर, जयपुर को आर.आर. अधिनियम में कार्यवाही करने हेतु लिखा गया है।

इसी प्रकार, चार वृत्तों (झुंझुनू, राजसमन्द, विशेष-श्रीगंगानगर, तथा बी-उदयपुर) के सात प्रकरणों में ₹ 94.10 लाख के बकाया पाये गये (मार्च 2013 से मई 2013)।

विभाग अपनी मांगो की वसूली के प्रति सतर्क नहीं था। चूक होने के तुरन्त बाद व्यवहारियों के बारे में जानकारी करने के कोई प्रयास नहीं किये गये थे। आर.आर. अधिनियम के माध्यम से वसूली प्रारंभ किये जाने की प्रक्रिया अत्यधिक धीमी थी। निर्धारण अधिकारी द्वारा कलेक्टर को केवल पत्र/स्मरण पत्र जारी किये गये तथा सम्बन्धित कलेक्टरों द्वारा अनुसरण की ठोस कार्यवाही नहीं की गई।

समापन सभा के दौरान आयुक्त वाणिज्यिक कर ने अवगत कराया कि आर.आर. अधिनियम के अन्तर्गत बकाया प्रकरणों का नियमित अनुसरण किया जा रहा है तथा इन प्रकरणों में वसूली की गति बढ़ाने के लिये पुनः निर्देश जारी किये जायेगें।

2.9.16 आई.टी.सी. के सत्यापन नहीं किये जाने के कारण बकाया

राजस्थान वैट अधिनियम की धारा 18(2) के अनुसार, मूल वैट बीजक के आधार पर जमा कर की आई.टी.सी. का दावा, ऐसे बीजक के जारी किये जाने से तीन माह के भीतर अनुमत्य किया जायेगा। आयुक्त वाणिज्यिक कर द्वारा निर्धारण अधिकारी को निर्देश दिये गये (31 अगस्त 2009) कि आई. टी.सी. का सत्यापन जितना जल्दी संभव हो, या तिमाही विवरणी प्रस्तुत किये जाने से अधिकतम छः माह के भीतर किया जाये। इसके अलावा, राजस्थान वैट नियम के नियम 45ए के अनुसार, यदि जमा राशि के उचित सत्यापन की आवश्यकता के कारण आई.टी.सी. को अनुमत्य नहीं किया गया हो तो निर्धारण अधिकारी स्वयं सत्यापन करावेगा तथा ऐसी समायोजन के अधीन राशि की मांग को वसूल नहीं करेगा, जब तक कि ऐसा दावा अनुमत्य कर दिया जाये या लिखित आदेश के द्वारा ऐसी आई.टी.सी. को अस्वीकृत कर दिया जावे।

विभाग द्वारा उपलब्ध सूचना के अनुसार व्यवहारियों के विरूद्ध ₹ 527.21 करोड़ उचित सत्यापन के अभाव में बकाया थे। ऐसे कुछ प्रकरणों की चर्चा नीचे की गयी है:

आठ वृत्तों[4] की कर निर्धारण पत्रावलियों तथा मांग एवं संग्रहण पंजिका की मापक जांच में पाया कि 48 प्रकरणों में व्यवहारियों द्वारा दावा किये गये ₹ 13.00 करोड़ के आई.टी.सी. को, निर्धारण अधिकारी द्वारा विक्रेता व्यवहारियों से सम्बन्धित निर्धारण अधिकारी से सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त नहीं होने के कारण अनुमत्य नहीं किया। यह पाया गया कि यह आई.टी.सी. 2006 से 2010 की अवधि से सम्बन्धित थी किन्तु निर्धारण अधिकारियों द्वारा अब तक (फरवरी 2014) सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त नहीं की जा सकी। विभाग द्वारा अब विवरणियों का कार्य कम्प्युटराईज्ड कर लिया है तथा आई.टी.सी. के सत्यापन कार्य ऑनलाईन करने में समर्थ है, फिर भी, पुराने आई.टी.सी. के दावों को प्राथमिक आधार पर सत्यापन कराये जाने की आवश्यकता है ताकि प्रकरणों में शामिल भारी राजस्व का निपटान हो सके।

अतिरिक्त आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग ने समापन सभा के दौरान बताया कि आई.टी.सी. दावों के सत्यापन के लिये एक समाशोधन गृह की स्थापना की जा चुकी है। उन्होनें आगे बताया गया कि सभी व्यवहारियों के लिये अप्रेल 2012 से विवरणियां को ऑनलाईन प्रस्तुत करना अनिवार्य किया जा चुका है जिससे आई.टी.सी. के ऑनलाईन सत्यापन में सुविधा रहेगी।

[4] वृत्त- बी-भरतपुर, बी-भिवाड़ी, बी-जयपुर, ई-जयपुर, झुंझुनू, बी-कोटा, सिरोही एवं बी-उदयपुर।

सरकार ने सूचित किया (अक्टूबर 2013) कि तीन प्रकरणों में ₹ 23.31 लाख की मांग सत्यापित कर समायोजित की जा चुकी है।

2.9.17 जमाओं के सत्यापन नहीं किये जाने के कारण बकाया

राजस्थान वैट नियम, 2006 के नियम 45 के अनुसार, यदि कोई व्यवहारी या व्यक्ति प्रपत्र वैट-37 में चालान या प्रपत्र वैट-38 या प्रपत्र वैट-39 में कोई रसीद प्रस्तुत करते हुये उस रसीद या चालान की राशि का समायोजन का दावा करता है और यदि ऐसा समायोजन, उस जमा राशि का राजस्व संग्रहण पंजिका (आर.सी.आर.) या चैक पोस्ट के अभिलेखों से एवं स्रोत पर कर की कटौती (टी.डी.एस.) के प्रकरण में प्रपत्र वैट-41 (प्रदाता द्वारा स्रोत पर कटौती का प्रमाण पत्र) के सत्यापन किये जाने की आवश्यकता होने के कारण, नहीं दिया गया हो तो निर्धारण अधिकारी स्वयं उसका सत्यापन करवायेगा और उस राशि की सीमा तक वसूली पर जोर नहीं देगा। विभागीय परिपत्र दिनांक 26 अप्रेल 2004 के अनुसार समस्त निर्धारण अधिकारी निर्धारित प्रारूप में 1 अप्रेल 2004 से आर.सी.आर. का संधारण करेगें तथा आर.सी.आर. से सत्यापन के पश्चात ही जमाओं का समायोजन दिया जाना चाहिये।

चयनित वृत्तों के अभिलेखों की संवीक्षा में पाया कि चैक पोस्टों पर, चालान से जमा दर्शायी राशियाँ या टी.डी.एस. के समायोजन के सत्यापन के अभाव में ₹ 1.34 करोड़ बकाया चल रहे थे, जिनकी चर्चा नीचे की गई है:

2.9.17.1 चैक पोस्ट पर जमा कर

तीन वृत्तों[5] के अभिलेखों की मापक जांच में पाया (दिसम्बर 2012 से अप्रेल 2013) कि 18 प्रकरणों में व्यवहारियों द्वारा उनकी विवरणियों में ₹ 64.88 लाख के क्रेडिट का दावा करते हुये बताया कि उनके द्वारा यह अग्रिम कर विभागीय चैक पोस्टों पर अवधि 2003-04 से 2009-10 के लिये (दिसम्बर 2006 से दिसम्बर 2011 के दौरान निर्धारित) जमा कराया था। राजस्थान वैट नियम के नियम 45 के अनुसार, निर्धारण अधिकारियों द्वारा चैक पोस्टों के अभिलेखों से इसका सत्यापन कराया जाना आवश्यक था। तथापि, सत्यापन की जरूरत होने के कारण उन्होंने इस क्रेडिट को अनुमत्य नहीं किया एवं इस राशि की मांग कायम कर दी गई। यह पाया गया कि तीन से नौ वर्ष की अवधि व्यतीत हो जाने के बाद भी सत्यापन रिपोर्ट को प्राप्त नहीं किया गया था।

[5] वृत्त: बी-भरतपुर, बी-जयपुर एवं मकराना।

सरकार ने सूचित किया (अक्टूबर 2013) कि तीन प्रकरणों में ₹ 14.28 लाख की मांग का सत्यापन एवं समायोजन किया जा चुका है तथा निर्धारण अधिकारियों को चैक पोस्टों पर जमा कर के सत्यापन हेतु निर्देश जारी किये जा रहे है।

2.9.17.2 चालानों से या टी.डी.एस. द्वारा जमा कर

चयनित वृत्तों के अभिलेखों की मापक जांच में पाया (मई 2013) कि वृत्त बी-भिवाड़ी तथा झुंझुनू के 11 प्रकरणों में वर्ष 2006-07 से 2009-10 की अवधि के लिये (फरवरी 2009 से फरवरी 2010 के दौरान निर्धारित) चालानों/टी.डी.एस. से जमा कर ₹ 69.32 लाख का सम्बन्धित वृत्तों के आर.सी.आर. या टी.डी.एस. से सत्यापन की आवश्यकता के कारण निर्धारण अधिकारी द्वारा समायोजन को अनुमत्य नहीं किया गया। इन 11 प्रकरणों में निर्धारण अधिकारी द्वारा कर निर्धारण के तुरन्त पहले सत्यापन किया जाना चाहिये था किन्तु सत्यापन में तीन से छः वर्ष के समय का विलम्ब हुआ।

सरकार ने सूचित किया (अक्टूबर 2013) कि निर्धारण अधिकारी को स्रोत पर काटे गये कर का सत्यापन कराये जाने के निर्देश जारी किये जा रहे हैं। सरकार ने आगे सूचित किया (फरवरी 2014) कि छः प्रकरणों में ₹ 26.71 लाख का सत्यापन कर समायोजन दिया जा चुका है।

2.9.18 केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम के अन्तर्गत बकाया की वसूली नहीं होना

एक व्यवहारी जो बिक्री/माल के स्थानान्तरण पर कर के भुगतान में आंशिक या पूरी छूट का दावा करता है, तो वह घोषणा पत्र प्रस्तुत करेगा। केन्द्रीय बिक्री कर (पंजीयन तथा टर्नओवर) नियम, 1957 के नियम 12 के अनुसार, घोषणा पत्र प्रपत्र 'सी' या प्रपत्र 'एफ' एवं प्रमाण पत्र ई-I/ई-II में, जैसा भी प्रकरण हो, उन्हें घोषणा पत्रों या प्रमाण पत्रों से संबन्धित अवधि की समाप्ति के तीन माह के भीतर प्रस्तुत किये जायेगें। इसके अलावा, प्रपत्र 'एच', प्रथम निर्धारण प्राधिकारी को उसके द्वारा निर्धारण के समय तक, प्रस्तुत किये जायेंगे।

चयनित वृत्तों के अभिलेखों की संवीक्षा में पाया (अप्रेल 2012 से मई 2013) कि 13 वृत्तों[6] के 178 प्रकरणों में वर्ष 1992-93 से 2009-10 की अवधि से सम्बन्धित केन्द्रीय बिक्री कर के घोषणा पत्र प्रस्तुत नहीं किये जाने से ₹ 10.51 करोड़ की मांग तथा ब्याज राशि ₹ 2.31 करोड़ वसूली हेतु बकाया थे।

[6] वृत्त- बी-भरतपुर, बी-भिवाड़ी, ए-जयपुर, बी-जयपुर, ई-जयपुर, विशेष तृतीय जयपुर, झुंझुनू, बी-कोटा, मकराना, राजसमन्द, सिरोही, विशेष-श्रीगंगानगर एवं बी-उदयपुर।

व्यवहारियों द्वारा घोषणा पत्र या प्रमाण-पत्र जिस अवधि से सम्बन्धित हो, उसकी समाप्ति के तीन माह के भीतर प्रस्तुत किये जाने वांछित थे, फिर भी, इन्हें प्रस्तुत नहीं किया गया तद्नुसार निर्धारण अधिकारी द्वारा रियायती दर के बजाय निर्दिष्ट दर से मांग कायम की गयी। यह भी पाया गया कि प्रपत्रों को प्रस्तुत करने के लिये समय बढ़ाने के लिये व्यवहारियों द्वारा नहीं कहा गया था।

यह भी पाया गया कि दो वृत्तों के सात ऐसे व्यवहारियों ने जिनके विरूद्ध केन्द्रीय बिक्री कर के घोषणा पत्रों के बकाया होने से ₹ 59.13 लाख की मांग बकाया थी, उन्होनें अपना व्यवसाय वर्ष 2004-05 से 2010-11 के दौरान बन्द कर दिया था। निर्धारण अधिकारियों द्वारा इन व्यवहारियों से मांग की वसूली हेतु नैमित्तिक मांग पत्रों को जारी करने के सिवाय कोई प्रयास नहीं किये गये।

सरकार ने प्रत्युत्तर में कहा (अक्टूबर 2013) कि 31 प्रकरणों में ₹ 3.74 करोड़ की मांग समायोजित की जा चुकी है।

समापन सभा के दौरान आयुक्त वाणिज्यिक कर द्वारा बताया गया कि निर्धारण अधिकारी को अधिनियम के अनुसार केन्द्रीय बिक्री कर के घोषणा पत्रों को प्रस्तुत किये जाने हेतु समय बढ़ाने की शक्ति प्राप्त है तथा जिन प्रकरणों में समय बढाने की अनुमति नहीं दी गयी, विभाग ने उनसे वसूली करना प्रारंभ कर दिया है।

विभाग का उत्तर सही नहीं है क्योंकि लेखापरीक्षा द्वारा उन्हीं प्रकरणों को उठाया गया है जिनमें बिक्री को घोषणा पत्रों से समर्थित किये बिना मानते हुये राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट दर लागू कर निर्धारण अधिकारी द्वारा निर्णित किया गया था किन्तु इनमें से किसी भी प्रकरण में वसूली की कार्यवाही नहीं की गयी।

2.9.19 राजस्थान बिक्री कर/राजस्थान वैट अधिनियम के अन्तर्गत बकाया की वसूली नहीं होना

एक व्यवहारी जो बिक्री/माल के स्थानान्तरण पर कर के भुगतान में आंशिक या पूरी छूट का दावा करता है, तो वह घोषणा पत्र प्रस्तुत करेगा।

राजस्थान बिक्री कर नियम, 1995 के नियम 23 के अनुसार, व्यवहारी द्वारा विवरणियों के साथ या कर निर्धारण के समय या कर निर्धारण की तिथि से छः माह के भीतर, जैसा निर्धारण अधिकारी अनुमत्य करें, घोषणा पत्र प्रस्तुत करेगा। इसके अलावा, निर्धारण अधिकारी कारणों को अभिलिखित करते हुये, निर्दिष्ट 'एसटी-17' या 'एसटी-17बी' एवं अन्य प्रमाण पत्रों को, अतिरिक्त छः माह की अवधि में प्रस्तुत करने की अनुमति दे सकता है।

इसके अलावा, राजस्थान वैट नियम, 2006 के नियम 21 के अनुसार, व्यवहारी द्वारा निर्दिष्ट 'वैट-15' एवं अन्य प्रमाण पत्रों को विवरणियों के साथ या वार्षिक विवरणी या ऑडिट रिपोर्ट की देय तिथि से पूर्व, जैसा भी प्रकरण हो, प्रस्तुत किया जाना वांछित है।

राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर राजस्थान वैट नियम के नियम 21 में संशोधन कर राजस्थान बिक्री कर/राजस्थान वैट के बकाया घोषणा पत्रों को प्रस्तुत करने के लिये अवधि को माह जून 2013 तक बढ़ाया गया।

चयनित वृत्तों के अभिलेखों की संवीक्षा में पाया (अप्रेल 2012 से मई 2013) कि नौ वृत्तों[7] के 64 प्रकरणों में वर्ष 1993-94 से 2009-10 की अवधि से सम्बन्धित राजस्थान बिक्री कर/राजस्थान वैट के अन्तर्गत घोषणा-पत्रों/प्रमाण-पत्रों को जून 2013 तक प्रस्तुत नहीं किये जाने से मांग ₹ 2.09 करोड़ तथा ब्याज ₹ 1.13 करोड़ वसूली हेतु बकाया थे। विभाग द्वारा राजस्थान बिक्री कर/राजस्थान वैट के प्रपत्रों को प्रस्तुत किये जाने के लिये निरन्तर समय वृद्धि के कारण चूककर्ता व्यवहारियों को विभाग के बनाये नियमों/अधिनियमों की पालना नहीं किये जाने को प्रोत्साहन मिला है।

यह भी पाया गया कि चयनित तीन वृतों के सात ऐसे व्यवहारियों के विरूद्ध राजस्थान बिक्री कर/राजस्थान वैट के घोषणा पत्रों के बकाया होने से ₹ 67.86 लाख की मांगें बकाया थी, उन्होनें 2000-01 से 2009-10 के मध्य अपना व्यवसाय बन्द कर दिया था। निर्धारण अधिकारियों द्वारा, फिर भी, इन

[7] वृत्तः बी-भरतपुर, बी-भिवाड़ी, ई-जयपुर, झुंझुनू, बी-कोटा, मकराना, राजसमन्द, विशेष-श्रीगंगानगर एवं बी-उदयपुर।

व्यवहारियों से मांग की वसूली हेतु नैमित्तिक मांग पत्र जारी करने के सिवाय कोई प्रयास नहीं किये गये।

सरकार ने प्रत्युत्तर में कहा (अक्टूबर 2013) कि छः प्रकरणों में ₹ 31.00 लाख की मांग समायोजित की जा चुकी हैं।

विभाग द्वारा स्थिति की समीक्षा कर घोषणा पत्रों को प्रस्तुत किये जाने हेतु समय बढ़ाने की एक अन्तिम सीमा तय की जानी चाहिये, क्योंकि ये प्रपत्र 1993-94 से ही बकाया चले आ रहे हैं, जोकि राजस्व हित में नहीं है।

2.9.20 शासकीय समापक के समक्ष ब्याज का दावा प्रस्तुत नहीं करना

राजस्थान वैट अधिनियम, 2003 की धारा 55 के अनुसार, जब किसी व्यक्ति या व्यवहारी द्वारा किसी कर, फीस, शास्ति, ब्याज या उसके द्वारा देय कोई अन्य राशि के भुगतान में चूक होती है, तो वह ऐसी राशि पर राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित दरों से ब्याज का भुगतान करने का उत्तरदायी होगा।

शासकीय समापक, कम्पनी अधिनियम की धारा 448 के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्त और विभिन्न उच्च न्यायालय से जुड़े अधिकारी होते हैं। शासकीय समापक का प्राथमिक कार्य समापन के अन्तर्गत कम्पनियों की सम्पत्तियों का प्रशासन करना, सभी ऋणों की वसूली करना, सम्पत्तियों का विक्रय करके सभी लेनदारों तथा कम्पनियों के अन्य शेयर धारकों के मध्य उसका वितरण करने के उपरान्त, कम्पनी का अन्तिम रूप से विघटन करना है।

वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त विशेष-I, जयपुर के अभिलेखों के मापक जांच में पाया (फरवरी 2012) कि दो कम्पनियां, मैसर्स केसरी वनस्पति प्रोडक्ट्स लिमिटेड, जयपुर तथा मैसर्स पूजा ग्रेनाईट एण्ड मार्बल्स लिमिटेड, जयपुर क्रमशः अगस्त 2003 तथा दिसम्बर 2006 में बन्द हुई थी। पत्रावली की जांच में पाया कि निर्धारण अधिकारी द्वारा शासकीय समापक को बकाया राशि की वसूली के दावे क्रमशः 27 अक्टूबर 2006 तथा 6 जनवरी 2007 को प्रस्तुत करते समय मैसर्स केसरी वनस्पति प्रोडक्टस लिमिटेड, जयपुर के लिये ₹ 4.75 करोड़ तथा मैसर्स पूजा ग्रेनाईट एण्ड मार्बल्स लिमिटेड, जयपुर के लिये ₹ 1.11 करोड़ ब्याज राशि के शामिल नहीं किये गये थे। इसके परिणामस्वरूप ब्याज ₹ 5.86 करोड़ की हानि हुई।

सरकार ने प्रत्युत्तर में कहा (फरवरी 2014) कि मैसर्स केसरी वनस्पति प्रोडक्ट्स लिमिटेड, जयपुर के प्रकरण में ब्याज को शामिल करते हुए संशोधित दावा भेज दिया गया है तथा मैसर्स पूजा ग्रेनाईट एण्ड मार्बल्स लिमिटेड, जयपुर के प्रकरण में ब्याज दावा की प्रस्तुति प्रक्रियाधीन है।

2.9.21 ऋण वसूली अधिकरण के साथ अपर्याप्त अनुसरण के कारण बकाया कर की वसूली नहीं होना

ऋण वसूली अधिकरण का गठन, बैंकों तथा वित्तीय संस्थानों को देय देनदारियों की वसूली अधिनियम, 1993 की धारा 3 के अन्तर्गत किया गया। व्यवहारी की सम्पत्ति यदि ऋण वसूली अधिकरण के कब्जे में हो, तो विभाग को अपना दावा ऋण वसूली अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत करना होता है।

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट-III, वृत्त-ई, जयपुर की वसूली पत्रावलियों की मापक जांच में पाया (अगस्त 2013) कि एक कम्पनी मैसर्स प्रताप राजस्थान स्पेशल स्टील लि., जयपुर के विरूद्ध वर्ष 1994-95 से 2000-01 की अवधि के लिये ₹ 1.99 करोड़ की मांग बकाया थी। निर्धारण अधिकारी द्वारा इस प्रकरण में मार्च 2000 से अप्रेल 2003 की अवधि को 'स्थगन के अन्तर्गत' में वर्गीकृत किया गया। यद्यपि, कनिष्ठ वाणिज्यिक कर अधिकरी की रिपोर्ट (जून 2012) के अनुसार ऋण वसूली अधिकरण द्वारा 2005 में कम्पनी की चल एवं अचल सम्पत्ति को बेच दिया गया तथा प्राप्त विक्रय राशि को वित्तीय संस्थानों के बीच वितरित किया जा चुका था।

सरकार ने उत्तर दिया (अक्टूबर 2013) कि सम्बन्धित निर्धारण अधिकारी को मामले में तेजी लाने के निर्देश दिये गये। व्यवहारी की कोई भी सम्पत्ति अब उपलब्ध नहीं रहने के कारण कम्पनी से वसूली की संभावनायें क्षीण हो गई हैं।

2.9.22 राजस्थान उच्च न्यायालय एवं राजस्थान कराधान अधिकरण में लम्बित प्रकरणों में स्थगन नहीं हटाये जाने के कारण बकाया की वसूली नहीं किया जाना

राजस्थान उच्च न्यायालय तथा अन्य न्यायालयों में लम्बित सभी प्रकरणों पर निगरानी रखने के लिये आयुक्त वाणिज्यिक कर कार्यालय में एक विधि अनुभाग बनाया गया। दो वृत्तों की वसूली पत्रावलियों की संवीक्षा पर ज्ञात हुआ कि दो प्रकरणों में निर्धारण अधिकारी द्वारा वसूलियों पर से प्रतिबन्ध उठाने के लिये शीघ्रता से पर्याप्त उपाय नहीं किये गये। इसके परिणामत: बकाया ₹ 3.39 करोड़ एवं ब्याज की राशि अवरूद्ध रही, जिनकी नीचे चर्चा की गई है:

2.9.22.1 वाणिज्यिक कर अधिकारी, विशेष वृत, अजमेर के अभिलेखो की संवीक्षा में पाया (दिसम्बर 2011) कि मैसर्स कोयना रोकला पाईप्स लिमिटेड, केकड़ी का प्रकरण राजस्थान कराधान अधिकरण (अधिकरण) के पास लम्बित था। यह पाया गया कि वर्ष 1989-90 से 1997-98 से संबन्धित ₹ 3.22 करोड़ की मांग 1993-94 से 2000-01 के दौरान कायम की गई थी, किन्तु, वसूली की कठोर कार्यवाही के प्रयास पर अधिकरण के प्रतिबन्ध होने से वसूली नहीं की जा सकी। अधिकरण के आदेश को 15 वर्ष से ज्यादा समय बीत जाने पर भी, विभाग द्वारा अभी तक स्थगन हटवाने एवं वसूली के लिये कोई प्रभावी कदम नहीं उठाये गये।

इसके अलावा, प्रकरण पर तथ्यात्मक रिपोर्ट राजकीय अधिवक्ता को 12 वर्ष बाद जनवरी 2010 में उपलब्ध करायी गई।

वर्ष 1999 में अधिकरण को बन्द किया गया था तथा प्रकरण को राजस्थान उच्च न्यायालय को स्थानान्तरित कर दिया गया था। हालांकि इससे स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है तथा वर्तमान में स्थगन में चल रहा है (फरवरी 2014)।

इस प्रकार, विभाग द्वारा शीघ्र कार्यवाही के अभाव में फलस्वरूप ₹ 3.22 करोड़ की मांग एवं ब्याज की वसूली नहीं की जा सकी।

सरकार ने स्वीकार किया (फरवरी 2014) कि प्रकरण पर अभी तक स्थगन है तथा सूचित किया कि सुनवाई की आगामी तिथि अभी प्राप्त होना प्रतीक्षित है।

2.9.22.2 सहायक आयुक्त, वृत राजसमन्द के अभिलेखों की संवीक्षा में पाया (मार्च 2013) कि मैसर्स सरस्वती मार्बल एण्ड ग्रेनाइट इण्डस्ट्रीज के प्रकरण में वर्ष 1996-97 के लिये ₹ 17.02 लाख की मांग फरवरी 2004 में कायम की गई। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने एक स्थगन आदेश पारित (जून 2004) कर कहा कि विभाग द्वारा वसूली के लिये कोई कठोर कार्यवाही नहीं की जायेगी। वसूली पत्रावली के अनुसार, प्रकरण में अन्तिम सुनवाई 2 मार्च 2005 को नियत की गई थी एवं इसके पश्चात, कोई अतिरिक्त जानकारी उपलब्ध नहीं थी। निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रकरण में अनुसरण की कार्यवाही नहीं किये जाने के परिणामस्वरूप मांग ₹ 17.02 लाख तथा ब्याज की वसूली नहीं हो सकी।

सरकार ने सूचित किया (फरवरी 2014) कि स्थगन हटवाने के प्रयास किये जा रहे हैं।

2.9.23 आन्तरिक नियंत्रण

आन्तरिक नियंत्रण का उद्देश्य कानूनों, नियमों, कार्यकारी निर्देशों के उचित रूप से लागू करने के प्रति समुचित आश्वासन देना है। इस तरह का नियंत्रण पर्यवेक्षीय अधिकारियों द्वारा आन्तरिक लेखापरीक्षा एवं समय-समय पर प्रभावी निरीक्षण के माध्यम से स्थापित किया जाता है।

बकाया प्रकरणों की समय-समय पर समीक्षा तथा उच्च अधिकारियों द्वारा निगरानी में कमी के साथ-साथ अन्तर्राज्यीय वसूलियों के लिये अन्य राज्यों के अधिकारियों, बी.आई.एफ.आर., शासकीय समापक तथा निर्धारण अधिकारी एवं भू-राजस्व अधिकारियों के साथ समन्वय की कमी आदि, कमियां पायी गई जिन कारणों से बकाया की वसूली नहीं की जा सकी। जैसा कि इन्हें पूर्व के कुछ पैराग्राफों में ध्यान में लाया गया है। आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली में पाई गई अन्य कमियों की चर्चा आगे की गई है:

2.9.23.1 आन्तरिक लेखापरीक्षा

आन्तरिक लेखापरीक्षा मैन्युअल के पैरा 19 (अध्याय-3) के अनुसार आन्तरिक लेखापरीक्षा द्वारा ₹ एक करोड़ से अधिक की बकाया मांग के सभी प्रकरणों की लेखापरीक्षा की जानी आवश्यक है, ताकि बकाया की वसूली हेतु किये गये प्रयासों में कमियों का पता लगाने तथा चूकवाले प्रकरणों में सम्बन्धित अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जा सके।

चयनित वृत्तों के आन्तरिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की संवीक्षा में पाया (अप्रेल 2012 से मई 2013) कि इन चयनित वृत्तों में राजस्व के बकाया की वसूली के सम्बन्ध में कोई आक्षेप नहीं बनाया गया था, जिसके फलस्वरूप, विभाग द्वारा प्रणाली में कमियों की पहचान नहीं की जा सकी तथा उनकी रोक के लिये वांछित उपाय नहीं किये जा सके।

विभाग ने प्रत्युत्तर दिया (अक्टूबर 2013) कि आन्तरिक लेखापरीक्षा अनुभाग को बकाया की वसूली तथा इस सम्बन्ध में जिम्मेदारी तय करने के लिये पृथक से निर्देश जारी किये जा चुके हैं।

2.9.23.2 व्यवहारियों की अतिरिक्त जमानत राशि संशोधित नहीं करना

राजस्थान वैट अधिनियम की धारा 15 में प्रावधान है कि व्यवहारी द्वारा कर की राशि या अन्य देय राशि को यथासमय जमा कराने के लिये, निर्धारण अधिकारी उससे आरम्भिक जमानत या ऐसी अतिरिक्त जमानत जो आवश्यक समझे, प्रस्तुत करने को कहेगा। इसके अलावा, पूर्व में पंजीकृत व्यवहारियों की जमानत राशि निर्धारण अधिकारी द्वारा कारणों को अभिलिखित कर बढ़ायी जा सकेगी और ऐसी जमानत तत्काल पूर्ववर्ती वर्ष की कर देयता के 25 प्रतिशत तक होगी तथा वे व्यवहारी जो कि चालू वर्ष में ही पंजीकृत हुए हों, के प्रकरण में तत्काल पूर्ववर्ती महीनों या तिमाही, जैसी भी स्थिति हो, की अधिकतम कर देयता के 25 प्रतिशत तक हो सकेगी।

यह पाया गया (जुलाई 2013) कि किसी भी चयनित वृत्तों में निर्धारण अधिकारी द्वारा पूर्व में पंजीकृत व्यवहारियों की जमानत राशि तत्काल पूर्ववर्ती वर्ष की कर देयता के 25 प्रतिशत तक तथा ऐसे व्यवहारियों, जो चालू वर्ष में ही पंजीकृत हुए हों, उनके प्रकरण में तत्काल पूर्ववर्ती महीनों या तिमाही, जैसी भी स्थिति हो, की अधिकतम कर देयता के 25 प्रतिशत तक जमानत राशि जमा कराने की मांग नहीं की गई। उचित जमानत राशि के अभाव में व्यवहारियों के चूक करने पर निर्धारण अधिकारी बकाया की वसूली करने की स्थिति में नहीं होते हैं।

यह भी देखा गया कि आयुक्त वाणिज्यिक कर द्वारा निर्देश जारी (जुलाई 2007) कर यथासमय कर का भुगतान नहीं करने वाले चूककर्ता व्यवहारियों की जमानत राशि बढ़ाने को कहा गया था लेकिन निर्धारण अधिकारी द्वारा इसकी पालना नहीं

की गई तथा वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा इसके क्रियान्वयन पर कोई निगरानी नहीं रखी गई।

विभाग ने प्रत्युत्तर में कहा (अक्टूबर 2013) कि जमानत राशि को आवश्यकतानुसार समय-समय पर संशोधित किया जाता है। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि निष्पादन लेखापरीक्षा के दौरान ऐसा कोई प्रकरण ध्यान में नहीं आया।

2.9.24 अभिलेखों का प्रस्तुत नहीं किया जाना

व्यवहारियों द्वारा प्रस्तुत विवरणियाँ, निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित निर्धारण आदेश, व्यवहारी को जारी सूचना पत्रों एवं अन्य पत्राचारों की प्रतियों को प्रत्येक व्यवहारी के लिये प्रत्येक वर्ष की कर निर्धारण पत्रावली में रखा जाता है। जिन प्रकरणों में राजस्व की बकाया हो, उनमें अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत वसूली प्रक्रिया इन पत्रावलियों के आधार पर ही प्रारंभ की जाती हैं।

12 वृत्तों[8] के अभिलेखों की समीक्षा के दौरान वर्ष 1969 से 2010 में 566 प्रकरणों से सम्बन्धित वसूली अभिलेखों को लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किये गये।

वसूली अभिलेखों की अनुपलब्धता से बकाया की वसूली के प्रकरणों के अनुसरण पर तथा ₹ 25.96 करोड़ की वसूली पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

समापन सभा के दौरान आयुक्त वाणिज्यिक कर ने सहमति जताई कि विभाग में अभिलेखों का रख-रखाव कमजोर है तथा बताया कि अब अभिलेखों को उचित रूप से रखने के लिये प्रयास किये जा रहे हैं।

2.9.25 निष्कर्ष

'वाणिज्यिक कर विभाग में बकाया की वसूली' पर निष्पादन लेखापरीक्षा में कई कमियों का पता चला, जिससे बकाया की वसूली पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा था। विभाग में वसूली की प्रगति पर निगरानी के लिये नियंत्रण पंजिका निर्धारित नहीं की गई। इसके अतिरिक्त, वसूली की कार्यवाही प्रारंभ करने की कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गयी। पंजीयन प्रमाण-पत्र जारी करते समय हैसियत प्रमाण-पत्र एवं जमानतियों की जाँच नहीं की गयी थी। सम्पत्ति के कुर्की करने तथा उसकी नीलामी में हुए असामान्य विलम्ब के फलस्वरूप जिन व्यवहारियों के विरूद्ध भारी मांग बकाया थी, वे व्यवसाय बन्द करके गायब हो जाते थे। विभाग के अधिकारियों द्वारा पुरानी बकाया की वसूली के अनुसरण में शिथिलता बरतने के फलस्वरूप पुरानी मांग वर्षो तक बकाया रही, यद्यपि ऐसे व्यवहारियों द्वारा चालू मांग का नियमित भुगतान किया जा रहा था। भू-राजस्व अधिनियम, 1956 तथा राजस्व वसूली अधिनियम, 1890 के अन्तर्गत कार्यवाही प्रभावकारी नहीं थी एवं

[8] वृत्तः बी-भरतपुर, बी-भिवाड़ी, ए-जयपुर, बी-जयपुर, ई-जयपुर, विशेष द्वितीय-जोधपुर, बी-कोटा, मकराना, राजसमन्द, सिरोही, बी-उदयपुर तथा प्रतिकरापवंचन-II राजस्थान, जयपुर।

आई.टी.सी., चैक पोस्टों पर जमा कर या चालान से जमा कर का सत्यापन नहीं किये जाने से एवं घोषणा पत्रों को प्रस्तुत नहीं करने के कारण बकाया राशि संचित होती जा रही थी। विभाग द्वारा उच्च न्यायालय/शासकीय समापक/ऋण वसूली अधिकरण तथा अन्य प्राधिकारियों के मामलों का उचित अनुसरण नहीं करने के परिणामस्वरूप काफी राजस्व मुकदमेबाजी में अवरूद्ध था। जमानत राशि में संशोधन नहीं करना तथा आन्तरिक नियंत्रण तथा आन्तरिक लेखापरीक्षा पद्धति में कमियां भी बकाया की वसूली के सम्बन्ध में विभाग की कुशलता को प्रभावित कर रही थी।

2.9.26 सिफारिशें

सरकार को विचार करना चाहिये कि:

- **निर्धारण प्राधिकारियों हेतु बकाया की वसूली के लिये लक्ष्य निर्धारित किये जावें;**
- **राजस्व की बकाया वसूली पर उचित अनुसरण एवं आयुक्त वाणिज्यिक कर द्वारा प्रत्येक माह की स्थिति पर निगरानी रखने के लिये नियंत्रण पंजिका निर्धारित की जावें;**
- **चूककर्ता व्यवहारियों की सम्पत्ति की नीलामी नहीं कर पाने के कारणों का पता लगाया जावें;**
- **व्यवहारियों द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली विवरणियों, जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा समय पर मांग पत्र जारी किये जाने तथा कनिष्ठ वाणिज्यिक कर अधिकारी द्वारा व्यवहारी के व्यवसाय की स्थिति की प्रस्तुत रिपोर्ट आदि पर गहन निगरानी रखने को सुनिश्चित किया जावें;**
- **विभाग द्वारा एक ऐसी व्यवहारिक तथा समयबद्ध निगरानी प्रणाली को विकसित की जावें जिसमें जिले के कलेक्टर द्वारा समय पर आर.आर.सी. जारी किया जाना तथा अन्य राज्यों के कलेक्टरों से नियमित समन्वय रखा जाना शामिल हो;**
- **व्यवहारियों से उनकी बकाया की शीघ्र वसूली के हित में घोषणा पत्रों को प्रस्तुत किये जाने हेतु बार-बार समय में बढ़ोतरी प्रदान करने की परिपाटी की समीक्षा की जावें; तथा**
- **भारी राजस्व ₹ 4,838.04 करोड़ के प्रकरणों की जांच किये जाने के सन्दर्भ में आन्तरिक लेखापरीक्षा अनुभाग द्वारा बकाया के मामलों के विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित किये जावें।**

2.10 लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ

वाणिज्यिक कर विभाग में वैट के कर निर्धारण अभिलेखों की मापक जांच में अधिनियमों/नियमों की अनुपालना नहीं करने, कर/ब्याज का अनारोपण/कम आरोपण, कर की गलत संगणना के अनेक प्रकरण ज्ञात हुये। इनमें से कुछ कमियां लेखापरीक्षा द्वारा पिछले वर्षों में भी दर्शायी गई थी, लेकिन न केवल अनियमिततायें विद्यमान हैं बल्कि लेखापरीक्षा किये जाने तक इनका पता नहीं लगा। सरकार को आन्तरिक लेखापरीक्षा सुदृढ़ करने सहित आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली को सुधारने की आवश्यकता है, जिससे इस प्रकार के प्रकरणों की पुनरावृत्ति से बचा जा सके।

2.11 अधिनियमों/नियमों एवं अधिसूचनाओं के प्रावधानों की अनुपालना नहीं करना

राजस्थान वैट अधिनियम, राजस्थान स्थानीय क्षेत्रों में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, नियमों एवं अधिसूचनाओं में निम्नानुसार प्रावधान है:

(क) करयोग्य टर्नओवर पर निर्धारित दरों से कर का आरोपण,

(ख) प्रवेश कर का आरोपण;

(ग) रिवर्स कर का आरोपण;

(घ) शास्ति एवं ब्याज का आरोपण; तथा

(ङ) सब्सिडी प्रदान करना।

अभिलेखों की मापक जांच के दौरान लेखापरीक्षा में पाया गया कि निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा कर/ब्याज का अनारोपण/कम आरोपण/कम वसूली से सम्बन्धित अनुच्छेद 2.12 से 2.17 तक वर्णित मामलों में सम्बन्धित प्रावधानों का ध्यान नहीं रखा गया।

2.12 'डी-ऑयल्ड राइस ब्रान' पर कर का अनारोपण

राजस्थान वैट अधिनियम, 2003 की धारा 4 के अनुसार, एक व्यवहारी द्वारा देय कर, माल के करयोग्य टर्नओवर पर, अनुसूची III से VI में प्रत्येक वस्तु के सामने दर्शित दर के अनुसार होगा। अधिनियम की अनुसूची IV की प्रविष्टि क्रमांक 64 के अनुसार 'डी-ऑयल्ड राइस ब्रान' चार प्रतिशत की दर से करयोग्य है। राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 8 जुलाई 2009 के द्वारा 'डी-ऑयल्ड राइस ब्रान' की बिक्री को दिनांक 8 जुलाई 2009 से कर मुक्त किया गया। राजस्थान वैट अधिनियम की धारा 55 के अनुसार कर के भुगतान में विलम्ब की दशा में ब्याज आरोपणीय है।

वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त-डी, जयपुर के अभिलेखों की मापक जांच में पाया (सितम्बर 2012) कि एक व्यवहारी (मैसर्स जगदीश ट्रेडर्स, जयपुर) ने वर्ष 2007-08 और 2008-09 के दौरान ₹ 2.08 करोड़ के 'डी-आयल्ड राइस ब्रान' का विक्रय, कर मुक्त माल के रूप में किया गया। निर्धारण अधिकारी द्वारा व्यवहारी के निर्धारण को अन्तिम रूप देते समय (नवम्बर 2009 और जुलाई 2010) उक्त माल की बिक्री को कर मुक्त मानते हुये करारोपण नहीं किया गया। इस प्रकार 'डी-आयल्ड राइस ब्रान' के विक्रय को कर मुक्त वस्तु के रूप में गलत वर्गीकरण के परिणामस्वरूप कर ₹ 8.31 लाख एवं ब्याज ₹ 3.93 लाख का अनारोपण हुआ, जिसका विवरण निम्न प्रकार है:

(₹ लाख में)

वर्ष	माल का मूल्य	चार प्रतिशत की दर से आरोपणीय कर	आरोपणीय ब्याज (मार्च 2012 तक)
2007-08	90.94	3.64	1.97
2008-09	116.89	4.67	1.96
योग	**207.83**	**8.31**	**3.93**

चूक को विभाग के ध्यान में लाया गया (अक्टूबर 2012) और सरकार को सूचित किया गया (अप्रेल 2013)। सरकार ने सूचित किया (नवम्बर 2013) कि ब्याज सहित ₹ 11.47 लाख की मांग कायम कर दी गई। यद्यपि, व्यवहारी के अभ्यावेदन पर उपायुक्त (अपील) जयपुर द्वारा ₹ 9 लाख पर स्थगन दिया गया एवं वर्ष 2007-08 और 2008-09 के ₹ 2.47 लाख की वसूली के आदेश दिये। व्यवहारी ने ₹ 2.47 लाख जमा करा दिये। शेष वसूली की रिपोर्ट प्रतीक्षित है (फरवरी 2014)।

2.13 रिवर्स कर का अनारोपण

राजस्थान वैट अधिनियम, 2003 की धारा 18(4) के तहत राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना दिनांक 31 मार्च 2006 जारी कर व्यवहारी को राज्य में क्रय किये गये माल पर चार प्रतिशत से अधिक भुगतान किये गये आई.टी.सी का लाभ दिया गया, यदि उक्त माल विनिर्माण में कच्चे माल के रूप में उपयोग में लिया गया हो तथा ऐसे निर्मित माल का राज्य के बाहर शाखा स्थानान्तरण किया गया हो। किसी मामलें में आई.टी.सी. गलत लेने पर रिवर्स कर का आरोपण किया जायेगा।

2.13.1 वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त-बी, भरतपुर के निर्धारण अभिलेखों की मापक जांच (सितम्बर 2011) में पाया कि दो व्यवहारियों ने राज्य के बाहर शाखा स्थानान्तरण द्वारा माल भेजा और राज्य के भीतर क्रय किये गये कच्चे माल पर आई.टी.सी. का दावा किया। व्यवहारियों के वर्ष 2008-09 के निर्धारणों को अन्तिम रूप (सितम्बर और दिसम्बर 2010) देते समय निर्धारण अधिकारी ने राज्य के भीतर से क्रय किये गये माल पर चार प्रतिशत तक आई.टी.सी. को रिवर्स नहीं किया। इसके परिणामस्वरूप रिवर्स कर ₹ 7.92 लाख एवं ब्याज ₹ 3.32 लाख का अनारोपण हुआ, जो निम्नानुसार है:

(₹ लाख में)

व्यवहारी का नाम	प्रेषण की गई वस्तु का नाम	कुल बिक्री मे प्रेषण किये गये माल का प्रतिशत	चार प्रतिशत की दर से दावा की गई आई.टी.सी. की राशि	आनुपातिक आधार पर रिवर्स नहीं की गई आई.टी.सी. की राशि	ब्याज (मार्च 2012 तक)
मैसर्स गोवर्धन ऑयल मिल्स, भरतपुर	सरसों का तेल	3.54	182.51	6.46	2.71
मैसर्स बंसल इण्डस्ट्रीज, भरतपुर	सरसों का तेल	8.54	17.04	1.46	0.61
योग				7.92	3.32

चूक को विभाग के ध्यान में लाया गया (सितम्बर 2011) और सरकार को सूचित किया गया (दिसम्बर 2011)। सरकार ने सूचित किया (अगस्त 2013) कि जुलाई 2013 में कर ₹ 7.92 लाख एवं ब्याज ₹ 2.69 लाख की मांग कायम कर दी गई। सरकार ने आगे सूचित किया (नवम्बर 2013) कि व्यवहारियों को नोटिस जारी करने के बाद भी मांग जमा नहीं करायी; इसलिए बैंक खाते पर रोक लगाने की कार्यवाही शुरू कर दी गई है।

राजस्थान वैट अधिनियम, 2003 की धारा 18(1) के अनुसार पंजीकृत व्यवहारी उक्त उप धारा में बताये गये प्रयोजन हेतु राज्य के भीतर पंजीकृत व्यवहारियों से क्रय किये गये करयोग्य माल पर आई.टी.सी. ले सकेगा। यदि क्रय किये गये माल का आंशिक उपयोग, उप धारा में विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिये तथा आंशिक उपयोग अन्यथा किया गया हो तो आई.टी.सी. आनुपातिक आधार पर देय होगी।
किसी भी कर योग्य माल को राज्य के भीतर क्रय करके कच्चे माल के रूप में कर मुक्त माल के निर्माण में प्रयोग करने की दशा में आई.टी.सी. का लाभ देय नहीं होगा।
इसके अतिरिक्त, राजस्थान वैट अधिनियम, 2003 की धारा 2(33) के अनुसार आई.टी.सी. का वह भाग जो धारा 18 के प्रावधानों के विरूद्ध है, को रिवर्स करना होगा।

2.13.2 वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त-ए, भीलवाड़ा के निर्धारण अभिलेखों की मापक जांच में पाया (जुलाई 2012) कि एक व्यवहारी (मैसर्स भारतीय स्पिनर्स लि., गंगापुर, भीलवाड़ा) ने करयोग्य एवं कर मुक्त माल के निर्माण में कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करने हेतु क्रय किये गये कर योग्य माल पर आई. टी.सी. का दावा किया। व्यवहारी ने आनुपातिक आधार पर वर्ष 2008-09 के लिये ₹ 4.11 लाख एवं वर्ष 2009-10 के लिये ₹ 1.17 लाख की आई.टी.सी. रिवर्स नहीं की। व्यवहारी के वर्ष 2008-09 एवं वर्ष 2009-10 के निर्धारणों को अन्तिम रूप (जनवरी और दिसम्बर 2011) देते समय निर्धारण अधिकारी ने राजस्थान वैट अधिनियम, 2003 के प्रावधानों के अनुसार कर मुक्त माल के निर्माण में उपयोग में लिये गये कच्चे माल से सम्बन्धित आई.टी.सी. को रिवर्स नहीं किया। इसके परिणामस्वरूप रिवर्स कर ₹ 5.28 लाख एवं ब्याज ₹ 2.07 लाख (मार्च 2012 तक) का अनारोपण हुआ।

चूक को विभाग के ध्यान में लाया गया (अगस्त 2012) और सरकार को सूचित किया गया (अप्रेल 2013)। सरकार ने सूचित किया (सितम्बर 2013) कि जुलाई 2013 में वर्ष 2008-09 एवं 2009-10 के लिये कर ₹ 6.21 लाख एवं ब्याज ₹ 3.34 लाख की मांग कायम की गई थी। सरकार ने आगे सूचित (नवम्बर 2013) किया कि वर्ष 2008-09 के लिये ₹ 3 लाख एवं वर्ष 2009-10 के लिये ₹ 1.50 लाख की वसूली कर ली गई। शेष वसूली की रिपोर्ट प्रतीक्षित है (फरवरी 2014)।

2.14 अनियमित राहत/छूट स्वीकृत करना

केन्द्रीय बिक्री कर (पंजीयन एवं टर्नओवर) नियम, 1957 के नियम 12(7) के अनुसार प्रपत्र 'सी' या प्रपत्र 'एफ' में घोषणा या प्रपत्र ई-1 में प्रमाण-पत्र, सम्बन्धित अवधि की समाप्ति के तीन माह के भीतर निर्धारित प्राधिकारी को प्रस्तुत किये जाने चाहिये। यदि निर्धारण प्राधिकारी सन्तुष्ट हो कि घोषणा या प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति के पास निर्धारित समय तक प्रस्तुत नहीं करने का पर्याप्त कारण है तो प्राधिकारी ऐसी घोषणा या प्रमाण-पत्र के प्रस्तुत करने की अवधि को बढ़ा सकता है जैसा कि वह प्राधिकारी अनुमत्य करें।

चार वाणिज्यिक कर कार्यालयों[9] के निर्धारण अभिलेखों की मापक जांच में पाया कि नौ व्यवहारियों के निर्धारणों में विलम्ब के कारण बताये बिना घोषणा पत्रों के प्रस्तुत करने पर ₹ 1.43 करोड़ (कर ₹ 1.14 करोड़ एवं ब्याज ₹ 28.65 लाख) की मांग में कमी की गई, जो कि उक्त नियमों के विरूद्ध थी। आगे, यह भी पाया कि पांच प्रकरणों में निर्धारण अधिकारियों[10] ने राजस्थान वैट अधिनियम, 2003 की धारा 33 के अन्तर्गत और चार प्रकरणों में बिना किसी धारा के अंकन किये मांग में राशि ₹ 1.08 करोड़ की कमी कर दी गई। उपरोक्त धारा 33 के अनुसार निर्धारण अधिकारी अभिलेखों में दृष्टव्य त्रुटियों को ही ठीक कर सकता है। उक्त प्रकरणों में धारा 33 के अनुसार निर्धारण अधिकारियों को मांग में कमी करने का अधिकार नहीं है।

चूक को विभाग के ध्यान में लाया गया (अगस्त, सितम्बर 2011 एवं जुलाई 2012) और सरकार को सूचित किया गया (अगस्त 2011, मार्च 2012 एवं मई 2013)। सरकार ने सूचित किया (नवम्बर 2013) कि निर्धारण अधिकारी अपनी सन्तुष्टि के बाद और समय बढ़ा सकता है। सरकार ने अपने तर्क के समर्थन में हैदराबाद एसबेस्टोस सीमेन्ट प्रोडक्शनस लि. (1994) एस.टी.सी. 410 (एस.सी.), ए.आई.आर. 1994 एस.सी. 2364 निर्णय का हवाला भी दिया।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि माननीय उच्चतम न्यायालय ने उक्त न्यायिक निर्णय में बताया है कि इन शक्तियों का उपयोग तभी किया जा सकता है जब व्यवहारी द्वारा प्रथम निर्धारण अधिकारी के समक्ष कर निर्धारण के समय तक घोषणा पत्रों को प्रस्तुत नहीं किये जाने के युक्तियुक्त कारणों को बताया गया हो। उक्त व्यवहारियों के मामलें में निर्धारण अधिकारियों ने घोषणा पत्रों को प्रस्तुत नहीं करने के युक्तियुक्त कारणों और स्वयं के सन्तुष्ट होने का कोई भी आधार अंकित

[9] वाणिज्यिक कर अधिकारी: वृत्त-ई जयपुर; वृत्त: वर्क्स कॉन्ट्रेक्टस् एण्ड लीजिंग टेक्स-I जयपुर; वृत्त: विशेष उदयपुर एवं वृत्त: सीकर।

[10] वाणिज्यिक कर अधिकारी: वृत्त-विशेष उदयपुर।

नहीं किया। इसलिये, विभाग द्वारा नियमों के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जानी चाहिये।

2.15 अनियमित/अधिक सब्सिडी प्रदान करना

निवेशकों को राजस्थान में आकर्षित करने के लिये राज्य सरकार ने अधिसूचना दिनांक 28 जुलाई 2003 द्वारा राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2003 (रिप्स) लागू की। रिप्स के पैरा 7(i)(बी) के अनुसार विस्तार के लिये निवेश करने पर व्यवहारी को अनुदान की अधिकतम सीमा, गत तीन वर्षों में अधिकतम देय कर या जमा कर जो भी अधिक हो (वह आधार वर्ष होगा), से अधिक देय कर या जमा कराये गये बिक्री कर/वैट एवं सी.एस.टी. का 50 प्रतिशत (₹ 200 करोड़ से अधिक निवेश पर 75 प्रतिशत) अनुमत्य है।

राजस्थान वैट अधिनियम, 2003 की धारा 17(1) के अनुसार देय कर की गणना आउट पुट कर, रिवर्स कर एवं क्रय कर को जोड़कर और इसमें से आई.टी.सी. घटाकर की जाती है।

आगे, राजस्थान वैट अधिनियम, 2003 की धारा 18(1) के अनुसार, पंजीकृत व्यवहारियों को, उक्त उप धारा में बताये गये प्रयोजन हेतु राज्य के भीतर पंजीकृत व्यवहारियों से क्रय किये गये कर योग्य माल को उप धारा में दर्शित उद्देश्यों में उपयोग करने पर आई.टी.सी. देय होगी और इन उद्देश्यों में भारतीय क्षेत्र के बाहर निर्यात शामिल है।

रिप्स के लिये दिनांक 10 अक्टूबर 2008 को जारी की गई अधिसूचना में भी स्पष्ट किया गया कि ऐसी इकाईयों के देय कर की राशि की गणना आरोपणीय कर में से आई.टी.सी. की राशि घटाकर की जायेगी। इसके अतिरिक्त, रिप्स के पैरा 10 के अनुसार किसी भी शर्त के उल्लंघन की दशा में सब्सिडी राशि की वसूली, इसकी उपलब्धता की दिनांक से 18 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ वसूल की जाये।

2.15.1 वाणिज्यिक कर अधिकारी, विशेष वृत्त, भीलवाड़ा के अभिलेखों की मापक जांच में पाया (मार्च 2013) कि एक व्यवहारी (मैसर्स संगम इण्डिया लि., भीलवाड़ा) के प्रकरण में निर्यात किये गये माल पर आई.टी.सी. के दावे को गणना में शामिल नहीं करने के कारण देय कर ₹ 15.53 करोड़ के स्थान पर ₹ 17.19 करोड़ की गलत रूप से गणना की गयी। इसके अतिरिक्त, प्रोत्साहन योजना के तहत कर मुक्ति लाभ ₹ 15.29 लाख को अनियमित रूप से देय कर एवं जमा कर की गणना में सम्मिलित किया। निर्धारण अधिकारी द्वारा देय कर की गलत गणना के आधार पर सब्सिडी को अनुमत्य किया गया और परिणामस्वरूप वर्ष 2011-12 की अवधि में अधिकतम सब्सिडी सीमा की गलत गणना की गयी।

देय कर एवं जमा कर की गलत गणना के परिणामस्वरूप ₹ 1.16 करोड़ की सब्सिडी अधिक स्वीकृत की गयी जिस पर ₹ 9.68 लाख के ब्याज (मार्च 2012 तक संगणित) का दायित्व भी बनता है।

चूक को विभाग के ध्यान में लाया गया (अप्रेल 2013) एवं सरकार को सूचित किया गया (मई 2013)। सरकार ने सूचित किया (नवम्बर 2013) कि अगस्त 2013 में ₹ 1.17 करोड़ एवं ₹ 39.88 लाख के ब्याज की मांग कायम की गई। वसूली की प्रगति रिपोर्ट प्रतीक्षित है (फरवरी 2014)।

2.15.2 वाणिज्यिक कर अधिकारी, विशेष वृत्त, भीलवाड़ा के अभिलेखों की मापक जांच में पाया (मार्च 2013) कि एक व्यवहारी (मैसर्स बी.एस.एल. लि., भीलवाड़ा) के प्रकरण में निर्यात किये गये माल की आई.टी.सी. के दावे को गणना में शामिल नहीं करने के कारण देय कर (-) ₹ 44.50 लाख के स्थान पर ₹ 1.27 करोड़ की गलत गणना की गयी। देय कर नकारात्मक होने से व्यवहारी को सब्सिडी अनुमत्य नहीं थी। यद्यपि, निर्धारण अधिकारी द्वारा वर्ष 2011-12 के दौरान देय कर की गलत गणना के आधार पर व्यवहारी को सब्सिडी अनुमत्य की गयी। देय कर एवं जमा कर की गलत गणना किये जाने के परिणामस्वरूप सब्सिडी ₹ 29.78 लाख अधिक स्वीकार की गयी जिस पर ब्याज ₹ 2.40 लाख (मार्च 2012 तक संगणित) बनता है।

चूक को विभाग के ध्यान में लाया गया (अप्रेल 2013) एवं सरकार को सूचित किया गया (मई 2013)। सरकार ने सूचित किया (नवम्बर 2013) कि अगस्त 2013 में ₹ 29.78 लाख एवं ₹ 10 लाख के ब्याज की मांग कायम की गई। वसूली की प्रगति रिपोर्ट प्रतीक्षित है (फरवरी 2014)।

राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना, 2003 (रिप्स) के पैरा 7(i)(ब) के अनुसार विस्तार के लिये ₹ 200 करोड़ निवेश करने पर व्यवहारी को अनुदान की अधिकतम सीमा, गत तीन वर्षों में अधिकतम देय कर या जमा कर जो भी अधिक हो (वह आधार वर्ष होगा) से अधिक देय अथवा जमा कराये गये बिक्री कर/वैट एवं सी.एस.टी. का 75 प्रतिशत अनुमत्य है। रिप्स, 2003 के पैरा 9(ब)(vii) के अनुसार सब्सिडी का भुगतान केवल उसी अवधि के लिये किया जायेगा जिस अवधि का राज्य और/या केन्द्रीय बिक्री कर इकाई द्वारा जमा करा दिया गया हो।

राजस्थान वैट अधिनियम, 2003 की धारा 55 के अनुसार यदि व्यवहारी अधिनियम या नियम या इसके अधीन जारी अधिसूचना के अन्तर्गत समय विशिष्ट में कर भुगतान में विलम्ब करता है तो वह 12 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज के भुगतान के लिये उत्तरदायी होगा।

2.15.3 वाणिज्यिक कर अधिकारी, विशेष वृत्त, उदयपुर के निर्धारण अभिलेखों की मापक जांच में पाया (जनवरी 2013) कि एक व्यवहारी (मैसर्स श्री राजस्थान सिन्टैक्स लि., उदयपुर) को वर्ष 2009-10 देय कर के विरूद्ध रिप्स योजना के अन्तर्गत ₹ 1.24 करोड़ की सब्सिडी स्वीकृत की गई। यद्यपि, व्यवहारी ने कर जमा नहीं कराया था। अत: रिप्स योजना के अन्तर्गत सब्सिडी के लाभ का हकदार नहीं था। आगे, व्यवहारी के निर्धारण को अन्तिम रूप (जनवरी 2012) देते समय वर्ष 2009-10 के कर दायित्व के विरूद्ध सब्सिडी का समायोजन किया गया जो कि सरकारी खाते में 10 से 23 माह के विलम्ब से जमा कराया गया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 1.24 करोड़ की सब्सिडी अनियमित स्वीकृत की गई, साथ ही ₹ 20.29 लाख के ब्याज का भी अनारोपण रहा।

चूक को विभाग के ध्यान में लाया गया (फरवरी 2013) एवं सरकार को सूचित किया गया (अप्रेल 2013)। सरकार ने सूचित किया (नवम्बर 2013) कि अगस्त 2013 में ₹ 19.01 लाख के ब्याज की मांग कायम की गई। यद्यपि, विभाग ने अनियमित स्वीकृत की गई सब्सिडी के वसूली के कोई प्रयास नहीं किये।

2.16 कर का गलत/अधिक आस्थगन

राज्य सरकार ने 23 मई 1987 को 'उद्योगों के लिये बिक्री कर प्रोत्साहन योजना 1987' (योजना) अधिसूचित की, जिसमें औद्योगिक इकाईयों को राज्य में या अन्तर्राज्यीय व्यापार एवं वाणिज्य के दौरान, उनके द्वारा निर्मित माल की बिक्री पर योजना में निर्दिष्ट शर्तों के अधीन कर भुगतान से मुक्ति दी गई। योजना के परिशिष्ट-सी के पैराग्राफ (3) के अनुसार, बिक्री कर मुक्ति की कुल सीमा ₹ 4.00 करोड़ थी।

इसके अतिरिक्त, अधिसूचना दिनांक 31 मार्च 2006 के अनुसार, प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत कर मुक्ति का लाभ प्राप्त करने वाली औद्योगिक इकाई द्वारा देय कर के भुगतान को आस्थगित करने की अनुमति प्रदान की गई। अधिसूचना के पैराग्राफ (1) के अनुसार कर मुक्ति का संचयी लाभ जो पहले ही लिया जा चुका है और जो कर आस्थगन का लाभ दिया जाना है वह पुरानी योजना में स्वीकृत कुल मुक्ति लाभ से अधिक नहीं होगा।

2.16.1 वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त-सी, जयपुर के अभिलेखों की मापक जांच में पाया (जुलाई 2012) कि एक व्यवहारी (मैसर्स रिषभ कम्प्यूट्रोनिक्स लि. जयपुर) जो पूर्व में कर मुक्ति का लाभ ले रहा था, ने अधिसूचना दिनांक 31 मार्च 2006 के अन्तर्गत आस्थगन लाभ का विकल्प दिया। व्यवहारी कुल मिलाकर ₹ 4.00 करोड़ के कर मुक्ति/आस्थगन के लिये पात्र था। यद्यपि, व्यवहारी वर्ष 2007-08 के दौरान ही सीमा को पार कर गया और वर्ष 2008-09 तक ₹ 5.81 करोड़ का अधिक कर आस्थगन लाभ ले लिया, जो कि पूर्व में ही लेखापरीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2011-12 में ध्यान में लाया जा चुका था। निर्धारण अधिकारी द्वारा व्यवहारी के वर्ष 2009-10 के निर्धारण को अंतिम रूप देते समय (फरवरी 2012) पुनः गलती से ₹ 3.65 करोड़ का कर आस्थगन स्वीकृत कर दिया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 3.65 करोड़ का और अधिक कर आस्थगन हुआ जिस पर ब्याज ₹ 1.09 करोड़ (मार्च 2012 तक संगणित) बनता है।

चूक को विभाग के ध्यान में लाया गया (अगस्त 2012) और सरकार को सूचित किया गया (अप्रेल 2013)। सरकार ने सूचित किया (अगस्त 2013) कि अवधि 2007-08 से 2008-09 के लिये ₹ 8.62 करोड़ की मांग कायम कर दी गई और निदेशकों के बैंक खाते जब्त कर लिये गये हैं। यह भी बताया कि व्यवहारी की फैक्ट्री कुर्क करने की कार्यवाही शुरू कर दी है। विभाग ने यह भी सूचित किया (नवम्बर 2013) कि वर्ष 2009-10 के लिये ₹ 5.47 करोड़ की मांग कायम की जा चुकी है। वसूली की रिपोर्ट प्रतीक्षित है (फरवरी 2014)।

अधिसूचना दिनांक 31 मार्च 2006 के अनुसार, उद्योगों के लिये राजस्थान बिक्री कर/केन्द्रीय बिक्री कर मुक्ति योजना 1998 के अन्तर्गत कर मुक्ति का लाभ प्राप्त करने वाली औद्योगिक इकाईयों को देय कर के भुगतान को योजना में वर्णित सीमा तक आस्थगित करने को अनुमति प्रदान की गयी। अधिसूचना के पैरा 6 के अनुसार, बढ़ी हुई अवधि में कर आस्थगन का प्रतिशत ऐसे विस्तार के तत्काल पूर्व के वर्ष में लागू कर आस्थगन प्रतिशत के बराबर होगा।

2.16.2 वाणिज्यिक कर अधिकारी, विशेष वृत्त, उदयपुर के वर्ष 2009-10 के निर्धारण अभिलेखों की मापक जांच में पाया (जनवरी 2013) कि एक व्यवहारी (मैसर्स पीकोक इण्डस्ट्रीज, उदयपुर) जो प्रोत्साहन योजना, 1998 का वर्ष 2001-02 से लाभार्थी था, को अधिसूचना दिनांक 31 मार्च 2006 के अन्तर्गत कर आस्थगन लाभ स्वीकार किया गया। व्यवहारी वर्ष 2009-10 के लिये देय कर के 10 प्रतिशत कर आस्थगन का पात्र था। तथापि, व्यवहारी ने वर्ष के दौरान इसे योजना की बढ़ी हुई अवधि मानते हुए 40 प्रतिशत कर आस्थगन का दावा किया। निर्धारण अधिकारी ने वर्ष 2009-10 के निर्धारण को अंतिम रूप देते समय (जनवरी 2012) अनुमत्य कर आस्थगन ₹ 9.51 लाख के विरूद्ध व्यवहारी द्वारा दावा किये अनुसार 40 प्रतिशत से कर आस्थगन ₹ 38.05 लाख स्वीकार किया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 28.54 लाख का अधिक कर आस्थगन हुआ जिस पर ब्याज ₹ 8.56 लाख (मार्च 2012 तक) आरोपणीय है।

चूक को विभाग के ध्यान में लाया गया (फरवरी 2013) और सरकार को सूचित किया गया (अप्रेल 2013)। सरकार ने सूचित किया (अगस्त 2013) कि अधिसूचना दिनांक 31 मार्च 2006 के अनुसार कर आस्थगन का लाभ 1 अप्रेल 2006 से अधिकतम 5 वर्ष के लिये देय है और 10 प्रतिशत से कर आस्थगन का लाभ सीमित करने का कोई प्रावधान नहीं है। यह भी बताया कि व्यवहारी को अधिसूचना दिनांक 31 मार्च 2006 के पैराग्राफ 6 के अनुसार 40 प्रतिशत से कर आस्थगन लाभ दिया गया है।

विभाग द्वारा प्रस्तुत जवाब अधिसूचना दिनांक 31 मार्च 2006 के प्रावधानों के अनुसार नहीं है। जिसका अर्थ है कि 'पुरानी योजना के अन्तर्गत शेष पात्र अवधि को उस अवधि के बराबर लेकिन अधिकतम पाँच वर्ष तक बढ़ाया जायेगा'। योजना में पूर्व में स्वीकृत अवधि के समाप्त होने के बाद बढ़ी हुई अवधि प्रारम्भ होगी और पैराग्राफ 6 के प्रावधान केवल बढ़ी हुई अवधि के लिए ही लागू होते हैं। इस प्रकरण में, वर्ष 2009-10 मूल स्कीम की शेष अवधि के भीतर है। इसलिये व्यवहारी अधिसूचना के अनुसार योजना के परिशिष्ट-बी में दर्शित केवल 10 प्रतिशत कर आस्थगन का पात्र होगा।

राज्य सरकार ने 'उद्योगों के लिये बिक्री कर आस्थगन योजना 1987' एवं 'उद्योगों के लिये राजस्थान बिक्री कर/केन्द्रीय बिक्री कर आस्थगन योजना 1998' अधिसूचित की। राज्य सरकार ने व्यवहारियों को राज्य में निर्मित माल की राज्य के भीतर/अन्तर्राज्यीय बिक्री के दौरान देय कर भुगतान हेतु आस्थगन अनुमत्य किया। 1 अप्रेल 2006 से राजस्थान वैट अधिनियम, 2003 प्रभावी हुआ। राजस्थान वैट अधिनियम की धारा 17 के अनुसार 'व्यवहारी द्वारा देय कर' से तात्पर्य आरोपणीय आउटपुट कर की राशि में से आई.टी.सी. की राशि कम करना है।

2.16.3 वाणिज्यिक कर अधिकारी, विशेष वृत्त, भीलवाड़ा के अभिलेखों की मापक जांच में पाया (मार्च 2013) कि दो व्यवहारी (मैसर्स मोडर्न वूलन मिल्स, भीलवाड़ा एवं मैसर्स आर.एस.डब्ल्यू.एम. लि., गुलाबपुरा) उद्योगों के लिये बिक्री कर आस्थगन योजना 1987 या उद्योगों के लिये राजस्थान बिक्री कर/केन्द्रीय बिक्री कर आस्थगन योजना, 1998 के अन्तर्गत आस्थगन लाभ ले रहे थे। निर्धारण अधिकारी द्वारा व्यवहारियों के निर्धारणों को अन्तिम रूप देते समय (जनवरी 2012) व्यवहारियों को कुल आउटपुट कर में से आई.टी.सी. को घटाये बिना ही कुल देय कर पर कर का आस्थगन स्वीकार किया गया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 28.36 लाख के कर का अधिक आस्थगन हुआ जिस पर ब्याज ₹ 8.51 लाख (मार्च 2012 तक संगणित) बनता है।

चूक को विभाग के ध्यान में लाया गया (अप्रेल 2013) और सरकार को सूचित किया (मई 2013)। मैसर्स माडर्न वूलन मिल्स, भीलवाड़ा के प्रकरण में सरकार ने सूचित किया (दिसम्बर 2013) कि ₹ 11.64 लाख व ब्याज ₹ 5.43 लाख की मांग कायम की जा चुकी है और वसूली के प्रयास किये जा रहे है। मैसर्स आर.एस.डब्ल्यू.एम. लि. गुलाबपुरा के प्रकरण में सूचित किया कि ₹ 16.84 लाख व ब्याज ₹ 7.86 लाख की मांग कायम की जा चुकी है लेकिन व्यवहारी (मैसर्स आर.एस.डब्ल्यू.एम. लि., गुलाबपुरा) ने अपीलीय अधिकारी से 50 प्रतिशत मांग राशि ₹ 12.35 लाख पर स्थगन प्राप्त कर लिया है। शेष वसूली की रिपोर्ट प्रतीक्षित है (फरवरी 2014)।

2.17 प्रवेश कर का अनारोपण

राजस्थान स्थानीय क्षेत्रों में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1999 की धारा 3(1) के अन्तर्गत जारी अधिसूचना दिनांक 8 मार्च 2006 के अनुसार, राज्य के बाहर से व्यापार में उपयोग या उपभोग या बिक्री के लिये क्रय किये गये माल पर देय प्रवेश कर की दरें राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की गयी है, जो अधिसूचना में दी गई हैं।

दो वाणिज्यिक कर वृत्तों के प्रवेश कर निर्धारण अभिलेखों तथा वैट निर्धारण अभिलेखों की पारस्परिक जांच में पाया गया (सितम्बर 2012 एवं फरवरी 2013) कि तीन व्यवहारियों ने वर्ष 2007-08 से 2009-10 के दौरान ₹ 9.80 करोड़ मूल्य का माल राज्य के बाहर से क्रय किया। निर्धारण अधिकारियों ने व्यवहारियों के प्रवेश कर निर्धारणों को अंतिम रूप देते समय (सितम्बर 2010 से मार्च 2012) प्रवेश कर के आरोपण हेतु उक्त वर्णित क्रय को वैट विवरणियों के साथ संलग्न प्रपत्रों (वैट- 47/वैट ऑडिट रिपोर्ट) में दर्शाये क्रय से मिलान नहीं किया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 21.85 लाख के प्रवेश कर एवं ₹ 8.41 लाख के ब्याज का अनारोपण निम्नानुसार हुआ:

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	वृत्त का नाम	व्यवहारी का नाम	अवधि एवं आदेश की दिनांक	आयातित माल का नाम	प्रवेश कर आरोपित नहीं किये गये माल का मूल्य (प्रवेश कर की दर)	आरोपणीय प्रवेश कर	आरोपणीय ब्याज (मार्च 2012 तक)
1	विशेष भरतपुर	मैसर्स राजस्थान एक्सपलोसिव एण्ड केमिकल्स् लि., धौलपुर	2008-09/ 31.1.11	पेराफीन वेक्स, बिटुमेन, एक्सपलोसिव, इलेक्ट्रिकल आइटमस्	93,04,559 (4 प्रतिशत एवं 3 प्रतिशत)	3,43,892	1,44,434
2		मैसर्स भारत ऐजेन्सीज, भरतपुर	2007-08/ 21.9.10 2008-09/ 29.12.10 2009-10/ 31.1.12	मोटर साईकिल्स एवं उनके पार्टस	1,66,17,921 (1 प्रतिशत) 1,08,92,082 (1 प्रतिशत) 2,93,64,818 (1 प्रतिशत)	1,66,179 1,08,921 2,93,648	89,736 45,747 88,094
3	ए,अजमेर	मैसर्स रामेश्वर बिल्डमेट प्रा. लि., अजमेर	2008-09/ 15.2.11 2009-10/ 14.2.12	ग्लास एवं ग्लास शीटस्	1,88,99,852 (4 प्रतिशत) 1,29,16,544 (4 प्रतिशत)	7,55,994 5,16,661	3,17,517 1,54,998
योग					**9,79,95,776**	**21,85,295**	**8,40,526**

चूक को विभाग के ध्यान में लाया गया (अक्टूबर 2012 से मार्च 2013) और सरकार को सूचित किया गया (अप्रेल 2013)। सरकार ने सूचित किया (अगस्त 2013) कि लेखापरीक्षा आक्षेप के अनुसरण में वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त-ए, अजमेर के निर्धारण अधिकारी ने ₹ 18.98 लाख की मांग ब्याज के साथ कायम कर दी है। यद्यपि, व्यवहारी (मैसर्स रामेश्वर बिल्डमेट प्रा. लि., अजमेर) के अभ्यावेदन पर उपायुक्त (अपील), अजमेर द्वारा व्यवहारी को मांग राशि का 50 प्रतिशत जमा करवाने की शर्त पर शेष राशि के लिये स्थगन दे दिया (मई 2013)। व्यवहारी ने जुलाई 2013 में ₹ 9.50 लाख जमा करा दिये है।

वाणिज्यिक कर अधिकारी, विशेष वृत्त, भरतपुर के प्रकरण में सरकार ने सूचित किया (नवम्बर 2013) कि मैसर्स भारत ऐजेन्सीज, भरतपुर के प्रकरण में ₹ 8.49 लाख एवं मैसर्स राजस्थान एक्सपलोसिव एण्ड केमिकल्स् लि., धौलपुर के प्रकरण में ₹ 2.99 लाख की मांग कायम कर दी है। यद्यपि, लेखापरीक्षा के अनुरोध किये जाने के बावजूद विभाग ने कम मांग कायम किये जाने के कारणों से अवगत नहीं कराया गया। शेष वसूली की रिपोर्ट प्रतीक्षित है (फरवरी 2014)।

अध्याय–III

मोटर वाहनों पर कर

अध्याय-III: मोटर वाहनों पर कर

3.1 कर प्रशासन

परिवहन विभाग, वाहनों के पंजीयन, वाहनों के लिए अनुज्ञापत्र स्वीकृत करने तथा राज्य में संचालित वाहनों पर नियंत्रण की कार्यवाही के लिए उत्तरदायी है। विभाग, चालकों, परिचालकों एवं व्यवसायियों को अनुज्ञापत्र तथा वाहनों के उपयुक्तता (फिटनेस) प्रमाण-पत्र भी जारी करता है। मोटरयान अधिनियम, 1988, केन्द्रीय मोटरयान नियम, 1989, राजस्थान मोटरयान कराधान अधिनियम, 1951, राजस्थान मोटरयान कराधान नियम, 1951 तथा राजस्थान मोटरयान नियम, 1990 के प्रावधानों के अधीन करारोपण तथा कर, फीस एवं शास्ति की वसूली विभाग के अन्य उत्तरदायित्व हैं। विभाग में वाहनों के पंजीयन एवं उपयुक्तता प्रमाण-पत्र, अनुज्ञापत्र स्वीकृत करना, कर, फीस, शास्ति आदि की वसूली से सम्बन्धित कार्य कम्प्यूटराईज्ड कर दिये गये हैं।

परिवहन आयुक्त, परिवहन विभाग में विभागाध्यक्ष होता है। उसकी सहायता के लिए पांच अतिरिक्त परिवहन आयुक्त तथा 13 उपायुक्त होते हैं। सम्पूर्ण राज्य 11 क्षेत्रों में विभाजित है जिनमें प्रादेशिक परिवहन अधिकारी एवं पदेन सदस्य प्रादेशिक परिवहन प्राधिकारी, कार्यालय प्रमुख होते हैं। इसके अलावा 37 वाहन पंजीयन एवं कराधान कार्यालय है जिनमें जिला परिवहन अधिकारी कार्यालय प्रमुख होते हैं।

3.2 प्राप्तियों की प्रवृत्ति

वर्ष 2008-09 से 2012-13 के दौरान मोटर वाहनों पर कर से प्राप्तियों के साथ राज्य की कुल कर प्राप्तियों को निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया है:

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बजट अनुमान	मोटर वाहनों पर कर से वास्तविक प्राप्तियाँ	अन्तर आधिक्य(+)/ कमी (-)	अन्तर की प्रतिशतता	राज्य की कुल कर प्राप्तियाँ	3 का 6 से प्रतिशत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2008-09	1,200.00	1,213.56	(+) 13.56	(+) 1.13	14,943.75	8.12
2009-10	1,300.00	1,372.87	(+) 72.87	(+) 5.61	16,414.27	8.36
2010-11	1,500.00	1,612.25	(+) 112.25	(+) 7.48	20,758.12	7.77
2011-12	1,725.00	1,927.05	(+) 202.05	(+)11.71	25,377.05	7.59
2012-13	2,225.00	2,283.13	(+) 58.13	(+) 2.61	30,502.65	7.48

राज्य की कुल कर प्राप्तियों की तुलना में मोटर वाहनों पर कर से प्राप्तियों की प्रतिशतता में वर्ष 2009-10 को छोड़कर प्रत्येक वर्ष गिरावट रही है। वर्ष 2012-13 में ये प्राप्तियाँ राज्य की कुल कर प्राप्तियाँ का 7.48 प्रतिशत दर्ज की गई।

3.3 राजस्व की बकाया का विश्लेषण

निम्नलिखित तालिका 31 मार्च 2013 को राजस्व की बकाया की स्थिति दर्शाती है:

(₹ करोड़ में)

वर्ष	1 अप्रेल 2012 को कुल बकाया का प्रारम्भिक शेष	वर्ष 2012-13 के दौरान वसूली	31 मार्च 2013 को बकाया वसूली का अन्तिम शेष
2007-08 तक	22.11	1.69	20.42
2008-09	6.01	0.55	5.46
2009-10	3.41	0.46	2.95
2010-11	3.91	0.66	3.25
2011-12	18.97	4.98	13.99
योग	**54.41**	**8.34**	**46.07**

उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि ₹ 20.42 करोड़ की बकाया राशि पांच वर्षो से अधिक समय से बकाया है तथा समय बीतने के साथ उसकी वसूली की सम्भावना कम है।

यह सुझाव है कि सरकार द्वारा निश्चित अवधि में बकाया की वसूली हेतु विभाग को इस सम्बन्ध में कार्यवाही हेतु निर्देश जारी किये जाने चाहिए।

3.4 संग्रहण की लागत

वर्ष 2008-09 से 2012-13 के दौरान राजस्व प्राप्तियों का सकल संग्रहण, संग्रहण पर हुआ व्यय तथा ऐसे व्यय की कुल संग्रहण से प्रतिशतता के साथ इसी अवधि में संग्रहण पर हुए व्यय की सुसंगत अखिल भारतीय औसत प्रतिशतता निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	वर्ष	सकल संग्रहण	राजस्व संग्रहण पर हुआ व्यय	संग्रहण पर व्यय की प्रतिशतता	व्यय की अखिल भारतीय औसत प्रतिशतता
1.	2008-09	1,213.56	29.25	2.41	2.93
2.	2009-10	1,372.87	27.04	1.97	3.07
3.	2010-11	1,612.25	30.82	1.91	3.71
4.	2011-12	1,927.05	40.65	2.11	2.96
5.	2012-13	2,283.00	40.45	1.77	उपलब्ध नहीं

यह देखा गया कि मोटर वाहनों पर कर के संग्रहण पर व्यय की कुल संग्रहण मे प्रतिशतता, अखिल भारतीय औसत प्रतिशतता की तुलना में हमेशा कम रही।

3.5 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का प्रभाव

गत पाँच वर्षो के दौरान (2007-08 से 2011-12) निम्न लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के द्वारा ₹120.52 करोड़ राजस्व के 25 अनुच्छेदों में अनारोपण/कम आरोपण, अवसूली/कम वसूली, कम निर्धारण/राजस्व की हानि, कर की गलत दर लागू करना, कर की गलत गणना आदि के मामले ध्यान में लाये थे। उनमें से विभाग/सरकार ने पूर्ण/अंशत: ₹ 88.68 करोड़ राशि के 21 अनुच्छेद स्वीकार किये तथा अब तक (दिसम्बर 2013) 18 अनुच्छेदों में ₹ 32.64 करोड़ की वसूली की, जैसा कि निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया है:

(₹ करोड़ में)

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	सम्मिलित अनुच्छेद		स्वीकार किये गये अनुच्छेद		वसूली गई राशि	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	अनुच्छेदों की संख्या	राशि
2007-08	9	25.15	8	21.50	8	16.07
2008-09	3	47.75	2	19.98	1	0.79
2009-10	4	15.02	4	14.82	3	6.80
2010-11	5	16.72	5	16.72	4	4.75
2011-12	4	15.88	2	15.66	2	4.23
योग	**25**	**120.52**	**21**	**88.68**	**18**	**32.64**

विभाग द्वारा कुल स्वीकार राशि में से सिर्फ 36.80 प्रतिशत राशि ही वसूल की गई हैं।

सरकार को, लेखापरीक्षा अनुच्छेदों में सन्निहित राशि को प्राथमिकता से वसूल करने हेतु विभाग को निर्देश जारी करने चाहिए विशेषत: ऐसे प्रकरणों, जिन्हें विभाग ने पूर्व में ही स्वीकार कर लिया हो।

3.6 आन्तरिक लेखापरीक्षा समूह की कार्यप्रणाली

वित्तीय सलाहकार, आन्तरिक लेखापरीक्षा समूह का शीर्ष अधिकारी होता है तथा उसकी सहायता एक वरिष्ठ लेखाधिकारी एवं दो लेखाधिकारी करते हैं। विभाग में पाँच आन्तरिक लेखापरीक्षा दल कार्यरत हैं, जिनके प्रभारी सहायक लेखाधिकारी होते है। गत पाँच वर्षों की आन्तरिक लेखापरीक्षा की स्थिति निम्नानुसार थी:

वर्ष	लेखापरीक्षा हेतु बकाया इकाइयाँ	वर्ष के दौरान लेखापरीक्षा हेतु नियत इकाइयाँ	लेखापरीक्षा हेतु कुल नियत इकाइयाँ	वर्ष के दौरान लेखापरीक्षा की गई इकाइयाँ	इकाइयाँ जिनकी लेखापरीक्षा नहीं हुई	कमी प्रतिशत में
2008-09	4	79	83	67	16	19
2009-10	16	79	95	89	6	6
2010-11	6	43	49	49	-	-
2011-12	-	43	43	43	-	-
2012-13	-	43	43	43	-	-

यह पाया गया कि वर्ष 2012-13 के अन्त में अवधि 2012-13 तक के 11,234 अनुच्छेद बकाया थे। आन्तरिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के बकाया अनुच्छेदों का वर्षवार विवरण निम्नानुसार है:

वर्ष	1991-92 से 2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	योग
अनुच्छेद	7,358	585	725	731	832	1,003	**11,234**

आन्तरिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के अवधि 2007-08 तक के 7,358 आक्षेप बकाया थे। इस प्रकार, बड़ी संख्या में बकाया अनुच्छेद इस बात की ओर संकेत करते है कि विभाग को आन्तरिक लेखापरीक्षा द्वारा उठाये गये बकाया आक्षेपों के निस्तारण पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है।

सरकार को, आन्तरिक लेखापरीक्षा समूह द्वारा उठाये गये बकाया अनुच्छेदों के शीघ्र निपटारे के लिए समुचित निर्देश जारी करने चाहिए।

3.7 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 2012-13 के दौरान कुल 44 इकाइयों में से 22 इकाइयों के अभिलेखों की मापक जांच में 5,898 प्रकरणों में ₹ 16.05 करोड़ राशि की अनियमितताओं का पता चला, जो निम्नलिखित श्रेणियों में आती है:

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	श्रेणी	प्रकरणों की संख्या	राशि
1.	कर, शास्ति, ब्याज एवं प्रशमन फीस की अवसूली/कम वसूली	3,716	8.88
2.	मोटर वाहन कर/विशेष पथकर की संगणना न करना/कम करना	2,082	7.14
3.	अन्य अनियमितताएं	100	0.03
योग		**5,898**	**16.05**

विभाग ने 5,680 प्रकरणों में ₹ 7.02 करोड़ के कम निर्धारण एवं अन्य कमियों को स्वीकार किया, जिनमें से ₹ 2.73 करोड़ के 797 प्रकरण वर्ष 2012-13 के दौरान तथा शेष पूर्ववर्ती वर्षों में लेखापरीक्षा के दौरान ध्यान में लाये गये थे। वर्ष 2012-13 के दौरान 2,176 प्रकरणों में ₹ 4.97 करोड़ की राशि वसूल की गई, जिसमें से ₹ 0.68 करोड़ के 238 प्रकरण 2012-13 में तथा शेष ₹ 4.29 करोड़ के 1,938 प्रकरण पूर्ववर्ती वर्षों में ध्यान में लाये गये थे।

कुछ निदर्शी लेखापरीक्षा टिप्पणियां जिनमें ₹ 10.66 करोड़ सन्निहित है, को अनुवर्ती अनुच्छेदों में दर्शाया गया है।

3.8 लेखापरीक्षा टिप्पणियां

परिवहन विभाग में अभिलेखों की मापक जाँच के दौरान कर, फीस एवं शास्ति के अनारोपण के कई प्रकरण हमारे ध्यान में आये। उनमें से कुछ आक्षेप पूर्ववर्ती वर्षो में ध्यान में लाये गये थे, लेकिन ये अनियमितताएं वर्ष प्रति वर्ष न केवल विद्यमान थी, अपितु लेखापरीक्षा करने तक इनका पता नहीं लगा। ये प्रकरण निदर्शी हैं तथा लेखापरीक्षा द्वारा की गयी मापक जाँच पर आधारित हैं। यह पाया गया कि कर, फीस एवं अन्य प्रभारों की वसूली सुनिश्चित करने के लिए पंजीकृत वाहनों के कर खातों के समुचित संधारण के अनुश्रवण हेतु विभाग में कोई कम्प्यूटरीकृत प्रणाली विद्यमान नहीं थी। इसके अलावा वाहनों की संख्या, जिन पर कर देय था लेकिन वसूल नहीं हुआ, को दर्शाने वाली विवरणी निर्धारित नहीं थी। यहाँ पर आन्तरिक लेखापरीक्षा को प्रभावी बनाने सहित आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली को सशक्त करने तथा कर, फीस आदि की वसूली सुनिश्चित करने के लिए सामयिक विवरणियों के माध्यम से निगरानी प्रणाली विकसित करने की आवश्यकता है।

3.9 अधिनियमों/नियमों के प्रावधानों की अनुपालना नहीं करना

राजस्थान मोटरयान कराधान अधिनियम एवं नियमों में प्रावधान है कि:

(क) सभी मोटर वाहनों, जिनका राज्य में उपयोग किया गया है अथवा जो उपयोग हेतु रखे गये हैं, पर कर का आरोपण एवं संग्रहण राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित दरों से किया जावे;

(ख) सभी परिवहन वाहनों पर सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित दरों से एकमुश्त कर का आरोपण हो; तथा

(ग) विशेष पथकर तथा कर पर अधिभार का निर्धारित दर से आरोपण किया जावे।

अभिलेखों की मापक जाँच के दौरान यह ध्यान में आया कि अनुच्छेद 3.9.1 से 3.9.3 में दर्शाये गये प्रकरणों के सम्बन्ध में उपर्युक्त प्रावधानों में से कुछ को विभागीय प्राधिकारियों ने ध्यान में नहीं रखा।

3.9.1 मोटर वाहनों पर कर की वसूली नहीं करना

राजस्थान मोटरयान कराधान अधिनियम, 1951 की धारा 4 और 4-बी तथा इस अधिनियम के अन्तर्गत बनाये गये नियमों के अनुसार सभी मोटर वाहनों, जिनका राज्य में उपयोग किया गया है अथवा जो उपयोग हेतु रखे गये हैं, पर मोटर वाहन कर, विशेष पथ कर का आरोपण एवं संग्रहण राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित दरों से किया जायेगा। इसके अतिरिक्त, दिनांक 9 मार्च 2011 की अधिसूचना के अनुसार 5 प्रतिशत अधिभार कर उन वाहनों पर भी देय है जो एकमुश्त कर का भुगतान नहीं कर रहे है।

19 प्रादेशिक परिवहन कार्यालयों/ जिला परिवहन कार्यालयों के 2009-10 से 2011-12 की अवधि के पंजीयन अभिलेखों, कर खातों एवं सामान्य सूची पंजिकाओं की मापक जांच के दौरान पाया (मई 2012 तथा फरवरी 2013 के मध्य) कि 3,705 वाहनों के सम्बन्ध में इनके स्वामियों द्वारा अप्रेल 2009 तथा मार्च 2012 के मध्य की अवधि के लिए मोटर वाहन कर एवं विशेष पथ कर का भुगतान या तो नही किया गया अथवा कम किया गया। अभिलेखों में इस तरह की कोई टिप्पणी नहीं पायी गई कि उक्त वाहन सड़क पर नहीं चले थे अथवा इनकी देयता अन्य कर निर्धारण अधिकारी को स्थानान्तरित कर दी गई थी। इसके परिणामस्वरूप नीचे दर्शायेनुसार कर व अधिभार राशि ₹ 10.12 करोड़ की अवसूली/कम वसूली रही:

क्र. सं.	वाहनों की श्रेणी	वाहनों की संख्या	कर की अवधि	राशि (₹ करोड़ में)	कार्यालयों का नाम
1.	भार वाहन	1,434	अप्रेल 2009 से मार्च 2012	2.66	प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, अजमेर, अलवर, बीकानेर, चित्तौडगढ, जोधपुर, कोटा एवं उदयपुर; जिला परिवहन कार्यालय, झुन्झुनू, कोटपुतली, पाली, जयपुर (भार वाहन), डीडवाना, सवाईमाधोपुर, बारां, रामगंजमण्डी, करौली, जैसलमेर एवं बाड़मेर।
2.	संविदा वाहन (चालक को छोडकर 13 व्यक्तियों तक की बैठक क्षमता वाले)	1,168	अप्रेल 2009 से मार्च 2012	2.28	प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, अलवर, चित्तौड़गढ़, अजमेर, बीकानेर, उदयपुर, कोटा, जोधपुर एवं पाली; जिला परिवहन कार्यालय, झुन्झुनू, कोटपुतली, सवाईमाधोपुर, बारां, रामगंजमण्डी, करौली, जैसलमेर एवं बाड़मेर।
3.	संविदा वाहन (चालक को छोडकर 13 व्यक्तियों से अधिक की बैठक क्षमता वाले)	121	अप्रेल 2009 से मार्च 2012	1.94	प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, जोधपुर, उदयपुर, कोटा एवं बीकानेर; जिला परिवहन कार्यालय, झुन्झुनू, कोटपुतली, प्रतापगढ़ एवं बाड़मेर।
4.	मंजिली वाहन	86	अप्रेल 2009 से मार्च 2012	0.51	प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, अलवर; जिला परिवहन कार्यालय, झुन्झुनू, डीडवाना, करौली एवं बाड़मेर।

क्र. सं.	वाहनों की श्रेणी	वाहनों की संख्या	कर की अवधि	राशि (₹ करोड़ में)	कार्यालयों का नाम
5.	संलग्नक भार वाहन	400	अप्रेल 2009 से मार्च 2012	1.04	प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, अजमेर, बीकानेर, चित्तौडगढ़, जोधपुर एवं उदयपुर; जिला परिवहन कार्यालय, जयपुर (भार वाहन), कोटपुतली एवं सवाईमाधोपुर।
6.	बिना अनुज्ञा-पत्र के यात्री वाहन	27	अप्रेल 2010 से मार्च 2012	0.26	प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, जोधपुर, बीकानेर; जिला परिवहन कार्यालय, कोटपुतली।
7.	डम्पर/टिप्पर	469	अप्रेल 2009 से मार्च 2012	1.43	प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, अलवर, अजमेर, बीकानेर, उदयपुर, कोटा एवं जोधपुर; जिला परिवहन कार्यालय, झुन्झुनू, कोटपुतली, जयपुर (भार वाहन), डीडवाना, बारां, रामगंजमण्डी, प्रतापगढ़, जैसलमेर एवं बाड़मेर।
योग		3,705		10.12	

प्रकरणों के ध्यान में लाये जाने पर (जून 2012 से मार्च 2013 के मध्य) सरकार ने बताया (सितम्बर 2013) कि 945 वाहनों के सम्बन्ध में ₹ 2.04 करोड़ की वसूली कर ली गई और 18 वाहनों के सम्बन्ध में ₹ 0.13 करोड़, यातायात वाहनों के अन्य राज्यों में पंजीकरण हेतु जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्रों के जारी किये जाने, पंजीकरण प्रमाण-पत्र के निरस्तीकरण एवं एकमुश्त कर जमा कराने आदि के कारण वसूलनीय नहीं थे। बकाया प्रकरणों पर प्रत्युत्तर प्रतीक्षित है (फरवरी 2014)।

3.9.2 एकमुश्त कर की बकाया किस्तों की अवसूली/कम वसूली

राजस्थान मोटरयान कराधान अधिनियम, 1951 की धारा 4-सी तथा उसके अधीन समय-समय पर जारी अधिसूचनाओं के अन्तर्गत सभी परिवहन वाहनों पर एकमुश्त कर का आरोपण राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दरों से किया जायेगा। एकमुश्त कर का सम्पूर्ण भुगतान एक साथ या एक वर्ष की अवधि में समान तीन किश्तों में किया जा सकेगा।

इसके अतिरिक्त, दिनांक 9 मार्च 2011 की अधिसूचना के अनुसार 10 प्रतिशत अधिभार कर उन वाहनों पर भी देय है जिन्होंने एकमुश्त कर भुगतान किया है।

तीन प्रादेशिक परिवहन कार्यालयों, जोधपुर, उदयपुर, पाली व जिला परिवहन कार्यालय, रामगंजमण्डी, के वर्ष 2009-10 से 2011-12 के अभिलेखों की मापक जांच में यह देखा गया (अक्टूबर 2012 और फरवरी 2013) कि 117 परिवहन वाहनों के स्वामियों द्वारा एकमुश्त कर का भुगतान तीन समान किश्तों में करने का विकल्प दिया गया था। यह देखा गया कि उन वाहनों के स्वामियों ने शेष दो या तीसरी किश्त का

भुगतान या तो नहीं किया अथवा कम किया। कराधान अधिकारियों ने देय कर की राशि की वसूली हेतु कोई कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की थी। इसके परिणामस्वरूप एकमुश्त कर की राशि ₹ 49.13 लाख की अवसूली रही।

मामला विभाग और सरकार को दिसम्बर 2012 और सितम्बर 2013 के मध्य ध्यान में लाया गया। सरकार ने बताया कि (अक्टूबर 2013) 37 वाहनों के सम्बन्ध में ₹ 13.68 लाख वसूल किये जा चुके है, जबकि शेष प्रकरणों में वसूली प्रक्रियाधीन है। अग्रिम प्रगति प्रतीक्षित है (फरवरी 2014)।

3.9.3 राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के मंजिली वाहनों के सम्बन्ध में विशेष पथ कर का कम आरोपण

राजस्थान मोटरयान कराधान अधिनियम, 1951 की धारा 4-बी के अधीन जारी अधिसूचना संख्या एफ 6/96/परि./कर/मु./III/7डी दिनांक 1 अगस्त 2007 के अनुसार बेड़ा स्वामी के मंजिली वाहनों पर विशेष पथ कर, बेड़े के समस्त वाहनों (नगरीय सीमा में चलने वाले वाहनों को छोड़कर) जिसका उपयोग मंजिली वाहनों के रूप मे किया जाता है या उपयोग हेतु रखे जाते है की चेचिस की लागत का 2.05 प्रतिशत की दर मे देय होगा। आगे, अधिसूचना दिनांक 9 मार्च 2011 के अनुसार 5 प्रतिशत अधिभार उन वाहनों पर भी देय है जो एकमुश्त कर का भुगतान नहीं कर रहे हैं।

प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, जयपुर के वर्ष 2011-12 अभिलेखों की मापक जांच में (दिसम्बर 2012) यह पाया कि राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के स्वामित्व की 677 मंजिली वाहनों के सम्बन्ध में विशेष पथ कर का आरोपण, संगणना हेतु चेचिस के कम मूल्यांकन के कारण, कम हुआ। इसके अतिरिक्त, 10 मंजिली वाहनों पर विशेष पथ कर नहीं लगाया गया। परिणामस्वरूप विशेष पथ कर ₹ 5.27 लाख[1] की कम वसूली हुई।

मामले को विभाग और सरकार के ध्यान में लाया गया (दिसम्बर 2012 और अक्टूबर 2013); उनके उत्तर प्रतीक्षित रहे (फरवरी 2014)।

1

(₹ लाख में)

क्रम संख्या	मॉडल	लेखापरीक्षानुसार लागत	ली गई लागत	अन्तर	वाहनों की संख्या	अन्तर मूल्य
1	अशोक लिलैण्ड	11.84	11.65	0.19	665	126.35
2	टाटा मॉडल एल.पी.	11.53	11.38	0.15	12	1.80
3	टाटा मॉडल	11.68	-	11.68	10	116.80
कुल लागत						244.95
कर + देय अधिभार = 2.1525 अन्तर राशि का प्रतिशत। इसलिए, विशेष पथ कर = 244.95 लाख × 2.1525 प्रतिशत = राशि ₹ 5.27 लाख।						

अध्याय–IV

भू–राजस्व

अध्याय-IV: भू-राजस्व

4.1 कर प्रशासन

भू-राजस्व का निर्धारण एवं संग्रहण, राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों से शासित होता है। भू-राजस्व में मुख्यत: भूमि का किराया, लीज किराया, प्रीमियम, रूपान्तरण शुल्क तथा सरकारी भूमि के विक्रय की प्राप्तियाँ शामिल होती हैं।

राजस्व विभाग, सरकार के प्रशासनिक विभाग की तरह कार्य करता है तथा यह भू-राजस्व के निर्धारण और संग्रहण से संबंधित सभी मामलों का नियंत्रण करता है। राजस्व अधिकारियों के पर्यवेक्षण और निगरानी के साथ-साथ राजस्व से संबंधित न्यायिक मामलों का समग्र नियंत्रण राजस्व मण्डल के पास है। राजस्व मण्डल की सहायता हेतु जिला स्तर पर 33 कलेक्टर, उपखण्ड स्तर पर 242 उपखण्ड अधिकारी और तहसील स्तर पर 244 तहसीलदार हैं। राजस्थान में भू-अभिलेखों के कम्प्यूटरीकरण के लिए राजस्व मण्डल राज्य स्तरीय क्रियान्वयन प्राधिकरण का भी कार्य करता है।

4.2 राजस्व की प्रवृत्ति

वर्ष 2008-09 से 2012-13 तक की अवधि के लिए बजट अनुमान और विभाग द्वारा प्राप्त वास्तविक राजस्व निम्न प्रकार था:

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बजट अनुमान	वास्तविक प्राप्तियाँ	अन्तर अधिक (+)/ कमी (-)	अन्तर का प्रतिशत	राज्य की कुल कर प्राप्तियाँ	3 का 6 से प्रतिशत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2008-09	145.01	162.52	(+) 17.51	(+) 12.08	14,943.75	1.09
2009-10	160.16	147.66	(-) 12.50	(-) 7.80	16,414.27	0.90
2010-11	185.06	222.17	(+) 37.11	(+) 20.05	20,758.12	1.07
2011-12	196.05	209.01	(+) 12.96	(+) 6.61	25,377.05	0.82
2012-13	233.91	304.55	(+) 70.64	(+) 30.20	30,502.65	1.00

उपरोक्त तालिका इंगित करती है कि बजट अनुमानों और वास्तविक संग्रहणों में अंतर (-) 7.80 प्रतिशत (2009-10) से (+) 30.20 प्रतिशत (2012-13) के मध्य रहा। वर्ष 2009-10 के दौरान राजस्व में गिरावट का मुख्य कारण भूमि की बिक्री तथा नगरीय विकास विभाग से रूपांतरण प्रभारों की कम प्राप्ति रहा। वर्ष 2010-11 तथा 2012-13 के दौरान राजस्व संग्रहण में वृद्धि अनुपयोगी भूमि एवं सरकारी परिसम्पत्तियों की बिक्री से प्राप्ति में वृद्धि तथा अन्य प्राप्तियों में अधिक प्राप्तियाँ होने से हुई।

वर्ष 2012-13 के दौरान राज्य की भू-राजस्व से प्राप्तियाँ कुल कर प्राप्तियों का 1.00 प्रतिशत रहीं जबकि वर्ष 2011-12 में यह 0.82 प्रतिशत थी। इस प्रकार, इस शीर्ष के अन्तर्गत राजस्व के संग्रहण में अनिश्चित प्रवृत्ति देखी गई तथापि राज्य की कुल कर प्राप्तियाँ लगातार वृद्धि दर्शाती हैं।

4.3 राजस्व की बकाया का विश्लेषण

31 मार्च 2013 को राजस्व की बकाया की स्थिति को निम्न तालिका में दर्शाया गया है:

(₹ करोड़ में)

बकाया का वर्ष	1 अप्रेल 2012 को कुल बकाया	वर्ष 2012-13 के दौरान वसूली	31 मार्च 2013 को बकाया वसूलियाँ
2007-08 तक	53.67	1.79	51.88
2008-09	5.28	0.33	4.95
2009-10	5.03	0.84	4.19
2010-11	28.66	6.07	22.59
2011-12	38.61	10.86	27.75
योग	**131.25**	**19.89**	**111.36**

स्रोत: सूचना राजस्व मण्डल, अजमेर द्वारा प्रदत्त।

31 मार्च 2013 को राजस्व की राशि ₹ 111.36 करोड़ बकाया थी, जिसमें से ₹ 51.88 करोड़, जो लगभग 46.59 प्रतिशत होता है, पाँच वर्ष से अधिक समय से बकाया थे।

पुरानी बकाया की वसूली की संभावनाएँ समय व्यतीत होने के साथ क्षीण हो जाती हैं। सरकार को बकाया राजस्व की वसूली, विशेष रूप से वह राशि जो पाँच वर्ष से अधिक समय से बकाया है, के लिये कदम उठाने चाहिये।

4.4 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का प्रभाव

पिछले पाँच वर्षों के दौरान विभिन्न लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में 19 अनुच्छेदों द्वारा राशि ₹ 766.01 करोड़ के राजस्व के अनारोपण/कम आरोपण, अप्राप्ति/कम प्राप्ति, कम निर्धारण/हानि, गलत छूट, कर की गलत दर लगाना, गलत गणना इत्यादि को इंगित किया था। इनमें से, विभाग ने 12 अनुच्छेदों में निहित राशि ₹ 615.57 करोड़ की लेखापरीक्षा आपत्तियाँ स्वीकार की हैं तथा अब तक ₹ 95.65 करोड़ की राशि वसूल की जा चुकी है (दिसम्बर 2013)।

विवरण आगे तालिका में दर्शाया गया है:

(₹ करोड़ में)

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	सम्मिलित अनुच्छेद		स्वीकार्य अनुच्छेद		वसूली	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	अनुच्छेद की संख्या	राशि
2007-08	5	260.68	4	196.05	3	76.64
2008-09	1	1.13	1	1.13	1	1.13
2009-10	3	180.01	3	117.55	2	9.92
2010-11	3	300.37	1	292.42	1	0.72
2011-12	7	23.82	3	8.42	2	7.24
योग	**19**	**766.01**	**12**	**615.57**	**9**	**95.65**

विभाग द्वारा, स्वीकार्य अनुच्छेदों में से मात्र 15.53 प्रतिशत राशि ही वसूल की गयी है। विभाग को लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में बताई गई राशि, विशेष रूप से उन प्रकरणों में, जहाँ राशि उनके द्वारा पहले ही स्वीकार कर ली गई है, की वसूली हेतु तुरन्त कदम उठाने चाहिये।

4.5 आन्तरिक लेखापरीक्षा समूह की कार्यप्रणाली

राजस्व मण्डल के वित्तीय सलाहकार आंतरिक लेखापरीक्षा समूह के प्रमुख होते हैं। आन्तरिक लेखापरीक्षा के 16 दलों ने, जिसमें प्रत्येक में तीन सदस्य थे, वार्षिक आधार पर कार्यालयों की लेखापरीक्षा की थी। अवधि 2008-09 से 2012-13 के दौरान लेखापरीक्षा के लिए बकाया इकाइयों की संख्या, लेखापरीक्षित इकाइयों की वास्तविक संख्या तथा लेखापरीक्षा से शेष रही इकाइयों की संख्या की स्थिति निम्न प्रकार है:

वर्ष	लेखापरीक्षा हेतु बकाया इकाइयाँ	वर्ष के दौरान लेखापरीक्षा के लिए बकाया इकाइयाँ	लेखापरीक्षा के लिए कुल इकाइयाँ	वर्ष के दौरान लेखापरीक्षित इकाइयों की संख्या	लेखापरीक्षा से शेष रही इकाइयों की संख्या	कमी प्रतिशतता में
2008-09	65	570	635	501	134	21
2009-10	134	570	704	532	172	24
2010-11	172	570	742	707	35	5
2011-12	35	624	659	589	70	11
2012-13	70	672	742	670	72	10

स्रोत: सूचना राजस्व मण्डल, अजमेर द्वारा प्रदत्त।

विभाग ने अवगत कराया कि लेखापरीक्षा योग्य इकाइयों की सूची में वर्ष 2011-12 के दौरान नई इकाइयाँ शामिल करने तथा रिक्त पद, अवकाश एवं स्टाफ की अनुपलब्धता के कारण लेखापरीक्षा में इकाइयाँ बकाया रहीं।

यह देखा गया कि वर्ष 2012-13 के अंत में 19,700 अनुच्छेद बकाया थे। आंतरिक लेखापरीक्षा समूह के बकाया अनुच्छेदों का वर्षवार विवरण निम्न प्रकार है:

वर्ष	2007-08 तक	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	योग
अनुच्छेद	9,317	904	1,041	1,508	2,382	4,548	**19,700**

स्रोत: सूचना राजस्व मण्डल, अजमेर द्वारा प्रदत्त

आंतरिक लेखापरीक्षा समूह के अवधि 2007-08 तक के 9,317 अनुच्छेद बकाया थे, समय बीतने के साथ-साथ पुराने प्रकरणों में वसूली के अवसर कम होते जायेंगे। सरकार को आंतरिक लेखापरीक्षा समूह द्वारा उठाये गये बकाया अनुच्छेदों के शीघ्र अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिये कदम उठाने चाहिये।

4.6 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 2012-13 के दौरान भू-राजस्व विभाग की 15 इकाइयों के अभिलेखों की मापक जाँच के दौरान लेखापरीक्षा ने 8,662 प्रकरणों में राशि ₹ 635.50 करोड़ की अवसूली तथा राजस्व की हानि इत्यादि पाई, जो निम्नलिखित श्रेणियों के अन्तर्गत आती है:

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	श्रेणी	प्रकरणों की संख्या	राशि
1.	'राजकीय भूमि पर अतिक्रमण' पर निष्पादन लेखापरीक्षा	1	219.00
2.	केन्द्रीय/राज्य सरकार के विभागों/प्रतिष्ठानों से प्रीमियम और किराए की अवसूली/कम वसूली	2,030	245.67
3.	'खातेदारों' से संपरिवर्तन प्रभारों की अवसूली/कम वसूली	1,040	11.09
4.	नजूल सम्पत्तियों का अनिस्तारण	844	92.45
5.	भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 256 तथा 257/ पी.डी.आर.अधिनियम/राको(आरओडी) अधिनियम[1] के तहत विभिन्न विभागों से प्राप्त वसूली के प्रकरणों का अनिस्तारण	4,498	52.05
6.	अन्य अनियमितताएँ	249	15.24
योग		**8,662**	**635.50**

वर्ष 2012-13 के दौरान, विभाग ने 2,018 प्रकरणों में ₹ 336.96 करोड़ के अवमूल्यांकन तथा अन्य अनियमितताओं को स्वीकार किया, जिनमें से ₹ 24.36 करोड़ के 26 प्रकरण वर्ष 2012-13 में तथा शेष पूर्व के वर्षों में उठाये गये थे। विभाग ने वर्ष 2012-13 के दौरान 714 प्रकरणों में ₹ 33.09 करोड़ वसूल किए जो पूर्व के वर्षों से संबंधित थे।

ड्राफ्ट पैराग्राफ जारी किये जाने के पश्चात् विभाग द्वारा, वर्ष 2012-13 में इंगित किये गये तीन प्रकरणों में, ₹ 9.12 लाख की वसूली की गयी।

'राजकीय भूमि पर अतिक्रमण' पर एक निष्पादन लेखापरीक्षा जिसमें राशि ₹ 219.00 करोड़ सन्निहित है एवं ₹ 9.93 करोड़ के कुछ निदर्शी लेखापरीक्षा आक्षेपों का उल्लेख अनुवर्ती अनुच्छेदों में किया गया है।

[1] पी.डी.आर. अधिनियम- पब्लिक मांग वसूली अधिनियम, 1952 तथा
राको (आर.ओ.डी.) अधिनियम- राजस्थान कृषि क्रेडिट क्रियान्वयन (कठिनाईयों का निवारण) अधिनियम, 1974

4.7 'राजकीय भूमि पर अतिक्रमण' पर निष्पादन लेखा परीक्षा

मुख्य बिन्दु

- राजकीय भूमि के उसी भूखण्ड पर 13 तहसीलो में 4,503 अतिक्रमियों अथवा उनके परिवार के सदस्यों द्वारा कृषि प्रयोजनार्थ वर्ष दर वर्ष लगातार अतिक्रमण किया गया, अतिक्रमित संपूर्ण भूमि का क्षेत्रफल 5,726.77 हैक्टेयर था। इनमें से 1,014 अतिक्रमियों द्वारा एकल रूप में 5 बीघा या अधिक की 1,805.92 हैक्टेयर भूमि जिसका मूल्य ₹ 61.27 करोड़ था, अतिक्रमित की हुई थी।

(अनुच्छेद 4.7.8.1)

- मांगरोल तहसील के 56 प्रकरणों में, वर्ष 2007-08 से 2011-12 की अवधि की शास्ति एवं फसलों की नीलामी राशि ₹ 7.09 लाख की वसूली बकाया थी।

(अनुच्छेद 4.7.9)

- कोटपुतली तहसील के 156 प्रकरणों में, 83.23 हैक्टेयर राजकीय भूमि पर राशि ₹ 27.79 लाख मूल्य की जब्त फसल की नीलामी करने के प्रमाण नहीं पाये गये।

(अनुच्छेद 4.7.9)

- विभाग द्वारा 11,099.97 हैक्टेयर राजकीय भूमि पर अवैध रूप से उगाई गई फसलों की नीलामी के द्वारा राशि ₹ 1.76 करोड़ मात्र वसूल किये गये। न्यूनतम समर्थन मूल्य एवं प्रति हैक्टेयर उत्पादकता के आधार पर फसलों से वसूली योग्य राशि ₹ 24.46 करोड़ आंकलित की गयी।

(अनुच्छेद 4.7.10)

- राजकीय भूमि पर बनाये गये कुओं के नियमित न करने के कारण राशि ₹ 1.68 करोड़ की वसूली नहीं हो सकी।

(अनुच्छेद 4.7.11)

- गंगापुर सिटी तहसील में ₹ 2.12 करोड़ मूल्य की 77.27 हैक्टेयर निष्क्रान्त भूमि लगातार अतिक्रमण के अधीन थी।

(अनुच्छेद 4.7.13.2)

- गलत तथ्यों के आधार पर 128 अतिक्रमियों को ₹ 1.34 करोड़ मूल्य की 49.9 हैक्टेयर अतिक्रमित भूमि का आवंटन ₹ 21.59 लाख के रियायती मूल्य पर किया गया।

(अनुच्छेद 4.7.14)

- बाँसवाडा तहसील में गलत नियम को लागू कर अतिक्रमियों को 8.63 हैक्टेयर राजकीय भूमि के रियायती दरों पर आवटंन करने पर राशि ₹ 34.93 लाख के राजस्व की हानि हुई।

(अनुच्छेद 4.7.14)

- तहसीलदारों द्वारा अतिक्रमियों के विरुद्ध राशि ₹ 1.04 लाख की शास्ति का आरोपण किया गया। इन अतिक्रमियों ने ₹ 160.66 करोड़ मूल्य की बेशकीमती राजकीय भूमि पर आवासीय एवं व्यावसायिक प्रयोजनों हेतु अतिक्रमण कर रखा था।

(अनुच्छेद 4.7.15.1)

- सोजत सिटी तहसील के 209 प्रकरणों में, 111 अतिक्रमियों द्वारा ₹ 3.82 करोड़ मूल्य की 286.57 हैक्टेयर राजकीय भूमि पर वर्ष 1981-82 से मेंहन्दी (हिना) उगाने हेतु अतिक्रमण कर रखा था।

(अनुच्छेद 4.7.15.3)

- भीलवाड़ा तहसील में ₹ 5.96 करोड़ मूल्य की 0.7128 हैक्टेयर राजकीय भूमि पर विभिन्न समुदायों द्वारा अतिक्रमण किया हुआ था लेकिन उन्हें बेदखल करने के लिये कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं की गयी।

(अनुच्छेद 4.7.16)

- चार तहसीलों में 101 प्रकरणों में, राजकीय भूमि औद्योगिक प्रयोजनार्थ अतिक्रमण के अधीन थी तथा ₹ 1.03 करोड़ के स्थान पर ₹ 0.38 लाख शास्ति प्रभारित की गयी।

(अनुच्छेद 4.7.17)

- तीन तहसीलों के 29 प्रकरणों में, अतिक्रमियों द्वारा राजकीय भूमि का खनन प्रयोजनार्थ उपयोग करने पर तहसीलदारों द्वारा ₹ 16.54 करोड़ के स्थान पर राशि ₹ 240 की शास्ति प्रभारित की गयी।

(अनुच्छेद 4.7.18)

- तीन तहसीलों के 49 प्रकरणों में, तहसीलदार द्वारा राजकीय भूमि पर ईंट भट्टा उद्योग की स्थापना के लिये अतिक्रमियों से ₹ 68.38 लाख के स्थान पर ₹ 970 की शास्ति प्रभारित की गयी।

(अनुच्छेद 4.7.19)

4.7.1 प्रस्तावना

राजकीय भूमि का प्रबन्धन राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 एवं इसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों के प्रावधानों के तहत किया जाता है। राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम की धारा 88 के अनुसार समस्त सड़कें इत्यादि एवं भूमियाँ, जो कि किसी की सम्पत्ति नहीं हो, राज्य की सम्पत्ति कहलाती है और कलेक्टर के लिए यह विधिसम्मत है कि वह उनका निस्तारण निर्धारित प्रक्रिया/नियमों के तहत करें। कलेक्टर जिले का प्रधान भूमि अभिलेख अधिकारी होता है। उसकी सहायतार्थ उपखण्ड स्तर पर उपखण्ड अधिकारी एवं तहसील स्तर पर तहसीलदार/नायब तहसीलदार कार्य करते हैं।

भूमि की कमी एवं सीमित उपलब्धता के कारण राज्य सरकार द्वारा इसका कुशलता से उपयोग आवश्यक है। सरकारी भूमि का अनधिकृत अधिभोग और इसकी बेदखली राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91, राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम, 1954 की धारा 22 एवं राजस्थान भू-राजस्व (अतिक्रमियों की बेदखली) नियम, 1975 के तहत निपटाई जाती है। अतिक्रमियों के विरुद्ध अतिक्रमणों के प्रकरणों को, प्रथमत: पटवारी की रिपोर्ट पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 अथवा राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम, 1954 की धारा 22 के अन्तर्गत दर्ज किया जाता है एवं इसके पश्चात् तहसीलदार/नायब तहसीलदार के न्यायालय में अतिक्रमियों को सुनवाई का अवसर देते हुए निर्णित किया जाता है।

सरकारी भूमि पर अतिक्रमणों को मुख्यत: दो श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है यथा कृषि प्रयोजनार्थ एवं अकृषि प्रयोजनार्थ। अकृषि अतिक्रमण मुख्यत: आवासीय एवं व्यावसायिक प्रयोजन हेतु होते है। निष्पादन लेखापरीक्षा में सरकारी भूमि को ही विषय वस्तु बनाया गया है जिसमें ग्राम पंचायत या अन्य स्थानीय निकायों से संबन्धित भूमि शामिल नहीं है।

4.7.2 संगठनात्मक ढाँचा

विभाग की प्रशासनिक शक्तियाँ राजस्थान सरकार के राजस्व विभाग (विभाग) में निहित होती हैं। समस्त राजस्व अधिकारियों और राजस्व न्यायालयों पर सामान्य निरीक्षण एवं नियन्त्रण, राजस्व मण्डल, अजमेर का होता है।

भूमि के प्रबन्धन के लिए राजस्व मण्डल, जिला स्तर पर 33 कलेक्टरों से सहयोग प्राप्त करता है। इसके अतिरिक्त, उपखण्ड स्तर पर 242 उपखण्ड अधिकारी एवं तहसील स्तर पर 244 तहसीलदार, कलेक्टर की सहायतार्थ कार्य करते हैं।

4.7.3 लेखापरीक्षा के उद्देश्य

निष्पादन लेखापरीक्षा निम्न निर्धारण करने के लिये की गयी जिससे:

- राजकीय भूमि पर अतिक्रमणों के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सके;
- राजकीय भूमि पर अतिक्रमणों को रोकने के लिए विद्यमान प्रक्रिया की प्रभावशीलता का आंकलन किया जा सके;
- विभाग द्वारा अतिक्रमियों के विरुद्ध चलायी जा रही बेदखली प्रक्रिया एवं कार्यवाही की समयबद्धता एवं प्रभावकारिता का आंकलन किया जा सके;
- अतिक्रमित भूमि के नियमितीकरण की जाँच; एवं
- अतिक्रमणों की रोकथाम के लिए बनाये गये अधिनियमों अथवा नियमों में कमी की जाँच की जा सके।

4.7.4 लेखापरीक्षा के मानदण्ड

निष्पादन लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षा मानदण्ड का निर्धारण निम्नलिखित अधिनियमों एवं उनके अन्तर्गत जारी नियमों/अधिसूचनाओं के प्रावधानों से लिया गया:

- राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956
- राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम, 1954
- राजस्थान टीनेन्सी अधिनियम, 1955
- राजस्थान इम्पोजीशन ऑफ सिलिंग ऑन एग्रीकल्चरल लैन्ड होल्डिंग एक्ट, 1973

4.7.5 लेखापरीक्षा का क्षेत्र

विस्तृत लेखापरीक्षा हेतु 13 तहसीलों[2] (244 में से) एवं सम्बन्धित उपखण्ड अधिकारियों, कलेक्टरों एवं राजस्व मण्डल, अजमेर के वर्ष 2007-08 से 2011-12 तक के अभिलेखों का चयन किया गया। इकाइयों का चयन प्रोबेबिलिटी प्रोपोर्शन टू साइज विद रिप्लेसमेंट (पी पी एस डब्ल्यू आर) यादृच्छिक चयन पद्धति से किया गया। सितम्बर 2012 एवं जून 2013 के मध्य निष्पादन लेखापरीक्षा करते समय तहसीलों द्वारा संधारित अतिक्रमण एवं उनको हटाने से सम्बन्धित अभिलेखों, उपखण्ड अधिकारियों द्वारा संधारित अतिक्रमण प्रकरणों को नियमितीकरण से सम्बन्धित अभिलेखों एवं कलेक्टरों तथा राजस्व मण्डल द्वारा संधारित अतिक्रमण एवं अन्य सूचनाओं के समेकन से सम्बन्धित अभिलेखों की मापक लेखापरीक्षा की गयी।

[2] आसपुर, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, दांतारामगढ़, गंगापुरसिटी, कामां, कोटपुतली, मांगरोल, नोखा, राजगढ़, चाकसू, सोजतसिटी एवं चौमू।

निष्पादन लेखापरीक्षा उद्देश्यों को स्पष्ट करने के लिए 19 नवम्बर 2012 को एक प्रारम्भिक सभा प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग एवं निबन्धक, राजस्व मण्डल के साथ रखी गयी। तथ्यात्मक विवरण/ड्राफ्ट पैराग्राफ अक्टूबर/दिसम्बर 2013 में सरकार तथा राजस्व मण्डल को अग्रेषित किया गया। समापन सभा प्रमुख शासन सचिव, राजस्व एवं निबन्धक, राजस्व मण्डल के साथ 24 जनवरी 2014 को रखी गयी जहां निष्पादन लेखापरीक्षा के दौरान पायी गयी आपत्तियों पर विचार-विमर्श किया गया। समापन सभा के दौरान एवं अन्य समय पर दिये गये जवाबों को संबन्धित अनुच्छेदों में समुचित टिप्पणी के साथ सम्मिलित किया गया।

4.7.6 आभार

भारतीय लेखा एवं लेखापरीक्षा विभाग, लेखापरीक्षा के लिए आवश्यक सूचना एवं अभिलेखों के उपलब्ध कराने के लिए राजस्व विभाग द्वारा दिये गये सहयोग के प्रति आभार प्रकट करता है।

4.7.7 अतिक्रमणों की प्रवृत्ति

राजस्व मण्डल, अजमेर द्वारा उपलब्ध करवायी गयी सूचना के अनुसार वर्ष 2007-08 से 2011-12 के मध्य अतिक्रमणों तथा उनके निस्तारण की स्थिति नीचे दिये अनुसार थी :

वर्ष	प्रारम्भिक शेष		जुड़े		योग		निस्तारित प्रकरण		अन्तिम शेष	
	प्रकरणों की संख्या	अतिक्रमणाधीन क्षेत्र हैक्टेयर में	वर्ष के दौरान दर्ज प्रकरणों की संख्या	अतिक्रमणाधीन क्षेत्र हैक्टेयर में	प्रकरणों की संख्या	अतिक्रमणाधीन क्षेत्र हैक्टेयर में	प्रकरणों की संख्या	अतिक्रमणाधीन क्षेत्र हैक्टेयर में	प्रकरणों की संख्या	अतिक्रमणाधीन क्षेत्र हैक्टेयर में
2007-08	19,425	22,035	3,08,408	1,66,557	3,27,833	1,88,592	3,00,593	1,63,103	27,240	25,489
2008-09	27,240	25,489	3,07,056	2,74,705	3,34,296	3,00,194	3,05,605	2,65,434	28,691	34,760
2009-10	28,691	34,760	2,59,042	1,63,161	2,87,733	1,97,921	2,59,655	1,70,597	28,078	27,324
2010-11	28,078	27,324	3,21,938	3,15,733	3,50,016	3,43,057	3,11,739	3,03,782	38,277	39,275
2011-12	38,277	39,275	3,55,330	2,86,845	3,93,607	3,26,121	3,55,909	2,80,035	37,698	46,086

जैसा कि उपरोक्त तालिका से प्रकट होता है कि अप्रेल 2007 के प्रारम्भ में अतिक्रमण के 19,425 प्रकरण जिनमें 22,035 हैक्टेयर भूमि निहित थी, बकाया थे जबकि मार्च 2012 के अंत में राजकीय भूमि पर अतिक्रमण के 37,698 प्रकरण बकाया थे जिनमें 46,086 हैक्टेयर भूमि निहित थी। निस्तारण से बकाया प्रकरणों की संख्या 94.07 प्रतिशत बढ़ी जबकि अतिक्रमणाधीन क्षेत्रफल 109.15 प्रतिशत बढ़ा। 2007-08 की तुलना में 2011-12 के दौरान अतिक्रमियों के विरुद्ध दर्ज प्रकरणों के साथ-साथ अतिक्रमित भूमि के क्षेत्रफल में वृद्धि हुई। वर्ष 2007-08 की तुलना में, वर्ष 2011-12 में दर्ज अतिक्रमणों की संख्या में 15.21 प्रतिशत की वृद्धि हुई एवं अतिक्रमित क्षेत्रफल में 72.22 प्रतिशत की वृद्धि हुई। प्रकरणों के निस्तारण

की गति अधिक थी, परन्तु विभिन्न कारणों से अतिक्रमणों से संबन्धित समस्याओं में वृद्धि हुई जैसा कि बाद के अनुच्छेदों में चर्चा की गयी है।

लेखापरीक्षा के निष्कर्ष

अ. कृषि प्रयोजनार्थ अतिक्रमण

4.7.8.1 अतिक्रमियों की बेदखली की प्रभावहीन कार्यवाही के कारण राजकीय भूमि पर बार-बार अतिक्रमण होना

राजस्थान भू-राजस्व (अतिक्रमियों की बेदखली) नियम, 1975 के साथ पठित राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 (1) एवं राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम, 1954 की धारा 22 के अनुसार, कोई भी व्यक्ति जो विधिपूर्ण अधिकार के बिना किसी भूमि को अपने कब्जे में लेता है या अधिभोग रखना जारी रखता है अतिक्रमी समझा जाएगा और तहसीलदार द्वारा शीघ्रता से वहाँ से बेदखल किया जायेगा।

धारा 91(2) के अनुसार ऐसा अतिक्रमी अतिक्रमण के प्रथम कृत्य के लिये प्रत्येक कृषि वर्ष या इसके किसी भाग के लिये जिसमें ऐसा अनधिकृत कब्जा किया गया हो, वार्षिक लगान अथवा कर निर्धारण, जैसा भी मामला हो, के 50 गुणा तक शास्ति के लिये दायी होगा। ऐसे प्रत्येक तत्पश्चात् के अतिक्रमण के कृत्य के लिए तहसीलदार के आदेश से वह तीन माह तक के लिए दीवानी (सिविल) कारावास की सजा के साथ उपरोक्त सीमा तक शास्ति अदायगी के लिये उत्तरदायी होगा।

धारा 91(2) में अन्तर्विष्ट, किसी बात के होने पर भी, धारा 91(6) के अनुसार जो कोई भी विधिपूर्ण प्राधिकार के बिना किसी भूमि को अपने अधिभोग में लेता है या यदि राजस्थान भू-राजस्व (संशोधन) अधिनियम, 1992 के प्रवृत्त होने के पूर्व, उसने ऐसी भूमि को अधिभोग में लिया है तो, तहसीलदार के, उससे ऐसा करने की अपेक्षा करने वाले लिखित नोटिस की तामील की तारीख से 15 दिन के भीतर ऐसा अधिभोग हटाने में विफल रहता है, दोषसिद्धि होने पर, ऐसे सादा कारावास, जो एक माह से कम का नहीं होगा, किन्तु जो तीन वर्ष तक विस्तारित हो सकेगा और ऐसे जुर्माने से, जो बीस हजार रुपये तक का हो सकेगा, दण्डित किया जायेगा।

चयनित तहसीलों के दायरा पंजिकाओं[3], फर्द[4] व अतिक्रमण से सम्बन्धित अन्य

[3] दायरा पंजिका वह पंजिका होती है जिसमें अतिक्रमण के प्रकरणों का विवरण होता है।

[4] फर्द पटवारी द्वारा अतिक्रमण हेतु तैयार की गई प्रकरण पत्रावली है।

अभिलेखों की मापक जाँच के दौरान पाया गया कि एक ही व्यक्ति द्वारा उसी भूमि पर कृषि प्रयोजनार्थ वर्ष दर वर्ष अतिक्रमण किया गया। चयनित 13 तहसीलों[5] के वर्ष 2007-2012 में अतिक्रमण के कुल 94,098 प्रकरणों में से 15,889 प्रकरणों की समीक्षा में पाया गया कि 4,503 अतिक्रमियों अथवा उनके परिवारों के सदस्यों द्वारा कुल 5,726.77 हैक्टेयर राजकीय भूमि के उसी भाग पर वर्ष दर वर्ष कृषि प्रयोजनार्थ लगातार अतिक्रमण किया गया। इन प्रकरणों में से 1,014 अतिक्रमियों द्वारा एकल रूप में पाँच बीघा[6] अथवा उससे अधिक क्षेत्रफल की भूमि पर अतिक्रमण किया गया जिसका कुल क्षेत्रफल 1,805.92 हैक्टेयर तथा जिला स्तरीय समिति की प्रचलित दर से कीमत ₹ 61.27 करोड़ थी। तहसीलों द्वारा अपने अभिलेखों में इन अतिक्रमियों की बेदखली को दिखाया गया। तथापि, उसी भूमि पर उसी व्यक्ति द्वारा बार-बार किया गया अतिक्रमण यह दर्शाता है कि बेदखली प्रभावहीन थी। अतिक्रमियों द्वारा इस सम्बन्ध में नियमों की अवहेलना करते हुए राजकीय भूमि पर वर्ष दर वर्ष अतिक्रमण किया गया।

आगे यह भी देखा गया कि अवधि 2007-12 में 9 तहसीलों[7] में 1,561 प्रकरणों में 403.81 हैक्टेयर राजकीय भूमि जिसकी कीमत ₹ 25.13 करोड़ थी, पर विभिन्न अतिक्रमियों का वर्ष दर वर्ष अतिक्रमण था ।

साथ ही, राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम की धारा 91(2), जिसके अनुसार द्वितीय अथवा तत्पश्चात् अतिक्रमण के मामले में अतिक्रमी को तीन माह तक के सिविल कारावास से दंडित किया जा सकता था तथा धारा 91(6) जिसमें न्यूनतम 1 माह एवं अधिकतम 3 वर्षों के कारावास के साथ ₹ 20,000 तक की शास्ति का प्रावधान है, यदि अतिक्रमी बेदखली के लिये अतिक्रमी को प्राप्त नोटिस की दिनांक से 15 दिनों के भीतर अतिक्रमण नहीं हटाता है, का स्पष्ट उल्लंघन किया गया। तहसीलदारों द्वारा राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम की धारा 91 के तहत सजा के प्रावधानों को लागू नहीं किया गया। परिणामत: 4,503 अतिक्रमियों पर ₹ 9.00 करोड़ तक की शास्ति आरोपित नहीं की गयी।

समापन सभा के दौरान प्रमुख शासन सचिव द्वारा कहा गया कि अतिक्रमणों को राजकीय राजस्व की हानि के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए क्योंकि अतिक्रमी भूमि पर जोत करता है तथा इसे ज्यादा उपजाऊ बनाता है एवं इस प्रकार वह राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में योगदान करता है।

जवाब मान्य नहीं है क्योंकि विधान मण्डल की मंशा राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 में सुस्पष्ट रूप से परिलक्षित होती है तथा

[5] आसपुर, बाँसवाड़ा, भीलवाड़ा, दांतारामगढ़, गंगापुर सिटी, कामां, कोटपुतली, मांगरोल, नोखा, राजगढ़, चाकसू, सोजतसिटी एवं चौमू।

[6] बीघा भूमि के क्षेत्रफल को नापने की इकाई है।

[7] बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, दांतारामगढ़, गंगापुरसिटी, कामां, कोटपुतली, मांगरोल, चाकसू, एवं चौमू।

अधिनियम एवं नियमों में विनिर्दिष्ट कार्यवाही को तुरन्त लागू करना चाहिए अन्यथा सरकार को राजस्व की हानि होगी।

4.7.8.2 प्रकरणों को प्रतिवेदित करने एवं निस्तारण करने में विलम्ब

राजस्व मण्डल के परिपत्र दिनांक 21 मई 1997 के अनुसार, खरीफ एवं रबी फसलों के लिए किये गये अतिक्रमणों की सूचना पटवारी द्वारा आवश्यक रूप से प्रत्येक वर्ष के क्रमशः 15 अगस्त एवं 15 जनवरी तक तहसील कार्यालय में प्रस्तुत कर देनी चाहिए।

खरीफ एवं रबी का मौसम सामान्यतः प्रत्येक वर्ष क्रमशः जुलाई से अक्टूबर तथा नवम्बर से मार्च तक होता है। कृषि हेतु किये गये अतिक्रमणों के मामले में, बेदखली के आदेश अथवा फसल जब्ती के आदेश का कोई महत्व नहीं होगा यदि अतिक्रमी बेदखली से पूर्व अतिक्रमित भूमि का उपयोग संपूर्ण फसली मौसम यानि कि फसल की बुवाई से कटाई और फसल का बाजार में विपणन तक में कर लेता है। मापक जाँच में देखा गया कि पटवारी द्वारा अतिक्रमणों की सूचना देने में 5 से 59 दिवसों तक का विलम्ब हुआ। इसी प्रकार भीलवाड़ा व चौमू तहसीलों के 40 प्रकरणों में पटवारी द्वारा सूचना दिये जाने के पश्चात् बेदखली आदेश जारी करने में 12 से 103 दिवसों की देरी तथा फसल नीलामी के आदेश की दिनांक से वास्तविक नीलामी में 5 से 103 दिवसों के मध्य देरी की गयी थी।

समापन सभा के दौरान प्रमुख शासन सचिव सूचना देने में देरी साथ ही बेदखली आदेश पारित करने में देरी के तथ्य से सहमत थे।

4.7.9 फसलों की नीलामी राशि तथा शास्ति की अवसूली

राजस्व मण्डल के आदेश दिनांक 19 अक्टूबर 1978 एवं परिपत्र दिनांक 16 नवम्बर 1985 के अनुसार, तहसीलदार/नायब तहसीलदार द्वारा बेदखली के आदेश के एक माह के अन्दर शास्ति की मांग कायमी एवं वसूली कर अतिक्रमणों के प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित किया जायेगा। यह देखा गया कि तहसीलदारों द्वारा न केवल बेदखली की कार्यवाही में पर्याप्त विलम्ब किया गया अपितु जब्त फसलों की नीलामी से शीघ्र वसूली को सुनिश्चित करने में भी वे विफल रहे। जैसा कि निम्न अनुच्छेदों में कुछ मामलों में वर्णित किया गया है:

- मांगरोल तहसील के अभिलेखों से विदित हुआ कि 56 प्रकरणों में अवधि 2007-08 से 2011-12 तक की शास्ति एवं नीलामी राशि ₹ 7.09 लाख की अभी तक वसूली नहीं हुई थी जिसमें अवधि 2011-12 के पूर्व से सम्बन्धित राशि ₹ 5.68 लाख सम्मिलित थी।
- मांगरोल तहसील में यह भी देखा गया कि अवधि 2007-12 के 146 प्रकरणों में यद्यपि अतिक्रमित भूमि से अतिक्रमियों की बेदखली एवं फसल

नीलामी के आदेश तहसीलदार द्वारा दिये गये थे, फिर भी जब्त फसल की नीलामी के बाद प्राप्त नीलामी की राशि एवं शास्ति ₹ 5.59 लाख की मांग पंजिका में न तो मांग कायम होना दर्शाया गया न ही वसूली होना बताया गया। नीलामी से प्राप्त राशि का राजकीय खाते में जमा होने का कोई दस्तावेज पत्रावली में नहीं पाया गया।

- कोटपुतली तहसील के अभिलेखों की मापक जाँच में प्रकट हुआ कि वर्ष 2007 से 2009 के मध्य 156 प्रकरणों मे 83.23 हैक्टेयर सरकारी भूमि पर जब्त फसलों की नीलामी एवं विक्रय राशि को राजकीय खाते में जमा कराने का कोई प्रमाण नहीं पाया गया, जिससे राशि ₹ 27.79 लाख की हानि हुई।

समापन सभा के दौरान, प्रमुख शासन सचिव द्वारा बताया गया (24 जनवरी 2014) कि संबन्धित कलेक्टर्स से सभी प्रकरणों में सूचनाएं मंगवाई गयी हैं, जिनके प्राप्ति के बाद विस्तृत जवाब पेश किया जायेगा। तथापि, लेखापरीक्षा को जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया (फरवरी 2014)।

4.7.10 गलत रीति से नीलामी करने के कारण राजस्व हानि

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 एवं राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम, 1954 की धारा 22 में बेदखली एवं शास्ति के साथ-साथ अतिक्रमित भूमि पर उगाई गयी फसल को जब्त कर नीलामी करने का प्रावधान है। फसल जब्तीकरण के बाद, वह फसल सरकार की सम्पत्ति हो जाती है। सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम के नियम 18 व 21(iv) के अनुसार नीलामी के द्वारा फसलों के निस्तारण में आरक्षित मूल्य नीलामी से पूर्व निर्धारित किया जाना चाहिए।

अतिक्रमण से सम्बन्धित 13 तहसीलों[8] के अभिलेखों की समीक्षा के दौरान देखा गया कि जब्त फसलों की नीलामी के समय आरक्षित मूल्य निर्धारित नहीं किया गया एवं उन्हें अतिक्रमियों अथवा अन्य व्यक्तियों को नाममात्र के मूल्य पर नीलाम कर दिया गया। फसलों की नीलामी नाममात्र की कीमतों पर करना तथा अतिक्रमियों की जब्त फसलों की नीलामी में उनकी भागीदारिता पर विचार करने से, सम्पूर्ण नीलामी प्रक्रिया के दूषित होने तथा अतिक्रमियों को अदेय लाभ देने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता।

94,096 प्रकरणों में से 13,639 प्रकरणों की मापक जाँच से यह प्रकट हुआ कि 11,099.97 हैक्टेयर राजकीय भूमि पर गैर कानूनी रूप से उगाई गयी फसलों की नीलामी से विभाग द्वारा ₹ 1.76 करोड़ प्राप्त किये गये। अभिलेखों की जाँच प्रकट

[8] आसपुर, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, दांतारामगढ़, गंगापुरसिटी, कामां, कोटपुतली, मांगरोल, नोखा, राजगढ़, चाकसू, सोजतसिटी एवं चौमू।

करती है कि तहसीलदारों ने कोई आरक्षित मूल्य नियत नहीं किया एवं फसलों को नीलामी की उच्चतम बोली के आधार पर विक्रय कर दिया। कृषि विभाग द्वारा उपलब्ध सूचना के अनुसार विभिन्न फसलों के प्रति हैक्टेयर औसत उत्पादन के आधार पर एवं भारत सरकार द्वारा निर्धारित किये गये न्यूनतम समर्थन मूल्य के अनुसार की गयी गणना से इन फसलों की कीमत ₹ 24.46 करोड़ आती है।

समापन सभा के दौरान, प्रमुख शासन सचिव ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में फसलों की नीलामी बहुत कठिन होती है क्योंकि ग्रामीण एक हो जाते हैं तथा कार्टल बना लेते है और सामान्यत: नीलामी अतिक्रमियों के पक्ष में कम कीमत पर की जाती है। संयुक्त सचिव (राजस्व) ने बताया कि हानि की गणना करने के लिये न्यूनतम समर्थन मूल्य उचित नहीं है क्योंकि अतिक्रमित भूमि, सामान्यत: असिंचित तथा मिट्टी की खराब गुणवत्ता वाली होती है।

जवाब सही नहीं है क्योंकि नियमों में वर्णित है कि आरक्षित मूल्य निर्धारित होना चाहिए तथा चूंकि ऐसा नहीं किया गया जो कि नियमों का उल्लंघन है। आगे, न्यूनतम समर्थन मूल्य का उपयोग फसलों का मूल्य निकालने के लिये केवल सांकेतिक है। इस परिप्रेक्ष्य में यह सुझाया जाता है कि विभाग प्रतिवर्ष फसलों का आरक्षित मूल्य निर्धारित करे ताकि फसलों की नीलामी में पारदर्शिता एवं अधिकतम राजस्व प्राप्ति सुनिश्चित हो सके।

4.7.11 राजकीय भूमि पर निर्मित कुओं के नियमन का अभाव

राजस्थान भू-राजस्व (सिंचाई प्रयोजनार्थ कुआँ खोदने तथा पम्पिंग सैट लगाने के लिए भूमि का आवंटन) नियम, 1979 के नियम 12-अ में अधिसूचना दिनांक 13 अक्टूबर 2009 द्वारा यथा संशोधन के अनुसार, अनाधिवासित सरकारी भूमि अथवा चारागाह भूमि पर यदि किसी व्यक्ति द्वारा कुएँ का निर्माण अथवा पम्पिंग सैट लगाया जाता है तथा राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के अधीन तहसीलदार द्वारा उसके विरुद्ध कार्यवाही प्रारम्भ की जाती है, तो कलेक्टर आवश्यक जाँच करने के पश्चात्, इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि वास्तविक सिंचित अथवा पीने के पानी के प्रयोजनार्थ कुएँ का निर्माण किया गया है अथवा पम्पिंग सैट लगाया गया है और इसका ऐसे व्यक्तियों के हितों पर, जिनकी भूमि समीप में स्थित है, प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है, तो वह ऐसे व्यक्तियों को नियम 7 में दी गयी शर्तों के अधीन भूमि का आवंटन कर सकता है।

नियम 7 के अनुसार, कुआँ खोदने तथा पम्पिंग सैट लगाने के लिए भूमि के 20 वर्षों के लिए आवंटन पर राजस्थान स्टाम्प नियम, 2004 के अन्तर्गत गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा अनुशंसित की गयी प्रचलित दरों पर मूल्य के बराबर, एकमुश्त पट्टा राशि वसूल की जावेगी।

आठ तहसीलों[9] के अवधि 2007-12 से संबन्धित अभिलेखों की मापक जाँच में यह देखा गया कि 324 अतिक्रमियों के विरुद्ध 393 प्रकरण राजकीय भूमि पर कुएँ बनाने पर दर्ज किये गये जिसमें 10.91 हैक्टेयर भूमि सन्निहित थी। तथापि, कलेक्टर अथवा अन्य अधिकृत अधिकारी द्वारा न तो अतिक्रमियों को भूमि का आवंटन किया गया न ही अतिक्रमणों को हटाया गया। इन कुओं का नियमितीकरण न किये जाने के कारण, अतिक्रमियों द्वारा वर्तमान डी.एल.सी. दरों पर ₹ 1.68 करोड़ मूल्य की राजकीय भूमि पर बने कुओं का उपयोग बिना कीमत भुगतान के किया जा रहा था।

समापन सभा के दौरान, प्रमुख शासन सचिव ने बताया कि कुओं के नियमितीकरण के लिये तुरन्त कार्यवाही करने के लिये अधिकारियों को निर्देशित किया जायेगा।

[9] भीलवाड़ा, दांतारामगढ़, गंगापुरसिटी, कोटपुतली, राजगढ़, चाकसू, सोजतसिटी एवं चौमू।

4.7.12 लगान दरों के पुनरीक्षण का अभाव

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 152 में बताये अनुसार विगत 20 वर्षों के दौरान संग्रहित किये गये किराये, 20 वर्षों के दौरान कृषि उत्पादों का प्रचलित औसत मूल्य, भूमि का वर्गीकरण, उगायी गयी फसलों की प्रवृत्ति, भूमि की उत्पादक क्षमता, उगाई गयी फसलों की कीमत एवं फसल उत्पादन में व्यय की गयी राशि को ध्यान में रखकर लगान की दरें निर्धारित करने के लिए बन्दोबस्त प्रक्रिया अपनाई जाती है। राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 175 के अनुसार सभी जिलों में बन्दोबस्त की कालावधि 20 वर्ष है। तथापि, सरकार कुछ निश्चित परिस्थितियों में बन्दोबस्त की कालावधि को बढ़ा या घटा सकती है। राजस्थान टीनेन्सी अधिनियम, 1955 की धारा 108 के अनुसार जब किसी विशिष्ट क्षेत्र या उस क्षेत्र के किसी भाग के लिए किराये की दरें अथवा लगान[10] नियत कर दिया हो तब उसमें अगले बन्दोबस्त होने तक बदलाव नहीं होगा। यद्यपि, कृषि उत्पादों की दरों में अस्थिरता होने पर सरकार इन दरों को बदल सकती है।

अभिलेखों की मापक जाँच से प्रकट हुआ कि किसी भी चयनित तहसील में बन्दोबस्त प्रक्रिया प्रारंभ नहीं करने के कारण 20 वर्षों से अधिक अवधि के पश्चात् भी लगान की दरें संशोधित नहीं की गयी। राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 एवं राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम, 1954 की धारा 22 के अनुसार अतिक्रमी पर वार्षिक किराये अथवा कर निर्धारण यानि कि लगान के 50 गुणा के बराबर शास्ति आरोपणीय होती है। चूंकि लगान दरें वर्षों से स्थिर थी इसलिये शास्ति जिसका निर्धारण लगान के आधार पर करना था, भी अपरिवर्तित रही। इस प्रकार शास्ति नाममात्र की रह गयी और समय के साथ इसने अपना महत्व खो दिया, जैसा कि अनुवर्ती अनुच्छेदों 4.7.14 से 4.7.19 में प्रकट होता है।

राजस्व मण्डल ने अपने जवाब (जनवरी 2014) में सुझाया कि अतिक्रमियों को हतोत्साहित करने के लिये शास्ति को डी.एल.सी. दरों से सम्बद्ध करना चाहिए।

प्रकरण सरकार को प्रतिवेदित किया गया (दिसम्बर 2013)। जवाब अपेक्षित रहा (फरवरी 2014)।

[10] कृषि भूमि के उपयोग हेतु देय किराया लगान है।

4.7.13 राजकीय सम्पत्ति का प्रबन्धन

4.7.13.1 सिवायचक भूमि से सम्बन्धित पंजिका के संधारण का अभाव

राजस्व मण्डल द्वारा जारी किये गये राजस्व लेखा नियमावली, 1972 के अनुच्छेद 24 के अनुसार प्रत्येक फसल वर्ष के प्रारम्भ से सिवायचक[11] भूमि एवं इस भूमि पर यदि कोई प्राकृतिक पैदावार हुई हो, से सम्बन्धित अभिलेखों को रखने के लिए तहसील कार्यालय द्वारा प्रपत्र-14 में पंजिका का संधारण करना होगा। भूमि पर अतिक्रमणों को चिन्हित करने एवं रोकने के लिए भी इस पंजिका का संधारण महत्वपूर्ण था।

चयनित तहसीलों के अभिलेखों की मापक जाँच के दौरान पाया गया कि विभाग द्वारा किसी भी व्यक्ति द्वारा अनधिवासित भूमि एवं उस भूमि पर प्राकृतिक रूप से उगी फसलों की नीलामी के विवरण से सम्बन्धित पंजिकाओं का संधारण नहीं किया गया। इन पंजिकाओं के अभाव में, प्राकृतिक पैदावार का व्यक्तिगत लाभ के लिए उपयोग एवं इस भूमि पर हुए सम्भावित अतिक्रमण से इन्कार नहीं किया जा सकता है।

प्रकरण सरकार को प्रतिवेदित किया गया (दिसम्बर 2013), उनके जवाब प्रतीक्षित हैं (फरवरी 2014)।

4.7.13.2 निष्क्रान्त सम्पत्ति का प्रबन्धन न होना

निष्क्रान्त सम्पत्ति का प्रशासन अधिनियम, 1950 (1950 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 13) के अधीन निष्क्रान्त मुस्लिमों की राज्य में स्थित कृषि भूमियों को निष्क्रान्त सम्पत्ति घोषित किया गया। यद्यपि, 2005 में यह अधिनियम समाप्त कर दिया गया। इस परिप्रेक्ष्य में, राज्य सरकार ने मंत्रालयिक आदेश दिनांक 22 मई 2008 में यह निर्णय लिया कि निष्क्रान्त भूमि जो आवंटित नहीं की गई थी वह राजस्व अभिलेखों में सिवायचक दर्ज की जाएगी और वह भूमि राजस्व विभाग अथवा उपनिवेशन विभाग द्वारा नियमानुसार निस्तारित की जायेगी।

गंगापुर सिटी तहसील के अभिलेखों की मापक जाँच के दौरान पाया गया कि पावटा व महानन्दपुर डोडिया गाँवों की 77.27 हैक्टेयर निष्क्रान्त भूमि, जिसका मूल्य ₹ 2.12 करोड़ था, अतिक्रमण के अधीन थी। अभिलेखों में भूमि के अतिक्रमणाधीन होने की दिनांक उपलब्ध नहीं थी। तहसीलदार द्वारा अतिक्रमणों की बेदखली अथवा नियमन करने के कोई प्रयास करना नहीं पाया गया।

आगे, यह देखा गया कि निष्क्रान्त भूमि के सिवायचक के रूप में राजकीय अभिलेखों में सम्मिलित करने के स्पष्ट आदेशों के बावजूद दो हैक्टेयर भूमि,

[11] सिवायचक भूमि वह सरकारी भूमि है जो कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन के लिये उपलब्ध हो।

जिसकी कीमत ₹ 7.49 लाख थी, तहसीलदार द्वारा राजकीय अभिलेखों में सिवायचक दर्ज नहीं की गयी।

समापन सभा के दौरान, प्रमुख शासन सचिव ने बताया कि निष्क्रान्त भूमि को सिवायचक के रूप में दर्ज कर लिया जायेगा।

4.7.14 अतिक्रमणों का नियमन

राजस्थान भू-राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम, 1970 के नियम 20 के अनुसार, उपखण्ड अधिकारी, भूमि आवंटन सलाहकार समिति (सलाहकार समिति) की सलाह पर अतिक्रमी को उस भूमि से, जो उसने बिना किसी विधिपूर्ण प्राधिकार के कब्जे में ले रखी है, उसे बेदखल नहीं करके वह भूमि उसके पास रहने देगा, यदि वह भूमिहीन कृषक है और ऐसे व्यक्ति को आंवटित भूमि को सम्मिलित करते हुए उसके द्वारा धारित भूमि का कुल क्षेत्रफल चार हैक्टेयर से अधिक नहीं होगा।

राज्य सरकार ने आदेश दिनांक 11 जनवरी 2008 द्वारा अतिक्रमियों, जिनका 1 जनवरी 2000 से निरन्तर अतिक्रमण हो, को चार हैक्टेयर तक भूमि का आवंटन असिंचित क्षेत्र में बिना किसी कीमत के अनुमत्य किया था। सिंचित क्षेत्र की बांसवाड़ा तहसील में, राजस्थान उपनिवेशन (माही परियोजना राजकीय भूमि आवंटन एवं विक्रय) नियम, 1984 के नियम 14क के तहत 6 एकड़ तक भूमि रियायती दरों पर नियमित की जा सकती थी। आगे, पाली में, जो कि एक रेगिस्तानी जिला है, उपखण्ड अधिकारी, नियमों में निर्धारित परन्तु छः हैक्टेयर की कुल सीमा में रहते हुये, अतिक्रमी को 2.5 हैक्टेयर तक अतिरिक्त भूमि धारित करना अनुमत्य कर सकेगा। राजस्थान भू-राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम, 1970 के नियम 20(1) के अनुसार पाली जिले में सामान्य श्रेणी के अतिक्रमी के पक्ष मे 4 हैक्टेयर की निर्धारित सीमा से अधिक अतिक्रमित भूमि का नियमन पास की कृषि भूमि के प्रचलित बाजार दर के 50 प्रतिशत के बराबर प्रभारित कर किया जा सकेगा।

विभाग द्वारा आदेश दिनांक 06 दिसम्बर 2001 द्वारा यह स्पष्ट किया गया कि यदि प्रारम्भ में एक व्यक्ति द्वारा अतिक्रमण किया गया एवं उसके पुत्र इत्यादि द्वारा बाद के वर्षो में अतिक्रमण किया गया तो यह माना जायेगा कि परिवार द्वारा अतिक्रमण किया गया था। आगे, इस प्रकार के अतिक्रमणों को नियमित करते समय भूमि का आवंटन संयुक्त रूप से परिवार के नाम किया जावेगा।

चयनित तहसीलों के अभिलेखों की मापक जाँच में पाया गया कि अवधि 2007-12 के दौरान आठ तहसीलों[12] में कृषि हेतु किये गये अतिक्रमणों का नियमन नहीं हुआ। शेष पाँच तहसीलों में से तीन तहसीलों में पाई गयी कमियाँ नीचे दी गयी है:

- तीन तहसीलों[13] में अवधि 2007-08 से 2011-12 के दौरान अतिक्रमणों के 169 प्रकरणों का नियमन किया गया। अभिलेखों की जाँच से यह प्रकट हुआ कि अतिक्रमियों को किये गये 169 आवंटनों में से 128 अतिक्रमियों को इस आधार पर भूमि का आवंटन किया गया कि इन अतिक्रमियों का विगत 10 वर्षों से निरन्तर अतिक्रमण था। यद्यपि, सम्बन्धित पटवारियों/तहसीलदारों द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों की लेखा परीक्षा जाँच प्रकट करती है कि 83 प्रकरणों में विगत 10 वर्षों से अतिक्रमियों द्वारा लगातार अतिक्रमण होना नहीं पाया गया। शेष 45 प्रकरणों में, दायरा रजिस्टरों की जाँच में प्रकट हुआ कि अतिक्रमियों को प्रत्येक वर्ष तहसीलदार द्वारा बेदखल किया गया। इस कारण से इन 128 प्रकरणों मे वर्ष 2000 से निरन्तर अतिक्रमण नहीं था। 49.9 हैक्टेयर अतिक्रमित भूमि को कम कीमत ₹ 21.59 लाख पर आवंटन किया जाना गलत था क्योंकि यह राज्य सरकार के आदेश दिनांक 11 जनवरी 2008 के विरुद्ध था। डी.एल.सी. दरों के अनुसार भूमि की कीमत ₹ 1.34 करोड़ थी।

प्रकरण सरकार को प्रतिवेदित किया गया (दिसम्बर 2013), जवाब प्रतीक्षित है (फरवरी 2014)।

राजस्थान उपनिवेशन (माही परियोजना राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम, 1984 के नियम 14-ए के अनुसार अतिक्रमी के पक्ष में भूमि का नियमन उनमें निर्दिष्ट प्रक्रिया के अध्यधीन निर्धारित दरों पर किया जा सकेगा। अधिसूचना दिनांक 8 मई 2001 के अनुसार, सामान्य श्रेणी के मामले में डी.एल.सी. दरों का 30 प्रतिशत जबकि विशिष्ट श्रेणी के व्यक्तियों के लिये डी.एल.सी. दरों का 15 प्रतिशत प्रभार्य था।

- बांसवाड़ा तहसील में आवंटन पत्रावलियों की मापक जाँच के दौरान पाया गया कि 8.63 हैक्टेयर राजकीय भूमि जिसकी कीमत ₹ 37.62 लाख थी, का आवटंन 24 अतिक्रमियों को राजस्थान उपनिवेशन (माही परियोजना राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम, 1984 के नियम 14 के तहत रियायती दरों पर किया गया जबकि इन अतिक्रमियों के मामले नियम 14-ए के तहत नियमित किये जाने चाहिए थे। परिणामस्वरूप राजस्व ₹ 34.93 लाख की हानि हुई।

[12] दांतारामगढ़, कामां, कोटपुतली, मांगरोल, नोखा, राजगढ़, चाकसू, चौमू।

[13] भीलवाड़ा, बांसवाड़ा व सोजतसिटी।

- भीलवाड़ा तहसील (ग्राम सौपुरा) में अतिक्रमण के अभिलेखों की मापक जाँच के दौरान यह पाया गया कि एक अतिक्रमी द्वारा 0.76 हैक्टेयर भूमि पर 2009-10 में अतिक्रमण किया गया। अतिक्रमी के विरुद्ध राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91(2) एवं 91(6) के अधीन कार्यवाही करने के स्थान पर उक्त भूमि, जिसकी कीमत ₹ 1.16 लाख थी का आवंटन (21 दिसम्बर 2010) बिना किसी कीमत के सलाहकार समिति की अनुशंसा पर उपखण्ड अधिकारी द्वारा कर दिया गया। बिना कीमत के भूमि दिया जाना गलत था क्योंकि अतिक्रमी द्वारा भूमि गैरकानूनी रूप से कब्जे में ली गयी थी एवं डी.एल.सी. दरों पर भूमि की कीमत वसूल की जानी चाहिए थी। प्रकरण ध्यान में लाये जाने पर उपखण्ड अधिकारी ने प्रत्युत्तर में कहा कि जमीन का आवंटन, अतिक्रमी द्वारा उसकी 0.55 हैक्टेयर भूमि का समर्पण स्कूल के लिये किये जाने के बदले में किया गया। प्रत्युत्तर स्वीकार्य नहीं, क्योंकि भूमि का समर्पण एक अलग प्रकरण है तथा नियमों के अनुसार भूमि के आवंटन के प्रकरण में भूमि की कीमत वसूल की जानी चाहिये थी।

- तहसील सोजतसिटी के अभिलेखों की मापक जाँच के दौरान यह पाया गया कि क्रमशः सरदारसमन्द एवं रायराकलां ग्रामों के दो प्रकरणों में भूमि जिनका माप 1.17 हैक्टेयर एवं 0.52 हैक्टेयर था, अतिक्रमियों के बेटों को इस आधार पर आवंटित (जनवरी 2008) कर दी गयी कि उनके पिताओं द्वारा प्रारम्भ में 2001 से अतिक्रमण किया हुआ था । इसलिये, अतिक्रमित भूमि के नियमन के समय यह परिवारों के संयुक्त नाम से आवंटित की जानी चाहिए थी। यद्यपि, यह देखा गया कि अतिक्रमियों के पिताओं के पास पहले से ही 7.2 हैक्टेयर एवं 4.32 हैक्टेयर भूमि थी जो कि मिलाकर निर्धारित सीमा 6 हैक्टेयर से अधिक थी इसलिये 1.69 हैक्टेयर भूमि का अतिक्रमियों को आवंटन राजस्थान भू-राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन) नियम, 1970 के नियम 20(1) के अनुसार अनियमित था एवं इसके परिणामस्वरूप प्रचलित डी.एल.सी. दरों के अनुसार ₹ 2.33 लाख की हानि हुई।

राजस्व मण्डल ने अपने जवाब (जनवरी 2014) में अतिक्रमियों द्वारा अतिक्रमित भूमि के नियमितीकरण की प्रवृति को हतोत्साहित करने पर अपनी सहमति व्यक्त की।

समापन सभा के दौरान, प्रमुख शासन सचिव ने बताया कि सरकार उन अतिक्रमणों को निरन्तर मानती है, जो फसलों के मौसम में निश्चित समय के लिये वर्ष दर वर्ष किये जाते है।

जवाब स्वीकार्य नहीं है क्योंकि तहसील अभिलेखों में प्रत्येक फसल मौसम के बाद इनकी बेदखली दिखाई जाती थी एवं यह कहना सही नहीं था कि अतिक्रमी का भूमि पर लगातार कब्जा था। यह भी कि बिना उचित एवं पारदर्शी प्रणाली के अतिक्रमणों का ऐसा नियमितीकरण पात्र भूमिहीन किसानों को लाभ पहुँचाने के स्थान पर अतिक्रमणों को प्रोत्साहित करता है।

ब. गैर कृषि प्रयोजनार्थ अतिक्रमण

4.7.15 राजकीय भूमि का आवासीय एवं वाणिज्यिक प्रयोजन हेतु अनधिकृत उपयोग

4.7.15.1 13 तहसीलों[14] के अभिलखों की मापक जाँच के दौरान पाया गया कि 3,398 अतिक्रमियों द्वारा 22,78,622 वर्गमीटर राजकीय भूमि पर अतिक्रमण कर आवासीय तथा वाणिज्यिक संरचनाओं का निर्माण किया गया। यह पाया गया कि सम्बन्धित तहसीलदारों द्वारा अतिक्रमियों के विरुद्ध ₹ 1.04 लाख की शास्ति लगायी गयी जबकि उनके द्वारा ₹ 160.66 करोड़ कीमत की राजकीय भूमि पर अतिक्रमण किया गया था ।

यह भी देखा गया कि राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 में आवासीय एवं वाणिज्यिक प्रयोजनों हेतु राजकीय भूमि पर अतिक्रमण के प्रकरणों में शास्ति निर्धारण के लिए कोई प्रावधान नहीं थे, इसलिये, तहसीलदारों द्वारा कृषि भूमि पर किराये के निर्धारण के आधार पर शास्ति लगायी गयी तथा अतिक्रमियों द्वारा इस प्रकार बहुत ही कम शास्ति का भुगतान किया गया। मकानों एवं दुकानों के रूप में यह स्थायी संरचनाएँ यथावत रही एवं तहसीलदारों तथा पटवारियों द्वारा इनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गयी।

समापन सभा के दौरान, प्रमुख शासन सचिव द्वारा बताया गया कि जनसंख्या में वृद्धि के साथ आबादी भूमि[15] का दवाब बढ़ा है, जिसके कारण व्यक्ति आबादी क्षेत्र के पास राजकीय भूमि पर मकान बना रहे हैं और सरकार आवासीय अतिक्रमणों के नियमन हेतु नियमों में छूट देने पर विचार कर रही है। सरकार द्वारा जब तक आदेशों को जारी नहीं किया जाता, विद्यमान नियम लागू कर अतिक्रमियों की बेदखली की आवश्यकता है।

4.7.15.2 आसपुर तहसील के अभिलेखों की समीक्षा के दौरान पाया गया कि वर्ष 2004 में ग्राम पंचायत, आसपुर द्वारा 270.12 वर्गमीटर राजकीय भूमि (गैर मुमकिन रास्ता) को 49 दुकानदारों को अनियमित रूप से आवंटित किया गया। तहसीलदार द्वारा वर्ष 2004 से 2009 के दौरान अतिक्रमणों को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम की धारा 91 के अनुसार दायरा पंजिका में दर्ज करने के सिवाय उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गयी। वर्ष 2009 के पश्चात् न तो दायरा पंजिका में प्रविष्टियाँ दर्ज की गयी न ही राजकीय भूमि के अतिक्रमियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गयी।

प्रकरण सरकार को प्रतिवेदित किया गया (दिसम्बर 2013), जवाब प्रतीक्षित रहा (फरवरी 2014)।

[14] आसपुर, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, दांतारामगढ़, गंगापुर सिटी, कामां, कोटपुतली, मांगरोल, नोखा, राजगढ़, वाकसू, शोजतसिटी एवं वौमू।

[15] आबादी भूमि से तात्पर्य आवासीय भूमि से है।

4.7.15.3 सोजतसिटी तहसील के अभिलेखों की मापक जाँच के दौरान यह पाया गया कि 209 प्रकरणों में, 111 अतिक्रमियों द्वारा 286.57 हैक्टेयर राजकीय भूमि जिसकी कीमत प्रचलित डी.एल.सी. दरों के अनुसार ₹ 3.82 करोड़ थी, पर 1981-82 से अतिक्रमण कर रखा था । भूमि का उपयोग मेहन्दी[16] (हिना) को उगाने के लिये किया जा रहा था, जो कि एक स्थायी एवं वाणिज्यिक फसल है। यह देखा गया कि अतिक्रमियों के विरुद्ध राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91(2) व (6) के अधीन कार्यवाही करने के स्थान पर, विभाग द्वारा लगान के आधार पर प्रतीकात्मक राशि की शास्ति आरोपित की गयी। विवरण के अभाव में, लेखापरीक्षा में फसल के मूल्य का निर्धारण नहीं किया जा सका।

प्रकरण विभाग की जानकारी में लाया गया (अक्टूबर 2013) तथा सरकार को प्रतिवेदित किया गया (दिसम्बर 2013), उनके जवाब प्रतीक्षित हैं (फरवरी 2014)।

4.7.16 विभिन्न समाजों, निजी विद्यालयों इत्यादि द्वारा किया गया अतिक्रमण

चयनित तहसीलों के अभिलेखों की मापक जाँच के दौरान यह पाया गया कि विभिन्न व्यक्तियों, निकायों एवं संस्थानों द्वारा व्यक्तिगत एवं सामाजिक उद्देश्यों के लिए राजकीय भूमि पर अतिक्रमण स्थायी संरचनाओं के निर्माण के साथ किया गया। तथापि, संरचनाओं को तोड़ा नहीं गया और वर्षों तक भूमि को खाली नहीं करवाया गया। आगे के अनुच्छेदों में कुछ ऐसे प्रकरणों की चर्चा की गयी है:

- भीलवाड़ा तहसील के अभिलेखों की मापक जाँच के दौरान यह पाया गया कि 0.71 हैक्टेयर राजकीय भूमि जिसकी कीमत ₹ 5.96 करोड़ थी, पर वर्ष 2011 में पटवारी द्वारा अतिक्रमणों के 6 प्रकरणों की सूचना दी गयी। अतिक्रमणों का विवरण नीचे दर्शाया गया है:

क्र.सं.	अतिक्रमी का नाम	क्षेत्रफल (बीघा में)	क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	भूमि की कीमत[17] (लाख ₹ में)	अतिक्रमण का प्रकार
1	अध्यक्ष, सारस्वत समाज	1.05	0.1701	142.34	नोहरा
2	अध्यक्ष, पारीक समाज	0.75	0.1215	101.67	होस्टल
3	अध्यक्ष, गोस्वामी समाज	0.25	0.0405	33.89	नोहरा
4	अध्यक्ष, सुखवाल समाज	1.50	0.2430	203.34	नोहरा
5	अध्यक्ष, गुर्जर गौड़	0.60	0.0972	81.33	नोहरा
6	अध्यक्ष, दाधीच समाज	0.25	0.0405	33.89	चारदीवारी
	योग	**4.40**	**0.7128**	**596.46**	

[16] मेहन्दी एक कृषि उपज है जो हिना के नाम से जानी जाती है।

[17] डी.एल.सी. दर के अनुसार भूमि की कीमत 778 प्रतिवर्ग फुट यानि ₹ 8,36,77,686 प्रति हैक्टेयर है।

अतिक्रमियों ने राजकीय भूमि पर चारदीवारी के साथ स्थायी संरचनाएँ बना ली थी। यद्यपि, गैर कानूनी निर्माणों तथा अतिक्रमणों की भीलवाड़ा शहर से समीपता थी, फिर भी तहसीलदार द्वारा अतिक्रमणों को हटाने एवं अवैध निर्माण को तोड़ने की कोई कार्यवाही नहीं की गयी।

- चाकसू तहसील की कोटखावदा उप तहसील के ग्राम बडौदिया में 9,688 वर्गगज राजकीय भूमि जिसकी कीमत ₹ 1.46 करोड़ थी, पर एक निजी विद्यालय द्वारा मार्च 2010 से अतिक्रमण किया हुआ था। अतिक्रमी की बेदखली के लिये तहसीलदार द्वारा कोई प्रयास नहीं किये गये।

- राजस्थान भू-राजस्व (गौशाला को भूमि आवंटन) नियम, 1957 के नियम 3 के अनुसार एक गौशाला जो कि राजस्थान सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 एवं राजस्थान गौशाला अधिनियम, 1960 के अन्तर्गत पंजीकृत हो एवं कम से कम 50 मवेशियों को रखती हो, वह अपने जानवरों को चराने के लिए राजकीय भूमि के लिये आवेदन कर सकती है। सम्बन्धित जिले का कलेक्टर आवश्यक जाँच करने के पश्चात् 25 हैक्टेयर तक भूमि 20 वर्षों के लिए किराये पर आवंटित कर सकता है। प्रभारित किये जाने वाला किराया वर्तमान भू-प्रबन्ध में निर्धारित लगान का एक चौथाई अथवा यदि भूमि का लगान निर्धारित नहीं हुआ हो तो ₹ 160 प्रति हैक्टेयर होगा। दांतारामगढ़ एवं चौमू तहसीलों के अभिलेखों की मापक जाँच के दौरान पाया गया कि पाँच अतिक्रमियों द्वारा बिना किसी स्वीकृति अथवा गौशाला हेतु राजकीय भूमि के आवंटन हेतु आवेदन के बिना, 11.42 हैक्टेयर राजकीय भूमि कीमत ₹ 1.92 करोड़, पर अतिक्रमण किया गया। प्रतिवर्ष विभाग द्वारा भौतिक रूप से बेदखली किये बिना एवं अतिक्रमियों के विरुद्ध ठोस कार्यवाही किये बिना अतिक्रमियों की बेदखली दिखायी गयी।

यह भी देखा गया कि राजस्थान भू-राजस्व (गौशाला को भूमि आवंटन) नियम, 1957 के अनुसार वार्षिक किराया ₹ 2,043 प्रभार्य था जिस पर शास्ति राशि ₹ 1.02 लाख वसूल किये जा सकते थे परन्तु तहसीलदार द्वारा ₹ 0.04 लाख शास्ति के रूप में प्रभारित किये गये।

समापन सभा के दौरान, प्रमुख शासन सचिव इस तथ्य से सहमत थे कि अकृषि प्रयोजनों के लिये राजकीय भूमि के अनधिकृत उपयोग से सम्बन्धित शास्ति प्रावधानों को पुनः देखे जाने की आवश्यकता है।

4.7.17 औद्योगिक उपयोग हेतु अतिक्रमण

राजस्थान भू-राजस्व (औद्योगिक क्षेत्र भू-आवंटन) नियम, 1959 के नियम 5 के अनुसार उद्योग हेतु राजकीय भूमि के आवंटन पर ₹ 0.50 से ₹ 1 प्रति वर्गमीटर वार्षिक किराया, उस क्षेत्र की जनसंख्या के अनुसार, लिया जायेगा। राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 (2) के अनुसार अतिक्रमण के प्रथम कृत्य पर वार्षिक किराये की 50 गुणा शास्ति आरोपणीय होगी।

चार तहसीलों[18] के अभिलेखों की मापक जाँच के दौरान पाया गया कि अतिक्रमियों के द्वारा उद्योग स्थापना कर ली गयी लेकिन सम्बन्धित तहसीलदारों और अन्य अधिकारियों द्वारा समयबद्ध बेदखली अथवा अतिक्रमणों को रोकने की कोई कार्यवाही नहीं की गयी। तहसीलदारों द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (औद्योगिक क्षेत्र भू-आवंटन) नियम, 1959 के अधीन प्रभारित योग्य किराये के स्थान पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम के अनुसार लगान के आधार पर बहुत कम शास्ति प्रभारित की गयी। तहसीलदारों द्वारा शास्ति प्रभारित कर कागजों पर औपचारिकताएँ पूरी की गयी। तथापि, अतिक्रमणों की बेदखली केवल अभिलेखों में दिखायी गयी जबकि उद्योग लगातार परिचालन में थे। प्रकरणों को नीचे दर्शाया गया है:

- भीलवाड़ा तहसील के हमीरगढ़ उप तहसील के 31 प्रकरणों में 2008-09 एवं 2011-12 के मध्य अतिक्रमियों द्वारा राजकीय भूमि पर पाईपलाईन डाल कर उद्योगों को खातेदारों[19] के कुओं से जल की आपूर्ति हेतु व्यवस्था की गयी। नायब तहसीलदार द्वारा चार प्रकरणों में लगान की 50 गुणा के बराबर शास्ति प्रभारित की गयी, जबकि 27 प्रकरणों में कृषि भूमि के लिये डी.एल.सी. दरों की 50 प्रतिशत प्रभारित की गयी। शेष तीन तहसीलों के 70 प्रकरणों में राजकीय भूमि पर 2006-07 एवं 2011-12 के मध्य उद्योगों को गैर कानूनी रूप से स्थापित किया गया। इस प्रकार, इन प्रकरणों में ₹ 0.38 लाख प्रभारित किये गये, जबकि राजस्थान भू-राजस्व (औद्योगिक क्षेत्र भू-आवंटन) नियम, 1959 के अधीन प्रभारित किराये के 50 गुणा तक शास्ति जो कि ₹ 1.03 करोड़ की बनती है, वसूलनीय थी।

- 16 प्रकरणों में, पटवारी द्वारा सूचित (2008 एवं 2010 के मध्य) किया गया कि औद्योगिक इकाइयों द्वारा 68.75 बीघा राजकीय भूमि पर रसायनयुक्त प्रदूषित जल छोड़ा गया जिसने भूमि को प्रदूषित किया। तीन प्रकरणों में पटवारी द्वारा दिये गये अगले प्रतिवेदन के आधार पर कार्यवाही समाप्त कर

[18] भीलवाड़ा, चौमू, कोटपुतली एवं सोजतसिटी।

[19] खातेदार विशिष्ट प्रकार का किरायेदार है जिसको उसके द्वारा अधिवासित कृषि भूमि पर निश्चित अधिकार एवं उत्तरदायित्व है।

दी गयी, सात प्रकरणों में, सम्बन्धित औद्योगिक इकाइयों द्वारा न्यायालय स्थगन प्राप्त कर लिये गये तथा शेष छः प्रकरणों में, लगान के आधार पर न्यूनतम शास्ति आरोपित की गयी। पटवारी व तहसील अभिलेखों की समीक्षा मे प्रकट हुआ कि जहाँ स्थगन लिया उन प्रकरणों में स्थगन को हटाने का कोई प्रयास नहीं किया गया।

समापन सभा के दौरान, प्रमुख शासन सचिव सहमत थे कि अकृषि प्रयोजनों के लिये राजकीय भूमि के अनधिकृत उपयोग से सम्बन्धित शास्ति प्रावधानों को पुनः देखे जाने की आवश्यकता है।

4.7.18 खनन हेतु राजकीय भूमि का अनधिकृत उपयोग

राजस्थान खान एवं खनिज रियायत नियम, 1986 के नियम 19 के अनुसार, खनन कार्य के लिये, पट्टाधारी उपयोग किये गये क्षेत्र के लिए भू किराये का भुगतान करेगा, जो कि राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 अथवा प्रवृत्त अन्य कोई कानून के अधीन भुगतान योग्य भू-राजस्व के बराबर होगा। राजस्थान वित्त अधिनियम, 2006 की धारा 39 के अनुसार पूर्ण रूप से कृषि अथवा आवासीय प्रयोजन हेतु अथवा राजस्थान भूमि एवं भवन कर अधिनियम, 1964 में परिभाषित शहरी भूमि अथवा राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 103 में परिभाषित आबादी भूमि के अलावा अन्य प्रयोजन हेतु धारित अथवा उपयोग में ली गई भूमि पर भूमि कर एवं/अथवा भू किराया, भूमि के बाजार मूल्य के अधिकतम 10 प्रतिशत तक प्रभारित किया जायेगा। इसके अतिरिक्त, अतिक्रमण के प्रथम कृत्य के लिये वार्षिक किराये की 50 गुणा तक शास्ति आरोपणीय होगी।

कामां, चाकसू एवं कोटपुतली तहसीलों के अभिलेखों की मापक जाँच के दौरान यह पाया गया कि 29 प्रकरणों में अतिक्रमियों द्वारा 1.84 हैक्टेयर राजकीय भूमि का अनधिकृत उपयोग खनन प्रयोजनार्थ किया गया। पटवारी द्वारा, कोई विवरण यथा खनिजों का नाम, खनिज की मात्रा इत्यादि नहीं दिया गया। तहसीलदारों द्वारा भी उन पर भू-किराया, रॉयल्टी एवं शास्ति के निर्धारण के लिये सम्बन्धित जिले के खनन कार्यालयों को अवैध खनन के तथ्यों को सूचित नहीं किया गया। राजस्थान खान एवं खनिज रियायत नियम, 1986 के अनुसार, अतिक्रमियों से वसूली योग्य किराया ₹ 33.07 लाख बनता था। तथापि, सम्बन्धित तहसीलदारों द्वारा इन अतिक्रमियों से मात्र ₹ 240 की शास्ति प्रभारित की गयी। किराये के आधार पर भूमि की बाजार कीमत के 10 प्रतिशत की दर से प्रभार्य शास्ति ₹ 16.54 करोड़ बनती थी।

समापन सभा के दौरान, प्रमुख शासन सचिव सहमत थे कि राजकीय भूमि के अनधिकृत उपयोग से सम्बन्धित दण्ड विषयक प्रावधानों को पुनः देखे जाने की आवश्यकता है।

4.7.19 ईंट भट्टा उद्योग के लिये राजकीय भूमि का अनधिकृत उपयोग

राजस्थान भू-राजस्व (ईंट भट्टों की स्थापना के लिये भूमि का आवंटन) नियम, 1987 के नियम 8 के अनुसार ईंट भट्टों की स्थापना के लिए किराये की दर ₹ 1500 प्रतिवर्ष प्रति एकड़ होगी। राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91(2) के अन्तर्गत अतिक्रमण के प्रथम कृत्य के लिए वार्षिक किराये के 50 गुणा तक शास्ति आरोपणीय होगी।

भीलवाड़ा, चाकसू एवं आसपुर तहसीलों के अभिलेखों की मापक जाँच में यह पाया गया कि 49 प्रकरणों में 91.17 एकड़ राजकीय भूमि पर ईंट भट्टा उद्योग के लिए अतिक्रमियों द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया। यह देखा गया कि तहसीलदार, भीलवाड़ा द्वारा ₹ 970 की अल्प शास्ति आरोपित करने के अतिरिक्त किसी भी अन्य तहसीलदार द्वारा अतिक्रमियों पर शास्ति आरोपित नहीं की गयी। यदि तहसीलदारों द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (ईंट भट्टों की स्थापना के लिए भूमि का आवंटन) नियम, 1987 के नियम 8 के अनुसार दरें लागू की जाती तो शास्ति राशि ₹ 68.38 लाख वसूल की जा सकती थी। शास्ति अतिक्रमियों के विरुद्ध प्रतिरोधक ताकत के रूप में भी काम करती।

समापन सभा के दौरान, प्रमुख शासन सचिव सहमत थे कि राजकीय भूमि के अनधिकृत उपयोग से सम्बन्धित दण्ड विषयक प्रावधानों को पुनः देखे जाने की आवश्यकता है।

4.7.20 सरकारी कर्मचारियों द्वारा किया गया अतिक्रमण

राजस्थान सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1971 के नियम 4-सी के अनुसार, कोई भी सरकारी कर्मचारी जो 15 अगस्त 1998 के बाद राजकीय भूमि पर किसी अतिक्रमण करने में शामिल होता है अथवा करता है तो वह अनुशासनात्मक कार्यवाही का दायी होगा।

मांगरोल तहसील एवं बांसवाड़ा तहसील के दो-दो प्रकरणों में वर्ष 2006 से 2009 के दौरान सरकारी कर्मचारियों द्वारा 1.26 हैक्टेयर राजकीय भूमि जिसकी कीमत ₹ 63.29 लाख थी, पर अतिक्रमण किया गया। तहसीलदारों द्वारा इन अतिक्रमियों की बेदखली के लिए कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं की गयी एवं उनके सम्बन्धित विभागों को भी सूचित नहीं किया गया।

प्रकरण विभाग की जानकारी में लाया गया (अक्टूबर 2013) तथा सरकार को प्रतिवेदित किया गया (दिसम्बर 2013), उनके जवाब प्रतीक्षित रहे (फरवरी 2014)।

4.7.21 निष्कर्ष

अवधि 2007-08 की तुलना में 2011-12 के दौरान अतिक्रमित भूमि पर अतिक्रमियों के विरुद्ध प्रकरणों की संख्या में वृद्धि हुई। अतिक्रमण प्रकरणों का प्रलेखन एवं अभिलेख संधारण अपर्याप्त था। तहसीलदारों द्वारा राजकीय भूमि की सुरक्षा एवं अतिक्रमण रोकने के लिए प्रभावी कार्यवाही नहीं की गयी। इसके परिणामस्वरूप, अतिक्रमियों द्वारा कृषि, आवासीय एवं वाणिज्यिक प्रयोजनों हेतु वर्षों तक भूमि पर अतिक्रमण जारी रखा। तहसीलदार दायरा रजिस्टर में मात्र प्रविष्टि कराने के अलावा राजकीय भूमि को खाली करवाने में सक्षम नहीं थे। कृषि अतिक्रमणों को फसली मौसम की समाप्ति के बाद खाली दर्शाया गया परन्तु अगले फसली मौसम के समय उसी अतिक्रमी अथवा अन्य व्यक्ति द्वारा उसी भूमि के टुकड़े पर कब्जा कर लिया गया। इस प्रकार अतिक्रमियों का राजकीय भूमि पर लगातार प्रभावी धारण रहा। अतिक्रमित राजकीय भूमि पर उगाई गयी फसल की नीलामी की प्रक्रिया आरक्षित मूल्य पर आधारित नहीं थी। आवासीय, वाणिज्यिक तथा औद्योगिक प्रयोजनार्थ स्थायी अतिक्रमणों को तहसीलदारों द्वारा खाली नहीं करवाया गया। इसके अतिरिक्त, राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम के विद्यमान शास्ति विषयक प्रावधानों को लगान दरों से जोड़ने से उनका महत्व खत्म हो गया है क्योंकि इन दरों को संशोधित नहीं किया गया।

4.7.22 सिफारिशें

सरकार विचार करे कि:

- **एक ही व्यक्ति द्वारा उसी भूमि पर बार-बार किये गये अतिक्रमणों के विरुद्ध समय पर तथा कठोर रोधक कार्यवाही हो, ताकि राजकीय भूमि पर अतिक्रमणों की प्रवृत्ति पर रोक लगे;**
- **ऐसी प्रक्रिया विकसित की जाये जो राजकीय भूमि पर अवैधानिक रूप से उगाई गयी फसलों की नीलामी से पूर्व आरक्षित मूल्य निर्धारित हो;**
- **उचित प्रकरणों में सरकारी भूमि पर बनाये गये कुओं का नियमितीकरण;**
- **शास्ति विषयक प्रावधानों की समीक्षा और कृषि, आवासीय एवं अन्य उद्देश्यों हेतु अतिक्रमणों के लिए पृथक शास्ति निर्धारित करें; लगान दरों, जिन्होंने संशोधन के अभाव में अपना महत्व खो दिया है, से पृथक न्यूनतम शास्ति निर्धारित करें;**
- **अतिक्रमणों के प्रकरणों के नियमितीकरण के लिये उचित दिशा निर्देश जारी करें ताकि वर्तमान प्रावधानों का बिना विवर्तन के पालन हो;**

- ऐसे अतिक्रमण के प्रकरणों, जो कि एक व्यक्ति के लाभ के लिए न किये गये हो लेकिन सम्पूर्ण समुदाय के लाभ के लिये किये गये हों, को निस्तारित करने के लिए सरकार एक नीति बनावे; एवं
- पटवारियों एवं तहसीलदारों, जो औद्योगिक एवं वाणिज्यिक प्रयोजनों हेतु किये गये अतिक्रमणों को रोकने में विफल रहे हों, के विरुद्ध सरकार को आवश्यक कार्यवाही करनी चाहिए क्योंकि एक बार स्थायी अतिक्रमणों के होने पर खाली करवाना उत्तरोत्तर कठिन होता जाता है।

4.8 लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ

भू-राजस्व विभाग के अभिलेखों की मापक जाँच के दौरान, लेखापरीक्षा द्वारा राजस्व के कम वसूली, नगर सुधार न्यास द्वारा राजकीय खाते में हिस्सा राशि एवं ब्याज जमा नहीं कराना पाया गया। यह भी देखा गया कि आवेदकों से कृषि से अकृषि प्रयोजनों के लिये भू-उपयोग रूपान्तरण प्रभारों को वसूल नहीं किया गया। ये प्रकरण केवल दृष्टान्त हैं जो अभिलेखों की मापक जाँच पर आधारित है। ऐसे प्रकरणों की पुनरावृत्ति से बचने के लिए सरकार को आंतरिक लेखापरीक्षा को मजबूत बनाने के साथ आंतरिक नियत्रंण प्रणाली में सुधार करने की आवश्यकता है।

4.9 नियमों/परिपत्रों के प्रावधानों की अनुपालना नहीं करना

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 एवं उसके अन्तर्गत बनाये गये विभिन्न नियमों के साथ सरकार द्वारा जारी अधिसूचनाओं के प्रावधान भूमि आवंटन, भू-उपयोग एवं भू-रूपांतरण पर लागू होते है।

अभिलेखों की मापक जाँच के दौरान यह देखा गया कि विभागीय प्राधिकारियों ने सरकार द्वारा बनाये नियमों का पालन नहीं किया जिसके परिणामस्वरूप राजस्व की प्राप्ति नहीं हुई जैसाकि आगामी अनुच्छेदों में वर्णित किया गया है।

4.10 रूपान्तरण प्रभारों की वसूली का अभाव

राजस्थान भू-राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ रूपान्तरण) नियम, 2007, के नियम 7 के अनुसार, कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ रूपान्तरण के लिये प्रीमियम निम्न प्रकार प्रभार्य होगा:

उद्देश्य	प्रीमियम की दर
औद्योगिक	₹ 5 प्रति वर्गमीटर या कृषि भूमि की जिला स्तरीय समिति (डीएलसी) दर का 5 प्रतिशत या पंजीकृत विक्रय पत्र में अंकित कृषि भूमि की खरीद दर की राशि का 5 प्रतिशत, यदि कोई हो, इनमें से जो भी उच्चतर हो।
वाणिज्यिक	₹ 10 प्रति वर्गमीटर या कृषि भूमि की डीएलसी दर का 10 प्रतिशत या पंजीकृत विक्रय पत्र में अंकित कृषि भूमि की खरीद दर की राशि का 10 प्रतिशत, यदि कोई हो, इनमें से जो भी उच्चतर हो।
संस्थानिक	₹ 5 प्रति वर्गमीटर या कृषि भूमि की डीएलसी दर का 10 प्रतिशत या पंजीकृत विक्रय पत्र में अंकित कृषि भूमि की खरीद दर की राशि का 10 प्रतिशत, यदि कोई हो, इनमें से जो भी उच्चतर हो।

इसके अतिक्रित, नियम 13 के तहत, यदि प्राधिकृत प्राधिकारी से रूपान्तरण की अनुमति के बिना अकृषि प्रयोजनार्थ भूमि का उपयोग किया जाता है तो रूपान्तरण शुल्क की चार गुणा राशि प्रभार्य होगी।

4.10.1 कलेक्टर हनुमानगढ़ के अभिलेखों की मापक जाँच के दौरान यह पाया गया (अगस्त 2012) कि 159 प्रकरणों में खातेदारी[20] भूमि का रूपान्तरण कराये बिना ही ईंट भट्टा की स्थापना के लिये औद्योगिक प्रयोजन हेतु उपयोग किया गया। विभाग द्वारा रूपान्तरण प्रभारों के चार गुणा की दर से रूपान्तरण के लिये प्रीमियम की वसूली हेतु कोई कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की गयी।

[20] खातेदारी भूमि से अभिप्राय सरकार द्वारा केवल कृषि उद्देश्य हेतु लगान या किराये पर दी गयी भूमि से है।

इसके परिणामस्वरूप नीचे वर्णितानुसार भूमि के रूपान्तरण के लिये प्रीमियम राशि ₹ 7.82 करोड़ की वसूली का अभाव रहा:

(राशि ₹ लाख में)

क्र. सं.	तहसील का नाम	प्रकरणों की संख्या	क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	एकमुश्त रूपान्तरण प्रभार[21]	रूपान्तरण प्रभारों का चार गुणा
1.	हनुमानगढ़	73	19,61,570	98.08	392.32
2.	नोहर	4	1,27,720	6.38	25.52
3.	भादरा	54	11,64,250	58.21	232.84
4.	संगरिया	28	6,57,503	32.88	131.52
कुल		159	39,11,043	195.56	782.20

4.10.2 कलेक्टर झालावाड़ के अभिलेखों की मापक जाँच के दौरान पाया गया (जुलाई 2012) कि खातेदारी भूमि का बिना रूपान्तरण कराये स्टोन क्रेशर की 5 इकाइयों, 66 मोबाइल टावर तथा 1 विनिर्माण उद्योग की स्थापना के लिये औद्योगिक प्रयोजनार्थ खातेदारी भूमि का उपयोग किया गया। विभाग द्वारा रूपान्तरण प्रभारों के चार गुणा की दर से राशि वसूली हेतु कोई कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की गयी। इसके परिणामस्वरूप प्रीमियम राशि ₹ 11.57 लाख की वसूली का अभाव रहा।

4.10.3 कलेक्टर झुन्झुनू के अभिलेखों की मापक जाँच (अगस्त 2012) के दौरान पाया गया कि 18 मामलों में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ रूपान्तरण कराये बिना खातेदारी भूमि का शैक्षणिक प्रयोजनार्थ उपयोग किया गया। इसके परिणामस्वरूप प्रीमियम राशि ₹ 17.40 लाख की वसूली का अभाव रहा।

उपरोक्त सभी मामले विभाग की जानकारी में लाये गये (अप्रेल से जून 2013) तथा सरकार को प्रतिवेदित किये गये (नवम्बर 2013)। सरकार ने जवाब में बताया (फरवरी 2014) कि हनुमानगढ़ तथा झुन्झुनू में क्रमश: ₹ 18.37 लाख तथा ₹ 3.46 लाख वसूल कर लिये गये हैं।

[21] ईंट भट्टों की वास्तविक डी.एल.सी. पता नहीं इसलिये ₹ 5 प्रतिवर्ग मीटर से गणना की गयी।

4.11 हिस्सा राशि तथा ब्याज का राजकीय खाते में जमा नहीं करवाना

राजस्थान सरकार (नगरीय विकास विभाग) द्वारा अगस्त 2001 में स्थानीय निकायों द्वारा कृषि भूमि के अकृषि प्रयोजनार्थ नियमन/हस्तान्तरण/संपरिवर्तन प्रभारों के रूप में प्राप्त राशि को सर्वप्रथम स्थानीय निकायों के व्यक्तिगत जमा खाते में जमा कराने तथा उसके तत्पश्चात् 40 प्रतिशत राशि आगामी माह की 5 तारीख तक राजकीय खाते में जमा कराये जाने के निर्देश जारी किये थे। इसके अतिरिक्त यह निर्णय लिया गया था (मार्च 2007) कि 40 प्रतिशत हिस्सा राजकीय खाते में विलम्ब से जमा कराये जाने पर 12 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज देय होगा।

कलेक्टर कोटा, के अभिलेखों की मापक जाँच में पाया गया (जुलाई 2012) कि नगर सुधार न्यास, कोटा द्वारा कृषि भूमि के अकृषि प्रयोजनों हेतु अप्रेल 2011 से मार्च 2012 के दौरान नियमन के रूप में एकत्रित प्रभार राशि ₹ 2.94 करोड़ का राजकीय हिस्सा राशि 40 प्रतिशत ₹ 1.18 करोड़ आगामी माह की 5 तारीख तक राजकीय खाते में जमा करायी जानी थी, परन्तु यह राजकीय खाते में आदिनांक तक जमा नहीं करायी गयी। इसके परिणामस्वरूप ₹ 1.18 करोड़ की वसूली का अभाव रहा। इसके अलावा, ब्याज राशि ₹ 4.75 लाख भी (मार्च 2012 तक) राजकीय खाते में जमा हेतु देय थी।

प्रकरण विभाग के ध्यान में लाया गया (मई 2013) तथा सरकार को प्रतिवेदित किया गया (नवम्बर 2013), जबाव प्रतीक्षित रहा (फरवरी 2014)।

4.12 भूमि के प्रत्यावर्तन का अभाव तथा राजस्व की हानि

राजस्थान भू-राजस्व (विद्यालयों, कॉलेजों, औषधालयों, धर्मशालाओं तथा लोकोपयोगिता के अन्य भवनों के निर्माण के लिये अनधिवासित राजकीय भूमि के आवंटन) नियम, 1963 के नियम 3(ii)(बी) के तहत, गैर-राजकीय संस्थानों को पंजीयन प्रयोजन के लिये निर्धारित सूचक मूल्य के 50 प्रतिशत के बराबर प्रीमियम पर भूमि का आवंटन किया जायेगा। नियम 3(ii)(सी) के अनुसार, यदि क्लॉज 2 में निर्धारित अधिकतम सीमा से अधिक भूमि आवंटित होती है तो पंजीयन प्रयोजन के लिये निर्धारित सूचक मूल्य के अनुसार भूमि की बाजार दर के बराबर अतिरिक्त क्षेत्र के लिये प्रीमियम लिया जायेगा। इसके अतिरिक्त, नियम 3(डी) के नीचे परन्तुक के अनुसार यदि महिलाओं के शैक्षणिक, सामाजिक या आर्थिक उन्नयन के उद्देश्य से गैर राजकीय संस्थान को भूमि का आवंटन किया जाता है तो कोई प्रीमियम प्रभार्य नहीं होगा। नियम 3(vii) के अनुसार शर्तों के किसी उल्लंघन की अवस्था में, बिना किसी प्रतिकर क्लेम के भूमि के साथ-साथ उस पर निर्माण राज्य सरकार को प्रत्यावर्त हो जायेंगे।

जिला कलेक्टर सीकर के अभिलेखों की मापक जाँच के दौरान यह पाया गया (फरवरी 2013) कि ग्राम घासू का बास (लक्ष्मणगढ़) में राष्ट्रीय राजमार्ग 11 पर स्थित 4.13 हैक्टेयर भूमि का आवंटन (दिसम्बर 2004 तथा नवम्बर 2007) करमाबाई शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, एक निजी संस्थान (संस्था) को विशेष रूप से बालिका शिक्षा के लिये निःशुल्क किया गया था।

ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी, लक्ष्मणगढ़ के अभिलेखों की जाँच करने पर पाया गया कि 2007-08 से 2012-13 के दौरान विद्यालय में आठवीं स्तर तक 503 बालक विद्यार्थियों को प्रवेश दिया गया था, जो कि भूमि आवंटन की शर्तों के उल्लंघन में दिया गया था, क्योंकि भूमि केवल बालिका शिक्षा के लिये निःशुल्क आवंटित हुई थी। संस्था द्वारा भूमि का अनधिकृत उपयोग करने के कारण प्रीमियम राशि ₹ 45.84 लाख की हानि हुई। आवंटन शर्तों के उल्लंघन के बावजूद भूमि राज्य सरकार को प्रत्यावर्तित नहीं हुयी थी।

प्रकरण विभाग के ध्यान में लाया गया (मई 2013) तथा सरकार को प्रतिवेदित किया गया (अक्टूबर 2013)। विभाग द्वारा तथ्यों को स्वीकार किया गया, (फरवरी 2014) तथा बताया कि भूमि आवंटन निरस्तीकरण के लिये सरकार को प्रकरण भेजा गया है। सरकार का जवाब प्रतीक्षित रहा (फरवरी 2014)।

4.13 डीएलसी दरों के त्रुटिपूर्ण लगाये जाने से भूमि की लागत तथा लीज रेन्ट की कम वसूली

सरकार की अधिसूचना (अक्टूबर 2005) के अनुसार यदि विशिष्ट विभाग/निगम/संस्थान को भूमि आवंटित की जाती है तो उसका मूल्य पड़ोस में स्थित उसी श्रेणी की कृषि भूमि की प्रचलित बाजार दर के बराबर प्रभार्य होगा, जैसा कि कलेक्टर द्वारा डीएलसी में निश्चित किया जाये। इसके अतिरिक्त भूमि की कीमत का 10 प्रतिशत लीज रेन्ट भी प्रतिवर्ष देय होगा। सरकार द्वारा एक अन्य अधिसूचना दिनांक 26 मार्च 2012 जारी कर डीएलसी दरों में 10 प्रतिशत की वृद्धि तुरन्त प्रभाव से की गयी।

कलेक्टर अलवर के अभिलेखों की मापक जाँच के दौरान यह पाया गया कि गाँव पुर, तहसील कोटकासिम, जिला अलवर में 3.16 हैक्टेयर राजकीय भूमि राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण लिमिटेड को 99 वर्ष की लीज के आधार पर आवंटित की गयी (29 मार्च 2012)।

जाँच में यह पाया गया कि विभाग द्वारा अधिसूचना दिनांक 26 मार्च 2012 के अनुसार पुनरीक्षित दरों के स्थान पर पुरानी डीएलसी दरों को त्रुटिपूर्ण ढंग से लागू कर भूमि की लागत वसूल की गयी तथा तद्नुसार लीज रेन्ट भी आरोपित किया गया। इसके परिणामस्वरूप भूमि की लागत ₹ 11.66 लाख तथा एक वर्ष के लिये लीज रेन्ट ₹ 1.17 लाख की कम वसूली हुयी।

प्रकरण विभाग की जानकारी में लाया गया (अप्रेल 2013) तथा सरकार को प्रतिवेदित किया गया (अक्टूबर 2013)। सरकार ने जवाब में बताया (सितम्बर 2013) कि डीएलसी में 10 प्रतिशत वृद्धि के बाद वर्ष 2012-13 के लिये मांग कायम कर ली गयी है।

अध्याय–V

मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क

अध्याय-V: मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क

5.1 कर प्रशासन

राज्य में मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क से प्राप्तियाँ भारतीय मुद्रांक अधिनियम, 1899; पंजीयन अधिनियम, 1908; राजस्थान मुद्रांक अधिनियम, 1998 जो 27 मई 2004 से प्रभावी है एवं इसके अन्तर्गत बनाये गए नियमों द्वारा विनियमित होते है। दस्तावेजों के निष्पादन पर मुद्रांक कर एवं दस्तावेजों के पंजीयन पर पंजीयन शुल्क देय होता है।

सचिव, वित्त (राजस्व) मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क के सम्बन्ध में नीति का निर्धारण, राज्य सरकार के स्तर पर मॉनीटरिंग एवं नियंत्रण के लिये उत्तरदायी होता है। महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग के प्रमुख हैं। प्रशासनिक मामलों में एक अतिरिक्त महानिरीक्षक व वित्तीय मामलों में एक वित्तीय सलाहकार उनकी सहायता करते हैं। इसके अलावा, एक अतिरिक्त महानिरीक्षक, जयपुर को मुख्य सतर्कता अधिकारी का कार्य सौंपा गया है। सम्पूर्ण राज्य को 13 वृत्तों में विभाजित किया गया है, इनमें से 11 वृत्तों में उपमहानिरीक्षक एवं पदेन कलेक्टर (मुद्रांक) तथा शेष 2 वृत्तों में अतिरिक्त कलेक्टर (मुद्रांक) तथा अतिरिक्त उपमहानिरीक्षक (सतर्कता) आसीन हैं। 33 जिला पंजीयक, 89 उप पंजीयक एवं 304 पदेन उप पंजीयक[1] हैं।

5.2 प्राप्तियों की प्रवृत्ति

वर्ष 2008-09 से 2012-13 के दौरान मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क से वास्तविक प्राप्तियाँ के साथ राज्य की कुल कर प्राप्तियों को निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया है:

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बजट आंकलन	मुद्रांक कर व पंजीयन शुल्क से वास्तविक प्राप्तियाँ	अन्तर अधिक(+)/ कम (-)	अन्तर का प्रतिशत	राज्य की कुल कर प्राप्तियाँ	3 का 6 से प्रतिशत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2008-09	1,575.00	1,356.63	(-)218.37	(-)13.86	14,943.75	9.08
2009-10	1,450.00	1,362.94	(-)87.06	(-)6.00	16,414.27	8.30
2010-11	1,750.00	1,941.07	(+)191.07	(+)10.91	20,758.12	9.35
2011-12	2,500.00	2,651.38	(+)151.38	(+)6.06	25,377.05	10.45
2012-13	3,300.00	3,334.87	(+)34.87	(+)1.06	30,502.65	10.93

[1] तत्स्थान पर पदस्थापित तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार को पदेन उप पंजीयक घोषित किया गया है।

बजट आंकलनों तथा वास्तविक प्राप्तियों में अन्तर वर्ष 2008-09 में (-) 13.86 प्रतिशत तथा वर्ष 2010-11 में 10.91 प्रतिशत था। वर्ष 2009-10 में राज्य की कुल कर प्राप्तियों में इसके अंशदान में गिरावट के पश्चात्, बाद के सभी वर्षों में इसके अंशदान में वास्तविक मुद्रांक कर तथा पंजीयन शुल्क प्राप्तियों में बढ़ोतरी की प्रवृत्ति देखी गयी।

5.3 बकाया राजस्व का विश्लेषण

31 मार्च 2013 तक बकाया राजस्व ₹ 203.10 करोड़ था, जिसमें से ₹ 69.97 करोड़ अर्थात् लगभग 34.45 प्रतिशत गत पाँच वर्षों से अधिक पुराने थे। वर्ष 2012-13 तक के बकाया राजस्व की स्थिति को निम्नलिखित तालिका में वर्णित किया गया है:

(₹ करोड़ में)

बकाया का वर्ष	1 अप्रेल 2012 को कुल बकाया	2012-13 के दौरान वसूल राशि	31 मार्च 2013 को बकाया वसूलियाँ
2008-09 तक	93.38	23.41	69.97
2009-10	14.84	0.17	14.67
2010-11	24.79	3.85	20.94
2011-12	37.95	11.82	26.13
2012-13	99.21	27.82	71.39
योग	**270.17**	**67.07**	**203.10**

स्रोत: सूचना महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक, अजमेर द्वारा प्रदत्त।

₹ 69.97 करोड़ पाँच वर्ष तथा उससे अधिक अवधि से बकाया है, जिनकी वसूली की सम्भावनाएँ क्षीण है। विभाग को बकाया की प्राप्ति के लिये प्रयासों में तेजी लानी चाहिये।

5.4 संग्रहण की लागत

वर्ष 2008-09 से 2012-13 के दौरान राजस्व प्राप्तियों का सकल संग्रहण, संग्रहण पर हुआ व्यय एवं संग्रहण व्यय की सकल संग्रहण से प्रतिशतता के साथ संग्रहण पर हुए व्यय की पूर्व वर्ष सकल संग्रहण की अखिल भारतीय औसत प्रतिशतता

निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	वर्ष	सकल संग्रहण	राजस्व संग्रहण पर व्यय	सकल संग्रहण पर व्यय की प्रतिशतता	वर्ष की अखिल भारतीय औसत प्रतिशतता
1.	2008-09	1,356.63	29.09	2.14	2.77
2.	2009-10	1,362.94	31.33	2.30	2.47
3.	2010-11	1,941.07	33.63	1.73	1.60
4.	2011-12	2,651.38	43.40	1.64	1.89
5.	2012-13	3,334.87	48.72	1.46	उपलब्ध नहीं

स्रोत: अखिल भारतीय औसत प्रतिशतता के अलावा सूचना महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक, अजमेर द्वारा प्रदत्त।

5.5 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का प्रभाव

विगत पाँच वर्षो के दौरान, लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में अनारोपण/कम आरोपण, अप्राप्ति/कम प्राप्ति, अवनिर्धारण/राजस्व हानि, गलत छूट, गलत कर की दर लगाना, गलत गणना इत्यादि के 23 अनुच्छेदों में ₹ 131.96 करोड़ का राजस्व प्रभाव दर्शाया गया। इनमें से, विभाग/सरकार ने लेखापरीक्षा के 18 अनुच्छेदों में सम्मिलित ₹ 65.86 करोड़ के आक्षेपों को पूर्णत:/अंशत: स्वीकार किया परन्तु अब तक केवल ₹ 4.49 करोड़ (दिसम्बर 2013) की वसूली की। विवरण निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया है:

(₹ करोड़ में)

लेखापरीक्षा का वर्ष	सम्मिलित अनुच्छेद		स्वीकार्य अनुच्छेद		वसूली	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	अनुच्छेदों की संख्या	राशि
2007-08	6	58.36	5	4.14	4	0.90
2008-09	4	10.47	4	10.47	4	1.51
2009-10	5	27.31	3	19.79	3	0.16
2010-11	1	29.78	1	25.55	1	0.72
2011-12	7	6.04	5	5.91	1	1.20
योग	**23**	**131.96**	**18**	**65.86**	**13**	**4.49**

राशि ₹ 65.86 करोड़ में से मात्र ₹ 4.49 करोड़ (6.82 प्रतिशत) की वसूली यह दर्शाती है कि सरकार को ₹ 61.37 करोड़ की शेष राशि की वसूली के लिये पूर्ण प्रयास करने चाहिये।

5.6 आन्तरिक लेखापरीक्षा समूह की कार्यप्रणाली

वित्तीय सलाहकार, आन्तरिक लेखापरीक्षा समूह के प्रमुख हैं। इकाइयों की आन्तरिक लेखापरीक्षा हेतु योजना उनके महत्व एवं राजस्व प्राप्तियों के आधार पर बनाई जाती है। वर्ष 2008-09 से 2012-13 के दौरान आन्तरिक लेखापरीक्षा की स्थिति निम्न प्रकार थी:

वर्ष	लेखापरीक्षा के लिये बकाया इकाइयाँ	वर्ष के दौरान लेखापरीक्षा हेतु बकाया इकाइयाँ	लेखापरीक्षा हेतु बकाया कुल इकाइयाँ	वर्ष के दौरान लेखापरीक्षित इकाइयाँ	बकाया अलेखापरीक्षित इकाइयाँ	कमी प्रतिशतता में
2008-09	301	369	670	458	212	31.64
2009-10	212	369	581	360	221	38.04
2010-11	221	369	590	353	237	40.17
2011-12	237	369	606	386	220	36.30
2012-13	220	369	589	183	406	31.06

स्रोत: सूचना महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक, अजमेर द्वारा प्रदत्त।

यह देखा गया कि वर्ष 2012-13 के अंत में 10,382 अनुच्छेद बकाया थे। आंतरिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के बकाया अनुच्छेदों का वर्षवार विवरण निम्न प्रकार है:

वर्ष	2007-08 तक	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	योग
अनुच्छेद	5,167	638	927	982	1,079	1,589	10,382

स्रोत-महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक, अजमेर द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना।

आंतरिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के 5,167 अनुच्छेद पाँच वर्षों से अधिक पुराने थे तथा उनका निस्तारण समय व्यतीत होने के साथ कठिन होता जाएगा। इसलिए, इन पर सरकार द्वारा त्वरित तथा पूर्ण ध्यान दिया जाना आवश्यक है। बहुत बड़ी संख्या में बकाया की स्थिति यह दर्शाती है कि सरकार द्वारा आंतरिक लेखापरीक्षा के अनुच्छेदों पर अत्यन्त कम ध्यान दिया गया है।

सरकार को आंतरिक लेखापरीक्षा समूह को मजबूत करना चाहिए, जिससे राजस्व के आरोपण एवं संग्रहण में कमियों का समय पर पता लगाकर सही किया जा सके। इसके अतिरिक्त, आंतरिक लेखापरीक्षा के बकाया अनुच्छेदों के शीघ्र निस्तारण हेतु प्रयास किये जाने चाहिये।

5.7 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 2012-2013 के दौरान पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग की 182 इकाइयों के अभिलेखों की मापक जाँच में 16,210 प्रकरणों में ₹ 266.93 करोड़ के मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क की कम प्राप्ति का पता लगा, जो मोटे तौर पर निम्नलिखित श्रेणियों में आते हैं:

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	श्रेणी	प्रकरणों की संख्या	राशि
1.	सम्पत्तियों का अवमूल्यांकन	3,084	103.67
2.	भूमि कर की अवसूली	1,170	66.98
3.	स्थगन आदेशों को वेकेट नहीं कराने से राजस्व की अप्राप्ति	660	54.36
4.	कुर्की आदेशों के निष्पादन के अभाव में अवसूली	8,483	22.85
5.	न्यायालयी प्रकरणों के निर्णय के अभाव में बकाया वसूली	2,768	18.52
6.	दस्तावेजों का गलत वर्गीकरण	31	0.51
7.	रिमाण्ड प्रकरणों में लम्बित निर्णय के कारण अवसूली	5	0.03
8.	अन्य अनियमिततायें	9	0.01
योग		**16,210**	**266.93**

वर्ष 2012-2013 के दौरान विभाग द्वारा 11,512 प्रकरणों से सम्बन्धित ₹ 94.48 करोड़ के अवनिर्धारण एवं अन्य कमियों को स्वीकार किया, जिनमें से ₹ 92.42 करोड़ के 10,137 प्रकरण वर्ष 2012-13 के दौरान तथा शेष पूर्व के वर्षों में ध्यान में लाये गये थे। विभाग ने वर्ष 2012-13 के दौरान 867 प्रकरणों में ₹ 1.00 करोड़ वसूल किये, जिनमें से ₹ 0.15 करोड़ के 165 प्रकरण वर्ष 2012-13 के तथा शेष पूर्व वर्षों से सम्बन्धित थे।

कुछ निदर्शी लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ, जिनमें ₹ 51.64 करोड़ सन्निहित हैं, पर अनुवर्ती अनुच्छेदों में चर्चा की गई है। पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग को वित्त अधिनियम, 2006 तथा उसके अन्तर्गत बनाये गये राजस्थान भूमि कर नियम, 2006 के अनुसार भूमि कर के प्रशासन तथा क्रियान्वयन का कार्य भी सौंपा गया है। इस अध्याय में एक पैरा 5.8 में 'भूमि कर का आरोपण एवं संग्रहण' राशि ₹ 29.39 करोड़ पर भी चर्चा की गयी है।

5.8 भूमि कर का आरोपण एवं संग्रहण

5.8.1 प्रस्तावना

राज्य सरकार ने वित्त अधिनियम, 2006 के द्वारा भूमि कर का आरोपण किसी व्यक्ति, संस्था या निगम आदि द्वारा धारित या उपयोग में ली गयी खनिजयुक्त भूमि तथा औद्योगिक भूमि पर किया था। खनिज भूमि पर भूमि कर खानधारकों द्वारा धारित क्षेत्रफल की सीमा को ध्यान रखे बिना आरोपणीय है। तथापि, औद्योगिक भूमि पर भूमि कर, 10 हैक्टेयर या अधिक क्षेत्रफल होने पर आरोपणीय है। भूमि कर का आरोपण एवं संग्रहण वित्त अधिनियम, 2006 तथा उसके अधीन बनाये गये राजस्थान भूमि कर नियमों द्वारा अधिशासित होता है।

भूमि कर के निर्धारण, आरोपण एवं संग्रहण के लिये पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग के सम्बन्धित क्षेत्र के उप पंजीयकों को कर निर्धारण अधिकारी के रूप में प्राधिकृत किया गया है। उपमहानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग को अपीलीय प्राधिकारी के रूप में नामित किया गया एवं पुनरीक्षण के अधिकार राजस्थान कर मण्डल, अजमेर में निहित किये गये। भूमि कर राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित निर्धारित दरों के अनुसार कर के योग्य भूमियों पर प्रतिवर्ष भुगतान किया जाना था।

राज्य सरकार द्वारा 1 अप्रेल 2013 से सभी श्रेणियों की भूमियों को भूमि कर से मुक्त कर दिया गया है।

5.8.2 लेखापरीक्षा का क्षेत्र

महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक, अजमेर के कार्यालय के साथ 23 उप पंजीयक (372 में से) कार्यालयों[2], जो 5 उपमहानिरीक्षक कार्यालयों[3] के क्षेत्राधीन थे तथा 7 कलेक्ट्रेट एवं 3 खनि अभियन्ता कार्यालयों[4] के वर्ष 2006-07 यानि, वर्ष जिससे भूमि कर प्रभारित किया गया, से 2011-12 तक के वर्षों के अभिलेखों की मापक जाँच जनवरी से अप्रेल तथा अगस्त 2013 में की गयी। चयन प्रकरणों की संख्या तथा राजस्व के अधिकतम संग्रहण के आधार पर किया गया।

लेखापरीक्षा, उप पंजीयक कार्यालयों में लागू भूमि कर संग्रहण प्रक्रिया विधि की कुशलता एवं प्रभावोत्पादकता सुनिश्चित करने के लिये और कर प्रशासन की कमियों, जिसके कारण निर्धारितियों को न्यायालयों की शरण में जाना पड़ा जिससे राजस्व मुकदमेबाजी में फंस गया, को उजागर करने के उद्देश्य से की गयी।

[2] अजमेर-I, अजमेर-II, भीलवाड़ा, बीकानेर-I, बीकानेर-II, चित्तौड़गढ़, धरियावद, डूंगरपुर, हुरड़ा, खण्डेला, खैरवाड़ा, खेतड़ी, कोलायत, कोटपुतली, कोटड़ी, ममूदा, मेड़तासिटी, नागौर, नीम का थाना, निम्बाहेड़ा, पलसाना, उदयपुर-I एवं उदयपुर-II

[3] उपमहानिरीक्षक अजमेर, भीलवाड़ा, बीकानेर, उदयपुर एवं जयपुर।

[4] कलेक्टर अजमेर, भीलवाड़ा, बीकानेर, चित्तौड़गढ़, नागौर, प्रतापगढ़ एवं उदयपुर, खनि अभियन्ता भीलवाड़ा, बीकानेर एवं नागौर।

5.8.3 लक्ष्य एवं प्राप्ति

2006-07 से 2012-13 के दौरान कर संग्रहण के लक्ष्य एवं प्राप्ति की वर्षवार स्थिति निम्नलिखित तालिका में दर्शायी गयी है:

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	वर्ष	बजट अनुमान	वसूला गया भूमि कर
1	2006-07	5.00	52.85
2	2007-08	50.00	50.96
3	2008-09	200.00	228.16
4	2009-10	350.00	132.14
5	2010-11	230.00	291.66
6	2011-12	300.00	178.05
7	2012-13	300.00	150.33
	कुल	**1,435.00**	**1,084.15**

स्रोत: सूचना महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक, अजमेर द्वारा प्रदत्त।

यह देखा गया कि प्रारम्भिक तीन वर्षो 2006-07 से 2008-09 में कर संग्रहण लक्ष्यों से अधिक रहा। तथापि, विभाग वर्ष 2009-10, 2011-12 तथा 2012-13 के लिये निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति में सफल नहीं रहा जिसका मुख्य कारण दरों का भूतलक्षी प्रभाव से कम होना रहा। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2008-09 तथा 2010-11 के दौरान पुरानी बकाया की वसूली के कारण इन वर्षो में अधिक राशि संग्रहित हुई।

लेखापरीक्षा के निष्कर्ष

5.8.4 आधारभूत अभिलेखों के संधारण का अभाव

मांग एवं संग्रहण रजिस्टर के संधारण का अभाव

वित्त अधिनियम, 2006 तथा उसके तहत बनाये गये नियमों में कर की मांग, संग्रहण तथा बकाया करों के संग्रहण की स्थिति के अनुश्रवण के लिये अन्य राजस्व विभागों की तरह संधारित होने वाले मांग एवं संग्रहण रजिस्टर के संधारण के प्रावधान नहीं रखे गये। लेखापरीक्षा के दौरान पाया गया कि किसी भी चयनित निर्धारण अधिकारी द्वारा कर की मांग एवं उनके संग्रहण के अनुश्रवण के लिये मांग एवं संग्रहण रजिस्टर संधारित नहीं किया गया। ऐसे रजिस्टर के अभाव में, लेखापरीक्षा बकाया कर की मांग एवं संग्रहण में विभाग की कार्यदक्षता का निर्धारण एवं विश्लेषण नहीं कर पाया।

निर्धारण अधिकारियों द्वारा आपत्ति पुस्तिका का संधारण नहीं करना

राजस्थान भूमि कर नियम, 2006 के अनुसार निर्धारण अधिकारियों द्वारा आपत्ति पुस्तिका का संधारण किया जाना चाहिये। यह पाया गया कि मापक जाँच हेतु चयनित किसी भी उप पंजीयक द्वारा प्रपत्र-3 में आपत्ति पुस्तिका का संधारण नहीं किया गया जिसमें निर्धारितियों द्वारा निर्धारण एवं मूल्यांकन बाबत् उठाई गयी सभी आपत्तियों को दर्ज किया जाना था। इसके अतिरिक्त, आवेदक को अपने दावे के समर्थन में साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु व्यक्तिगत रूप से अथवा अपने अभिकर्ता के माध्यम से सुनवाई का मौका दिये जाने के पश्चात् उसके परिणाम निर्धारण अधिकारी द्वारा आपत्ति पुस्तिका में दर्ज किये जाने थे। तथापि, यह देखा गया कि ऐसी कोई प्रणाली विकसित अथवा अंगीकृत नहीं की गयी जिसके परिणामस्वरूप, कर निर्धारण को अंतिम रूप देने से पूर्व भूमि कर के निर्धारण एवं मूल्यांकन बाबत् निर्धारितियों द्वारा उठाई गई सभी आपत्तियों पर विचार तथा शीघ्र निस्तारण को, लेखापरीक्षा में सुनिश्चित नहीं किया जा सका।

प्रकरण विभाग की जानकारी में लाया गया (सितम्बर 2013) तथा सरकार को प्रतिवेदित किया गया (दिसम्बर 2013)। सरकार द्वारा प्रत्युत्तर में लेखापरीक्षा आपत्ति स्वीकार की गयी (फरवरी 2014)।

5.8.5 अन्तरिम कर निर्धारण सूची बनाने हेतु सर्वे किये जाने का अभाव

राजस्थान भूमि कर नियम, 2006 के नियम 3 के अनुसार सम्बन्धित निर्धारण अधिकारी भूमि कर की अदायगी के लिये दायी व्यक्तियों की पहचान तथा भूमि का सर्वे करेगा। इसके अतिरिक्त नियम 4 के अनुसार पूछताछ के पश्चात्, निर्धारण अधिकारी द्वारा अन्तरिम कर निर्धारण सूची तैयार की जायेगी तथा भूमि का बाजार मूल्य निर्धारित किया जायेगा। तत्पश्चात्, निर्धारण अधिकारी द्वारा भूमि कर की वसूली के लिये व्यक्तियों को डिमाण्ड नोटिस जारी करेगा। (नियम 10)।

उप पंजीयकों के अभिलेखों की मापक जाँच के दौरान पाया गया कि उनके द्वारा अन्तरिम कर निर्धारण सूची बनाने के लिये अपने अधिकार क्षेत्र में न तो सर्वे किया गया न ही भूमि कर अदायगी के लिये दायी व्यक्तियों की पहचान ही की गयी। स्पष्ट प्रावधानों के बावजूद, उप पंजीयकों द्वारा खनिज पट्टों के सम्बन्ध में निर्धारितियों की सूचना खनिज विभाग के कार्यालयों से प्राप्त तथा औद्योगिक भूमियों के सम्बन्ध में सूचना उनके स्वयं के राजस्व अभिलेखों से एकत्र की गयी। उप पंजीयकों द्वारा व्यक्तियों की पहचान तथा स्वतंत्र सर्वे किये बिना उक्त सूचना के आधार पर कर निर्धारण आदेश जारी किये गये। सर्वे किये जाने की विफलता के परिणामस्वरूप भूमि कर के निर्धारण एवं संग्रहण में गंभीर कमियाँ पाई गई जैसा कि अनुवर्ती अनुच्छेदों में चर्चा की गयी है।

प्रकरण विभाग की जानकारी में लाया गया (सितम्बर 2013) तथा सरकार को प्रतिवेदित किया गया (दिसम्बर 2013)। सरकार द्वारा सर्वे नहीं करने के तथ्य को स्वीकार (फरवरी 2014) करते हुए बताया गया कि यह एक प्रक्रियात्मक कमी थी।

5.8.6 प्रमाणित अन्तिम कर निर्धारण सूची तैयार किये जाने का अभाव

वित्त अधिनियम, 2006 की धाराएँ 38(सी) तथा 39(बी) केवल कृषि, आवासीय एवं लोकोपयोगिता के लिये धारित या उपयोग में ली जा रही भूमि को भूमि कर के भुगतान से मुक्त रखती है।

वित्त अधिनियम की धारा 40 के अनुसार निर्धारण अधिकारी द्वारा अन्तरिम कर निर्धारण सूची जिसमें ऐसी सभी भूमियों, जिनसे कर लिया जाना है, का विवरण दर्शाते हुए तैयार की जायेगी। धारा 41 के अनुसार, कोई भी व्यक्ति अन्तरिम कर निर्धारण सूची में प्रविष्टि से असंतुष्ट होने पर, निर्धारिती को निरीक्षण के लिये उपलब्ध कराई गयी सूची की दिनांक से 30 दिनों की अवधि के भीतर, निर्धारण अधिकारी को इस सम्बन्ध में आपत्ति दर्ज करा सकेगा। राजस्थान भूमि कर नियमों के नियम 5 के अनुसार, निर्धारण अधिकारी, एक दैनिक समाचार पत्र जो उस स्थान में प्रचारित होता हो जहाँ भूमि अवस्थित है, में प्रपत्र-2 में सार्वजनिक सूचना प्रकाशित करायेगा। इसके अतिरिक्त, धारा 42 के अनुसार जहाँ अन्तरिम कर निर्धारण सूची में दर्शित भूमि के सम्बन्ध में आपत्ति दर्ज होती है, निर्धारण अधिकारी सुनवाई का समुचित अवसर देने तथा आपत्तिकर्ता के द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत करने के बाद आपत्ति निर्णित करेगा तथा ऐसी भूमि के सम्बन्ध में सूची में प्रविष्टियों की पुष्टि, सुधार या संशोधन करेगा। अन्तरिम कर निर्धारण सूची उसके बाद निर्धारण अधिकारी द्वारा सम्यक रूप से प्रमाणित की जायेगी।

नियम 10 के तहत, निर्धारण अधिकारी धारा 47 तथा 49 के अन्तर्गत, जैसी भी स्थिति हो, कर या पेनल्टी की मांग का नोटिस जारी करेगा।

अभिलेखों की मापक जाँच के दौरान पाया गया कि:

- किसी भी चयनित उप पंजीयक द्वारा अन्तरिम कर निर्धारण सूची तैयार करने के बाद, प्रचारित नहीं की गयी। सूचियों को किसी भी समाचार पत्र जो उस स्थान में वितरित होता हो जहाँ भूमि अवस्थित है, में प्रकाशित नहीं किया गया।
- उप पंजीयक, खेतड़ी तथा नीम का थाना के अन्तर्गत आठ निर्धारितियों द्वारा अन्तरिम कर निर्धारण सूची के विरुद्ध आपत्तियाँ प्रस्तुत की गयी। तथापि,

निर्धारण अधिकारियों द्वारा इन आपत्तियों पर विचार किये बिना तथा निर्धारितियों को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना, एकतरफा रूप से कर निर्धारण आदेशों को अन्तिम रूप दे दिया तथा कुर्की वारन्ट जारी कर दिये गये।

- किसी भी चयनित उप पंजीयक द्वारा अंतिम प्रमाणित कर निर्धारण सूची तैयार नहीं की गयी तथा वसूली के लिये प्रपत्र-8 में मांग जारी कर दी, यद्यपि भूमि कर की मांग एवं वसूली के उद्देश्य से, निर्धारण अधिकारी द्वारा कर की मांग व संग्रहण के लिये अन्तिम प्रमाणित कर निर्धारण सूची तैयार करना एक शर्त थी।
- निर्धारण अधिकारियों द्वारा कृषि, आवासीय तथा जनोपयोगी उद्देश्यों के लिये उपयोग में लिये जा रहे क्षेत्र को शामिल कर भूमि के संपूर्ण क्षेत्र पर कर लगा दिया गया। इसके अतिरिक्त, निर्धारण अधिकारी द्वारा खनिज पट्टा के लिये मूल रूप से दिये गये भूमि क्षेत्र के पूर्णतया अथवा आंशिक रूप से समर्पित करने के उपरान्त भी संपूर्ण क्षेत्र पर कर आरोपित कर दिया गया।

प्रकरण विभाग की जानकारी में लाया गया (सितम्बर 2013) तथा सरकार को प्रतिवेदित किया गया (दिसम्बर 2013)। सरकार द्वारा स्वीकार किया गया (फरवरी 2014) कि यह एक प्रक्रियात्मक कमी थी।

5.8.7 भूमि कर के निर्धारण से बच जाना

राजस्थान भूमि कर नियम, 2006 के नियम 8 के अनुसार जहाँ किसी भूमि अथवा उसके भाग के सम्बन्ध में कर, किसी कारण से निर्धारण से बच जाता है, उप पंजीयक भूमिधारक को नोटिस जारी करेगा।

सात लोक कार्यालयों[5] के अभिलेखों की मापक जाँच में उजागर हुआ कि 14 उप पंजीयकों[6] के द्वारा उनके क्षेत्राधिकार में आने वाले 18 निर्धारितियों के लिये भूमि कर का निर्धारण नहीं किया गया। ये निर्धारिती भूमि कर के निर्धारण से बच गये क्योंकि निर्धारण अधिकारियों द्वारा भूमि कर भुगतान के दायी व्यक्तियों की पहचान के लिये अपने क्षेत्र में सर्वे नहीं कराये गये जिसके परिणामस्वरूप भूमि कर राशि ₹ 7.29 करोड़ का अनारोपण रहा।

प्रकरण विभाग की जानकारी में लाया गया (सितम्बर 2013) तथा सरकार को प्रतिवेदित किया गया (दिसम्बर 2013)। सरकार द्वारा जवाब (फरवरी 2014) में बताया गया कि तीन निर्धारितियों से ₹ 0.10 करोड़ वसूल कर लिये गये हैं, अन्तरिम निर्धारण के पश्चात् पाँच निर्धारितियों को डिमाण्ड नोटिस जारी किये गये

[5] कलेक्टर बीकानेर, चित्तौड़गढ़, नागौर, प्रतापगढ़, उदयपुर तथा खनि विभाग भीलवाड़ा एवं बीकानेर।

[6] अजमेर-II, अरनोद, बेगू, बीकानेर-I, बीकानेर-II, डीडवाना, जायल, कपासन, खींवसर, कोलायत, कोटड़ी, मावली, नागौर एवं प्रतापगढ़।

तथा एक मामला ₹ 0.08 करोड़ निरस्त किया गया। शेष नौ मामलों के लिये, विभाग ने बताया कि अनुपालना हेतु सम्बन्धित उपमहानिरीक्षक को निर्देश जारी किये गये।

5.8.8 निर्धारण अधिकारी द्वारा भूमि कर का निर्धारण

5.8.8.1 त्रुटिपूर्ण दर लागू करने के कारण भूमि कर का कम निर्धारण

सरकार की अधिसूचना दिनांक 9 मार्च 2007 जो 19 जून 2007 को संशोधित हुई, के अनुसार, जिप्सम युक्त भूमि पर भूमि कर ₹ 2 प्रति वर्गमीटर या भूमि के बाजार मूल्य के 10 प्रतिशत, जो भी कम हो, की दर से प्रभार्य होगा।

उप पंजीयक, बीकानेर-I के अभिलेखों की मापक जाँच के दौरान पाया गया कि निर्धारण अधिकारी द्वारा मैसर्स एफ सी आई अरावली मिल्स, जोधपुर पर वर्ष 2007-08 के लिये जिप्सम खनन के लिये धारित भूमि पर, भूमि के बाजार मूल्य के 10 प्रतिशत की दर से राशि ₹ 3.12 लाख के स्थान पर भूमि के बाजार मूल्य के 5 प्रतिशत की दर से राशि ₹ 1.56 लाख का आरोपण किया गया। इस प्रकार, त्रुटिपूर्ण दर पर भूमि कर के आरोपण के परिणामस्वरूप राशि ₹ 1.56 लाख भूमि कर का कम आरोपण हुआ।

प्रकरण विभाग की जानकारी में लाया गया (सितम्बर 2013) तथा सरकार को प्रतिवेदित किया गया (दिसम्बर 2013)। सरकार द्वारा जवाब (फरवरी 2014) में बताया गया कि सम्बन्धित कार्यालयों को अनुपालना प्रस्तुत करने के लिये निर्देशित कर दिया गया है।

5.8.8.2 खनिज के गलत वर्गीकरण के कारण भूमि कर का कम निर्धारण

राजस्थान सरकार द्वारा मार्च 2007 में जारी अधिसूचना में जिंक, कॉपर, रॉक फॉस्फेट, सीमेन्ट एवं एसएमएस ग्रेड लाईमस्टोन युक्त भूमियों पर भूमि कर की दरें निर्धारित की गयी हैं। अधिसूचनाओं के अनुसार, सीमेन्ट तथा एसएमएस ग्रेड लाईमस्टोन युक्त भूमियों पर भूमि कर ₹ 4 प्रति वर्गमीटर या भूमि के बाजार मूल्य के 10 प्रतिशत, जो भी कम हो, की दर से प्रभार्य होगा। 10 हैक्टेयर या अधिक क्षेत्रफल युक्त उक्त भूमियों के अलावा अन्य भूमि के सम्बन्ध में भूमि कर की दर ₹ 0.75 या भूमि के बाजार मूल्य के 5 प्रतिशत, जो भी कम हो, होगी।

उप पंजीयक, नीम का थाना के अभिलेखों की मापक जाँच के दौरान पाया गया कि निर्धारण अधिकारी द्वारा मैसर्स लक्की मिनमेट प्राइवेट लिमिटेड, नीम का थाना के विरुद्ध वर्ष 2006-07 से 2011-12 की अवधि के लिये 24.35 हैक्टेयर भूमि पर ₹ 8.38 लाख भूमि कर का आरोपण किया गया। अधिसूचना के अनुसार भूमि

कर ₹ 52.40 लाख देय था। गलत दर पर कर के आरोपण के परिणामस्वरूप ₹ 44.02 लाख[7] राजस्व की कम प्राप्ति हुई।

प्रकरण विभाग की जानकारी में लाया गया (सितम्बर 2013) तथा सरकार को प्रतिवेदित किया गया (दिसम्बर 2013)। सरकार द्वारा जवाब (फरवरी 2014) में बताया गया कि मामले की जाँच की जायेगी तथा उसके परिणामों को सूचित कर दिया जायेगा।

5.8.8.3 त्रुटिपूर्ण कर निर्धारण आदेशों को जारी करना

वित्त अधिनियम की धारा 39 के अनुसार धारित या उपयोग में ली जा रही भूमियों पर अधिसूचना दिनांक 9 मार्च 2007 जो 19 जून 2007 को संशोधित हुई, के अनुसार निर्धारित दरों पर प्रत्येक वर्ष के लिये कर का आरोपण तथा संग्रहण किया जायेगा।

अभिलेखों की मापक जाँच के दौरान यह पाया गया कि:

- सम्बन्धित निर्धारण अधिकारियों द्वारा कैमिकल लाईमस्टोन खनन के काम में लगे तीन उप पंजीयक कार्यालयों[8] के 80 पट्टा धारकों के विरुद्ध भूमि कर राशि ₹ 6.00 करोड़ की मांग निकाली गयी। तथापि, संवीक्षा में प्रकट हुआ कि व्यक्ति द्वारा प्रत्येक मामले में 10 हैक्टेयर से कम पट्टा क्षेत्र धारित किया हुआ था, इसलिये ये पट्टाधारक कर भुगतान के लिये जिम्मेदार नहीं थे।
- सात उप पंजीयक कार्यालयों[9] के नौ मामलों में भूमि कर का निर्धारण निर्धारित दरों के स्थान पर उच्चतर दरों पर किया गया। इसके परिणामस्वरूप राशि ₹ 4.87 करोड़ के भूमि कर का अधिक निर्धारण हुआ।

प्रकरण विभाग की जानकारी में लाया गया (सितम्बर 2013) तथा सरकार को प्रतिवेदित किया (सितम्बर 2013) गया। सरकार द्वारा जवाब (फरवरी 2014) में बताया गया कि मामलों की जाँच की जा रही है।

[7] अधिसूचना दिनांक 9 मार्च 2007 के क्रम संख्या 7 के अनुसार विभाग द्वारा अवधि 2006-07 से 2008-09 के लिये भूमि कर ₹ 1.82 लाख प्रतिवर्ष की दर से तथा अवधि 2009-10 से 2011-12 के लिये ₹ 97,400 प्रतिवर्ष की दर से जो ₹ 5.46 लाख एवं ₹ 2.92 लाख कुल ₹ 8.38 लाख आती है, गणना की गयी। तथापि, अधिसूचना दिनांक 31 मार्च 2006 के अनुसार वर्ष 2006-07 के लिये भूमि कर बाजार मूल्य के 5 प्रतिशत या ₹ 4 प्रतिवर्ग मीटर जो भी कम हो, से गणना की जानी चाहिये थी तथा अवधि 2007-08 से 2011-12 के लिये अधिसूचना दिनांक 19 जून 2007 के क्रम संख्या 4 के आधार पर ₹ 10.38 लाख प्रतिवर्ष की दर से गणना की जानी चाहिए थी जो कुल ₹ 52.40 लाख आती है।

[8] कोटड़ी (2006-07 से 2011-12, ₹ 8,93,352), मेड़ता सिटी (2007-08 से 2012-13, ₹ 1,00,95,619) एवं नागौर (2007-08 से 2012-13 ₹ 4,89,24,500) = ₹ 5,99,13,471

[9] अजमेर-II, भीलवाड़ा, धरियावद, हुरड़ा, नागौर, निम्बाहेड़ा एवं उदयपुर-I

5.8.9 मांग नोटिस जारी होने में विलम्ब

राजस्थान भूमि कर नियमों के नियम 10 सपठित वित्त अधिनियम, 2006 की धारा 47(2) के अनुसार कर आरोपण करने वाला निर्धारण अधिकारी, जैसे ही कर देय होता है, प्रपत्र-8 में विहित सभी विवरणों सहित, मांग की सूचना मालिक को भेजकर नोटिस देने की दिनांक से 30 दिवस की अवधि में बकाया कर की अदायगी के लिये मांग करेगा।

दो उप पंजीयकों (नीम का थाना तथा खेतड़ी) के अभिलेखों की मापक जाँच के दौरान पाया गया कि निर्धारण अधिकारियों द्वारा वर्ष 2006-07 से 2011-12 से सम्बन्धित कर निर्धारण आदेशों के लिये मांग नोटिस 26 तथा 1,573 दिनों के विलम्ब के बाद जारी किये गये। परिणामस्वरूप, ₹ 36.60 करोड़ के कर संग्रहण में विलम्ब हुआ।

प्रकरण विभाग की जानकारी में लाया गया (सितम्बर 2013) तथा सरकार को प्रतिवेदित किया गया (दिसम्बर 2013)। सरकार द्वारा जवाब (फरवरी 2014) में लेखापरीक्षा आपत्ति स्वीकार की तथा बताया कि यह प्रक्रियात्मक कमी थी।

5.8.10 शास्ति के लिये मांग कायमी का अभाव

वित्त अधिनियम, 2006 की धारा 49(1) के अनुसार जब निर्धारिती अदायगी योग्य कर की किसी किस्त के भुगतान में चूक करता है तो वह कर की बकाया राशि के साथ, कर की राशि के बराबर राशि, शास्ति के रूप में अदा करेगा, परन्तु यह कि जहाँ कर निर्धारण आदेश के विरुद्ध कोई अपील विचाराधीन है, निर्धारिती, शास्ति अदा करने के लिये उत्तरदायी नहीं होगा, यदि बकाया कर उस अपील के बकाया रहने के दौरान अथवा उसके निर्णय के 30 दिनों के भीतर अदा कर दिया गया हो।

चार उप पंजीयकों के अभिलेखों की मापक जाँच में प्रकट हुआ कि निर्धारण अधिकारियों द्वारा निर्धारितियों के विरुद्ध शास्ति ₹ 16.77 करोड़ की मांग कायम नहीं की गयी जिन्होंने निर्णय की दिनांक से 30 दिनों की निर्धारित अवधि के भीतर मांग जमा नहीं कराई गयी। विवरण निम्न प्रकार है:

5.8.10.1 उप पंजीयक, खेतड़ी के अभिलेखों की संवीक्षा में पाया गया कि तीन खनिज पट्टों के लिये भूमि कर की वसूली हेतु मैसर्स हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड, खेतड़ी को उप पंजीयक खेतड़ी द्वारा जारी निर्धारण/मांग नोटिसों के प्रतिवादित आदेशों को माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा समाप्त कर दिया गया (4 मार्च 2011)। न्यायालय द्वारा अधिनियम तथा नियमों में निर्दिष्ट प्रावधानों को

ध्यान में रखते हुये निर्धारिती को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करने के पश्चात् नये सिरे से कर निर्धारण करने हेतु प्रकरण निर्धारण अधिकारी को वापस भेजा गया।

न्यायालय आदेश की अनुपालना में, उप पंजीयक द्वारा छः माह से अधिक अवधि के बाद प्रकरण पर अंतिम निर्णय किया (21 सितम्बर 2011) तथा अवधि 2006-07 से 2011-12 के लिये बकाया कर ₹ 15.43 करोड़ के अंतर की गणना की। संवीक्षा में प्रकट हुआ कि यद्यपि निर्धारण अधिकारी द्वारा बकाया कर पर अंतिम आदेश जारी कर दिये किन्तु, निर्धारिती द्वारा अगस्त 2013 तक बकाया कर जमा नहीं कराया गया। इसके उपरान्त भी, उप पंजीयक द्वारा ₹ 15.43 करोड़ की शास्ति अधिरोपित नहीं की गयी। इस प्रकार, भूमि कर तथा शास्ति कुल ₹ 30.87 करोड़ वसूलनीय थे।

5.8.10.2 उप पंजीयक, खेतड़ी के अन्य मामले में, पाया गया कि एक फर्म मैसर्स नन्द लाल अग्रवाल एण्ड सन्स अवधि 2006-07 के राशि ₹ 5.48 लाख के कर निर्धारण आदेश के विरुद्ध यह कहते हुये माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की शरण में गयी (27 फरवरी 2007) कि निर्धारण अधिकारी द्वारा अन्तिम प्रमाणित कर निर्धारण सूची तैयार किये बिना तथा अभ्यावेदन के लिये उचित अवसर प्रदान किये बिना कर निर्धारण आदेश पारित कर दिये गये। न्यायालय द्वारा अग्रिम कार्यवाही पर स्थगन प्रदान किया गया तथा फर्म को भूमि कर की 50 प्रतिशत राशि अदा करने का निर्देश दिया गया। फर्म ने न्यायालय के आदेश की पालना में अवधि 2006-07 से 2008-09 के लिये भूमि कर की 50 प्रतिशत राशि ₹ 2.74 लाख जमा कराई।

निर्धारण अधिकारी द्वारा वर्ष 2009-10 के लिये अन्तरिम कर निर्धारण सूची बनाई गयी तथा फर्म की सुनवाई कर 24.38 हैक्टेयर क्षेत्र पर भूमि कर आरोपण के लिये सहमत हुये। निर्धारिती द्वारा तत्पश्चात् कर निर्धारण आदेश के अनुसार वर्ष 2009-10, 2010-11 तथा 2011-12 के लिये भूमि कर राशि ₹ 2.93 लाख (प्रत्येक वर्ष के लिये ₹ 97,550.00) अदा किया गया। यह पाया गया कि फर्म द्वारा वर्ष 2009-10 तथा 2010-11 के लिये मांग के विरुद्ध अदायगी क्रमशः 122 तथा 264 दिनों के पश्चात् की गयी। किन्तु, निर्धारण अधिकारी द्वारा निर्धारण वर्ष 2009-10 तथा 2010-11 के लिये फर्म पर पेनल्टी ₹ 1.95 लाख आरोपित नहीं की गयी।

इस दौरान, न्यायालय द्वारा 2006-07 से 2008-09 के लिये कर निर्धारण आदेश निरस्त कर दिये गये (4 मार्च 2011) तथा निर्धारण अधिकारी को निर्धारिती को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करने के बाद नया कर निर्धारण आदेश जारी करने के निर्देश दिये गये। संवीक्षा में प्रकट हुआ कि खनन क्षेत्र में कोई परिवर्तन नहीं होने के कारण फर्म के विरुद्ध कर की मांग वही रही। बार-बार मांग नोटिस जारी होने के बावजूद फर्म द्वारा भूमि कर ₹ 2.74 लाख जमा नहीं कराये गये (अगस्त 2013 तक)।

5.8.10.3 उप पंजीयक, खेतड़ी तथा निम्बाहेड़ा की कर निर्धारण पत्रावलियों की मापक जाँच के दौरान पाया गया कि दो निर्धारितियों (मैसर्स शाकम्बरी माँ मिनरल्स प्राईवेट लिमिटेड, खेतड़ी तथा मैसर्स जैन एग्रो डिस्टीलरी प्राइवेट लिमिटेड, निम्बाहेड़ा) द्वारा भूमि कर विलम्ब से जमा कराया गया। यह पाया गया कि मैसर्स शाकम्बरी माँ मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड, खेतड़ी ने अवधि 2006-07 से 2011-12 के लिये भूमि कर ₹ 8.05 लाख निर्धारित तिथि से 147 तथा 411 दिनों के बीच विलम्ब से जमा कराया। मैसर्स जैन एग्रो डिस्टीलरी प्राइवेट लिमिटेड, निम्बाहेड़ा ने अवधि 2006-07 से 2007-08 के लिये ₹ 5.31 लाख का बकाया भूमि कर मांग नोटिस की तिथि से 29 दिन विलम्ब के बाद जमा कराया। तथापि, निर्धारण अधिकारी द्वारा उनके विरुद्ध ₹ 13.36 लाख की शास्ति आरोपित नहीं की गयी।

5.8.10.4 उप पंजीयक, पलसाना की भूमि कर की कर निर्धारण पत्रावलियों की मापक जाँच में पाया गया कि दो निर्धारितियों, श्री गिरधारी सिंह तथा ओमपाल सिंह द्वारा अवधि 2006-07 से 2009-10 के लिये ₹ 1.12 करोड़ का भूमि कर बार-बार मांग नोटिस जारी होने के बावजूद कर अदा नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त, उप पंजीयक, खण्डेला कार्यालय में श्री पराक्रम सिंह द्वारा भी अवधि 2006-07 से 2011-12 के लिये ₹ 0.07 करोड़ का भूमि कर अदा नहीं किया गया। इस प्रकार कुल ₹ 1.19 करोड़ का भूमि कर बकाया था। आगे यह पाया गया कि निर्धारण अधिकारी द्वारा इन चूककर्ताओं के विरुद्ध ₹ 1.19 करोड़ की शास्ति नहीं लगायी गयी। इस प्रकार, कुल राशि ₹ 2.38 करोड़ अवसूलनीय रही।

प्रकरण विभाग की जानकारी में लाया गया (सितम्बर 2013) तथा सरकार को प्रतिवेदित किया गया (दिसम्बर 2013)। सरकार द्वारा जवाब (फरवरी 2014) में बताया कि उक्त मामलों में प्रगति सूचित कर दी जायेगी।

5.8.11 आन्तरिक नियंत्रण

आन्तरिक नियंत्रण का उद्देश्य कानूनों, नियमों, कार्यपालिका के निर्देशों इत्यादि के उचित क्रियान्वयन के लिये युक्तियुक्त आश्वासन उपलब्ध कराना होता है। ऐसे नियंत्रण विभाग की कार्यप्रणाली की आन्तरिक लेखापरीक्षा द्वारा आवधिक तथा प्रभावी निगरानी के माध्यम से लागू किये जाते हैं।

जैसा कि पूर्व पैराग्राफों में उद्धृत किया गया है, उप पंजीयकों द्वारा भूमि कर के लिये निर्धारण अधिकारियों के रूप में कार्य करते हुए न तो सर्वे किया गया न ही ऐसे व्यक्तियों की पहचान की गयी जिन पर कर आरोपणीय था। निर्धारण अधिकारी प्रमाणित अन्तिम कर निर्धारण सूची को तैयार करने तथा समाचार पत्र में इनके प्रकाशन में विफल रहे। इसके अतिरिक्त, निर्धारितियों को अभ्यावेदन करने का समुचित अवसर नहीं दिया गया, जिसके परिणामस्वरूप वे न्यायालय की शरण में चले गये तथा वसूली बाधित हो गयी। आन्तरिक नियंत्रण की अन्य कमियों पर चर्चा अनुवर्ती अनुच्छेदों में की गयी है।

5.8.11.1 किश्तों में कर के भुगतान के प्रावधान का अभाव

राजस्थान भूमि कर नियमों के नियम 11 सपठित वित्त अधिनियम, 2006 की धारा 47(1) के अनुसार भूमि कर की अदायगी प्रपत्र-9 में चालान के द्वारा सम्बन्धित ट्रेजरी में अथवा सम्बन्धित निर्धारण अधिकारी के पक्ष में, किश्तों में, जैसी भी निर्धारित की जावे, में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अधिसूचित या अनुमोदित किसी बैंक द्वारा जारी डिमाण्ड ड्राफ्ट या रेखांकित चैक के द्वारा, की जायेगी।

यह पाया गया कि विभाग ने वित्त अधिनियम, 2006 की धारा 47(1) के प्रावधानों का पालन नहीं किया तथा राजस्थान भूमि कर नियम, 2006 में अथवा किसी कार्यपालिका के निर्देश के द्वारा किश्तों में कर की अदायगी का प्रावधान करने में असफल रहा। अधिनियम की मंशा अदायगी योग्य भूमि कर की राशि अत्यधिक होने के मामलों में किश्तों में भुगतान को आसान करने की थी। ऐसे प्रावधान के होने से भूमि कर के संग्रहण पर सकारात्मक प्रभाव होता।

प्रकरण विभाग की जानकारी में लाया गया (सितम्बर 2013) तथा सरकार को प्रतिवेदित किया गया (दिसम्बर 2013)। सरकार द्वारा लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार (फरवरी 2014) किया गया तथा बताया गया कि यह एक प्रक्रियात्मक कमी थी।

5.8.11.2 कोषालयों से चालानों के मिलान का अभाव

राजस्थान भूमि कर नियम, 2006 के नियम 12 के अनुसार, सम्बन्धित निर्धारण अधिकारी प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में प्रपत्र-10 में चालान का एक विवरण तैयार करेगा तथा इसे सत्यापन के लिये कोष अधिकारी को अग्रेषित करेगा। इसके अतिरिक्त, सत्यापन के समय कोष अधिकारी को यदि कोई असंगतता को पता चलता है तो वह सम्बन्धित निर्धारण अधिकारी को सूचित करेगा, जो लेखों के मिलान के लिये कोष अधिकारी को आवश्यक अभिलेख प्रेषित करेगा।

पाँच उप पंजीयक कार्यालयों[10] के अभिलेखों की मापक जाँच में पाया गया कि नौ निर्धारितियों द्वारा ₹ 15.21 करोड़ (2006-07 से 2011-12) के भूमि कर की राशि जमा कराई गयी। सम्बन्धित निर्धारण अधिकारियों द्वारा फिर भी प्रपत्र-10 में चालानों का विवरण तैयार नहीं किया गया। मिलान के अभाव में, भूमि कर के संग्रहण तथा प्रेषण में गलती की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता।

[10] चित्तौडगढ़, हुरड़ा, नागौर, निम्बाहेड़ा एवं उदयपुर-I

प्रकरण विभाग की जानकारी में लाया गया (सितम्बर 2013) तथा सरकार को प्रतिवेदित किया (दिसम्बर 2013)। सरकार ने अपने जवाब (फरवरी 2014) में लेखापरीक्षा आपत्ति स्वीकार नहीं की तथा बताया कि भूमि कर की राशि का मिलान कर लिया गया है। सरकार का जवाब मान्य नहीं है क्योंकि निर्धारण अधिकारियों द्वारा कोषालय से चालानों के सत्यापन के लिये निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया।

5.8.11.3 आन्तरिक लेखापरीक्षा

आन्तरिक लेखापरीक्षा, राजस्व की सुरक्षा तथा कमियों की पहचान के लिये आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली का एक आवश्यक भाग है। राजस्थान भूमि कर नियम, 2006 में आन्तरिक लेखापरीक्षा के लिये प्रावधानों का समावेश नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त, विभाग द्वारा अभिलेखों के निरीक्षण के लिये कोई प्रक्रिया नहीं बनायी गयी।

यह देखा गया कि विभाग द्वारा किसी भी मापक जाँच हेतु लिये गये उप पंजीयकों की 2006-07 से 2011-12 के दौरान आन्तरिक लेखापरीक्षा संपादित नहीं की गयी।

प्रकरण विभाग की जानकारी में लाया गया (सितम्बर 2013) तथा सरकार को प्रतिवेदित किया (दिसम्बर 2013)। सरकार द्वारा जवाब (फरवरी 2014) में तथ्यों को स्वीकार किया गया तथा बताया कि भूमि कर की आंतरिक लेखापरीक्षा के लिये पृथक मानवशक्ति स्वीकृत नहीं थी।

5.8.12 निष्कर्ष

निर्धारण अधिकारियों द्वारा अन्तरिम कर निर्धारण सूची को तैयार करने के उद्देश्य से भूमि कर अदायगी के लिये उनके अपने क्षेत्र का न तो सर्वे किये गये न ही कर अदायगी के दायी व्यक्तियों की पहचान की गयी। अन्तरिम कर निर्धारण सूचियों को, निर्धारितियों द्वारा उठाई गयी आपत्तियों पर विचार किये बिना तथा उनको सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना, अन्तिम रूप दिया गया। अन्तिम प्रमाणित कर निर्धारण सूचियों का प्रकाशन नहीं किया गया। कर निर्धारण आदेशों को धारा 38(सी) में दी गयी 'भूमि' की परिभाषा पर विचार किये बिना जारी किया गया। निर्धारण अधिकारियों द्वारा भी उन निर्धारितियों पर शास्ति कायम नहीं की गयी जो निर्धारित अवधि में कर जमा कराने में विफल रहे।

5.9 लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ

विभिन्न पंजीयन कार्यालयों के अभिलेखों की संवीक्षा के दौरान अनेक मामलों में राजस्थान मुद्रांक अधिनियम, 1998 तथा पंजीयन अधिनियम, 1908 के प्रावधानों का अनुपालन किया जाना नहीं पाया गया। ये प्रकरण उदाहरणस्वरूप हैं तथा लेखापरीक्षा द्वारा की गई मापक जाँच पर आधारित हैं। इनमें से कुछ त्रुटियां पूर्व लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों द्वारा भी ध्यान में लाई गई हैं। तथापि, ऐसी अनियमितताएँ अभी तक जारी हैं। इसलिये, विभाग में आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में सुधार करने की आवश्यकता है, ताकि ऐसे प्रकरणों की पुनरावृत्ति से बचा जा सके।

5.10 अधिनियमों/नियमों के प्रावधानों की अनुपालना नहीं करना

राजस्थान मुद्रांक अधिनियम, 1998, पंजीयन अधिनियम, 1908 तथा राज्य सरकार की अधिसूचनाओं में निम्नानुसार प्रावधान हैं:

(क) सम्पत्ति के बाजार मूल्य पर मुद्रांक कर का आरोपण;

(ख) जहाँ अचल सम्पत्ति सरकार, नगर सुधार न्यासों आदि द्वारा आवंटित/विक्रय की जाती है, तो मुद्रांक कर का आरोपण, प्रतिफल, ब्याज, शास्ति आदि के मूल्य पर होगा;

(ग) डेवलपमेन्ट अनुबंध के पंजीकृत न होने/गलत वर्गीकरण तथा भूमि के हस्तान्तरण पर मुद्रांक कर तथा पंजीयन शुल्क का आरोपण, जहाँ पर यह केवल डेवलपमेन्ट अनुबंध के रूप में प्रस्तुत किया गया हो;

(घ) पट्टा विलेख के मामलों में विद्यमान प्रावधानों के अनुसार मुद्रांक कर का आरोपण; तथा

(ड़) राजस्थान निवेश नीति योजना, 2003 तथा 2010 की शर्तों के उल्लंघन/ पालना नहीं किये जाने पर मुद्रांक कर की दी गई छूट की वसूली।

लेखापरीक्षा के दौरान, यह देखा गया कि पंजीयन प्राधिकारियों द्वारा उपरोक्त प्रावधानों में से कुछ की पालना नहीं की। कुछ अनियमितताओं का अनुवर्ती अनुच्छेदों में उल्लेख किया गया है।

5.11 रिप्स के तहत मुद्रांक कर का अनियमित/अदेय लाभ

5.11.1 शर्तों के उल्लंघन पर मुद्रांक कर की छूट की वसूली न होना

राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना (रिप्स)-2003 के क्लॉज 8 तथा रिप्स-2010 के क्लॉज 5 सपठित पट्टा अनुबन्ध की शर्तों, के अनुसार औद्योगिक इकाइयों की स्थापना के लिये भूमि की खरीद या पट्टे हेतु निष्पादित लेख्यपत्रों पर दो वर्षों की अवधि के भीतर निर्माण तथा योजना में अनुमत्य अवधि के दौरान वाणिज्यिक उत्पादन या संचालन करने के शर्तों के अध्यधीन, मुद्रांक कर पर 50 प्रतिशत की छूट अनुमत्य की गयी। इसके अतिरिक्त, रिप्स-2003 के क्लॉज 10 तथा रिप्स-2010 के क्लॉज 9 के अनुसार, योजना में कहीं भी वर्णित किसी भी शर्त के उल्लंघन के मामले में, स्कीम के तहत प्राप्त लाभ वापस करने होंगे तथा जिस तारीख को लाभ प्राप्त हुए उस तारीख से 18 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित वसूलनीय होंगे।

उप पंजीयक, भिवाड़ी तथा जयपुर-प्रथम के अभिलेखों की मापक जाँच (दिसम्बर 2012 तथा जनवरी 2013) के दौरान पाया गया कि छः पट्टों का प्रारम्भिक निष्पादन सितम्बर 2009 तथा दिसम्बर 2011 के मध्य हुआ था। आवंटियों द्वारा उक्त भूखण्डों का अन्य व्यक्तियों को तदन्तर विक्रय (अप्रेल 2011 तथा मार्च 2012 के मध्य) योजना तथा पट्टा अनुबन्ध की शर्तों के उल्लंघन में इकाइयां स्थापित किये बिना पट्टा आवंटन के 1 से 19 माह के पश्चात् कर दिया गया। उप पंजीयक द्वारा हस्तान्तरितियों के पक्ष में दस्तावेजों के पंजीयन से पूर्व मुद्रांक कर की 50 प्रतिशत छूट राशि ₹ 58.93 लाख तथा ब्याज ₹ 18.88 लाख (दिसम्बर 2012 तक) वसूल नहीं किये गये। इसके परिणामस्वरूप मुद्रांक कर की छूट तथा ब्याज के ₹ 77.81 लाख की अवसूली रही।

प्रकरण विभाग की जानकारी में लाया गया (जनवरी तथा फरवरी 2013) तथा सरकार को प्रतिवेदित किया गया (जून 2013)। प्रत्युत्तर में, सरकार द्वारा चार मामलों में ₹ 43.61 लाख की वसूली तथा एक मामले में नोटिस जारी किया जाना सूचित (अक्टूबर 2013) किया। शेष मामले में प्रगति अपेक्षित रही (फरवरी 2014)।

5.11.2 मुद्रांक कर की छूट का अदेय लाभ देना

रिप्स-2010 के तहत, औद्योगिक इकाइयों की स्थापना के लिये भूमि की खरीद या लीज हेतु निष्पादित लेख्यपत्रों पर देय मुद्रांक कर पर 50 प्रतिशत की छूट अनुमत्य थी। इसके अतिरिक्त, रिप्स के परिशिष्ट-I के क्रम संख्या 4 के अनुसार, मुद्रांक कर में 50 प्रतिशत छूट केवल उन उद्यमों को मिलनी थी जो विद्यमान रूग्ण औद्योगिक इकाइयों के स्थान पर स्थापित होगी।

उप पंजीयक, जयपुर-पंचम के अभिलेखों की मापक जाँच के दौरान एक विक्रय विलेख में पाया गया (दिसम्बर 2012) कि पंजीयन प्राधिकारी द्वारा रिप्स 2010 की शर्तो के अनुसार ₹ 2.51 करोड़ की मुद्रांक कर की छूट दी गयी जो विलेख पर देय कुल मुद्रांक कर ₹ 5.02 करोड़ का 50 प्रतिशत था। उद्योग विभाग से छूट प्रमाण पत्र तथा विक्रय विलेख की लेखापरीक्षा संवीक्षा में प्रकट हुआ कि फर्म ने एक होटल प्रोजेक्ट के लिये प्लॉट क्रय किया, जिस पर विक्रेता का एक बॉटलिंग प्लान्ट चल रहा था जो एक रुग्ण औद्योगिक इकाई नहीं थी तथा इस प्रकार उसे मुद्रांक कर में 50 प्रतिशत छूट की हकदारिता नहीं थी। इस प्रकार, उप पंजीयक द्वारा क्रेता को ₹ 2.51 करोड़ की अदेय छूट दी गयी।

प्रकरण विभाग के ध्यान में लाया गया (जनवरी 2013) तथा सरकार को प्रतिवेदित किया गया (जून 2013)। सरकार ने प्रत्युत्तर में बताया कि उपमहानिरीक्षक (मुद्रांक) के यहाँ प्रकरण दर्ज करा दिया गया है।

5.12 पट्टा विलेखों के पंजीयन पर मुद्रांक कर का कम आरोपण

राजस्थान मुद्रांक अधिनियम, 1998 की अनुसूची के आर्टिकल 33(ए)(iii) के प्रावधानों के तहत जहाँ पट्टा 20 वर्षो से अधिक की अवधि के लिये या उसकी निरन्तरता में हो या जहाँ अवधि का उल्लेख नहीं हो, मुद्रांक कर सम्पत्ति के बाजार मूल्य पर हस्तान्तरण पत्र के समान प्रभार्य होगा।
इसके अतिरिक्त, उक्त आर्टिकल के नीचे दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार, पट्टे की अवधि में न केवल दस्तावेज में वर्णित अवधि शामिल होगी बल्कि इससे पूर्ववर्ती सभी पूर्व अवधियां भी जोड़ी हुई मानी जायेगी बशर्ते कि पट्टादाता तथा पट्टाग्राही वही हों।

5.12.1 दो उप पंजीयकों (जयपुर-VII तथा झाड़ोल-फलासिया) के अभिलेखों की जाँच पर यह पाया गया (अक्टूबर 2012 तथा जनवरी 2013) कि दो पट्टाविलेखों का पंजीयन 20 वर्षो से अधिक की अवधि के लिये किया गया था। इसके अतिरिक्त, एक अन्य मामले में, 26 दिसम्बर 2005 को मकान पट्टे पर दिया गया तथा 12 अगस्त 2011 से 15 वर्षो के लिये नया

पट्टा विलेख पूर्व पट्टा 25 जुलाई 2011 को निरस्त करने के बाद निष्पादित किया गया। उप पंजीयक द्वारा सम्पत्ति के बाजार मूल्य पर हस्तान्तरण पत्र के समान मुद्रांक कर प्रभार्य करने के स्थान पर पट्टा विलेख में दर्शित अवधि के लिये औसत किराये के आधार पर मुद्रांक कर वसूल किया गया। इसके परिणामस्वरूप कुल ₹11.73 लाख मुद्रांक कर तथा पंजीयन शुल्क का कम आरोपण हुआ।

प्रकरण विभाग के ध्यान में लाया गया (नवम्बर 2012 तथा फरवरी 2013) तथा सरकार को प्रतिवेदित किया गया (जून 2013)। सरकार ने जवाब में बताया (नवम्बर 2013) कि एक लेख्य पत्र में, उपमहानिरीक्षक (मुद्रांक) के यहाँ प्रकरण दर्ज करा दिया गया है तथा अन्य में नोटिस जारी किया गया है।

राजस्थान मुद्रांक अधिनियम, 1998 की अनुसूची के आर्टिकल 33(बी)(ii) के प्रावधान के अन्तर्गत जहां पट्टा, शास्ति (Fine) या प्रीमियम या अग्रिम राशि के लिये या अग्रिम विकास प्रभार या अग्रिम प्रतिभूति प्रभारों के लिये दिया गया हो तथा जहां कोई किराया निर्धारित नहीं हो तथा पट्टा 20 वर्षो से अधिक अवधि के लिये अभिप्रेत हो या उसकी निरन्तरता में हो या जहां अवधि निर्धारित नहीं हो, मुद्रांक कर सम्पत्ति के बाजार मूल्य पर हस्तान्तरण पत्र के समान प्रभार्य होगा।

5.12.2 दो उप पंजीयकों (जयपुर-VIII तथा सांगानेर-I) के अभिलेखों की मापक जाँच के दौरान यह पाया गया (जुलाई तथा अगस्त 2012) कि दो पट्टा विलेख 20 वर्षो से अधिक अवधि के लिये पंजीबद्ध हुए जिनमें पट्टाकर्ता (मैसर्स महिन्द्रा वर्ल्ड सिटी (जयपुर) लिमिटेड) द्वारा भूमि का हस्तान्तरण पट्टेदार को वाणिज्यिक भूमि के लिये प्रचलित डीएलसी दरों पर मूल्य ₹ 109.97 करोड़ की गणना किये जाने के स्थान पर प्रतिफल राशि ₹ 28.32 करोड़ पर किया गया। इस प्रकार, सम्पत्तियों के ₹ 81.65 करोड़ के अवमूल्यांकन के परिणामस्वरूप ₹ 4.74 करोड़ का मुद्रांक कर कम आरोपित हुआ।

प्रकरण विभाग के ध्यान में लाया गया (अगस्त तथा सितम्बर 2012) तथा सरकार को प्रतिवेदित किया गया (जून 2013)। सरकार ने जवाब में बताया (नवम्बर 2013) कि उपमहानिरीक्षक (मुद्रांक) के यहाँ प्रकरण दर्ज करा दिये गये हैं।

5.13 प्रतिफल में ब्याज राशि के शामिल न करने से मुद्रांक कर तथा पंजीयन शुल्क का कम आरोपण

राज्य सरकार की अधिसूचना 19 अगस्त 2010 के अनुसार, रीको द्वारा अचल सम्पत्ति के आवंटन/विक्रय के मामले में ब्याज, पेनल्टी और दो वर्ष के औसत किराये को शामिल कर प्रतिफल राशि पर मुद्रांक कर हस्तान्तरण पत्र की दर से प्रभार्य होगा।

उप पंजीयक भिवाड़ी (अलवर), किशनगढ़ तथा कोटा-II के अभिलेखों की मापक जाँच (जनवरी 2013) के दौरान यह पाया गया कि उद्योगों की स्थापना के लिये रीको द्वारा विभिन्न इकाइयों को आवंटित प्लाटों के 23 पट्टा विलेख वर्ष 2011-12 के दौरान पंजीबद्ध हुये थे। उप पंजीयकों द्वारा केवल विकास शुल्क, इकोनोमिक रेन्ट आदि को प्रतिफल राशि में शामिल कर मुद्रांक कर प्रभारित किया गया किन्तु ब्याज राशि ₹ 18.46 करोड़ को छोड़ दिया गया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 52.93 लाख के मुद्रांक कर तथा पंजीयन शुल्क का कम आरोपण हुआ।

प्रकरण विभाग के ध्यान में लाया गया (जनवरी 2013) तथा सरकार को प्रतिवेदित किया गया (जून 2013)। प्रत्युत्तर में, सरकार ने बताया (नवम्बर 2013) कि चार मामलों में राशि ₹ 14.97 लाख वसूल हो चुकी है, तीन मामलों में निर्णयोपरान्त वसूली बकाया है तथा शेष 16 मामलों में कार्यवाही की जा रही है।

5.14 सम्पत्तियों के अवमूल्यांकन के कारण मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क का कम आरोपण

राजस्थान मुद्रांक अधिनियम, 1998 की अनुसूची के आर्टिकल 21(i) के अनुसार अचल सम्पत्ति से सम्बन्धित हस्तान्तरण लेख्यपत्र पर मुद्रांक कर सम्पत्ति के बाजार मूल्य पर प्रभार्य होगा। राजस्थान मुद्रांक नियम, 2004 के नियम 58 में व्यवस्था है कि भूमि के बाजार मूल्य का मूल्यांकन जिला स्तरीय समिति द्वारा अनुशंसित दरों अथवा महानिरीक्षक (पंजीयन एवं मुद्रांक) द्वारा स्वीकृत दरों में से जो भी अधिक हो, के आधार पर किया जायेगा। पंजीयन अधिनियम, 1908 के अनुसार 09 अप्रेल 2010 से प्रभावित पंजीयन शुल्क मूल्यांकन के एक प्रतिशत की दर से अधिकतम ₹ 50,000 की सीमा तक प्रभारित होगा।

राज्य सरकार ने अधिसूचना दिनांक 9 मार्च 2011 से स्पष्ट किया कि यदि जिला स्तरीय समिति द्वारा सांस्थानिक प्रयोजनों के लिये दरें अनुशंसित नहीं की है तो भूमि के क्रय पर मुद्रांक कर, दस्तावेज में वर्णित प्रतिफल राशि पर अथवा उस क्षेत्र की आवासीय भूमि की दर के 1.5 गुना के बराबर, जो भी अधिक हो, प्रभार्य होगा।

5.14.1 आठ उप पंजीयक[11] के अभिलेखों की मापक जाँच में यह पाया गया कि वर्ष 2011-12 के दौरान सांस्थानिक प्रयोजनों के लिये 16 विक्रय विलेख पंजीबद्ध किये गये। तथापि, सम्बन्धित उप पंजीयक द्वारा भूमि का मूल्यांकन 12 मामलों में कृषि दरों, 2 मामलों में आवासीय दरों, 1 मामले में औद्योगिक दर पर करते हुए हस्तान्तरण की दर से मुद्रांक कर प्रभारित किया गया तथा 1 मामले में दस्तावेज के गलत वर्गीकरण के कारण मूल्यांकन नहीं किया गया। इस प्रकार, सम्पत्ति के अवमूल्यांकन के परिणामस्वरूप मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क ₹ 1.66 करोड़ का कम आरोपण हुआ जिसका विवरण निम्न प्रकार है:

(₹ लाखों में)

क्र. सं.	दस्तावेजों की प्रकृति	दस्तावेजों की संख्या	जिला स्तरीय समिति के अनुसार वास्तविक मूल्य	सम्पत्ति के मूल्य का 1.5 गुणा	सम्पत्ति के अन्य आईटम का मूल्य	सम्पत्ति का कुल मूल्य (5+6)	विभाग द्वारा लिया गया मूल्य	सम्पत्ति के मूल्य में अंतर (7-8)	देय मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	कृषि	12	2,134.07	3,201.11	4.30	3,205.41	763.45	2,441.96	130.53
2	आवासीय	2	6.77	10.16	2.90	13.06	9.68	3.38	0.22
3	औद्योगिक	1	182.94	274.41	22.00	296.41	79.99	216.42	11.90
4	अन्य	1	280.51	420.76	0	420.76	0	420.76	23.63
	कुल	16	2,604.29	3,906.44	29.20	3,935.64	853.12	3,082.52	166.28

प्रकरण विभाग के ध्यान में लाया गया (सितम्बर 2012 तथा फरवरी 2013 के मध्य) तथा सरकार को प्रतिवेदित किया गया (जून 2013)। सरकार ने उत्तर में बताया (नवम्बर 2013) कि नौ विक्रय विलेखों में उपमहानिरीक्षक (मुद्रांक) के यहाँ प्रकरण लम्बित हैं, 4 मामलों में राशि ₹1.08 लाख वसूली गयी, तथा 3 मामलों में प्रकरणों के निर्णयोपरान्त वसूली बकाया थी।

[11] आमेर, जयपुर-VII, झाड़ोल-फलासिया, कोटा-II, कोटखावदा, मावली, फागी एवं सनवाड़।

राजस्थान मुद्रांक नियम, 2004 के नियम 58 के अनुसार भूमि के बाजार मूल्य का निर्धारण जिला स्तरीय समिति द्वारा अनुसंसित दरों पर अथवा महानिरीक्षक (मुद्रांक) द्वारा अनुमोदित दरों, जो भी अधिक हो, पर किया जायेगा।

5.14.2 छः उप पंजीयकों[12] के वर्ष 2011-12 के अभिलेखों की मापक जाँच में यह पाया गया कि 38 विक्रय विलेखों में, उप पंजीयकों द्वारा गलत दरें लगाये जाने के परिणामस्वरूप मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क राशि ₹ 59.25 लाख का कम आरोपण हुआ। कुछ उदाहरण नीचे वर्णित है:

(₹ लाखों में)

क्र.सं.	दस्तावेज सं./दिनांक	सम्पत्ति का क्षेत्रफल	लागू डीएलसी दर	विभाग द्वारा अंगीकृत दर	सम्पत्ति का मूल्य	विभाग द्वारा लिया गया सम्पत्ति का मूल्य	सम्पत्ति के मूल्य में अंतर	देय मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	3320/25.7.11	0.320 बीघा	142.31 प्रति बीघा (कॉलम 5 के अनुसार डीएलसी का तीन गुणा)	47.44 प्रति बीघा (डीएलसी)	45.54	15.18	30.36	1.97
2	16694/28.6.11	4.85 बीघा	18.216 प्रति बीघा (कॉलम 5 के अनुसार डीएलसी का दो गुणा)	9.11 प्रति बीघा (डीएलसी)	88.34	44.17	44.17	2.49
3	521/12.5.11	0.8314 हैक्टेयर	18.34 प्रति हैक्टेयर (कॉलम 5 के अनुसार डीएलसी का 1.5 गुणा अतिरिक्त)	7.33 प्रति हैक्टेयर (डीएलसी)	15.24	6.09	9.15	0.59

प्रकरण विभाग के ध्यान में लाया गया (अक्टूबर 2012 तथा फरवरी 2013 के मध्य) तथा जून 2013 में सरकार को प्रतिवेदित किया गया। जवाब में, सरकार ने बताया (अक्टूबर तथा नवम्बर 2013) कि 17 विक्रय विलेखों में उपमहानिरीक्षक (मुद्रांक) के यहाँ प्रकरण दर्ज कराये गये, 9 मामलों में निर्णयोपरान्त वसूली बकाया है, 4 मामलों में राशि ₹ 5.54 लाख की वसूली हो चुकी है तथा शेष 8 मामलों में नोटिस जारी किये गये हैं।

[12] आहोर, भीलवाड़ा, जयपुर-VI, जयपुर-VII, जोधपुर-II एवं रामगढ़ (अलवर)।

महानिरीक्षक (पंजीयन एवं मुद्रांक), राजस्थान, अजमेर द्वारा जारी परिपत्र 1/2009 के अनुसार लेख्यपत्र के निष्पादन के समय यदि भूमि औद्योगिक प्रयोजन के लिये उपयोग हो रही थी अथवा भूमि रीको/अन्य औद्योगिक क्षेत्र में स्थित थी अथवा भूमि औद्योगिक प्रयोजन हेतु संपरिवर्तित थी तो भूमि का बाजार मूल्य औद्योगिक दर के आधार पर निम्नानुसार मूल्यांकित होगा:

(i) रीको औद्योगिक क्षेत्र के लिये लेख्यपत्र के निष्पादन के समय रीको की आरक्षित दर अथवा डीएलसी द्वारा अनुमोदित दर, जो भी अधिक हो

(ii) रीको औद्योगिक क्षेत्र के बाहर स्थित भूमि के लिये भूमि का बाजार मूल्य डीएलसी दर अथवा समीपस्थ रीको क्षेत्र की आरक्षित दर, जो भी अधिक हो, के आधार पर निर्धारित होगी।

इसके अतिरिक्त, दिनांक 9 मार्च 2011 की अधिसूचना के अनुसार, औद्योगिक प्रयोजन (जिसमें पर्यटन इकाई के लिये भूमि भी शामिल है) से सम्बन्धित भूमि के हस्तान्तरण के लेख्यपत्र जिसके लिये डीएलसी द्वारा अनुशंसित दरें नहीं हों, मुद्रांक कर घटाया जायेगा तथा उस क्षेत्र में डीएलसी द्वारा आवासीय भूमि के लिये अनुशंसित दरों पर अथवा पाँच किलोमीटर की परिधि में स्थित रीको औद्योगिक क्षेत्र के भूमि की दरों, जो भी कम हो, पर निर्धारित मूल्यांकन पर प्रभारित होगा।

5.14.3 पांच उप पंजीयक[13] कार्यालयों के अभिलखों की मापक जाँच में यह पाया गया कि वर्ष 2008-09 से 2011-12 के दौरान 60 विक्रय विलेख पंजीबद्ध हुए जिनमें औद्योगिक सम्पत्तियों के अवमूल्यांकन के परिणामस्वरूप ₹ 2.66 करोड़ के मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क का कम आरोपण हुआ। प्रकरण विभाग के ध्यान में लाया गया (जुलाई 2012 से जनवरी 2013) तथा जून 2013 में सरकार को प्रतिवेदित किया गया। जवाब में, सरकार ने बताया (सितम्बर तथा नवम्बर 2013) कि 60 विक्रय विलेखों में से 4 मामलों में राशि ₹ 10.69 लाख वसूल कर ली गयी है तथा 2 मामलों में उपमहानिरीक्षक (मुद्रांक) के यहाँ प्रकरण दर्ज करा दिये गये हैं, 43 मामलों में नोटिस जारी किये गये, 10 मामलों में लेखापरीक्षा आपत्तियों के अनुसार कार्यवाही के लिये पत्र जारी किये गये तथा शेष 1 मामले में डीएलसी दर की तुलना में वास्तविक मूल्यांकन अधिक था।

[13] भिवाड़ी, चेचट, नीम का थाना, निम्बाहेड़ा एवं तालेड़ा।

5.15 पट्टे का अधिन्यास के द्वारा हस्तान्तरण का पंजीयन न होने से वसूली न होना

पंजीयन अधिनियम, 1908 की धारा 17 के अनुसार वसीयती पत्रों से भिन्न लेख्यपत्र जिनका अभिप्राय ₹ 100/- और उससे अधिक के मूल्य की अचल सम्पत्ति में या के लिये, वर्तमान में या भविष्य में चाहे नियमित हो या आकस्मिक, कोई अधिकार, स्वत्व या हित बताते, घोषित, निर्दिष्ट, सीमित या समाप्त करता हो, का पंजीयन अनिवार्य होगा तथा इन पर मुद्रांक कर तथा पंजीयन शुल्क निर्धारित दरों पर देय होगा। राजस्थान मुद्रांक अधिनियम, 1998 के साथ नयी अनुसूची के आर्टिकल 55 के अनुसार पट्टे का अधिन्यास के द्वारा हस्तान्तरण के लेख्यपत्र के मामले में, मुद्रांक कर हस्तान्तरण योग्य सम्पत्ति के बाजार मूल्य पर हस्तान्तरण के बराबर मुद्रांक कर आरोपणीय होगा। महानिरीक्षक द्वारा परिपत्र 6/2009 जारी कर यह स्पष्ट किया गया कि पार्टनरशिप (समझौता) में परिवर्तन पर निष्पादित लेख्यपत्र पट्टे का अधिन्यास के द्वारा हस्तान्तरण की श्रेणी में आयेगा।

राजस्थान मुद्रांक अधिनियम, 1998 की धारा 37(3) के अनुसार राज्य सरकार यह निर्धारित कर सकेगी कि किन कार्यालयों को लोक कार्यालय समझा जायेगा तथा वह व्यक्ति जिन्हें लोक कार्यालयों का मुखिया समझा जायेगा। महानिरीक्षक (मुद्रांक) द्वारा निर्देशित किया गया (जनवरी 1998) कि उपमहानिरीक्षक/कलेक्टर (मुद्रांक) लोक कार्यालयों के अभिलेखों की यह देखने के लिये जाँच करेंगे कि क्या जनता द्वारा मुद्रांक कर सही अदा किया गया है।

5.15.1 रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स, जयपुर से एकत्रित (नवम्बर 2012) सूचना की जाँच में पाया गया कि ग्राम हरदयानपुरा तथा कानोता की भूमि क्षेत्रफल 47.70 बीघा (1.21 लाख वर्गमीटर)[14] पर ईंट भट्टा उद्योग के लिये सभी सात साझेदारों के बराबर हिस्सेदारी के साथ एक साझेदारी फर्म का पंजीयन कराया गया था। सभी साझेदारों द्वारा एक संशोधित साझेदारी सह सेवानिवृत विलेख बनाया गया (19 जनवरी 2011) तथा रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स को प्रस्तुत किया गया जिसके द्वारा तीन साझेदार सेवानिवृत हुए तथा उनके हिस्से की भूमि क्षेत्रफल 0.52 लाख वर्गमीटर मूल्य ₹ 5.40 करोड़ का हस्तान्तरण फर्म के शेष साझेदारों को किया गया। फर्म द्वारा निवृत्त होने वाले साझेदारों को उनकी परिसम्पत्ति की एवज में हिस्सा राशि का नगद भुगतान किया गया। तथापि, सेवानिवृत साझेदारों से फर्म को

[14] एक बीघा = 2,529.20 वर्गमीटर।

भूमि हस्तांतरण पर हस्तांतरण विलेख निष्पादित नहीं हुआ जिसके परिणामस्वरूप मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क ₹ 30.19 लाख का अनारोपण रहा। रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स द्वारा अमुद्रांकित अथवा कम मुद्रांकित लेख्यपत्रों के सम्बन्ध में कलेक्टर को प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया। इन कार्यालयों की चूक के परिणामस्वरूप राज्य को ₹ 30.19 लाख राजस्व की प्राप्ति नहीं हो सकी।

प्रकरण विभाग के ध्यान में लाया गया (दिसम्बर 2012) तथा जून 2013 में सरकार को प्रतिवेदित किया गया। सरकार ने जवाब में बताया (दिसम्बर 2013) कि उपमहानिरीक्षक (मुद्रांक) के यहाँ प्रकरण दर्ज करा दिया गया है।

5.15.2 रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स, जयपुर (सिटी) से एकत्रित सूचना (सितम्बर 2012) की मापक जाँच के दौरान पाया गया कि तीन साझेदारों द्वारा एक साझेदारी फर्म स्थापित की गयी जिसका ₹ 500 के स्टाम्प पेपर पर (साझेदारी विलेख दिनांक 17 दिसम्बर 2011 के जरिये) 9 जनवरी 2012 को पंजीयन हुआ। विलेख की संवीक्षा में खुलासा हुआ कि रिसॉर्ट की स्थापना के लिये तीसरे साझेदार द्वारा ग्राम कुलधारा, तहसील जैसलमेर में स्थित 1.21 लाख वर्गमीटर (13.06 लाख वर्गफुट) परिवर्तित भूमि में से स्वयं के लिये 5 प्रतिशत हिस्सा रखते हुए शेष साझेदारी फर्म में अपने निवेश के रूप में योगदान की गयी, परन्तु साझेदार से फर्म को उक्त भूमि के हस्तान्तरण को पंजीबद्ध नहीं कराया गया। चूंकि पट्टे का अधिन्यास के द्वारा हस्तान्तरण के द्वारा साझेदारी फर्म के उक्त भूमि का एकमात्र स्वामी बन जाने के कारण, मालिकाना हक में परिवर्तन के लेख्यपत्र को मुद्रांकित तथा पंजीबद्ध होना चाहिये। तथापि, रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स ने बिना मुद्रांक कर भुगतान किये, भूमि के हस्तान्तरण का मामला कलेक्टर (मुद्रांक) को प्रेषित नहीं किया। रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स, जयपुर में जैसलमेर से सम्बन्धित अभिलेखों का निरीक्षण उप पंजीयक जैसलमेर अथवा कलेक्टर (मुद्रांक) द्वारा भी नहीं किया गया। विभाग द्वारा भी ऐसी कोई कार्यप्रणाली विकसित नहीं की गयी जिससे लोक कार्यालय अमुद्रांकित दस्तावेज की सूचना दे पाते। इसलिये, रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स तथा उप पंजीयक के बीच समन्वय के अभाव के कारण राज्य सरकार को ₹ 23.02 लाख[15] की राजस्व की, भूमि के बाजार मूल्य[16] पर प्राप्ति नहीं हो सकी।

प्रकरण विभाग के ध्यान में लाया गया (अक्टूबर 2012) तथा सरकार के ध्यान में लाया गया (जुलाई 2013)। प्रत्युत्तर में, सरकार ने बताया (दिसम्बर 2013) कि सम्बन्धित पक्षकारों को नोटिस जारी किये जा चुके हैं।

5.15.3 पाँच उप पंजीयक कार्यालयों (जयपुर- I, IV, V, VI तथा जोधपुर IV) के अभिलेखों की मापक जाँच के दौरान 11 विक्रय विलेखों के वर्णन में पाया गया कि व्यक्तिगत मालिकों तथा फर्मों द्वारा भूमि पर बहुमंजिला फ्लैट्स अथवा विलाज़ विकसित करने के लिये साझेदारी फर्म में उनके निवेश के रूप में अपनी भूमि का

[15] मुद्रांक कर ₹ 20,47,604, सरचार्ज ₹ 2,04,760 एवं पंजीयन शुल्क ₹ 50,000 = ₹ 23,02,364 ।

[16] बाजार मूल्य = 12,40,972.32 वर्गफुट @ डीएलसी ₹ 33 प्रति वर्गफुट = ₹ 4,09,52,087 ।

अंशदान किया गया। इसके साथ, एक मालिक या मालिकों (अभ्यर्पणकर्ता/ओं) द्वारा अभ्यर्पिती (साझेदारी फर्म) को अपनी भूमि हस्तांतरित (समर्पित) की गयी जिससे अभ्यर्पिती उस सम्पत्ति का एकमात्र स्वामी बन गया। अत: साझेदारी फर्म को अचल सम्पत्ति का हस्तातंरण होने पर मुद्रांक कर, पंजीयन शुल्क तथा सरचार्ज ₹ 5.47 करोड़ आरोपणीय थे। फिर भी, उप पंजीयक द्वारा विक्रय विलेखों के पंजीयन के दौरान इन्हें प्रभारित नहीं किया जिसके परिणामस्वरूप मुद्रांक कर, पंजीयन शुल्क तथा सरचार्ज ₹ 5.47 करोड़ का अनारोपण रहा।

प्रकरण सरकार को विशिष्ट टिप्पणियों के लिये प्रतिवेदित (जून 2013) किया गया। प्रत्युत्तर में, सरकार ने बताया (दिसम्बर 2013) कि विक्रय विलेख के 7 मामलों में उपमहानिरीक्षक (मुद्रांक) के यहाँ प्रकरण दर्ज करा दिये गये हैं तथा शेष 4 मामलों में उपमहानिरीक्षक (मुद्रांक) को प्रकरण दर्ज करने हेतु निर्देशित किया गया है।

5.16 भू-उपयोग परिवर्तन के बाद पट्टा विलेखों पर मुद्रांक कर तथा पंजीयन शुल्क का अनारोपण

दिनांक 25 फरवरी 2008 की अधिसूचना के अनुसार राज्य सरकार, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर विकास प्राधिकरण, यू.आई.टी., रीको, नगर परिषद या नगर निगम द्वारा भू-उपयोग परिवर्तन के बाद निष्पादित अचल सम्पत्ति के लेख्यपत्रों पर भू-उपयोग परिवर्तन से पूर्व तथा परिवर्तन के बाद में भूमि के बाजार मूल्य के अंतर पर मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क प्रभार्य होगा। पंजीयन अधिनियम, 1908 की धारा 17 के अनुसार ₹ 100 और अधिक मूल्य की अचल सम्पत्ति के अन्य वसीयती लेख्यपत्र से भिन्न लेख्यपत्र का पंजीयन अनिवार्य होगा। इसके अतिरिक्त, पंजीयन शुल्क निर्धारित दरों पर देय होगा।

5.16.1 नौ उप पंजीयकों[17] के अभिलेखों तथा यू.आई.टी. अजमेर, भीलवाड़ा, उदयपुर व जोधपुर विकास प्राधिकरण से एकत्रित सूचना के अनुसार यह पाया गया (जुलाई 2012 तथा जनवरी 2013) कि 67 मामलों में सम्बन्धित स्थानीय निकायों ने भू-उपयोग परिवर्तन के पश्चात् संशोधित लीज डीड निष्पादित एवं पंजीबद्ध नहीं हुई। जिसके कारण पूर्व भूमि तथा परिवर्तित भू-उपयोग के बाजार मूल्य के अन्तर पर देय मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क कुल ₹ 23.91 करोड़ प्रभारित नहीं किये जा सके।

मामला विभाग के ध्यान में लाया गया (अगस्त 2012 से जनवरी 2013) तथा सरकार को प्रतिवेदित किया गया (जून 2013)। प्रत्युत्तर में, सरकार ने बताया

[17] अजमेर-I, भीलवाड़ा, जयपुर-V, जयपुर-IV, जयपुर-VI, कोटा-II, सांचोर, सांगानेर-I एवं सांगानेर-II ।

(दिसम्बर 2013) कि 10 लेख्यपत्रों में मामले दर्ज किये गये, 1 मामले में नोटिस जारी किया गया तथा उपमहानिरीक्षक (मुद्रांक) उदयपुर, जोधपुर, पाली तथा भीलवाड़ा को प्रकरण दर्ज करने हेतु निर्देशित किया गया, जिनकी प्रगति अपेक्षित है। शेष मामलों में सूचना प्रतीक्षित है।

5.16.2 उप पंजीयक, भीलवाड़ा तथा जयपुर-V के अभिलेखों की मापक जाँच के दौरान विदित हुआ कि 6 लीज डीडों में भू-उपयोग का औद्योगिक/आवासीय से वाणिज्यिक में परिवर्तन हुआ। उप पंजीयक द्वारा अधिसूचना के अनुसार पूर्व भू-उपयोग (औद्योगिक/आवासीय) तथा परिवर्तित भू-उपयोग (वाणिज्यिक) के बाजार मूल्य के अन्तर पर देय मुद्रांक कर के स्थान पर नगर परिषद, भीलवाड़ा तथा रीको द्वारा निर्धारित फेस वैल्यू ₹ 14.91 करोड़ पर हस्तान्तरण के बराबर मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क का आरोपण किया गया।

इसके परिणामस्वरूप मुद्रांक कर तथा पंजीयन शुल्क ₹ 7.97 करोड़ का कम आरोपण हुआ।

प्रकरण विभाग के ध्यान में लाया गया (दिसम्बर 2012) तथा सरकार को जून 2013 में प्रतिवेदित किया गया। प्रत्युत्तर में, सरकार ने बताया (दिसम्बर 2013) कि पांच मामले उपमहानिरीक्षक (मुद्रांक) के यहाँ प्रकरण दर्ज करा दिये गये हैं। शेष 1 मामले में प्रगति सूचित नहीं की गयी।

5.17 छूट प्राप्ति के लिये निर्धारित शर्तों के उल्लंघन पर मुद्रांक कर तथा ब्याज की अवसूली

अधिसूचना 1 मार्च 2003 के द्वारा, राज्य सरकार ने रीको द्वारा सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र, जयपुर में विकसित व प्रोन्नत सेज में स्थित उद्योगों और सामान्य सुविधाओं के लिये निष्पादन योग्य विक्रय तथा पट्टों के लेख्यपत्रों पर मुद्रांक कर में छूट निम्न शर्तों पर दी गयी:

(i) कि आवंटी उक्त 'सेज' में सम्पत्ति के कब्जे की दिनांक से तीन वर्षों के भीतर वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ करेगा;

(ii) कि सेज में इकाइयों को आवंटित/क्रय किये क्षेत्र के सामान्य सुविधाओं के लिये भू-उपयोग परिवर्तन के मामले में अथवा किसी शर्त के उल्लंघन पर, क्रेता/आवंटी, मुद्रांक कर के साथ उस पर ब्याज, जो सरकार द्वारा भू-उपयोग परिवर्तन अथवा इकाई धारक द्वारा शर्तों के उल्लंघन की दिनांक से समय-समय पर निश्चित किया जायेगा, के भुगतान के लिये दायी होगा।

उप पंजीयक सांगानेर-I के अभिलेखों की मापक जाँच के दौरान पाया गया (जुलाई 2012) कि 3 मामलों में प्रथम आवंटियों (आवंटन फरवरी 2004 तथा मई 2006 के मध्य) द्वारा सरकार की अधिसूचना दिनांक 1 मार्च 2003 में दी गयी शर्तों के अनुसार निर्धारित अवधि के भीतर इकाइयों की स्थापना किये बिना सेज प्लाटों का अन्य उद्यमियों को विक्रय (जून 2006 तथा अक्टूबर 2011 के मध्य) कर दिया गया। उप पंजीयक द्वारा अधिसूचना के अनुसार प्रारम्भिक आवंटन के समय मुद्रांक कर की दी गयी छूट के साथ उस पर ब्याज वसूल नहीं किया गया। इसके परिणामस्वरूप मुद्रांक कर ₹ 7.78 लाख तथा ब्याज ₹ 9.30 लाख कुल ₹ 17.08 लाख की वसूली का अभाव रहा।

प्रकरण विभाग के ध्यान में लाया गया (अगस्त 2012) तथा सरकार को प्रतिवेदित किया गया (जुलाई 2013)। सरकार ने जवाब में बताया (अगस्त 2013) कि उपमहानिरीक्षक (मुद्रांक) के यहाँ प्रकरण दर्ज करा दिये गये हैं।

अध्याय–VI

राज्य आबकारी

अध्याय-VI: राज्य आबकारी

6.1 कर प्रशासन

राज्य आबकारी राजस्व में, राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 एवं उसके अधीन बनाये गये नियमों के प्रावधानों के अन्तर्गत आरोपित या आदेशित भुगतान, फीस, कर, जुर्माना या जब्ती की प्राप्तियाँ समाविष्ट है। इसमें मदिरा, भांग एवं चिरे हुये डोडा-पोस्त के विनिर्माण, अधिग्रहण एवं बिक्री से प्राप्त राजस्व भी सम्मिलित है। राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950, सरकार को आवधिक आबकारी नीति बनाने के लिये अधिकृत करता है।

6.2 प्राप्तियों की प्रवृत्ति

राज्य आबकारी विभाग की वर्ष 2008-09 से 2012-13 की प्राप्तियों के साथ इसी अवधि की राज्य की कुल प्राप्तियां निम्नलिखित सारणी में दर्शायी गयी है:

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बजट अनुमान	वास्तविक प्राप्तियां	अन्तर आधिक्य(+)/ कमी (-)	अन्तर की प्रतिशतता	राज्य की कुल कर प्राप्तियाँ	3 का 6 से प्रतिशत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2008-09	2,025	2,169.90	(+) 144.90	(+) 7.16	14,943.75	14.52
2009-10	2,200	2,300.48	(+) 100.48	(+) 4.57	16,414.27	14.02
2010-11	2,460	2,861.41	(+) 401.41	(+) 16.32	20,758.12	13.78
2011-12	2,950	3,287.05	(+) 337.05	(+) 11.43	25,377.05	12.95
2012-13	3,850	3,987.83	(+) 137.83	(+) 3.58	30,502.65	13.07

यद्यपि, वास्तविक रूप में राज्य आबकारी शुल्क की प्राप्तियों में प्रतिवर्ष वृद्धि दर्ज हुई थी, लेकिन राज्य आबकारी विभाग के राजस्व की, राज्य में संग्रहित कुल कर राजस्व से प्रतिशतता में वर्ष 2008-09 की तुलना में गिरावट रही। 2008-09 के दौरान राज्य आबकारी शुल्क की प्राप्तियाँ राज्य के कुल कर राजस्व की 14.52 प्रतिशत थी। वर्ष 2012-13 में, ये प्राप्तियाँ राज्य की कुल कर प्राप्तियों का 13.07 प्रतिशत रही।

6.3 राजस्व की बकाया का विश्लेषण

31 मार्च 2013 को राजस्व की बकाया ₹ 219.12 करोड़ थी, जिसमें से ₹ 203.36 करोड़ पांच वर्षों से अधिक समय से बकाया थे। यह इंगित करता है कि विभाग द्वारा बकाया वसूली हेतु प्रभावी कदम नहीं उठाये गये। निम्नलिखित सारणी में 31 मार्च 2013 को राजस्व की बकाया स्थिति दर्शायी गई है:

(₹ करोड़ में)

बकाया का वर्ष	1 अप्रेल 2012 को कुल बकाया*	वर्ष 2012-13 में की गई वसूली	31 मार्च 2013 को बकाया वसूली
2007-08 तक	205.14	1.78	203.36
2008-09	0.37	0.07	0.30
2009-10	0.28	0.03	0.25
2010-11	9.95	8.24	1.71
2011-12	19.74	6.24	13.50
योग	**235.48**	**16.36**	**219.12**

* न्यायालय प्रकरणों व लेखापरीक्षा आक्षेपों आदि के कारण अतिरिक्त मांग जो पिछले वर्षों से सम्बन्धित थी किन्तु इस वित्तीय वर्ष 2012-13 में मांगी गई।

पांच वर्षों से अधिक बकाया ₹ 203.36 करोड़ की वसूली की सम्भावना कम है। यह अनुशंषा की जाती है कि राज्य सरकार बकाया राशि की शीघ्र वसूली हेतु उचित प्रयास करें।

6.4 संग्रहण की लागत

वर्ष 2008-09 से 2012-13 के दौरान राजस्व प्राप्तियों के सकल संग्रहण, संग्रहण पर हुआ व्यय तथा ऐसे व्यय की कुल संग्रहण से प्रतिशतता के साथ समान अवधि में संग्रहण पर हुए व्यय की सकल संग्रहण से सुसंगत अखिल भारतीय औसत प्रतिशतता निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	वर्ष	सकल संग्रहण	राजस्व संग्रहण पर हुआ व्यय	संग्रहण पर व्यय की प्रतिशतता	अखिल भारतीय औसत प्रतिशतता
1	2008-09	2,169.90	64.46	2.97	3.66
2	2009-10	2,300.48	85.74	3.73	3.64
3	2010-11	2,861.45	87.45	3.06	3.05
4	2011-12	3,287.05	82.92	2.52	2.98
5	2012-13	3,987.73	82.66	2.07	उपलब्ध नहीं

सकल संग्रहण पर लागत प्रतिशतता वर्ष 2008-09 तथा 2011-12 के दौरान अखिल भारतीय औसत प्रतिशतता से कम रही, किन्तु वर्ष 2009-10 व 2010-11 में अंशत: बढ़ोतरी देखी गयी।

6.5 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का प्रभाव

गत पाँच वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के द्वारा 15 अनुच्छेदों में कर के अनारोपण/कम आरोपण, अवसूली/कम वसूली, कम निर्धारण/राजस्व की हानि, कर की गलत दर लगाना, कर की गलत संगणना आदि के प्रकरण ध्यान में लाये जिनमें सन्निहित राशि ₹ 86.42 करोड़ थी। इनमें से विभाग/सरकार ने ₹ 6.14 करोड़ के 11 अनुच्छेदों को पूर्णत:/अंशत: स्वीकार किया तथा 8 अनुच्छेदों में केवल ₹ 3.38 करोड़ वसूल (दिसम्बर 2013) किये जैसा कि निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया है:

(₹ करोड़ में)

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	सम्मिलित अनुच्छेद		स्वीकार किये गये अनुच्छेद		वसूल की गई राशि	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	अनुच्छेदों की संख्या	राशि
2007-08	4	29.18	4	0.96	4	0.95
2008-09	4	45.44	2	0.42	2	0.42
2009-10	2	1.88	-	0.09	-	0.09
2010-11	1	7.91	1	2.67	1	1.85
2011-12	4	2.01	4	2.00	1	0.07
योग	**15**	**86.42**	**11**	**6.14**	**8**	**3.38**

विभाग द्वारा स्वीकार की गयी राशि में से 55.05 प्रतिशत की वसूली की जा चुकी है।

सरकार निर्देश जारी कर, विभाग को विशेषत: उन मामलों में जहाँ विभाग द्वारा पहले से ही राशि स्वीकार कर ली गयी हो, प्राथमिकता के आधार पर वसूली हेतु कहना चाहिए।

6.6 आन्तरिक लेखापरीक्षा समूह की कार्यप्रणाली

राज्य आबकारी विभाग में वित्तीय सलाहकार आन्तरिक लेखापरीक्षा समूह का प्रमुख होता है। विभाग में दो आन्तरिक लेखापरीक्षा दल कार्यरत है जिनके प्रभारी सहायक लेखाधिकारी होते है। विभाग द्वारा वर्ष के दौरान कौनसी इकाईयों की लेखापरीक्षा की जानी है, को दर्शाते हुए कोई लेखापरीक्षा योजना तैयार नहीं की गई।

विगत पाँच वर्षो की आन्तरिक लेखापरीक्षा की स्थिति निम्नानुसार थी:

वर्ष	लेखापरीक्षा हेतु बकाया इकाइयां	वर्ष के दौरान शामिल की गई इकाइयां	कुल इकाइयां	वर्ष के दौरान लेखापरीक्षा की गई इकाइयां	लेखापरीक्षा हेतु बकाया इकाइयां	लेखापरीक्षा हेतु बकाया इकाइयों का प्रतिशत
2008-09	77	40	117	29	88	75
2009-10	88	40	128	58	70	55
2010-11	70	40	110	83	27	25
2011-12	27	40	67	60	7	10
2012-13	7	41	48	41	7	15

यह भी देखा गया कि वर्ष 2012-13 के अन्त तक 937 अनुच्छेद बकाया थे, जिनमें 242 अनुच्छेद पाँच वर्षो से अधिक से बकाया थे। वर्षवार आन्तरिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के बकाया अनुच्छेदों की स्थिति निम्न प्रकार है:

वर्ष	2007-08 तक	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	योग
अनुच्छेद	242	74	98	222	301	-	937

इस प्रकार अत्यधिक बकाया अनुच्छेदों के रहते आन्तरिक लेखापरीक्षा का उद्देश्य विफल रहा।

अधिनियम एवं नियमों की अनुपालना कराने एवं राजस्व की छीजत रोकने हेतु सरकार को आन्तरिक लेखापरीक्षा समूह को सुदृढ़ करने पर विचार करना चाहिए। आन्तरिक लेखापरीक्षा के प्रतिवेदनों पर शीघ्र कार्यवाही किये जाने हेतु विभाग को उचित निर्देश भी जारी किये जाने चाहिए।

6.7 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 2012-13 के दौरान राज्य आबकारी विभाग की 20 इकाइयों के अभिलेखों की मापक जाँच में अवसूली/कम वसूली/आबकारी शुल्क तथा अनुज्ञापत्र शुल्क की हानि एवं अन्य अनियमितताओं के ₹ 20.15 करोड़ राशि के 1,151 प्रकरण ध्यान में आये, जो कि निम्नलिखित श्रेणियों में आते हैं:

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	श्रेणी	प्रकरणों की संख्या	राशि
1.	आबकारी शुल्क एवं अनुज्ञापत्र शुल्क की अवसूली/कम वसूली	569	14.31
2.	मदिरा की अधिक क्षति के कारण आबकारी शुल्क की हानि	162	4.95
3.	अन्य अनियमितताएँ	420	0.89
योग		1,151	20.15

वर्ष 2012-13 के दौरान विभाग ने 891 प्रकरणों में ₹ 28.59 करोड़ की अनियमितताएँ स्वीकार की। जिसमें ₹ 6.03 करोड़ राशि के 487 प्रकरण, वर्ष 2012-13 के दौरान लेखापरीक्षा द्वारा ध्यान में लाये गये थे, शेष पूर्ववर्ती वर्षों में ध्यान में लाये गये थे। विभाग ने 500 प्रकरणों में ₹ 22.63 करोड़ की वसूली की जिनमें राशि ₹ 0.08 करोड़ के 102 प्रकरण वर्ष 2012-13 में तथा शेष पूर्ववर्ती वर्षों में लेखापरीक्षा के दौरान ध्यान में लाये गये थे।

एक प्रकरण में विभाग/सरकार को ड्राफ्ट पैरा जारी किये जाने के पश्चात विभाग द्वारा राशि ₹ 50.30 लाख की पूर्ण वसूली की गयी।

कुछ निदर्शी टिप्पणियां जिनमें राशि ₹ 8.08 करोड़ सन्निहित थी अनुवर्ती अनुच्छेदों में दर्शायी गई है।

6.8 आबकारी निरोधक दल की कार्यप्रणाली

6.8.1 परिचय

राजस्थान आबकारी विभाग का सबसे महत्वपूर्ण कार्य, राजस्थान आबकारी (आर.ई.) अधिनियम, 1950 और स्वापक औषधि एवं मन: प्रभावी पदार्थ (एन.डी.पी.एस.) अधिनियम, 1985 और उनके अधीन बनाये गये नियमों के खिलाफ अपराधों की रोकथाम करना है। आबकारी निरोधक दल (ई.पी.एफ.), अवैध मदिरा और मादक पदार्थों के गैर-कानूनी उत्पादन की रोकथाम एवं इनकी बिक्री, भण्डारण और परिवहन पर प्रभावी नियंत्रण के लिए उत्तरदायी है। इस प्रकार की अवैध गतिविधियों की रोकथाम के लिए छापे, गश्त, पुलिस और विभाग के वृत्त निरीक्षकों के साथ संयुक्त कार्यवाही की योजना और संचालन करना ई.पी.एफ. के मुख्य कार्यों में सम्मिलित हैं।

आबकारी निरोधक दल का सम्पूर्ण नियंत्रण आबकारी आयुक्त (ई.सी.) के अधीन है, जिन्हें अतिरिक्त आबकारी आयुक्त (ई.पी.एफ.) द्वारा सहयोग किया जाता है। अन्य महत्वपूर्ण पदाधिकारियों में संयुक्त आबकारी आयुक्त (ई.पी.एफ.), उपायुक्त (ई.पी.एफ.), 8 जोन[1] आबकारी अधिकारी (ई.ओज.), 34 सहायक आबकारी अधिकारी (ए.ई.ओज.) एवं 206 प्रहराधिकारी (पी.ओज.) है। कुल 150 ई.पी.एफ. स्टेशन एवं 30 चैक पोस्ट स्थापित है। प्रत्येक ई.पी.एफ. स्टेशन एवं चैक पोस्ट पर 1 जमादार तथा 10 सिपाहियों/वाहन चालक के पद स्वीकृत हैं।

6.8.2 लेखापरीक्षा का क्षेत्र

लेखापरीक्षा ने 7 जोन[2] के 17 ए.ई.ओज. के अधीन आने वाले 52 ई.पी.एफ. स्टेशनों के वर्ष 2010-12 के लेखों की मापक जांच की। ई.पी.एफ. की कार्यकुशलता तथा दक्षता को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से मापक जांच की गई

1 अजमेर, भरतपुर, बीकानेर, जयपुर ग्रामीण, जयपुर शहर, जोधपुर, कोटा एवं उदयपुर।

2 **अजमेर जोन-** अजमेर (अजमेर दक्षिण, ब्यावर और केकड़ी ई.पी.एफ. स्टेशन), भीलवाड़ा (भीलवाड़ा शहर, भीलवाड़ा ग्रामीण और माण्डलगढ़ ई.पी.एफ. स्टेशन) तथा टोंक (टोंक शहर, देवली और मालपुरा ई.पी.एफ. स्टेशन) जिले।

भरतपुर जोन- भरतपुर (भरतपुर शहर, भरतपुर ग्रामीण, डीग और कामां ई.पी.एफ. स्टेशन), धौलपुर (बाड़ी और धौलपुर शहर ई.पी.एफ. स्टेशन) तथा करौली (हिन्डोन शहर, कैला देवी, करौली और टोड़ाभीम ई.पी.एफ. स्टेशन) जिले।

बीकानेर जोन- बीकानेर (बीकानेर ग्रामीण, लूणकरणसर और नौखा ई.पी.एफ. स्टेशन), हनुमानगढ़ (हनुमानगढ़, नोहर और संगरिया ई.पी.एफ. स्टेशन) तथा श्रीगंगानगर (अनूपगढ़, श्रीगंगानगर ग्रामीण और श्रीकरनपुर ई.पी.एफ. स्टेशन) जिले।

जयपुर शहर जोन- आदर्श नगर, अशोक नगर और मानसरोवर दक्षिण ई.पी.एफ. स्टेशन।

जयपुर ग्रामीण जोन- चौमू, दूदू और कोटपुतली ई.पी.एफ. स्टेशन।

जोधपुर जोन- जोधपुर (फलोदी, जोधपुर पूर्व और जोधपुर पश्चिम ई.पी.एफ. स्टेशन) तथा सिरोही (आबू रोड़, रेवदर और सिरोही ई.पी.एफ. स्टेशन) जिले।

कोटा जोन- बारां (बारां, छबड़ा और शाहबाद ई.पी.एफ. स्टेशन) बून्दी (बून्दी, लाखेरी और नैनवा ई.पी.एफ. स्टेशन), झालावाड़ (भवानीमण्डी, इकलेरा और झालावाड़ ई.पी.एफ. स्टेशन) तथा कोटा (गुमानपुरा और गमगंजमण्डी ई.पी.एफ. स्टेशन) जिले।

कि मदिरा एवं अन्य मादक पदार्थों के अवैध उत्पादन, विक्रय, परिवहन एवं संग्रहण पर नियंत्रण, आर.ई. अधिनियम 1950, एन.डी.पी.एस. अधिनियम 1985 एवं उनके अधीन बनाये गए नियमों, आबकारी नियमावली तथा राज्य आबकारी नीति के अनुसार गश्त, छापे एवं प्रकरणों के सुराग आदि के द्वारा किया जा रहा है।

6.8.3 ई.पी.एफ. द्वारा जब्त अवैध मादक पदार्थ

विभाग के वार्षिक प्रतिवेदनों की जांच में पाया गया कि वर्ष 2010-12 के दौरान प्रहराधिकारियों एवं आबकारी निरीक्षकों द्वारा मारे गये छापों में 1.24 लाख बोतल अवैध मदिरा, 41.48 लाख लीटर वाश, 0.79 लाख लीटर स्पिरिट, 7.41 लाख बोतल भारत निर्मित विदेशी मदिरा (भा.नि.वि.म.), 1.84 लाख बोतल देशी मदिरा (दे.म.), 2.78 लाख बीयर की बोतलें एवं 35,709 किलोग्राम चिरा हुआ डोडा पोस्त (एल.पी.एच.) जब्त किया गया था। विभाग द्वारा बड़ी मात्रा में वाश एवं स्पिरिट की जब्ती से प्रकट होता है कि राज्य में अवैध मदिरा आसवन का कार्य बहुत फैला हुआ है।

यह भी देखा गया कि राज्य पुलिस विभाग ने वर्ष 2010 एवं 2011 के दौरान 2.39 लाख किलोग्राम एल.पी.एच., 1,375 किलोग्राम अफीम एवं 95 किलोग्राम अन्य मादक नशीले पदार्थ जब्त किये। नारकोटिक्स कन्ट्रोल ब्यूरो के वार्षिक प्रतिवेदन 2011 में बताया गया कि भारत में नशीले पदार्थों के अवैध व्यापार का प्रमुख कारण वैध स्त्रोत से विचलन एवं अवैध उत्पादन है।

राज्य में चिरे हुए डोडा पोस्त के व्यापक अवैध व्यापार से सम्बन्धित एक समान प्रकृति का आक्षेप 'चिरे हुए डोडा पोस्त के विक्रय एवं उपभोग से प्राप्तियां' वर्ष मार्च 2012 की समाप्ति के लिये लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राजस्व क्षेत्र) में शामिल किया गया था।

यद्यपि, ई.पी.एफ. के कार्यों में अवैध मदिरा, अफीम तथा अन्य मादक पदार्थों की बिक्री एवं भण्डारण, तस्करी तथा अवैध आसवन को रोकना सम्मिलित था, तथापि, यह इस प्रकार की गतिविधियों को रोकने में विफल रहा। कुछ लेखापरीक्षा निष्कर्षों को आगामी अनुच्छेदों में वर्णित किया गया है:

लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ

6.8.4 ई.पी.एफ. स्टेशनों की दक्षता

प्रहराधिकारी ई.पी.एफ. स्टेशन का मुखिया होता है और उसे अपने क्षेत्राधिकार में अफीम और भांग के पौधों की अवैध खेती एवं तस्करी तथा अवैध आसवन को रोकना होता है।

6.8.4.1 प्रहराधिकारियों द्वारा नियमित गश्त

आबकारी नियमावली के पैरा संख्या 23.7 के अनुसार प्रत्येक ई.पी.एफ. स्टेशन के प्रहराधिकारी को प्रत्येक माह में कम से कम 15 दौरे दिन के समय एवं 15 दौरे रात्रि के समय करने होते है। प्रत्येक ई.पी.एफ. स्टेशन पर संधारित मूवमेन्ट रजिस्टर में प्रहराधिकारी के दिन-प्रतिदिन की गतिविधियों के प्रत्येक मूवमेन्ट का लेखांकन, स्टॉफ के पूर्ण विवरण, बाहर जाने और आने का समय, उपयोग में लिये गये वाहन और भ्रमण के उद्देश्य सहित अंकित करना होता है।

चयनित ई.पी.एफ. स्टेशनों के वर्ष 2010-11 एवं 2011-12 के मूवमेन्ट रजिस्टर तथा वाहनों की लॉग-बुक की मापक जांच में पाया गया कि:

- प्रत्येक प्रहराधिकारी द्वारा दिन के समय 15 गश्त के आवश्यक मानक पूर्ण किये गये थे लेकिन रात्रि के समय 15 गश्त पूर्ण नहीं की गई थी। यद्यपि, मूवमेन्ट रजिस्टर में गश्त की प्रविष्टियाँ की गई थी, तथापि, गश्त के दौरान की गई गतिविधियों का लेखांकन मूवमेन्ट रजिस्टर में नहीं किया गया था। इसके अभाव में वास्तव में गश्त किये बिना ही मूवमेन्ट रजिस्टर में प्रविष्टियाँ किये जाने की सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता।

- तीन ई.पी.एफ. स्टेशनों (अजमेर ग्रामीण, केकड़ी और छबड़ा) में 11 कार्मिक जो कि अवकाश अथवा कार्य से अनुपस्थित थे, को मूवमेन्ट रजिस्टर में 50 अवसरों पर गश्ती दल में शामिल होना बताया गया था।

- तीन ई.पी.एफ. स्टेशनों (अजमेर ग्रामीण, नोहर और श्रीगंगानगर) के वाहनों, जिनकी प्रविष्टियाँ मूवमेन्ट रजिस्टर में की गई थी, वे गश्त की उन तिथियों पर (वाहन की लॉग-बुक के अनुसार) कार्यशील नहीं थे अथवा दूसरे कार्य पर लगे हुए थे।

- दो ई.पी.एफ. स्टेशनों (अजमेर ग्रामीण और श्रीगंगानगर) के वाहनों को लॉग-बुक में गश्त पर काम में लिया जाना दर्शाया गया था लेकिन मूवमेन्ट रजिस्टर में इस प्रकार की गश्त किये जाने की कोई प्रविष्टि नहीं थी।

- सहायक आबकारी अधिकारी, बीकानेर और कोटा के तीन ई.पी.एफ. स्टेशनों पर आवश्यक स्टॉफ के पदस्थापन के बावजूद भी वर्ष 2011-12 के नौ माह के दौरान कोई भी गश्त नहीं की गई थी। यद्यपि, इस प्रकार की कोई गश्त नहीं करने के तथ्य को मासिक प्रतिवेदनों के माध्यम से सहायक आबकारी अधिकारी और आबकारी अधिकारी को सूचित किया गया था, उच्च प्राधिकारियों द्वारा इसका कारण जानने के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की गई।

उपरोक्त टिप्पणियों से स्पष्ट है कि स्टॉफ को गश्त में व्यस्त दर्शाने और वाहनों के न्यूनतम निर्धारित माइलेज को पूर्ण उपयोगित दिखाने के लिये मूवमेन्ट रजिस्टर और वाहनों की लॉग-बुक में गश्त की गलत प्रविष्टियाँ की गई थी। इस प्रकार के अभिलेखों में की गई प्रविष्टियों की शुद्धता एवं वास्तविकता की जांच हेतु कोई नियन्त्रण क्रियाविधि नहीं थी।

विभाग को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि मूवमेन्ट रजिस्टर और लॉग-बुक को नियमित रूप से सत्यापित किया जाये ताकि इस प्रकार के अभिलेखों में की गई प्रविष्टियों की वास्तविकता सुनिश्चित की जा सके।

मामले को विभाग और सरकार के ध्यान में लाया गया (नवम्बर 2013 और जनवरी 2014); उनका उत्तर प्रतीक्षित (फरवरी 2014) रहा।

6.8.4.2 अभिलेखों का त्रुटिपूर्ण संधारण

आबकारी आयुक्त के आदेश दिनांक 9 मई 2011 के अनुसार, प्रत्येक ई.पी.एफ. स्टेशन को 11 पंजिका (ई.पी.एफ.सी-1 से ई.पी.एफ.सी-11 प्रारूप में) संधारित करने है और उनमें आवश्यक प्रविष्टियाँ/आवश्यक कार्यवाही निश्चित रूप से करनी है। सहायक आबकारी अधिकारी और आबकारी अधिकारी कार्यालय भी अपने क्षेत्राधिकार में आने वाले प्रत्येक ई.पी.एफ. स्टेशन के लिए आठ पंजिका (ई.पी.एफ.सी.-4 से ई.पी.एफ.सी.-11 प्रारूप में) रखते है।

ई.पी.एफ.सी. रजिस्टरों की मापक जांच के दौरान, यह ध्यान में आया कि चयनित ई.पी.एफ. स्टेशनों, सहायक आबकारी अधिकारी और आबकारी अधिकारी कार्यालयों में, ई.पी.एफ.सी.-1 एवं ई.पी.एफ.सी.-2 रजिस्टरों के अलावा अन्य कोई रजिस्टर निर्धारित तरीके से संधारित नहीं किया जा रहा था। यह देखा गया कि ई.पी.एफ. स्टेशनों का अधिकतम स्टॉफ सेवानिवृत्त फौजियों का था, जिन्हें ई.पी.एफ. स्टेशन की कार्यप्रणाली से सम्बन्धित कोई प्रशिक्षण नहीं दिया गया था। परिणामस्वरूप ई.पी.एफ.सी. प्रारूपों के अधिकांश कॉलम या तो खाली थे या उनमें अशुद्ध प्रविष्टियाँ की गई थी।

मामले को विभाग और सरकार के ध्यान में लाया गया (नवम्बर 2013 और जनवरी 2014); उनका उत्तर प्रतीक्षित (फरवरी 2014) रहा।

6.8.4.3 ई.पी.एफ. स्टेशनों के प्रहराधिकारियों द्वारा छापे की कार्यवाही

निदेशक प्रवर्तन के आदेश (30 अप्रेल 2009) के अनुसार प्रत्येक प्रहराधिकारी प्रत्येक माह संवेदनशील/अतिसंवेदनशील क्षेत्रों में कम से कम 20 छापे मारेगा और अधिकतम भारत निर्मित विदेशी मदिरा/देशी मदिरा/अवैध मदिरा जब्त करने का प्रयास करेगा।

- चयनित ई.पी.एफ. स्टेशनों की मूवमेन्ट रजिस्टरों की मापक जांच में प्रकट हुआ कि मूवमेन्ट रजिस्टरों में दर्ज गश्त और छापों में कोई अन्तर नहीं था। ई.पी.एफ. स्टेशनों के कार्मिकों द्वारा गश्त और छापों को एक दूसरे के रूप में दर्शाया गया था और मूवमेन्ट रजिस्टर में की गयी सभी प्रविष्टियों को ई.पी.एफ. स्टेशन द्वारा की गयी गश्त के रूप में मासिक प्रतिवेदनों में उच्च अधिकारियों को प्रस्तुत किया गया था। मूवमेन्ट रजिस्टर में की गयी प्रविष्टियों और उच्च अधिकारियों को प्रस्तुत मासिक प्रतिवेदनों की शुद्धता एवं वास्तविकता की जांच करने हेतु कोई नियन्त्रण क्रियाविधि नहीं थी।

- विभाग द्वारा राज्य में अवैध मदिरा के उत्पादन, संग्रहण एवं विक्रय के 265 संवेदनशील स्थानों की पहचान कर उन्हें अपनी वेबसाईट पर अपलोड किया था। यह देखा गया कि कोटा जोन में दो वर्षो के दौरान दर्ज 809 प्रकरणों में से मात्र 17 प्रकरण ही संवेदनशील क्षेत्रों में दर्ज किये गये थे। इसके अलावा, विभाग द्वारा बारां जिले के 6 गांव और बून्दी जिले के 12 गांव की पहचान संवेदनशील क्षेत्र के रूप में होने के बावजूद भी बारां जिले के 2 ई.पी.एफ. स्टेशनों (बारां और शाहबाद) तथा बून्दी जिले के 2 ई.पी.एफ. स्टेशनों (बून्दी और नैनवा) के प्रहराधिकारियों द्वारा संवेदनशील क्षेत्रों में एक भी केस नहीं पकड़ा जा सका।

यह भी देखा गया कि विभाग द्वारा संवेदनशील क्षेत्रों की सूची को समय-समय पर अद्यतन नहीं किया गया था। मासिक प्रतिवेदन यह इंगित करते हैं कि इन पहचाने गये क्षेत्रों में निरन्तर गश्त की गई और अवैध मदिरा की बिक्री से सम्बन्धित कोई प्रकरण भी नहीं पाया गया। तथापि, ई.पी.एफ. स्टेशनों और विभाग द्वारा इन क्षेत्रों को संवेदनशील क्षेत्रों की सूची से हटाने का कोई प्रयास नहीं किया गया।

मामले को विभाग और सरकार के ध्यान में लाया गया (नवम्बर 2013 और जनवरी 2014); उनका उत्तर प्रतीक्षित (फरवरी 2014) रहा।

6.8.4.4 प्रकरण पंजीकरण

प्रवर्तन निदेशक, आबकारी विभाग, राजस्थान के आदेश (क्र.सं. 4.9) दिनांक 30 अप्रेल 2009 के अनुसार ई.पी.एफ. के प्रत्येक प्रहराधिकारी को प्रतिमाह 10 केस दर्ज करने थे।

इसके अतिरिक्त, आबकारी आयुक्त राजस्थान के आदेश दिनांक 26 नवम्बर 2010 के अनुसार आबकारी वृत्तों और ई.पी.एफ. स्टेशनों पर दर्ज प्रकरणों को दो श्रेणियों यथा सामान्य प्रतिवेदन प्रकरण तथा विशेष प्रतिवेदन (एस.आर.) प्रकरण में वर्गीकृत किया गया था। मादक पदार्थों जैसे कि भा.नि.वि.म./दे.म./अवैध मदिरा की 50 लीटर से अधिक तथा बीयर की 96 बोतलों से अधिक जब्ती को एस.आर. प्रकरणों की श्रेणी में वर्गीकृत किया गया था।

जैसा कि ऊपर वर्णित किया गया, ई.पी.एफ. स्टेशनों द्वारा गश्त और छापों की नियमित कार्यवाही नहीं की गई जो कि राज्य में अवैध मदिरा के आसवन, बिक्री तथा तस्करी के प्रकरणों की खोज एवं पंजीकरण के प्रति कमजोर निष्पादन को दर्शाता है।

लेखापरीक्षा टिप्पणियों का वर्णन आगामी अनुच्छेदों में किया गया है:

- वर्ष 2010-12 के दौरान 5 सहायक आबकारी अधिकारी कार्यालयों के अधीनस्थ 16 ई.पी.एफ. स्टेशनों द्वारा दर्ज प्रकरणों और जब्त मादक पदार्थों

का विवरण निम्नानुसार है:

क्र. सं.	सहायक आबकारी अधिकारी कार्यालय का नाम (ई.पी.एफ.स्टेशनों की संख्या)	जब्ती	अवैध/ हथकड़ मदिरा	निर्धारित मात्रा से अधिक मदिरा रखना	दूसरे राज्यों की मदिरा रखना	वाश/स्प्रीट/ भांग	अनुज्ञापत्र की शर्तों का उल्लंघन
1	भरतपुर (4)	प्रकरणों की संख्या	47	37	41	6	2
		जब्त मात्रा	418.70 बी.एल.	3873.98 बी.एल.	363.00 बी.एल.	4200 बी.एल. वाश एवं 2.6 कि.ग्रा. भांग	–
2	धौलपुर (2)	प्रकरणों की संख्या	35	14	16	–	–
		जब्त मात्रा	218.50 बी.एल.	117.57 बी.एल.	115.11 बी.एल.	–	–
3	करौली (4)	प्रकरणों की संख्या	3	24	17	–	2
		जब्त मात्रा	16.00 बी.एल.	1341.30 बी.एल.	217.39 बी.एल.	–	–
4	जयपुर शहर (3)	प्रकरणों की संख्या	398	46	64	–	1
		जब्त मात्रा	2031.50 बी.एल.	8058.59 बी.एल.	20375.61 बी.एल.	–	–
5	जयपुर ग्रामीण (3)	प्रकरणों की संख्या	156	55	62	3	5
		जब्त मात्रा	667.75 बी.एल.	4511.43 बी.एल.	43877.04 बी.एल.	48.5 टन वाश एवं 10800 बी.एल. स्प्रीट	–
	योग (16 ई.पी.एफ. स्टेशन)	**प्रकरणों की संख्या**	639	176	200	9	10
		जब्त मात्रा	3352.45 बी.एल.	17902.87 बी.एल.	64948.15 बी.एल.	52.7 टन वाश, 10,800 बी.एल. स्प्रीट एवं 2.6 कि.ग्रा. भांग	–
	प्रतिशत	**प्रकरणों की संख्या**	61.80	17.02	19.34	0.87	0.97
		जब्त मात्रा	3.89	20.77	75.34	–	–

उपर्युक्त तालिका यह दर्शाती है कि अवैध मदिरा सम्बन्धी पंजीकृत प्रकरणों की संख्या अधिकतम (कुल प्रकरणों का 61.80 प्रतिशत था) थी जबकि इन प्रकरणों में जब्त की गई मात्रा बहुत कम थी (कुल जब्ती का 3.89 प्रतिशत)।

- चयनित ई.पी.एफ. स्टेशनों के यहां पंजीकृत प्रकरणों के विश्लेषण से प्रकट होता है कि इन स्टेशनों द्वारा पंजीकृत लगभग 80 प्रतिशत प्रकरण अवैध

मदिरा के रखने एवं इनकी बिक्री से सम्बन्धित थे। शेष रहे प्रकरण अन्य राज्यों की मदिरा के विक्रय से सम्बन्धित थे।

- केवल 4 ई.पी.एफ. स्टेशनों[3] के प्रहराधिकारियों द्वारा ही प्रकरणों की पकड़ एवं पंजीकरण के अपने लक्ष्य, अर्थात 120 प्रकरण प्रतिवर्ष, को प्राप्त किया जा सका। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2010-11 के दौरान 9 ई.पी.एफ. स्टेशनों[4] तथा वर्ष 2011-12 के दौरान 12 ई.पी.एफ. स्टेशनों[5] द्वारा प्रतिमाह एक प्रकरण भी नहीं पकड़ा जा सका। वर्ष 2010-11 के दौरान इकलेरा ई.पी.एफ. स्टेशन द्वारा एक भी प्रकरण नहीं पकड़ा गया।
- सहायक आबकारी अधिकारी बीकानेर द्वारा संधारित प्रथम सूचना प्रतिवेदन (एफ.आई.आर.) पत्रावलियों की समीक्षा में यह देखा गया कि 4 ई.पी.एफ. स्टेशनों की 11 एफ.आई.आर. (बीकानेर ग्रामीण-5, खाजूवाला-1, लूणकरणसर-4 और नोखा-1) को प्रहराधिकारियों के हस्ताक्षर के बिना प्रस्तुत किया गया था और सहायक आबकारी अधिकारी बीकानेर द्वारा उन्हें स्वीकार कर लिया गया। यह दर्शाता है कि एफ.आई.आर. सावधानीपूर्वक तैयार नहीं की गई और सहायक आबकारी अधिकारी द्वारा उन्हें बिना जांच के स्वीकार किया गया।
- वर्ष 2010-12 की अवधि में दर्ज कुल प्रकरणों की तुलना में एस.आर. प्रकरणों का प्रतिशत 1.64 और 13.88 के मध्य था, जिसका विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:

चयनित का नाम एवं संख्या			कुल पंजीकृत प्रकरणों की संख्या	एस.आर. प्रकरणों की संख्या	एस.आर. प्रकरणों की प्रतिशतता
जोन	सहायक आबकारी अधिकारी कार्यालय	ई.पी.एफ. स्टेशन			
अजमेर	3	9	1,050	18	1.71
भरतपुर	3	10	244	4	1.64
बीकानेर	3	9	1,384	77	5.56
जयपुर शहर	1	3	509	16	3.14
जयपुर ग्रामीण	1	3	281	39	13.88
जोधपुर	2	6	821	68	8.28
कोटा	4	12	809	20	2.47
योग	**17**	**52**	**5,098**	**242**	**4.75**

प्रकरण विभाग और सरकार के ध्यान में लाया गया (नवम्बर 2013 और जनवरी 2014); उनका उत्तर प्रतीक्षित (फरवरी 2014) रहा।

[3] वर्ष 2010-11 के दौरान हनुमानगढ़, संगरिया, आबूरोड़ एवं मानसरोवर दक्षिण ई.पी.एफ. स्टेशन; वर्ष 2011-12 के दौरान हनुमानगढ़ अनूपगढ़, आबूरोड़ एवं मानसरोवर दक्षिण ई.पी.एफ. स्टेशन।

[4] रेवदर, बारॉ, लाखेरी, धौलपुर शहर, कामॉ, करौली, कैला देवी, हिन्डोन सिटी एवं टोड़ाभीम ई.पी.एफ. स्टेशन।

[5] बीकानेर ग्रामीण, लूणकरणसर, रेवदर, बारॉ, शाहबाद, नैनवा, लाखेरी, इकलेरा, कामॉ, कैला देवी, हिन्डोन सिटी एवं टोड़ाभीम ई.पी.एफ. स्टेशन।

6.8.4.5 प्रकरणों पर बाद की कार्यवाही

आर.ई अधिनियम, 1950 की धारा 67(2) के अनुसार, इस अधिनियम के अन्तर्गत अपराध दर्ज होने की तिथि से एक वर्ष व्यतीत हो जाने के पश्चात मजिस्ट्रेट द्वारा सिवाय राज्य सरकार की विशेष अनुमति के कोई संज्ञान नहीं लिया जावेगा। भारतीय दण्ड प्रक्रिया (सी.आर.पी.सी.) की धारा 173(2) के अनुसार पुलिस अधिकारी द्वारा अनुसंधान पूर्ण होने पर सक्षम मजिस्ट्रेट के समक्ष अपराध का संज्ञान लेने के लिये प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जावेगा।

सी.आर.पी.सी. की धारा 173(8) के अनुसार, उप धारा (2) में वर्णित प्रतिवेदन मजिस्ट्रेट को अग्रेषित करने के पश्चात किसी अपराध के सम्बन्ध में आगे अनुसंधान नहीं करने की बात को नहीं माना जावेगा। यदि पुलिस थाने के भार साधक अधिकारी द्वारा कोई मौखिक या लिखित साक्ष्य आगे प्राप्त किया जाता है तो उस साक्ष्य के सम्बन्ध में वह अतिरिक्त आगामी प्रतिवेदन या प्रतिवेदनों को मजिस्ट्रेट को अग्रेषित करेगा।

निदेशक प्रवर्तन द्वारा समस्त ई.पी.एफ. अधिकारियों को ऐसे बकाया एस.आर. प्रकरण जिनमें सी.आर.पी.सी. की धारा 173(8) के अधीन अपराधियों को गिरफ्तार करने की अनुमति दी गई हो का आगामी जांच पूर्ण करने का निर्देश जारी किये (25 मई 2009) थे।

चयनित ई.पी.एफ. स्टेशनों द्वारा संधारित 'अभियोग रजिस्टरों' और पंजीकृत प्रकरणों की पत्रावलियों की मापक जांच में यह देखा गया कि प्रकरण बिना गहराई से अनुसंधान किये केवल सामान्य प्रक्रियानुसार तैयार किये गये। जैसा कि पूर्व पैरा 6.8.4.4 में वर्णित किया गया कि अधिकतम मामले इस प्रकार के थे, जिनमें बहुत कम मात्रा में अवैध मदिरा/हथकड़ शराब पकड़ी गयी।

न्यायालय में विचाराधीन पंजीकृत प्रकरणों से सम्बन्धित पत्रावलियां लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं करवायी गई। चार सहायक आबकारी अधिकारी कार्यालय की 20 पत्रावलियों (भरतपुर-8, धौलपुर-3, जयपुर ग्रामीण-4 एवं जयपुर शहर-4) जिनमें न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा निर्णय दिया गया था कि समीक्षा से प्रकट हुआ कि ई.पी.एफ. कार्मिकों द्वारा अपराधियों से इस बात की जांच करने कि उन्हें ऐसी मदिरा की आपूर्ति किस स्रोत से की गयी थी, का प्रयत्न नहीं किया गया और अनुसंधान प्रतिवेदन केवल इस निष्कर्ष के साथ समाप्त कर दिया गया कि दोषी व्यक्ति के पास अवैध मदिरा/हथकड़ मदिरा पायी गयी थी। अधिकतम दर्ज प्रकरणों में जब्ती की मात्रा बहुत कम थी। इन समस्त प्रकरणों का न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा निर्णय दोषी व्यक्ति द्वारा अपराध की स्वीकारोति, पर अभियोग लागत जो कि ₹ 200 और ₹ 5,000 के मध्य थी, के भुगतान करने पर और

भारतीय अपराधी और परीवीक्षा अधिनियम, 1958 की धारा 4 और 5 का लाभ देते हुए प्रकरण को गम्भीरता के आधार पर ₹ 5,000 से ₹ 10,000 तक की जमानत या मुचलका प्रस्तुत करने पर एक मे तीन वर्ष की परिवीक्षा के आधार पर किया गया। वर्ष 2012 के अन्तर्गत पांच सहायक आबकारी अधिकारी कार्यालयों में अन्तिम निर्णय हेतु बकाया प्रकरणों का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है:

सहायक आबकारी अधिकारी कार्यालय का नाम	भरतपुर	धौलपुर	करौली	जयपुर शहर	जयपुर ग्रामीण
अन्तिम निर्णय हेतु बकाया प्रकरणों की संख्या	181	122	107	2,694	448

इसके अतिरिक्त यह भी देखा गया कि 5 सहायक आबकारी अधिकारी कार्यालय से सम्बन्धित ई.पी.एफ. स्टेशनों पर वर्ष 2007-08 से 2011-12 की अवधि के दौरान 27 पंजीकृत प्रकरण (अजमेर-16, बारां-2, भीलवाड़ा-2, झालावाड़-4 एवं श्रीगंगानगर-3) सी.आर.पी.सी. की धारा 173(8) के अन्तर्गत बकाया थे, जिनमें अनुसंधान पूर्ण करने के बाद जांचकर्ता अधिकारी द्वारा अपना प्रतिवेदन सी.आर.पी.सी. की धारा 173(2) के अन्तर्गत न्यायालय में प्रस्तुत किया गया और प्रकरणों को अग्रिम जांच/साक्ष्य जुटाने हेतु खुला रखने की अनुमति उच्च अधिकारियों से प्राप्त की गई थी। तथापि, जांचकर्ता अधिकारियों द्वारा एक से पांच वर्ष की अवधि व्यतीत हो जाने पर भी इनके आगे अनुसंधान नहीं किया गया।

मामले को विभाग और सरकार के ध्यान में लाया गया (नवम्बर 2013 और जनवरी 2014); उनका उत्तर प्रतीक्षित (फरवरी 2014) रहा।

ई.पी.एफ. अधिकारियों द्वारा अपने अनुसंधान के दौरान कथित अपराधियों को आपूर्ति की गई अवैध मदिरा के स्रोत की पहचान करने की जांच की जानी चाहिए।

6.8.4.6 चैक पोस्ट

विभाग द्वारा मादक पदार्थों के अवैध परिवहन को रोकने हेतु राज्य के विभिन्न प्रवेश बिन्दुओं/सीमा क्षेत्रों पर टैन्ट के रूप में 30 अस्थायी चैक पोस्ट स्थापित किये गये। यह देखा गया कि राज्य की सीमायें विभिन्न मार्गों से जुड़ी हुई थी, तथापि, ये अस्थायी ढांचे एक ही स्थान पर बने रहे। चैक पोस्ट अथवा प्रहराधिकारी/सहायक आबकारी अधिकारी कार्यालयों पर ऐसे कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं थे जो यह दर्शाते कि चैक पोस्ट की अवस्थिति के अतिरिक्त अन्य विभिन्न मार्गों पर नियमित गश्त/नाकाबन्दी की गई थी।

चयनित इकाईयों के 12 चैक पोस्टों के अभिलेखों की मापक जॉंच के दौरान यह पाया गया कि वहाँ केवल कार्मिकों की उपस्थिति रजिस्टरों का ही संधारण किया जा रहा था। इसके अतिरिक्त अन्य कोई अभिलेख यथा चैक पोस्ट के रास्ते गुजरने वाले मादक पदार्थों के वाहनों के विवरण की प्रविष्टियों से सम्बन्धित रजिस्टरों, कार्मिकों की गतिविधियों की पंजिका, सम्बन्धित प्रहराधिकारी द्वारा चैक पोस्ट के लिए की गई यात्रा से सम्बन्धित रजिस्टरों, उच्च प्राधिकारियों द्वारा चैक

पोस्ट के निरीक्षण के रजिस्टरों इत्यादि चैक पोस्ट पर संधारित नहीं थे। इस प्रकार के अभिलेखों के अभाव में, लेखापरीक्षा इस स्थिति में नहीं थी कि चैक पोस्ट की कार्यप्रणाली पर विस्तृत टिप्पणी की जा सके।

यह भी पाया गया कि चयनित ई.पी.एफ. स्टेशनों पर अन्य राज्यों की अवैध शराब रखने से सम्बन्धित 241 प्रकरण वर्ष 2010-11 में एवं 165 प्रकरण वर्ष 2011-12 में पंजीकृत किये गये थे जो यह दर्शाते है कि चैक पोस्टों, ई.पी.एफ. स्टेशनों, आबकारी वृत्त कार्यालयों, पुलिस स्टेशनों इत्यादि को बचाकर पूरे राज्य में अन्य राज्यों की मदिरा की आपूर्ति उपलब्ध थी। यह तस्करी के नियन्त्रण में चैक पोस्ट एवं ई.पी.एफ. स्टेशनों के कार्मिकों की लापरवाही एवं निष्क्रियता को दर्शाता है अथवा ई.पी.एफ. का सूचना तन्त्र कमजोर था। चैक पोस्ट के निष्पादन की जाँच और मूल्यांकन हेतु कोई प्रभावी तन्त्र विद्यमान नहीं था।

मामले को विभाग और सरकार के ध्यान में लाया गया (नवम्बर 2013 और जनवरी 2014); उत्तर प्रतीक्षित (फरवरी 2014) रहा।

6.8.4.7 ई.पी.एफ. स्टेशनों पर मानव शक्ति की समस्या

वर्ष 2011-12 के दौरान राज्य के 141 कार्यशील ई.पी.एफ. स्टेशनों पर स्वीकृत एवं कार्यरत पद संख्या की समीक्षा करने पर यह पाया गया कि विभाग के केवल 23 प्रहराधिकारियों का पदस्थापन किया गया था, जबकि 44 प्रहराधिकारी पुलिस विभाग से प्रतिनियुक्ति के आधार पर लिये गये थे और 74 प्रहराधिकारियों का कार्यभार नजदीकी स्टेशनों के प्रहराधिकारियों अथवा आबकारी निरीक्षकों को उनके नियमित कार्यभार के अतिरिक्त दिया गया था, जैसा कि नीचे वर्णित किया गया है:

वर्ष 2011-12 के दौरान	ई.पी.एफ. स्टेशनों की संख्या	ई.पी.एफ. स्टेशनों की संख्या जहाँ प्रहराधिकारियों का पदस्थापन था			बिना प्रहराधिकारियों अथवा अतिरिक्त कार्यभार के साथ संचालित ई.पी.एफ. स्टेशनों की संख्या
		ई.पी.एफ.	पुलिस	योग	
राज्य में कार्यरत कुल ई.पी.एफ. स्टेशन	141	23	44	67	74
लेखापरीक्षा हेतु चयनित ई.पी.एफ. स्टेशन	52	10	14	24	28

ई.पी.एफ. स्टेशनों पर नियमित प्रहराधिकारियों के पदस्थापन के अभाव में, गश्त एवं छापों का कार्य अत्यधिक प्रभावित हुआ। यह देखा गया कि बिना नियमित प्रहराधिकारी के पदस्थापन के ई.पी.एफ. स्टेशनों पर प्रकरणों के पंजीकरण की संख्या नगण्य थी। इसके अलावा ऐसे ई.पी.एफ. स्टेशनों पर पदस्थापित कार्मिक, नियमित प्रहराधिकारी के बिना उचित मार्गदर्शन/शक्तियाँ न होने के कारण, निष्क्रिय रहते थे।

मामले को विभाग और सरकार के ध्यान में लाया गया (नवम्बर 2013 और जनवरी 2014); उत्तर प्रतीक्षित (फरवरी 2014) रहा।

6.8.4.8 ई.पी.एफ. कार्मिकों को अपर्याप्त प्रशिक्षण

ई.पी.एफ. कार्मिकों को आर.ई. अधिनियम/नियम, सी.आर.पी.सी., भारतीय दण्ड् संहिता, एन.डी.पी.एस. अधिनियम/नियम इत्यादि का विशेष प्रशिक्षण देना आवश्यक था। प्रवर्तन निदेशालय एवं आबकारी आयुक्त (ई.सी.) कार्यालय के बजट आवंटन और व्यय विवरण की समीक्षा में यह देखा गया कि प्रवर्तन निदेशालय/आबकारी आयुक्त, राजस्थान द्वारा प्रशिक्षण शीर्ष में वर्ष 2005-06 से 2011-12 तक कोई आवंटन नहीं किया गया था। वर्ष 2008-09 एवं 2009-10 प्रत्येक वर्ष ₹ 1,000 का आवंटन किया गया जिसका भी उपयोग प्रशिक्षण उद्देश्य हेतु नहीं किया गया था।

मामले को विभाग और सरकार के ध्यान में लाया गया (नवम्बर 2013 और जनवरी 2014); उत्तर प्रतीक्षित (फरवरी 2014) रहा।

6.8.5 ई.पी.एफ. स्टेशनों के सहायक आबकारी अधिकारी/आबकारी अधिकारी का कमजोर नियन्त्रण

प्रत्येक ई.पी.एफ. स्टेशन की समस्त गतिविधियों से सम्बन्धित दैनिक एवं मासिक प्रतिवेदनों की उपलब्धता के बावजूद उच्च अधिकारियों द्वारा कार्य का मूल्यांकन नहीं किया गया। यह देखा गया कि मासिक प्रतिवेदन नैमित्तिक रूप से तैयार किये जा रहे थे और उन्हें ई.पी.एफ. स्टेशनों से सहायक आबकारी कार्यालय से होते हुए जोन कार्यालय से आबकारी आयुक्त कार्यालय को प्रेषित किया जाता था। इन प्रतिवेदनों का कोई विश्लेषण नहीं किया गया। निर्धारित मानदण्डों की अनुपालना न किये जाने पर कारणों का पता लगाने के लिए सहायक आबकारी अधिकारी/आबकारी अधिकारी द्वारा कोई कार्यवाही किया जाना नहीं पाया गया।

आबकारी आयुक्त द्वारा जारी (मई 2011) निर्देशों के अनुसार प्रत्येक ई.पी.एफ. स्टेशन का आबकारी अधिकारियों द्वारा त्रैमासिक निरीक्षण एवं सहायक आबकारी अधिकारियों द्वारा मासिक निरीक्षण करना आवश्यक था। इसके अतिरिक्त, आबकारी आयुक्त राजस्थान के आदेश दिनांक 7 मई 2010 के अनुसार, अतिरिक्त आयुक्त (ए.सी.) आबकारी जोन को अपने क्षेत्राधिकार में सहायक आबकारी कार्यालय का वार्षिक एवं 25 प्रतिशत ई.पी.एफ. स्टेशनों का निरीक्षण करना था। तथापि, यह देखा गया कि 52 ई.पी.एफ. स्टेशन व 17 सहायक आबकारी कार्यालय में से वर्ष

2011-12 में निम्नानुसार निरीक्षण किया गया:

क्र.सं.	निरीक्षण जिनके द्वारा किया गया	सहायक आबकारी कार्यालय		ई.पी.एफ. स्टेशन	
		मानकों के अनुसार निरीक्षणों की संख्या	वास्तव में किये गये निरीक्षणों की संख्या	मानकों के अनुसार निरीक्षणों की संख्या	वास्तव में किये गये निरीक्षणों की संख्या
1	अतिरिक्त आयुक्त द्वारा	17	8	13	24
2	आबकारी अधिकारी द्वारा	17	शून्य	208	6[6]
3	सहायक आबकारी अधिकारी द्वारा	–	–	624	8[7]

उपरोक्त से यह देखा जा सकता है कि निर्धारित लक्ष्यों 208 व 624 ई.पी.एफ. स्टेशनों के विरूद्ध वर्ष 2011-12 में, आबकारी अधिकारी व सहायक आबकारी अधिकारी द्वारा क्रमशः 6 और 8 निरीक्षण मात्र प्रत्येक के द्वारा किये गये। इसके अतिरिक्त 9 सहायक आबकारी कार्यालय का वर्ष 2011-12 में निरीक्षण नहीं हुआ।

यह भी देखा गया कि ई.पी.एफ. स्टेशनों पर संधारित रजिस्टरों का सहायक आबकारी अधिकारी/आबकारी अधिकारियों द्वारा मासिक/त्रैमासिक निरीक्षण नहीं किया गया था। यद्यपि, इनका सम्बन्धित सहायक आबकारी अधिकारी द्वारा मासिक एवं आबकारी अधिकारी द्वारा त्रैमासिक निरीक्षण किया जाना और इस सम्बन्ध में ई.पी.एफ.सी. रजिस्टरों में निरीक्षण नोट अंकित किया जाना चाहिए था।

मामले को विभाग और सरकार के ध्यान में लाया गया (नवम्बर 2013 और जनवरी 2014); उत्तर प्रतीक्षित (फरवरी 2014) रहा।

[6] अजमेर ग्रामीण, केकड़ी, ब्यावर, बारां, झालावाड़ और नौखा ई.पी.एफ. स्टेशन।

[7] अजमेर ग्रामीण, आबू रोड़, भीलवाड़ा शहर, जोधपुर ग्रामीण, फलौदी, भवानीमण्डी, दूदू और कोटपुतली ई.पी.एफ. स्टेशन।

6.8.6 ई.पी.एफ. स्टेशनों एवं पुलिस विभाग के मध्य समन्वय का अभाव

आबकारी नियमावली 1988 के अनुसार, यह आवश्यक है कि पुलिस और आबकारी विभाग के अधिकारियों द्वारा आबकारी एवं अफीम अपराधों की खोज एवं अनुसंधान का कार्य मिलकर किया जाना चाहिए।

इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार द्वारा राज्य में अवैध मदिरा एवं मादक पदार्थों के व्यापार के विरूद्ध नियमित कठोर कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु कार्य योजना दिनांक 23 दिसम्बर 2008 को जारी की गई, जो कि वर्ष 2009-10 एवं 2010-11 के दौरान भी प्रभावी थी। कार्य योजना का उद्देश्य पुलिस, ई.पी.एफ. एवं आबकारी अधिकारियों के मध्य समन्वय बढ़ाना था। राज्य सरकार की कार्य योजना के अनुसार, पुलिस स्टेशन के भार साधक अधिकारी, ई.पी.एफ. के सक्षम अधिकारी एवं आबकारी निरीक्षकों के बीच दो संयुक्त मीटिंग प्रत्येक माह के प्रथम एवं तृतीय बुधवार को आयोजित की जानी थी जिसमें समन्वित कार्यवाही की योजना बनानी थी। इस प्रकार की मीटिंग का बिन्दुवार कार्यवृत्त सम्बन्धित जिला आबकारी अधिकारियों (डी.ई.ओज.), प्रहराधिकारियों एवं पुलिस वृत्त अधिकारियों को प्रेषित करना था। प्रत्येक जिले के जिला आबकारी अधिकारियों एवं ई.पी.एफ. के आबकारी अधिकारियों द्वारा प्रत्येक माह के अन्तिम कार्य दिवस पर, पुलिस स्टेशन के भार साधक अधिकारी से प्राप्त प्रतिवेदन की समीक्षा करनी थी।

चयनित ई.पी.एफ. स्टेशनों के अभिलेखों की मापक जाँच में यह देखा गया कि संवेदनशील क्षेत्रों में संयुक्त कार्यवाही अथवा गश्त करने के उद्देश्य से पुलिस और आबकारी वृत्त कार्यालयों के बीच अवैध मदिरा के संवेदनशील स्थानों एवं आदतन अपराधियों से सम्बन्धित सूचनाओं के साझा करने अथवा आदान-प्रदान करने की कोई व्यवस्था ई.पी.एफ. स्टेशनों में नहीं थी। ई.पी.एफ. स्टेशनों पर उपरोक्त मीटिंग से सम्बन्धित न तो कोई सूचना और न ही कोई कार्यवृत्त का संधारण करना पाया गया।

परिणामत: दोनों एजेन्सी एक ही उद्देश्य पर अलग-अलग तौर पर कार्यरत थी। राज्य में पुलिस विभाग द्वारा पंजीकृत आबकारी अभियोगों की संख्या ई.पी.एफ. स्टेशनों की तुलना में बहुत अधिक थी जो ई.पी.एफ. स्टेशनों की कार्य प्रणाली की कार्यकुशलता पर प्रश्न चिन्ह लगाती है। निम्नलिखित तालिका वर्ष 2007-12 के दौरान राज्य में आर.ई./एन.डी.पी.एस. अधिनियमों एवं नियमों के उल्लंघन के

फलस्वरूप पंजीकृत प्रकरणों की संख्या दर्शाती है:

	2007	2008	2009	2010	2011	2012
पुलिस विभाग द्वारा पंजीकृत प्रकरणों की संख्या	10,134	11,473	13,331	12,852	13,532	14,026
ई.पी.एफ. स्टेशनों द्वारा पंजीकृत प्रकरणों की संख्या	5,970	7,577	7,131	7,009	7,439	11,076[8]

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि प्रकरणों की खोज एवं पंजीकरण की दिशा में पुलिस विभाग अधिक सक्रिय था, जबकि ई.पी.एफ. स्टेशनों का प्रदर्शन कमजोर था। आगामी तालिका वर्ष 2010-12 के दौरान 4 सहायक आबकारी कार्यालयों के 13 ई.पी.एफ. स्टेशनों तथा उसी क्षेत्राधिकार के पुलिस स्टेशनों द्वारा पंजीकृत प्रकरणों की तुलनात्मक स्थिति को दर्शाती है:

क्र. सं.	सहायक आबकारी अधिकारी कार्यालय का नाम	चयनित ई.पी.एफ. स्टेशनों की संख्या	वर्ष 2010-12 के दौरान पंजीकृत प्रकरणों की संख्या	
			ई.पी.एफ. स्टेशनों में	पुलिस स्टेशनों में
1	भरतपुर	4	133	696
2	धौलपुर	2	65	352
3	करौली	4	46	98
4	जयपुर शहर	3	509	782
योग		13	753	1,928

राज्य में प्रतिवर्ष पुलिस एवं ई.पी.एफ. स्टेशनों द्वारा इतनी अधिक संख्या में प्रकरणों का पंजीकरण यह प्रकट करता है कि राज्य में मदिरा एवं अन्य मादक प्रदार्थों के अवैध परिवहन का विस्तृत तन्त्र था जिसे नियन्त्रित करने में विभाग असफल रहा।

मामले को विभाग और सरकार के ध्यान में लाया गया (नवम्बर 2013 और जनवरी 2014); उत्तर प्रतीक्षित (फरवरी 2014) रहा।

विभाग को आबकारी अपराधों पर नियन्त्रण हेतु पुलिस विभाग से सूचनाओं को आदान-प्रदान या साझा करने हेतु कार्यप्रणाली विकसित करनी चाहिए।

[8] विभाग के वृत्त कार्यालय में पंजीकृत प्रकरण भी सम्मिलित है।

6.8.7 नवजीवन योजना

आबकारी एवं मद्य संयम नीति 2009-10 के अनुसार, राज्य के ग्रामीण एवं उपनगरीय क्षेत्रों के ऐसे परिवारों/समुदायों जो परम्परागत रूप से अवैध मदिरा के निर्माण एवं विक्रय में लिप्त थे, के सामाजिक एवं आर्थिक पुनर्वासन हेतु राज्य सरकार ने एक स्कीम 'नवजीवन योजना' शुरू की। सरकार ने इस प्रकार के परिवारों के पुनर्वासन हेतु, जिनके विरूद्ध कानूनी कार्यवाही करने के उपरान्त भी वे अपने आपको अवैध मदिरा व्यवसाय से हटा नहीं सके, 'नवजीवन योजना' स्कीम के माध्यम से आबकारी राजस्व का एक प्रतिशत खर्च करने का निर्णय लिया। इस स्कीम की क्रियान्विति वर्ष 2011-12 से सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग (एस.जे.ई.डी.) के माध्यम से की जानी थी।

जयपुर दक्षिण ई.पी.एफ. स्टेशन पर वर्ष 2010-12 के दौरान पंजीकृत प्रकरणों की समीक्षा से प्रकट हुआ कि 233 (कुल 270 प्रकरणों में से) अवैध मदिरा से सम्बन्धित प्रकरणों में से 185 प्रकरण परम्परागत रूप से अवैध मदिरा के निर्माण एवं विक्रय में लिप्त एक विशेष समुदाय की औरतों के विरूद्ध (185 प्रकरण) पंजीकृत किये गये थे और उनमें से कुछ के विरूद्ध पहले से ही 2 से 6 प्रकरण दर्ज थे। तथापि, यह देखा गया कि ई.पी.एफ. स्टेशन द्वारा उनके नाम, एस.जे.ई.डी. द्वारा उनके पुनर्वासन हेतु, अग्रेषित नहीं किये गये। ई.पी.एफ. स्टेशन द्वारा अवैध मदिरा निर्माण एवं विक्रय में व्यक्तियों/समुदायों की लगातार लिप्तता को रोकने हेतु भी कोई प्रयास नहीं किया गया।

यह भी देखा गया कि यद्यपि, 'नवजीवन योजना' हेतु आबकारी राजस्व का एक प्रतिशत का प्रावधान किया जाना था किन्तु विभाग द्वारा वर्ष 2010-12 में राशि ₹ 54.10 करोड़ के विरूद्ध मात्र ₹ 18.71 करोड़ उपलब्ध कराये गये। इसके अतिरिक्त, यह भी पता चला कि ₹ 18.71 में से मात्र ₹ 7.98 करोड़ उपयोग में लिए गये।

यह भी देखा गया कि वर्ष 2011-12 के दौरान 34 सहायक आबकारी अधिकाररियों में से 18 में किसी भी व्यक्ति को इस स्कीम के तहत लाभ नहीं पहुँचाया गया। अवैध मदिरा निर्माण एवं विक्रय में लिप्त व्यक्तियों/समुदायों को उपलब्ध करवाये गये लाभ का विस्तृत विवरण एस.जे.ई.डी. द्वारा लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं करवाया गया।

मामले को विभाग और सरकार के ध्यान में लाया गया (नवम्बर 2013 और जनवरी 2014); उत्तर प्रतीक्षित रहा (फरवरी 2014)।

ई.पी.एफ. स्टेशनों द्वारा अवैध मदिरा के व्यापार में परम्परागत रूप से लिप्त व्यक्तियों के नाम, उनके पुनर्वासन हेतु, एस.जे.ई.डी. को प्रेषित करने चाहिए।

6.8.8 निष्कर्ष

यह देखा गया कि ई.पी.एफ. स्टेशनों के कार्मिकों द्वारा गश्त और छापों में विभेद नहीं करने मूवमेन्ट रजिस्टर में की गई सभी प्रविष्टियों को ई.पी.एफ. स्टेशन द्वारा की गई गश्त के रूप में उच्च अधिकारियों को प्रस्तुत किया गया था। मूवमेन्ट रजिस्टरों एवं लॉग-बुक में छापों की अशुद्ध प्रविष्टियाँ की गई थी और इस प्रकार के अभिलेखों में की गई प्रविष्टियों की शुद्धता एवं वास्तविकता की जाँच हेतु कोई नियन्त्रण प्रणाली नहीं थी। चयनित 48 ई.पी.एफ. स्टेशनों (52 में से) के प्रहराधिकारी द्वारा प्रकरणों की खोज एवं पंजीकरण के अपने लक्ष्य, यथा 120 प्रकरण प्रतिवर्ष को प्राप्त नहीं किया जा सका। एस.आर. प्रकरणों के सम्बन्ध में ई.पी.एफ. स्टेशनों का निष्पादन निराशाजनक था और वर्ष 2010-12 की अवधि में दर्ज कुल प्रकरणों की तुलना में एस.आर. प्रकरणों का प्रतिशत 1.64 और 13.88 के मध्य था। इस प्रकार, ई.पी.एफ. स्टेशनों पर दर्ज किये गये अधिकांश प्रकरण कम मात्रा की जब्ती के साधारण प्रतिवेदन के प्रकरण थे। विभाग द्वारा राज्य में अवैध मदिरा के उत्पादन, संग्रहण एवं विक्रय से सम्बन्धित संवेदनशील क्षेत्रों की सूची की समय-समय पर यह सुनिश्चित करने के लिये जाँच नहीं की गई कि वे वास्तव में निरन्तर संवेदनशील बने हुये हैं जाँचकर्ता अधिकारियों द्वारा एक से पाँच वर्ष की अवधि व्यतीत हो जाने पर भी अनुसंधान पूर्ण नहीं किया गया। चैक पोस्ट के कार्यकलाप का मूल्यांकन करने हेतु कोई नियन्त्रण प्रणाली विद्यमान नहीं थी। राज्य पुलिस विभाग के साथ अवैध मदिरा के संवेदनशील स्थानों एवं आदतन अपराधियों से सम्बन्धित सूचनाओं के साझा अथवा आदान-प्रदान करने की कोई व्यवस्था ई.पी.एफ. स्टेशनों में उपलब्ध नहीं थी।

अवैध मदिरा के आसवन एवं विक्रय, अफीम, एल.पी.एच. तथा दूसरे मादक पदार्थो की तस्करी की मात्रा अत्यधिक थी और ई.पी.एफ. अपने कार्यो को प्रभावकारी रूप से करने में असफल रहा।

6.9 अन्य लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ

अभिलेखों की मापक जांच में कुछ प्रकरण आबकारी राजस्व की अवसूली/कम वसूली के पाये गये, जिन्हें इस अध्याय के आगामी अनुच्छेदों में दर्शाया गया है। इनमें से कुछ कमियां पिछले वर्षों में दर्शायी गयी थी तथापि, न केवल अनियमिततायें विद्यमान थी किन्तु आगामी लेखापरीक्षा किये जाने तक इनका पता नहीं लगा। यह कुछ निदर्शी प्रकरण है जो लेखापरीक्षा को प्रस्तुत अभिलेखों की मापक जांच पर आधारित है। सरकार को आन्तरिक लेखापरीक्षा को सुदृढ़ करने सहित आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली को सुधारने की आवश्यकता है, जिससे इस प्रकार के प्रकरणों की पुनरावृत्ति से बचा जा सके।

6.10 अधिनियमों और नियमों के प्रावधानों की पालना नहीं करना

राजस्थान आबकारी अधिनियम तथा नियमों में निम्न लिखित प्रावधान है:

(अ) निर्धारित दर से ब्राण्ड फीस का आरोपण करना;

(ब) निर्धारित दर से स्पेशल वेण्ड फीस का आरोपण करना; तथा

(स) गन्तव्य स्थान पर न पहुँची बीयर पर आबकारी शुल्क का आरोपण करना।

यह देखा गया कि जिला आबकारी अधिकारियों द्वारा पैराग्राफ 6.10.1 से 6.10.3 मे दर्शाये प्रकरणों में उपरोक्त प्रावधानों का पालन नहीं किया गया था।

6.10.1 ब्राण्ड फीस की वसूली का अभाव

राजस्थान विदेशी मदिरा (थोक एवं खुदरा विक्रय हेतु लाइसेंस) नियम, 1982 के नियम 3(2) के अनुसार जिन इकाईयों के बान्डेड भण्डागार राजस्थान में स्थित नहीं है, उनसे राज्य में आयातित भारतीय निर्मित विदेशी मदिरा (आर.एम.एफ.एल.)/बीयर पर प्रत्येक ब्राण्ड हेतु राशि ₹ 50,000 की दर से ब्राण्ड फीस वसूल की जायेगी। अधिसूचना क्रमांक एफ.4(85)एफडी/ आब/2003 दिनांक 19 फरवरी 2004 (1 अप्रेल 2004 से प्रभावी) द्वारा वाईन, रैडी-टू-ड्रिंक (आर.टी.डी.) मदिरा एवं अन्य देशों में भरी विदेशी मदिरा (बोटल्ड- इन-ओरिजिन या बी.आई.ओ. के नाम से प्रचलित) के सम्बन्ध में आई.एम.एफ.एल. एवं बीयर के थोक अनुज्ञाफीस के भुगतान में ₹ 10,000 से अधिक राशि की छूट दी गई।

जिला आबकारी अधिकारी, जयपुर शहर द्वारा मैसर्स राजस्थान राज्य बेवरेज कॉरपोरेशन लिमिटेड (आर.एस.बी.सी.एल.) को वर्ष 2011-12 में अन्य राज्यों से विभिन्न ब्राण्ड की भारतीय निर्मित विदेशी मदिरा/बीयर/वाईन आयात करने हेतु जारी 1,002 परमिटों की संवीक्षा में पाया गया (दिसम्बर 2012 और अक्टूबर 2013) कि मैसर्स आर.एस.बी.एम.सी.एल. द्वारा जिसके पास आई.एम.एफ.एल/बीयर/ वाईन/आर.टी.डी./बी.आई.ओ. को आयातित करने हेतु होलसेल बिक्री हेतु व्यक्तिगत अनुज्ञापत्र था, द्वारा 56 ब्राण्ड आई.एम.एफ.एल./बीयर के व 102 ब्राण्ड वाईन/ बी.आई.ओ. के, विभिन्न राज्यों से अपने डिपो के लिये वर्ष 2011-12 में आयात किये गये। विभाग द्वारा राशि ₹ 28.00 लाख आई.एम.एफ.एल./बीयर पर तथा राशि ₹ 10.20 लाख वाईन/बी.आई.ओ. पर ब्राण्ड फीस वसूल नहीं की गयी।

जब (जनवरी व नवम्बर 2013 के मध्य) अवगत कराया गया तो सरकार द्वारा (फरवरी 2014) में बताया गया कि राजस्थान आबकारी नियमावली, 1956 के नियम 69(3) के अन्तर्गत ब्राण्ड फीस वसूल की जा रही है। उत्तर में आगे बताया गया कि राजस्थान विदेशी मदिरा नियम, 1982 के नियम 3(2) के अब तक विलोपित न किये जाने से यह संशय उठा है, जिसके विलोपन की कार्यवाही सरकार के पास विचाराधीन है।

तथ्य यह है कि राजस्थान विदेशी मदिरा (थोक एवं खुदरा विक्रय हेतु लाइसेंस) नियम, 1982 के नियम 3(2) सम्बन्धित अवधि में लागू होने के कारण ब्राण्ड फीस ₹ 38.20 लाख आरोपणीय व वसूल योग्य थी।

6.10.2 वेण्ड फीस का अनारोपण

राजस्थान आबकारी (संशोधन) नियम, 2011 के नियम 69 के उप नियम (6) (1 अप्रेल 2011 से प्रभावी किया गया) के अनुसार भारत निर्मित विदेशी मदिरा (आई.एफ.एम. एल.) और भारत निर्मित बीयर की रिटेल ऑफ बिक्री पर क्रमश: ₹ 10 और ₹ 5 प्रति बल्क लीटर की दर से स्पेशल वेण्ड फीस देय है।

जिला आबकारी अधिकारी, जयपुर शहर और बीकानेर के अभिलेखों की मापक जांच में (अगस्त और दिसम्बर 2012 के मध्य) पाया गया कि केन्टीन स्टोर डिपार्टमेन्ट (सी.एस.डी.) के होलसेल डिपो जो कि जयपुर और बीकानेर में स्थित है के द्वारा वर्ष 2011-12 में ₹ 67.98 लाख बल्क लीटर आई.एम.एफ.एल. और ₹ 6.88 लाख बल्क लीटर बीयर का रिटेल ऑफ में अनुज्ञाधारियों को (इकाईयां जो केन्टीन की तरह चल रही है) विक्रय किया गया। जबकि आई.एम.एफ.एल. पर स्पेशल वेण्ड फीस राशि ₹ 6.80 करोड़ और बीयर पर राशि ₹ 0.34 करोड़ सी.एस.डी. द्वारा न तो जमा कराई गई न ही विभाग द्वारा मांगी गयी। परिणामस्वरूप राशि ₹ 7.14 करोड़ स्पेशल वेण्ड फीस की अवसूली रही।

मामला विभाग तथा सरकार के ध्यान में लाया गया (सितम्बर 2012 और अक्टूबर 2013 के मध्य)। विभाग द्वारा (अक्टूबर 2013) अवगत कराया कि 5 नवम्बर 2012 से लगातार वसूली की जा रही है। पिछले वर्षो की वसूली से सम्बन्धित मामला का परीक्षण किया जा रहा है। अग्रिम प्रगति प्रतीक्षित थी (फरवरी 2014)।

6.10.3 गन्तव्य स्थान पर सुपुर्द नहीं हुई बीयर पर आबकारी शुल्क का अनारोपण

राजस्थान ब्रेवरी नियम, 1972 के नियम 41 के अनुसार ब्रेवरी से कोई भी बीयर की मात्रा राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 की धारा 28 के अन्तर्गत देय आबकारी शुल्क जमा कराये बिना नहीं भेजी जा सकेगी अथवा धारा 18 के अनुसार राज्य के बाहर निर्यात की जाने वाली बीयर के मामलों में बोण्ड का निष्पादन कर निर्यात की जावेगी। बोण्ड की शर्त संख्या (2) में यह प्रावधान किया गया है कि बोण्ड में दर्शायी बीयर की मात्रा उसके निर्धारित लक्ष्य पर नहीं पहुँच पाती है अथवा कम पहुँच पाती है, तो ब्रेवर द्वारा, नहीं पहुँची मात्रा अथवा कम मात्रा पर, देय आबकारी शुल्क देय होगा।

जिला आबकारी अधिकारी कार्यालयों अलवर व बहरोड़ के अन्तर्गत पांच ब्रेवरी[9] के वर्ष 2010-11 व 2011-12 के अभिलेखों की संवीक्षा में पाया गया कि राज्य के बाहर बोण्ड के अन्तर्गत भेजी 1.32 लाख बल्क लीटर (16,233 कार्टन) बीयर सन्निहित आबकारी शुल्क राशि ₹ 55.27 लाख की सुपुर्दगी गन्तव्य स्थान पर नहीं की गयी। ब्रेवरी द्वारा ना तो इस सम्बन्ध में आबकारी शुल्क जमा कराया गया ना ही विभाग द्वारा मांग की गयी। परिणामस्वरूप राज्य आबकारी शुल्क राशि ₹ 55.27 लाख की वसूली का अभाव रहा।

अवगत कराये जाने के बाद (अक्टूबर 2012 से अक्टूबर 2013) विभाग द्वारा बताया गया (दिसम्बर 2013) कि राशि ₹ 22.30 लाख की वसूली की जा चुकी है और बकाया प्रकरणों पर वसूली हेतु कार्यवाही शुरू की जा चुकी है।

[9] मैसर्स कार्ल्सबर्ग इण्डिया प्रा. लि., अलवर, मैसर्स यूनाईटेड ब्रेवरीज लि., भिवाड़ी, मैसर्स रोचिज ब्रेवरीज लि., नीमराना, मैसर्स माउण्ट शिवालिक इण्डिया प्रा. लि., बहरोड़ और मैसर्स दीवान मोर्डन ब्रेवरीज लि., बहरोड़।

अध्याय–VII

कर–इतर प्राप्तियाँ

अध्याय-VII: कर-इतर प्राप्तियाँ

7.1 प्रस्तावना

राज्य सरकार के कर-इतर राजस्व में मुख्य रूप से ब्याज, खानों एवं खनिजों, विविध सामान्य सेवायें, जल संसाधन, सार्वजनिक निर्माण कार्य, पुलिस, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, वन और वन्य जीव से प्राप्तियाँ समाविष्ट हैं। राजस्थान सरकार द्वारा वर्ष 2008-09 से 2012-13 के दौरान संग्रहित कुल राजस्व एवं कर-इतर राजस्व निम्नानुसार था:

(₹ करोड़ में)

वर्ष	राज्य द्वारा संग्रहित कुल राजस्व	राज्य का कुल कर-इतर राजस्व	कर-इतर राजस्व की कुल राजस्व से प्रतिशतता
2008-09	18,832.21	3,888.46	20.6
2009-10	20,972.49	4,558.22	21.7
2010-11	27,053.20	6,294.12	23.3
2011-12	34,552.15	9,175.10	26.6
2012-13	42,636.24	12,133.59	28.5

मार्च 2013 को समाप्त पांच वर्ष की अवधि में कर-इतर राजस्व के हिस्से में कुल राजस्व की तुलना में निरन्तर वृद्धि हुई, जिसका कारण क्रूड आयल पर अधिशुल्क की प्राप्ति था।

7.2 राजस्व की बकाया का विश्लेषण

31 मार्च 2013 को खनन प्राप्तियों (खनिजों का अवैध खनन व निर्गमन को छोड़कर) से राजस्व की बकाया राशि ₹ 451.84 करोड़ थी जिसमें से ₹ 72.11 करोड़ पाँच से अधिक वर्षों से बकाया थे। निम्नलिखित तालिका 31 मार्च 2013 को राजस्व की बकाया की स्थिति दर्शाती है:

(₹ करोड़ में)

बकाया का वर्ष	01 अप्रेल 2012 को कुल बकाया	वर्ष 2012-13 के दौरान वसूल की गई राशि	31 मार्च 2013 को बकाया राशि
2007-08 तक	74.50	2.39	72.11
2008-09	79.82	2.67	77.15
2009-10	96.49	3.55	92.94
2010-11	107.22	5.72	101.50
2011-12	134.56	26.42	108.14
योग	**492.59**	**40.75**	**451.84**

पाँच वर्ष व अधिक समय से बकाया राजस्व ₹ 72.11 करोड़ की वसूली के प्रयास किये जावें अन्यथा सरकार को देय राशि की वसूली नहीं हो सकेगी।

यह अनुशंषा की जाती है कि बकाया की वसूली के लिए सरकार समुचित कार्यवाही करे।

7.3 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का प्रभाव

पिछले पांच वर्षो के दौरान, लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के माध्यम से 71 अनुच्छेदों में ₹ 1422.70 करोड़ के अनारोपण/कम आरोपण, अवसूली/कम वसूली, राजस्व का कम निर्धारण/हानि, कर की गलत दर का लगाना, कर की गलत गणना आदि के प्रकरणों को इंगित किया गया था। उनमें से 48 अनुच्छेदों के लेखापरीक्षा आपत्तियों में समावेशित ₹ 361.66 करोड़ को विभाग/सरकार द्वारा स्वीकार किया गया और 29 अनुच्छेदों में ₹ 31.27 करोड़ की अब तक (दिसम्बर 2013) वसूली की जा चुकी है जैसा कि निम्न तालिका में दर्शाया गया है:

(₹ करोड़ में)

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन वर्ष	सम्मिलित अनुच्छेद		स्वीकार्य अनुच्छेद		वसूल की गई राशि	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	अनुच्छेद की संख्या	राशि
2007-08	10	275.30	10	23.86	6	4.60
2008-09	27	259.67	19	22.46	16	18.82
2009-10	6	410.16	5	276.67	2	4.74
2010-11	13	158.00	4	1.24	3	0.67
2011-12	15	319.57	10	37.43	2	2.44
योग	**71**	**1422.70**	**48**	**361.66**	**29**	**31.27**

स्वीकार्य राशि की तुलना में वसूल की गई राशि काफी कम है। विभाग ने अवगत कराया कि कुछ प्रकरणों में वसूली न्यायाधिकारियों द्वारा स्थगित थी, जबकि दूसरे प्रकरणों में, इनकी मांग वसूली के विभिन्न स्तरों पर बकाया थी। सरकार को उसके द्वारा स्वीकार किये गये प्रकरणों की समीक्षा कर शेष राशि ₹ 330.39 करोड़ की वसूली के लिये प्रयास करने चाहिये।

7.4 आन्तरिक लेखापरीक्षा समूह की कार्य प्रणाली

आन्तरिक लेखापरीक्षा एक महत्वपूर्ण प्रणाली है जो यह सुनिश्चित करती है कि विभागीय संक्रियाओं का संचालन प्रचलित कानूनों, विनियमों एवं अनुमोदित प्रक्रियाओं के अनुसार मितव्ययी, कुशल एवं प्रभावी ढंग के साथ किया जा रहा है और अधीनस्थ कार्यालय विभिन्न प्रकार के अभिलेखों, पंजिकाओं/लेखा पुस्तिकाओं का उचित एवं सही ढंग से संधारण कर रहे हैं एवं राजस्व संग्रहण का अभाव/कम संग्रहण या अपवंचना के विरूद्ध पर्याप्त सुरक्षा उपाय किये जा रहे हैं।

निदेशक, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, उदयपुर के अभिलेखों की समीक्षा में पाया गया कि लगभग सभी खनिज इकाईयों की आन्तरिक लेखापरीक्षा 2004-05 से बकाया थी। आन्तरिक लेखापरीक्षा के अभाव में विभागीय प्राधिकारी व्यवस्था में कमजोरी के प्रति अनभिज्ञ रहे, जिसके कारण राजस्व की छीजत/अपवंचना हुई। यह प्रकरण नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन 2011-12 में भी इंगित किया गया था। फिर भी विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई।

7.5 लेखापरीक्षा के परिणाम

खान एवं भू-विज्ञान विभाग और पेट्रोलियम विभाग की वर्ष 2012-13 के दौरान की गई मापक जाँच में 4,716 प्रकरणों में ₹ 1,071.58 करोड़ राशि के राजस्व अवसूली/कम वसूली के प्रकरण सामने आये, जो मुख्यत: निम्न श्रेणियों में आते हैं:

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	श्रेणी	प्रकरणों की संख्या	राशि
1.	अनधिकृत उत्खनन	1,206	710.32
2.	स्थिर भाटक एवं अधिशुल्क की अवसूली/कम वसूली	530	162.21
3.	शास्ति/ब्याज का अनारोपण	558	20.08
4.	धरोहर राशि का जब्त न करना	16	2.67
5.	अन्य अनियमिततायें	2,406	176.30
योग		**4,716**	**1,071.58**

वर्ष 2012-13 के दौरान, विभागों ने 2,803 प्रकरणों में ₹ 126.75 करोड़ की कम वसूली एवं अन्य कमियों को स्वीकार किया, जिसमें से ₹ 91.66 करोड़ के 498 प्रकरण वर्ष 2012-13 के दौरान एवं शेष पूर्ववर्ती वर्षों में ध्यान में लाये गये थे। विभागों ने 1,597 प्रकरणों में ₹ 11.28 करोड़ की वसूली की, जिसमें से ₹ 0.85 लाख के 75 प्रकरण चालू वर्ष की लेखापरीक्षा से सम्बन्धित थे तथा अन्य शेष पूर्व के वर्षों से सम्बन्धित थे।

कुछ निदर्शी लेखापरीक्षा आपत्तियां जिनमें ₹ 96.04 करोड़ सन्निहित हैं, अनुवर्ती अनुच्छेदों में उल्लेखित किये गये हैं।

खान एवं भू-विज्ञान विभाग और पेट्रोलियम विभाग

7.6 लेखापरीक्षा टिप्पणियां

खान एवं भू-विज्ञान विभाग और पेट्रोलियम विभाग के अभिलेखों की मापक जाँच में अनेक मामलों में अधिनियमों/नियमों के प्रावधानों की पालना नहीं होना, शासकीय आदेशों/प्रक्रियाओं की अवहेलना तथा अन्य अनियमितताओं के मामलों का पता चला जिनमें से कुछ प्रकरणों का इस अध्याय के अनुवर्ती अनुच्छेदों में उल्लेख किया गया है। ऐसी कुछ त्रुटियां प्रत्येक वर्ष लेखापरीक्षा द्वारा ध्यान में लायी जाती हैं, तथापि ये अनियमितताएँ न केवल विद्यमान रहती हैं बल्कि आगामी लेखापरीक्षा होने तक भी इनका पता नहीं चलता है। सरकार को विभाग की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में सुधार करने की आवश्यकता है।

7.7 अधिनियमों/नियमों के प्रावधानों की अनुपालना का अभाव

खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957, खनिज रियायत नियम, 1960, खनिज संरक्षण एवं विकास नियम, 1988, राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 1986 तथा मार्बल विकास एवं संरक्षण नियम, 2002 में निम्नानुसार प्रावधान हैं:

(क) निर्धारित दरों पर अधिशुल्क का आरोपण;

(ख) अवैध रूप से उत्खनित/निर्गमित खनिजों की कीमत का आरोपण;

(ग) विलम्ब से किये गये भुगतानों पर ब्याज का आरोपण;

(घ) पट्टे जारी करना; तथा

(ड़) खनिजों का संरक्षण।

खनि अभियन्ताओं/सहायक खनि अभियन्ताओं एवं विभागीय प्राधिकारियों के द्वारा अनुच्छेद 7.7.1 से 7.7.12 में उल्लेखित प्रकरणों में अधिनियमों/नियमों के प्रावधानों की पालना नहीं की गई। इसके परिणामस्वरूप अधिशुल्क की कम/अवसूली, खनिज कीमत की कम/अवसूली तथा ब्याज का अनारोपण हुआ।

7.7.1 खनन पट्टे का अवैध रूप से उप-किरायेदारी पर देना

राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 1986 के नियम 15(1)(बी) के अनुसार पट्टेधारी सक्षम अधिकारी की पूर्व सहमति के बिना किसी ऐसे करार, संविदा या समझौते को नहीं करेगा या शामिल नहीं होगा, जिसका प्रभाव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पट्टेधारी के लिये सारभूतरूप से वित्तीय व्यवस्था करना अथवा पट्टेधारी के कार्यकलापों या उपक्रम का सारभूत नियंत्रण पट्टेधारी के अतिरिक्त किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा किया जा सके। इस प्रकार किसी पट्टे में बिना किसी पूर्वानुमति के खनन अधिकारों का हस्तांतरण पूर्ण रूप से वर्जित है।

इन नियमों के नियम 48(5) में प्रावधान है कि जब कोई व्यक्ति बिना विधिक प्राधिकार के कोई खनिज किसी भूमि से उत्खनित करता है और ऐसा खनिज निर्गमित कर देता है या उपयोग में ले लेता है तो सम्बन्धित अधिकारी ऐसे उत्खनित खनिज पर देय अधिशुल्क के साथ-साथ खनिज की कीमत वसूल कर सकेगा, जो प्रचलित दरों पर संदेय अधिशुल्क के दस गुणा के बराबर होगी।

कार्यालय खनि अभियन्ता, सीकर के अभिलेखों की मापक जाँच में यह पाया गया (जुलाई 2012) कि खनिज चुनाई पत्थर के छः खनन पट्टे (खनन पट्टा संख्या 46/99, 47/99, 64/99, 608/07, 609/07 एवं 610/07) गांव रायपुर चिहाला के पास, तहसील दाँतारामगढ़, बिना सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति प्राप्त किये तीन पट्टेधारियों को अवैधरूप से (जून 2009) उप-किराये पर दिये गये। खनि अभियन्ता द्वारा तीन खनन पट्टे (खनन पट्टा संख्या 46/99, 47/99 व 64/99) के अवैध रूप से उप-किरायेदारी पर देने के कारण, नवीनीकरण का निवेदन अक्टूबर 2010 में निरस्त/अस्वीकृत कर दिया। किन्तु खनि अभियन्ता द्वारा जून 2009 से अक्टूबर 2010 के मध्य बिना वैध प्राधिकार के निर्गमित 23,945 मैट्रिक टन खनिज की कीमत राशि ₹ 31.13 लाख की मांग कायम नहीं की गयी। खनि अभियन्ता द्वारा बाकी बचे हुए तीन खनन पट्टों (खनन पट्टा संख्या 608/07, 609/07 एवं 610/07) का कब्जा लेने हेतु समय पर कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की गई, परिणामतः खनन पट्टेधारकों द्वारा लगातार जून 2009 से मार्च 2012 तक अवैध खनन कर ₹ 2.10 करोड़ की कीमत का 1,01,734 मैट्रिक टन खनिज निर्गमित कर दिया गया।

प्रकरण (जुलाई 2012) ध्यान में लाये जाने पर खनि अभियन्ता ने (जुलाई 2012) अवगत कराया गया कि ₹ 84.38 लाख की मांग कायम कर दी गयी है एवं चूककर्ता खनन पट्टेधारियों के खिलाफ जिन्होंने जून 2009 से मार्च 2012 के मध्य खनन कर खनिज का निर्गमन किया था, शेष मांग कायम करने की कार्यवाही से जांच के उपरान्त लेखा परीक्षा को अवगत कराने को कहा।

प्रकरण विभाग के ध्यान में लाया गया एवं सरकार को प्रतिवेदित (अगस्त 2012) किया गया। सरकार ने (दिसम्बर 2013) अवगत कराया कि वसूली की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गयी है, जिसकी प्रगति से अवगत करा दिया जावेगा।

7.7.2 खनिज संरक्षण के प्रावधानों की पालना का अभाव

खनिज रियायत नियम, 1960 के नियम 22 ए(1) तथा खनिज संरक्षण एवं विकास नियम, 1988 के नियम 9 के अनुसार कोई भी व्यक्ति खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 5 (2)(बी) के अन्तर्गत खनन योजना का अनुमोदन कराये बिना किसी क्षेत्र में खनन कार्य प्रारंभ नहीं करेगा। खनिज संरक्षण एवं विकास नियम, 1988 के नियम 16 के अनुसार खनन कार्य के दौरान निकाले गये मलबे (ओवरबर्डन) एवं व्यर्थ खनिज को गैर विक्रय योग्य एवं निम्न श्रेणी के अयस्क/खनिज के साथ नहीं मिलाया जायेगा तथा उनको पृथक रूप से संग्रहित किया जायेगा। खान एवं खनिज (विकास एवं विनिमयन) अधिनियम, 1957 की धारा 21(5) के अनुसार अवैध रूप से खनिज का उत्खनन/निर्गमन करने पर अधिशुल्क सहित खनिज की कीमत वसूली की जायेगी।

कार्यालय खनि अभियन्ता, राजसमन्द II के प्रधान खनिज खनन पट्टों की रियायत पत्रावलियों एवं निर्धारण पत्रावलियों/ विवरणियों की मापक जाँच में यह ध्यान में आया कि (मार्च 2013) दो खनन पट्टाधारियों (मै. उषा लाईम एण्ड सीमेन्ट प्रा0 लि0 एवं मै. अपेक मिनरल्स इण्डस्ट्रीज) द्वारा उनको स्वीकृत दो खनन पट्टों (संख्या 6/99 एवं 15/03) से 4,045 मैट्रिक टन सोप स्टोन का, खनन योजना को अनुमोदित कराये बिना, उत्खनन एवं निर्गमन किया गया। फिर भी खनि अभियन्ता द्वारा अवैध रूप से उत्खनित खनिज की कीमत राशि ₹ 22.08 लाख की मांग कायम नहीं की गयी।

इसके अतिरिक्त, एक खनन पट्टाधारी (मै. उषा लाईम एण्ड सीमेन्ट प्रा0 लि0) द्वारा अवधि 2005-10 के दौरान खनिज संरक्षण तथा विकास नियम, 1988 के प्रावधानों के अनुसार 14,610 मैट्रिक टन डोलोमाईट एवं 4,566 मैट्रिक टन सबग्रेड सोप स्टोन जिसकी कीमत ₹ 69.72 लाख थी, को पृथक रूप से संग्रहित नहीं किया गया।

प्रकरण मार्च 2013 में विभाग के ध्यान में लाया गया एवं सरकार को प्रतिवेदित किया गया। सरकार ने अवगत कराया (दिसम्बर 2013) कि भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 26 जुलाई 2012 के अनुसार खनन पट्टा क्षेत्र में से प्रधान खनिज का खनन करना अवैध नहीं माना जा सकता। खनिज डोलोमाईट के पृथक संग्रहण न करने के संदर्भ में यह बताया कि डोलोमाईट का संग्रहण पट्टा क्षेत्र में किया जा रहा है एवं इसके सम्बन्ध में गठित उच्च स्तरीय समिति द्वारा इसका सत्यापन किया जायेगा।

जवाब मान्य नहीं है क्योंकि भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 26 जुलाई 2012 का प्रभाव इसके जारी होने के बाद के लिये था तथा खनन योजना के अनुमोदन के बिना खनन क्षेत्र से खनिज निगर्मन करने हेतु रवन्ना जारी करना अनियमित था। डोलोमाईट के संग्रहण हेतु की गई जांच के सन्दर्भ में प्राप्त जवाब भी स्वीकार्य नहीं है क्योंकि खनन पट्टेधारी द्वारा प्रस्तुत (मार्च 2011) खनन योजना से यह स्वत: स्पष्ट है कि डोलोमाईट के साथ-साथ लो ग्रेड सोप स्टोन को वेस्ट में डम्प किया गया।

7.7.3 अधिक अधिशुल्क संग्रहण संविदा (ईआरसीसी)/अधिशुल्क संग्रहण संविदा (आरसीसी) का निष्पादन

राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 1986 के नियम 32 से 37 में ईआरसीसी/आरसीसी के प्रावधान निहित हैं। राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 1986 के नियम 33ए में ईआरसीसी/आरसीसी के लिये ठेके आमंत्रित करने हेतु आरक्षित दर निर्धारित करने का प्रावधान है। नियम 35(ix) के अनुसार निविदा खोलने वाली समिति द्वारा निविदा दाताओं द्वारा प्रस्तुत अधिकतम वैध प्रस्ताव का अन्तरिम रूप से चयन किया जायेगा। नियम 35(xii) के अनुसार सक्षम अधिकारी को चयनित निविदा को स्वीकृत/निरस्त करने का अधिकार होगा।

7.7.3.1 खनि अभियन्ता, करौली के अभिलेखों की मापक जांच के दौरान यह ध्यान में आया (फरवरी 2013) कि एक अधिक अधिशुल्क संग्रहण का ठेका मै. शिवा कॉरपोरेशन (इण्डिया) लि0 को करौली जिले में स्थित खनिज सेण्डस्टोन के पट्टों के लिये वार्षिक ठेका राशि ₹ 3.90 करोड़, जो कि बाद में ₹ 10.61 करोड़ पर संशोधित (11 जनवरी 2011) हुआ, 23 मई 2009 से 31 मार्च 2011 के लिये दिया गया। यद्यपि ठेका दिनांक 31 मार्च 2011 को समाप्त होना था, तब भी विभाग द्वारा समय पर नये ठेके आवंटित करने के लिये प्रक्रिया प्रारम्भ नहीं की। परिणामस्वरूप, 1 अप्रेल 2011 से 21 जून 2011 तक विभाग द्वारा स्वयं का स्टाफ चैक पोस्ट पर लगाकर ₹ 1.45 करोड़ की अधिशुल्क की वसूली की। ठेके को (21 जून 2011) अन्तिम रूप दिया गया तथा मै. धर्मेन्द्र सिंह को 22 जून 2011 से 31 मार्च 2013 की अवधि के लिये वार्षिक ठेका राशि ₹ 8.61 करोड़ पर आवंटित (22 जून 2011) किया गया।

यह देखा गया कि विभाग द्वारा 82 दिवस में (1 अप्रेल 2011 से 21 जून 2011) तक अधिशुल्क की राशि वसूली की गयी जो कि मै. धर्मेन्द्र सिंह को स्वीकृत वार्षिक ठेका राशि ₹ 8.61 करोड़ की आनुपातिक तुलना में ₹ 48.73 लाख कम थी। अत: निविदा प्रक्रिया में की गयी देरी के परिणामस्वरूप ₹ 48.73 लाख कम वसूली हुई।

प्रकरण मार्च 2013 में विभाग के ध्यान में लाया गया एवं सरकार को प्रतिवेदित किया गया। सरकार ने (दिसम्बर 2013) अवगत कराया कि खनि अभियन्ता कार्यालय ने आरक्षित दर ₹ 10.80 करोड़ रखने के प्रस्ताव दिनांक 13 जनवरी 2011 को भिजवाये थे। यह भी बताया गया कि दिनांक 28 जनवरी 2011 को निदेशक, खान एवं भू विज्ञान विभाग द्वारा ₹ 10.80 करोड़ आरक्षित दर अनुमोदित कर दी गयी। लेकिन राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 1986 के नियम 33ए में संशोधन होने के कारण आरक्षित दर में 10 प्रतिशत की वृद्धि ओर होनी थी। निदेशक द्वारा उसके अनुरूप आरक्षित दर को ₹ 11.67 करोड़ संशोधित की, जिस पर आरक्षित दर बहुत अधिक होने के कारण कोई निविदा प्राप्त नहीं हुई। आरक्षित दर पांच बार संशोधित की गयी एवं अन्त में ₹ 8.51 करोड़ निर्धारित की गयी तथा इस कारण ठेका समय पर प्रभावी नहीं हुआ।

7.7.3.2 कार्यालय निदेशक, खान एवं भू-विज्ञान के ईआरसीसी/आरसीसी ठेके पत्रावलियों की मापक जांच में पाया गया (जनवरी 2013) कि तहसील गिरवा, मावली, वल्लभनगर और सलूम्बर (जिला उदयपुर) के राजस्व क्षेत्र से निकलने वाले खनिज बजरी पर देय अधिशुल्क एवं अनुमति शुल्क की राशि दो वर्ष (2010-12) की अवधि के लिये वसूली हेतु, अधिशुल्क वसूली ठेके के लिये निविदा आंमत्रित की गयी। निविदा समिति द्वारा ₹ 2.10 करोड़ की आरक्षित दर के मुकाबले एक ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत की उच्चतम निविदा राशि ₹ 2.52 करोड़ प्रतिवर्ष को चयनित (17 फरवरी 2010) किया गया। ठेकेदार के द्वारा नियम 32 से 35 के सभी प्रावधानों का पालन भी कर दिया गया। तद्नुसार खनि अभियन्ता/अधीक्षण खनि अभियन्ता द्वारा कार्य देने के लिये ठेकेदार के नाम की सिफारिश निदेशक, खान एवं भू-विज्ञान विभाग से की गयी। निदेशक, खान एवं भू-विज्ञान विभाग द्वारा नियम 35(xii) के प्रावधानों के अन्तर्गत निविदा को इस आधार पर निरस्त (9 मार्च 2010) कर दिया गया कि खनि अभियन्ता/अधीक्षण खनि अभियन्ता द्वारा निर्धारित आरक्षित दर की गणना सही नहीं की गयी, जिसके परिणामस्वरूप निविदा के लिये आरक्षित दर कम रही। निदेशालय में एक नई फर्म जिसने निविदा प्रक्रिया में भाग नहीं लिया था, से एक नया प्रस्ताव (25 फरवरी 2010) राशि ₹ 2.70 करोड़ का प्राप्त हुआ। निदेशक द्वारा (8 मार्च 2010) आरक्षित दर ₹ 2.70 करोड़ रखते हुये पुनः निविदा आमंत्रित करने के निर्देश दिये गये।

ठेकेदार द्वारा निदेशालय के आदेश दिनांक 9 मार्च 2010 के खिलाफ माननीय उच्च न्यायालय, राजस्थान (एकल पीठ) में अपील की गयी। माननीय उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने निदेशक को आदेश (26 मई 2011) दिया कि अधिशुल्क संग्रहण ठेका, ठेकेदार को आवंटित करे क्योंकि उसकी निविदा वैध थी। सरकार द्वारा एकल पीठ के आदेश (26 मई 2011) के खिलाफ द्विसदस्यीय पीठ में अपील (22 दिसम्बर 2011) की गयी। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा (22 अगस्त 2012), ठेकेदार द्वारा अपना प्रकरण वापस ले लिये जाने के कारण निविदा प्रक्रिया पर लगाया गया स्थगन निरस्त कर दिया गया।

ठेके सम्बन्धित पत्रावलियों की जांच में पाया कि कम आरक्षित दर निर्धारण करने के निदेशक द्वारा अभिलिखित कारण तथ्यों पर आधारित नहीं थे क्योंकि आरक्षित दर निदेशालय के पत्र दिनांक 8 जनवरी 2010 के अनुसार निर्धारित की गई थी। इसलिये निदेशालय द्वारा लिया गया निर्णय सही नहीं था जिसके परिणामस्वरूप दो वर्ष से अधिक समय की अवधि तक ठेका प्रारंभ नहीं हो सका। इसके फलस्वरूप विभाग द्वारा 2010-12 की अवधि के लिये अस्थायी रूप से चयनित ₹ 7.86 करोड़ की निविदा की तुलना में ₹ 5.40 करोड़ की अधिशुल्क की प्राप्ति हुई। जिसका परिणाम ₹ 2.46 करोड़ के राजस्व के नुकसान के रूप में हुआ।

प्रकरण फरवरी 2013 में विभाग के ध्यान में लाया गया एवं सरकार को प्रतिवेदित किया गया। सरकार ने (अक्टूबर 2013) बताया कि विभाग द्वारा पुनः निविदा आमंत्रित करने का निर्णय इसलिये लिया गया क्योंकि एक अन्य कम्पनी के द्वारा उच्चतम ठेका राशि ₹ 2.51 करोड़ के मुकाबले ₹ 2.70 करोड़ का प्रस्ताव ठेका स्वीकृत करने से पूर्व दिया गया था। इसलिये अधिकतम राजस्व प्राप्त करने एवं सैद्धान्तिक हानि को रोकने के लिये ठेका स्वीकृत नहीं किया गया।

जवाब मान्य नहीं है क्योंकि निदेशालय द्वारा उच्चतम वैध प्रस्ताव की निविदा को निरस्त करना सही एवं न्यायोचित नहीं था। जिसके कारण ₹ 2.46 करोड़ की हानि हुई।

7.7.3.3 खनि अभियन्ता, कोटा के अभिलेखों की मापक जांच में यह देखा गया (जून 2012) कि जिला बूंदी की तहसील इन्द्रगढ़ एवं नैनवा में स्थित खनन पट्टों से निर्गमित खनिज चुनाई पत्थर मे अधिक अधिशुल्क संग्रहण के एक ठेके की, वार्षिक ठेका राशि ₹ 1.35 करोड़ पर संविदा निष्पादन की दिनांक से 31 मार्च 2013 तक की अवधि के लिये 29 सितम्बर 2011 को सिफारिश की। यह सिफारिश उसी ठेकेदार के पक्ष मे की गयी जिसके पक्ष में पूर्व का ठेका, जिसकी ठेका राशि ₹ 1.96 करोड़ थी, मासिक किस्तों के समय पर जमा नहीं कराने के कारण समाप्त करना (19 जुलाई 2011) पड़ा था। उक्त ठेके को स्वीकृत करने के प्रस्ताव 23 मई 2012 तक निदेशालय में अनिर्णित रहे।

यह पाया गया कि ठेके के सम्बन्ध में निर्णय नहीं लेने के कारण विभाग द्वारा 1 अक्टूबर 2011 से 31 मार्च 2012 तक स्वयं के चैक पोस्ट लगाये गये एवं राशि ₹ 22.89 लाख के अधिशुल्क की वसूली की गयी। अन्त में अगस्त 2012 में ठेका ₹ 1.35 करोड़ पर दूसरे ठेकेदार को आवंटित किया गया।

यदि विभाग समय पर निर्णय लेता तो उच्चतम निविदा राशि ₹ 1.35 करोड़ पर आधारित आनुपातिक राशि की तुलना में अधिशुल्क राशि ₹ 52.00 लाख की वसूली कर सकता था।

सरकार ने बताया कि (दिसम्बर 2013) जिस ठेकेदार द्वारा पिछली बार चूक करने पर राजस्व की हानि हुई, के बारे में यह कहना मुश्किल था कि वह दोबारा पीछे नहीं हटेगा। यह भी बताया गया कि जनलेखा समिति के माननीय अध्यक्ष द्वारा कहा गया कि इस प्रकार की घटना के पुनर्घटित होने से रोकने के लिये चूककर्ता

ठेकेदारों की ब्लैक लिस्टिंग के प्रावधान किये जाने चाहिये थे तथा उक्त सभी तथ्यों तथा परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए प्रकरण सरकार को भेजा गया, जहां से (11 मई 2012) ठेके को निरस्त करने का निर्णय लिया गया। सरकार द्वारा यह स्वीकार किया गया कि साधनों की कमी के कारण विभागीय चैक पोस्टों द्वारा संग्रहित किया गया अधिशुल्क उतना प्रभावी नहीं रहता, जितना कि ठेकेदार द्वारा संग्रहित किया गया अधिशुल्क।

जवाब स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि निविदा के निरस्तीकरण का निर्णय लेने में सारभूत विलम्ब हुआ, जिसकी परिणति राजस्व की हानि के रूप में हुई।

7.7.4 खनन पट्टों का अनियमित हस्तान्तरण

राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 1986 के नियम 11(2) के अनुसार कोई व्यक्ति अनुसूची-iii में एक या एक से अधिक पट्टे को सम्मिलित करते हुये निर्धारित खनिज या खनिजों के समूह के खनन पट्टे, कुल क्षेत्र 10 वर्ग किमी से अधिक नहीं रखेगा। अधिकतम खनन पट्टे की संख्या किसी भी एक खनिज के लिये किसी भी खनि अभियन्ता के क्षेत्राधिकार में दो एवं सम्पूर्ण राज्य में तीन से अधिक नहीं होगी। यह भी प्रावधान है कि यदि सरकार की यह राय हो कि खनिज विकास के हित में, कारणों को अभिलिखित करते हुये, दो या तीन से अधिक या कवरिंग क्षेत्र 10 किमी से अधिक हो, जैसा भी मामला हो, पट्टे दे सकेगी।

नियम 72 के अनुसार कोई भी खननपट्टा, खदान अनुज्ञप्ति, अल्पावधि अनुमति पत्र या अन्य कोई अनुमति इन नियमों के प्रावधानों के अन्यथा स्वीकृत नहीं किया जायेगा और यदि स्वीकृत किया जाता है तो वह निष्प्रभावी एवं निरर्थक होगा।

नियम 48 में प्रावधान है कि जब कोई व्यक्ति विधिक प्राधिकार के बिना कोई खनिज किसी भूमि से उत्खनित करता है तथा ऐसा खनिज निर्गमित या उपभोग कर लिया जाता है तो, सम्बन्धित प्राधिकारी ऐसे उत्खनित खनिज या अधिवासित भूमि पर देय किराया, अधिशुल्क या कर के साथ-साथ खनिज की कीमत वसूल कर सकेगा। खनिज की कीमत प्रचलित दरों पर संदेय अधिशुल्क के दस गुणा के बराबर होगी।

कार्यालय खनि अभियन्ता, जयपुर के अभिलेखों की मापक जाँच में यह ध्यान में आया (दिसम्बर 2012) कि खनिज चुनाई पत्थर के दो खनन पट्टे (संख्या 47/90 एवं 275/02) एक पट्टाधारी को स्वीकृत थे। जबकि अतिरिक्त निदेशक (खान), जयपुर के निर्देशों से पट्टाधारी के पिताजी को स्वीकृत दो अन्य खनन पट्टे (संख्या 88/95, एवं 334/97) म्यूटेशन (22 जून 2009) के द्वारा पट्टेधारी को हस्तान्तरित (7 मई 2010) किये गये।

राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 1986 के नियम 11(2) एवं 72 के प्रावधानों के अनुसार हस्तान्तरित दो अन्य खनन पट्टों (संख्या 88/95 एवं 334/97) को निष्प्रभावी एवं निरर्थक माना जाना था। इसलिये पट्टेधारी के आधिपत्य में खनन पट्टा संख्या 88/95 एवं 334/97 से जुलाई 2009 से मार्च 2012 तक राशि ₹ 61.22 लाख कीमत का उत्खनित 32,827 मैट्रिक टन खनिज अवैध था।

प्रकरण विभाग के ध्यान में लाया गया एवं सरकार को प्रतिवेदित (जनवरी 2013) किया गया, सरकार ने अवगत कराया (अक्टूबर 2013) कि उत्तराधिकार के रूप में हस्तान्तरित होने पर दो खनन पट्टों वाला प्रतिबंध लागू नहीं होता।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि किसी खनि अभियन्ता के प्रत्यक्ष नियत्रंण में दो खनन पट्टों से अधिक की स्वीकृति के लिये सरकार की विशेष स्वीकृति की आवश्यकता थी। आगे लेखापरीक्षा प्रतिवेदन अवधि 2008-09 के एक इसी प्रकार के प्रकरण में जनलेखा समिति ने अपने 254वें प्रतिवेदन में विभाग को विधिक राय लेने का निर्देश (12 अगस्त 2013) जारी किये। प्रकरण में विधिक राय से अवगत नहीं कराया गया।

7.7.5 वैध प्राधिकार के बिना खनिज मार्बल का उत्खनन एवं निर्गमन

राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 13 अक्टूबर 2008 के द्वारा बापी पट्टों को खदान अनुज्ञप्ति में बदलने की प्रक्रिया को प्रकाशित किया। बापी पट्टाधारकों को उनके पट्टों को नियमित करने के लिये अधिसूचना दिनांक से 30 दिवसों के भीतर आवेदन करना था। पट्टाधारक द्वारा आवेदन नहीं करने या ऐसा आवेदन सक्षम अधिकारी द्वारा निरस्त किये जाने पर, विभाग द्वारा खनन पट्टाक्षेत्र का कब्जा अपने अधिकार में लेना था। इसके अतिरिक्त राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 1986 के नियम 64 के अन्तर्गत खनन कार्य को अवैध मानते हुये नियम 48 के तहत कार्यवाही भी की जानी थी।

राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 1986 के नियम 64 के अनुसार जब तक सक्षम क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय ने घोषित न किया हो सरकार किसी व्यक्ति द्वारा खनिज युक्त भूमि, खदान के लिये किसी भूमि पर बापी पट्टा या पैतृक अधिकार को मान्यता नहीं देगा।

नियम 48 में प्रावधान है कि जब कोई व्यक्ति विधिक प्राधिकार के बिना कोई खनिज किसी भूमि से उत्खनित करता है तथा ऐसा खनिज निर्गमित या उपभोग कर लिया जाता है तो, सम्बन्धित प्राधिकारी ऐसे उत्खनित खनिज या अधिवासित भूमि पर देय किराया, अधिशुल्क या कर के साथ-साथ खनिज की कीमत वसूल कर सकेगा। खनिज की कीमत प्रचलित दरों पर संदेय अधिशुल्क के दस गुणा के बराबर होगी।

खनि अभियन्ता, मकराना के अभिलेखों की मापक जाँच में यह पाया कि (अक्टूबर 2012) अवधि 2011-12 में 49 बापी पट्टा[1] धारकों द्वारा 66,307.78 मैट्रिक टन मार्बल का उत्खनन एवं निर्गमन किया जिसकी कीमत ₹ 10.87 करोड़ होती है, जबकि इन्होंने अधिसूचना के प्रावधानों के अनुसार बापी पट्टों को नियमित करने के लिये निर्धारित समय में आवेदन नहीं किया। खनि अभियन्ता द्वारा बापी पट्टाधारकों से पट्टा क्षेत्र का कब्जा नहीं लिया। जिसके परिणामस्वरूप वे लगातार अवैध रूप से खनन कार्य करते रहे।

प्रकरण नवम्बर 2012 में विभाग के ध्यान में लाया गया एवं सरकार को प्रतिवेदित किया गया। सरकार ने अवगत कराया (जनवरी 2014) कि बापी पट्टों का नियमितिकरण विचाराधीन था और नियमितिकरण के लिये बापी पट्टों के आवेदन पत्र प्राप्त हो चुके थे। यह भी कहा गया कि बापी पट्टा क्षेत्र से उत्खनित खनित पर देय अधिशुल्क की राशि विभाग द्वारा वसूल की जा चुकी है। तथ्य यह रहते हैं कि खनिज का अवैध रूप से उत्खनन किया गया एवं राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमों के अन्तर्गत कब्जेधारियों से अधिशुल्क की राशि के साथ खनिज की कीमत भी वसूली की जानी चाहिये थी।

7.7.6 ग्रेनाईट पर मांग कायमी में कमी/का अभाव

राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 1986 के नियम 48(1) एवं (5) के अनुसार कोई भी व्यक्ति खनन कार्य नहीं करेगा जब तक उसे इन नियमों के तहत अनुमति प्राप्त ना हो। जब कोई व्यक्ति विधिक प्राधिकार के बिना कोई खनिज किसी भूमि से उत्खनित एवं निर्गमन करता है तो, सम्बन्धित सहायक खनि अभियन्ता/खनि अभियंता खनिज की कीमत के साथ-साथ प्रचलित दर से अधिशुल्क वसूल कर सकेगा। खनिज की कीमत प्रचलित दरों पर संदेय अधिशुल्क के दस गुणा के बराबर होगी।

खनि अभियन्ता, सिरोही के अभिलेखों की मापक जांच में यह ध्यान में आया (अक्टूबर 2012) कि खनिज ग्रेनाईट के अनधिकृत उत्खनन एवं निर्गमन के दो प्रकरणों में मांग कम आरोपित की गयी चूंकि खनिज की कीमत अधिशुल्क की 10 गुणा के बराबर ही वसूलने पर विचार किया गया लेकिन मांग आदेश में अधिशुल्क की राशि ₹ 47.76 लाख को छोड़ दिया गया एवं एक प्रकरण में राशि ₹ 94.77 लाख अनुमोदन के अभाव में मांग बकाया थी। इसके परिणामस्वरूप ₹ 1.43 करोड़ की कम मांग कायमी/मांग कायमी का अभाव रहा।

[1] भूमि पर खनन के पैतृक अधिकार

प्रकरण विभाग के ध्यान में लाया गया एवं सरकार को प्रतिवेदित (नवम्बर 2012) किया गया। सरकार ने अवगत कराया (दिसम्बर 2013) कि खनिज की वसूली योग्य कीमत, किराये, अधिशुल्क अथवा कर के 10 गुणा के बराबर ही होती है, इसलिये मांग कायमी सही थी। जवाब मान्य नहीं है क्योंकि नियमानुसार खनिज की कीमत के अतिरिक्त अधिशुल्क राशि भी वसूली योग्य थी।

7.7.7 प्रधान खनिज का अवैध रूप से भण्डारण करने पर अधिशुल्क आरोपण का अभाव

राजस्थान खनिज (अवैध खनन, परिवहन और भण्डारण का निवारण) नियम, 2007 के नियम 3 एवं 11 के अनुसार कोई भी व्यक्ति इन नियमों के अधीन व्यवहारी के रूप में पंजीकृत हुए बिना खनिज या खनिजों/अयस्कों को खरीदने, बेचने, भण्डारण करने, वितरण करने या प्रसंस्करण करने का प्रत्यक्ष या अन्यथा या खनिज/खनिजों और/या उनके संघटकों का कच्ची सामग्री के रूप में उपयोग नहीं करेगा। जब कोई भी इन नियमों के प्रावधानों का उल्लंघन करता है तो वह खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 21 के अन्तर्गत दण्डनीय होगा।

अधिनियम की धारा 21(5) के अनुसार जब खनिज का निर्गमन/उत्खनन अवैध रूप से होने पर चूककर्ता से खनिज की कीमत मय अधिशुल्क के साथ वसूली योग्य होगी।

कार्यालय खनि अभियन्ता, जोधपुर के अभिलेखों की मापक जांच के दौरान यह ध्यान में आया (जुलाई 2012) कि खनि अभियन्ता के द्वारा दो फर्मों के निरीक्षण (6 मार्च 2011) के दौरान खनिज जैस्पार का अवैध भण्डारण पाया। खनि अभियन्ता द्वारा दोनों फर्मों को अभिलेखों को प्रस्तुत करने के लिये चेतना पत्र जारी किये। अभिलेखों की जांच एवं क्रेशर की क्षमता और बिजली के उपयोग के आधार पर खनिज जैस्पार की निर्धारित कीमत ₹ 1.02 करोड़ की मांग कायम के प्रकरण अनुमोदन के लिये खनि अभियन्ता द्वारा (12 सितम्बर 2011) अधीक्षण खनि अभियन्ता, जोधपुर को भेजे गये। अधीक्षण खनि अभियन्ता द्वारा 18 अक्टूबर 2011 को मांगों का अनुमोदन किया। मांग पत्रों की जांच करने पर यह पाया कि खनि अभियन्ता द्वारा 10 प्रतिशत की दर से खनिज पर देय अधिशुल्क को सम्मिलित नहीं किया गया जो कि ₹ 10.21 लाख होती है।

प्रकरण विभाग के ध्यान में लाया गया एवं सरकार को प्रतिवेदित (अगस्त 2012 से अगस्त 2013 के मध्य) किया गया। सरकार ने अवगत कराया कि (दिसम्बर 2013) वसूली योग्य राशि की कायम मांग अधिक थी। जवाब मान्य नहीं है क्योंकि खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम के तहत खनिज की कीमत अधिशुल्क सहित वसूलनीय थी।

7.7.8 अधिशुल्क के विलम्ब से भुगतान पर ब्याज का अनारोपण

खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 9 के अनुसार खनन पट्टाधारी या उसके एजेन्ट, मैनेजर, कर्मचारी, ठेकेदार या उप-पट्टेधारी द्वारा किसी खनिज को खनिज क्षेत्र से हटाने या उपयोग करने पर खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम के परिशिष्ठ 2 में वर्णित दर से खनिज पर देय अधिशुल्क का भुगतान करेगा।

खनिज रियायत नियम, 1960 के नियम 64 के अनुसार खनन पट्टेधारी को विलम्ब से भुगतान करने पर नियत तिथि के 60 वें दिन से 24 प्रतिशत वार्षिक की दर से सरल ब्याज का भुगतान करना होगा।

7.7.8.1 खनि अभियन्ता, रामगंजमण्डी के अभिलेखों की मापक जांच में यह पाया (जून 2012) कि मै. मंगलम सीमेण्ट के पक्ष में चूना पत्थर के लिये एक खनन पट्टा (संख्या 2/1976) स्वीकृत था। अधिशुल्क निर्धारण आदेश की जांच में यह पाया कि पट्टाधारी द्वारा अवधि 21 फरवरी 1995 से 21 फरवरी 2002 के लिये पुनः निर्धारण आदेश की पालना में, अधिशुल्क की राशि ₹ 1.60 करोड़ प्रोटेस्ट के अन्तर्गत जमा करायी। यह ध्यान में आया कि विभाग द्वारा अधिशुल्क निर्धारण आदेश (16 जून 2004) की दिनांक से विलम्ब अवधि के लिये ब्याज की गणना ₹ 2.81 करोड की, जबकि निर्धारण वर्ष की समाप्ति के 60वें दिन से ब्याज की गणना की जानी थी। इस प्रकार अधिशुल्क आदेश की दिनांक से ब्याज की गणना करने के परिणामस्वरूप ₹ 1.71 करोड़ की कम मांग कायम हुई।

प्रकरण जुलाई 2012 से अगस्त 2013 के मध्य विभाग के ध्यान में लाया गया एवं सरकार को प्रतिवेदित किया गया। सरकार ने (नवम्बर 2013) अवगत कराया कि विभाग द्वारा पहले से ही अन्तर अधिशुल्क राशि ₹ 1.60 करोड़ मांग कायम करदी थी जिसके विरूद्ध पट्टाधारी द्वारा राजस्थान उच्च न्यायालय में याचिका (एस.बी. सिविल रिट नं. 4597/2004) दायर की। तथ्य यह है कि विभाग द्वारा ब्याज की गणना पुनः निर्धारण आदेश से की गयी, जबकि ब्याज की गणना सम्बन्धित वर्ष की समाप्ति के 60वें दिन से की जानी थी।

राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 1986 के नियम 33डी (2) के अनुसार वार्षिक ठेका राशि की मासिक/त्रैमासिक किश्त का भुगतान निर्धारित तिथि से पूर्व अग्रिम जमा कराना होगा। निर्धारित तिथि तक मासिक/त्रैमासिक किश्त का भुगतान नहीं किया जाता है तो ऐसे मामलों में 15 प्रतिशत की वार्षिक दर से ब्याज का भुगतान देय तिथि से करना पड़ेगा।

नियम 62 में प्रावधान है कि सरकार ऐसी बकाया की वसूली के लिये प्रचलित सम्बन्धित नियमों के अन्दर कोई स्थिर भाटक, अधिशुल्क, खदान शुल्क, अधिशुल्क संग्रहण ठेका राशि, खनिज की कीमत, शास्ति और अन्य प्रकार की देयता से सम्बन्धित कोई देयता की वसूली कर सकती है।

7.7.8.2 खनि अभियन्ता, सोजत सिटी के अभिलेखों की मापक जांच में यह ध्यान में (सितम्बर 2012) आया कि तहसील देसूरी से निर्गमित खनिज बजरी के लिये एक अधिशुल्क संग्रहण ठेका अवधि 1 अप्रेल 2010 से 31 मार्च 2012 के लिये स्वीकृत था। अभिलेखों की जांच में पाया कि ठेकेदार ने अवधि 1 अप्रेल 2010 से नवम्बर 2011 के मध्य किश्तों के भुगतान में 14 से 300 दिवसों का विलम्ब किया एवं दिसम्बर 2011 से मार्च 2012 तक मासिक किश्तों का भुगतान नहीं किया। खनि अभियन्ता द्वारा न तो अदत्त मूल राशि ₹ 10.90 लाख एवं ब्याज की राशि ₹ 2.98 लाख की मांग कायम की और न ही ठेके को खण्डित करने की कार्यवाही प्रारंभ की।

प्रकरण नवम्बर 2012 एवं जुलाई 2013 के मध्य विभाग के ध्यान में लाया गया एवं सरकार को प्रतिवेदित किया गया। सरकार ने अवगत (नवम्बर 2013) कराया कि संशोधित ठेका राशि ₹ 15.25 लाख एवं ब्याज ₹ 2.98 लाख की मांग कायम कर दी, जिसमें से ₹ 8.99 लाख वसूल किये जा चुके हैं।

राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 1986 के नियम 61 के अनुसार स्थिर भाटक, अधिशुल्क, खदान अनुज्ञप्ति शुल्क एवं आरसीसी/ईआरसीसी राशि से सम्बन्धित देयता पर 15 प्रतिशत की दर से ब्याज वसूली योग्य है।

7.7.8.3 खनि अभियन्ता, जयपुर के ईट-मिट्टी अनुमति पत्रों की मांग पंजिका की मापक जांच में यह ध्यान में (दिसम्बर 2012) आया कि 64 ईट-मिट्टी के अनुमति पत्र धारकों द्वारा 1 से 546 दिवस के मध्य देरी से भुगतान करने पर ब्याज की राशि ₹ 9.36 लाख की मांग कायम नहीं की।

प्रकरण विभाग के ध्यान में लाया गया एवं सरकार को अक्टूबर 2013 में प्रतिवेदित किया गया। सरकार ने अवगत (जनवरी 2014) कराया कि सभी 64 प्रकरणों में मांग कायम कर दी एवं 57 प्रकरणों में ₹ 8.26 लाख वसूल किये

गये। यह भी बताया गया कि बाकी प्रकरणों में वसूली के लिये आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

7.7.9 वन क्षेत्र में खनन पट्टों की अनियमित स्वीकृति

राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 1986 के नियम 4(6) के अनुसार वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 एवं उसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों के अनुसार केन्द्र सरकार की बिना सहमति के वन्य क्षेत्र में कोई भी खनन पट्टा स्वीकृत या नवीनीकृत नहीं किया जावेगा। नियम 72 के अनुसार कोई भी खनन पट्टा, खदान अनुज्ञप्ति, अल्प अवधि अनुमति पत्र इन नियमों के प्रावधानों के अन्यथा स्वीकृत नहीं किया जायेगा और यदि स्वीकृत किया जाता है तो वह निष्प्रभावी एवं निरर्थक होगा।

इन नियमों के नियम 48(1) एवं (5) में प्रावधान है कि कोई व्यक्ति इन नियमों के अन्तर्गत स्वीकृत बिना खनन कार्य नहीं करेगा। जब कोई व्यक्ति, विधिक प्राधिकार के बिना, कोई खनिज किसी भूमि से उत्खनित करता है और ऐसे उत्खनित खनिज का पहले ही उपयोग कर लिया जाता है तो, सम्बन्धित सहायक खनि अभियन्ता/खनि अभियन्ता खनिज की कीमत अधिशुल्क सहित वसूल कर सकेगा।

कार्यालय खनि अभियन्ता, करौली के अभिलेखों की मापक जांच में यह पाया कि राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर के निर्देशों के अन्तर्गत खनिज चुनाई पत्थर के 9 खनन पट्टों को निरस्त किया गया क्योंकि वे वन क्षेत्र में स्थित थे। जैसा कि वन क्षेत्र में खनन पट्टों का आवंटन प्रतिबंधित था, इसलिये खनन पट्टों का आवंटन एवं उनसे उत्खनन अवैध था, फलतः कीमत मय अधिशुल्क की राशि वसूली योग्य थी। जबकि खनि अभियन्ता द्वारा मांग कायम नहीं की गयी। इन खनन पट्टों से उत्खनित एवं निर्गमित खनिज चुनाई पत्थर की कीमत ₹ 46.36 लाख थी।

प्रकरण मार्च एवं जुलाई 2013 के मध्य विभाग के ध्यान में लाया गया एवं सरकार को प्रतिवेदित किया गया। सरकार ने अवगत (नवम्बर 2013) कराया कि (1) खनन पट्टों को भू-राजस्व विभाग एवं वन विभाग से अनापत्ति के पश्चात स्वीकृत किया गया था और खनन पट्टा क्षेत्र राजस्व भूमि का भाग था। (2) वन विभाग द्वारा गलत तथ्य प्रस्तुत करने के कारण खनन पट्टा वन क्षेत्र में स्वीकृत किया गया। अतः वन विभाग की गलती थी ना कि खान विभाग की। (3) यहां राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 1986 के नियम 72 का उल्लघंन था, ना की नियम 48(1) एवं 48(5)का। अतः स्वीकृत खनन पट्टों के क्षेत्र से किया गया उत्खनन अवैध नहीं माना जा सकता।

जवाब मान्य नहीं है क्योंकि इन नियमों के विपरीत कोई खनन पट्टा या खदान अनुज्ञप्ति स्वीकृत की जाती है तो वह निरर्थक एवं निष्प्रभावी मानी जानी थी।

माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ ने खनन पट्टों की स्वीकृति निरर्थक एवं निष्प्रभावी तथा खनन पट्टों से उत्खनित खनिज को अनधिकृत घोषित किया। अत: ऐसी भूमि से उत्खनित एवं उपयोगित खनिज के लिये दण्डनीय प्रावधान लागू होने थे। इस प्रकार सरकार को ₹ 46.36 लाख के राजस्व की हानि हुई।

7.7.10 लोक निर्माण ठेकेदारों द्वारा खनिज का अनधिकृत उत्खनन व उपयोग

सरकार के आदेश दिनांक 8 अक्टूबर 2008 के अनुसार लोक निर्माण ठेकेदार, निर्माण कार्य शुरू करने से पहले सम्बन्धित खनि अभियन्ता/सहायक खनि अभियन्ता से कार्य में उपयोग किये जाने वाले खनिजों के लिए अल्पावधि अनुमति पत्र प्राप्त करेगा। अल्पावधि अनुमति पत्र के बिना निर्माण कार्य में खनिज का उपयोग किये जाने के मामले मे सम्बन्धित निर्माण विभाग, बिना अल्पावधि अनुमति पत्र के उपयोग में लिए गये खनिज की कीमत जमा कराने के लिए उत्तरदायी हैं।

अल्पावधि अनुमति पत्र की अवधि पूरा होने के 15 दिनों के भीतर ठेकेदार, कार्य में वास्तविक उपयोग में लिये गये एवं अल्पावधि अनुमति पत्र में अधिकृत मात्रा दर्शाते हुए, खनिजों के अधिशुल्क निर्धारण के लिए अभिलेख प्रस्तुत करेगा।

राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 1986 के नियम 63 के अनुसार उत्खनित व उपयोग में ली गयी खनिज की मात्रा, अल्पावधि अनुमति पत्र में स्वीकृत मात्रा से 25 प्रतिशत से अधिक हो तो उपयोग में लाये गये खनिज की सम्पूर्ण अधिक मात्रा की कीमत वसूल की जावेगी। इन नियमों के नियम 48 के अनुसार खनिज की कीमत संदेय अधिशुल्क की दस गुना होगी।

7.7.10.1 खनि अभियन्ताओं/सहायक खनि अभियन्ताओं के 11 कार्यालयों में संधारित लोक निर्माण विभाग के ठेकेदारों को जारी अल्पावधि अनुमति पत्र तथा कार्य आदेश की 'जी' शिड्यूल[2] के प्रति सत्यापन में, यह ध्यान में आया (जुलाई 2012 से मार्च 2013) कि 106 निर्माण कार्य ठेकेदारों द्वारा निर्माण कार्यों में खनिज चुनाई पत्थर, बजरी, साधारण मिट्टी, ग्रेवल आदि का उत्खनन/उपयोग या तो अल्पावधि अनुमति पत्र प्राप्त किये बिना अथवा अल्पावधि अनुमति पत्र में स्वीकृत मात्रा के 25 प्रतिशत से अधिक किया गया। अवैध रूप से उत्खनित खनिज की कीमत राशि ₹ 6.21 करोड़ संगणित की गई, जो सम्बन्धित ठेकेदारों से वसूल नहीं की गई।

प्रकरण विभाग के ध्यान में लाया गया एवं सरकार को (मार्च 2013) प्रतिवेदित किया गया। सरकार ने अवगत (दिसम्बर 2013) कराया कि सम्बन्धित विभागों से

[2] लागत का सारांश।

उपयोग में ली गई मात्रा का विवरण एसटीपी के साथ मंगवायी गयी है, उसके आधार पर वास्तविक उपयोग में लिये खनिज की मात्रा एवं उस पर देय अधिशुल्क की गणना की जावेगी।

7.7.10.2 चार खनि अभियन्ता कार्यालयों के अभिलेखों की मापक जाँच में यह ध्यान में आया (जून 2012 से फरवरी 2013) कि सार्वजनिक निर्माण ठेकेदारों द्वारा सम्बन्धित खनि अभियन्ता कार्यालयों से अल्पावधि अनुमति पत्रों को प्राप्त किये बिना खनिज का उत्खनन कर निर्माण कार्यों में उपयोग किया। ऐसे खनिज पर देय अधिशुल्क की राशि को सम्बन्धित विभाग द्वारा कटौती की जाकर कर सम्बन्धित मद में जमा कराना था। राज्य सरकार के परिपत्र (8 अक्टूबर 2008) एवं नियम 63 के अन्तर्गत ऐसे मामलों में जहां ठेकेदार ने बिना अल्पावधि अनुमति पत्र के खनिज को उत्खनित किया व उपयोग में लिया हो, सम्बन्धित विभाग एकल अधिशुल्क राशि के बजाय खनिज की कीमत वसूलने के लिये जिम्मेदार होगा। आगे खनि अभियन्ताओं द्वारा राशि वसूली के लिये उचित कार्यवाही करनी चाहिये थी जो कि नहीं की गयी। इसके परिणामस्वरूप नीचे दर्शाये अनुसार खनिज की कीमत राशि ₹ 49.01 लाख की कम प्राप्ति हुई:

(₹ लाख में)

कार्यालय का नाम	वसूल की गई एकल अधिशुल्क की राशि	खनिज की कीमत (अधिशुल्क की दस गुना)	वसूली योग्य राशि
खनि अभियन्ता, अलवर	1.18	11.83	10.65
खनि अभियन्ता, चित्तौड़गढ़	1.82	18.22	16.40
खनि अभियन्ता, मकराना	1.84	18.40	16.56
खनि अभियन्ता, रामगंजमण्डी	0.64	6.00	5.40
योग	**5.44**	**54.45**	**49.01**

प्रकरण मार्च 2013 में विभाग के ध्यान में लाया गया एवं सरकार को प्रतिवेदित किया गया। सरकार ने अवगत कराया (दिसम्बर 2013) कि क्षेत्रीय प्रबन्धकों, राजस्थान विनिवेश एवं औद्योगिक निगम (रीको), अलवर एवं भिवाड़ी-II (अलवर) तथा नगरीय सुधार ट्रस्ट, चित्तौड़गढ़ को राशि जमा करवाने के लिये पत्र जारी कर दिये गये हैं, जिनकी पालन नहीं करने पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी। यह भी बताया गया कि रीको भिवाड़ी-I (अलवर) से ₹ 16,704 की वसूली कर ली गयी।

जवाब स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि किसी भी प्रकरण में खनिज उपभोग विवरणी के अनुसार खनिज की लागत की गणना नहीं की गयी थी।

7.7.11 अनधिकृत रूप से निर्गमित खनिज की कीमत के स्थान पर एकल अधिशुल्क की वसूली

राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 1986 के नियम 18(9) के अनुसार पट्टेधारी अथवा अन्य कोई व्यक्ति बिना रवन्ना के खान तथा खदान से खनिज को नहीं हटायेगा अथवा निर्गमित या उपयोग में नहीं लायेगा। इन नियमों के नियम 48(5) में प्रावधान है कि जब भी कोई व्यक्ति बिना विधिक प्राधिकार के खनिज निकालता है तो अधिशुल्क के साथ खनिज की कीमत जो कि तत्समय लागू अधिशुल्क की 10 गुणा होगी, वसूल की जावेगी। नियम 37(2) के प्रावधानों के तहत फार्म 10 में अधिक अधिशुल्क संग्रहण ठेका हेतु निष्पादित दस्तावेज के अनुसार, ठेकेदार विभाग की मुद्रा से मुद्रांकित फार्म 12 में जारी रवन्नाओं के बिना खनिज को ले जाने वाले वाहनों से अधिशुल्क की वसूली नहीं करेगा एवं ऐसे वाहनों को विभाग को सुपुर्द करेगा।

कार्यालय खनि अभियन्ता, बून्दी-II के अभिलेखों की मापक जाँच में यह पाया कि खनि अभियन्ता, बून्दी-I एवं II के क्षेत्राधिकार में खनिज सैण्डस्टोन के खनन पट्टे स्वीकृत थे एवं सैण्डस्टोन को निर्गमन करने के लिये रवन्ना जारी किये। मै. पार्थ नेटवर्क प्राईवेट लि0, उदयपुर को अवधि 8 अप्रेल 2010 से 31 मार्च 2012 के लिये वार्षिक ठेका राशि ₹ 9.66 करोड़ पर इन खनन पट्टों के लिये अधिक अधिशुल्क संग्रहण का ठेका आवंटित किया गया। जबकि विभाग द्वारा खान से अपशिष्ठ के रूप में निकलने वाले खनिज चुनाई पत्थर एवं कॉबाल्स के लिये रवन्ना जारी नहीं किये गये। यह ध्यान में आया कि ठेकेदार द्वारा कॉबाल्स (9,21,120 मैट्रिक टन) एवं चुनाई पत्थर (18,260 मैट्रिक टन) ले जा रहे उन वाहनों से अधिशुल्क की राशि ₹ 6.22 करोड़ वसूल किये जिनके पास रवन्ना नहीं थे। जबकि शर्तों के अनुसार उन वाहनों को खनिज की कीमत वसूली के लिये विभाग को सुपुर्द करना था।

आगे यह भी ध्यान में आया कि ठेका खण्डित हो जाने के पश्चात विभाग द्वारा भी दिनांक 14 सितम्बर 2011 से 31 मार्च 2012 तक विभागीय चैक पोस्ट के द्वारा कॉबाल्स (1,657 मैट्रिक टन) एवं चुनाई पत्थर (2,04,537 मैट्रिक टन) ले जा रहे उन वाहनों जिनके पास रवन्ना नहीं थे को जाने दिया गया एवं उनसे एकल अधिशुल्क की राशि ₹ 38.86 लाख वसूल किये।

राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 1986 के नियम 48(2) के अनुसार किसी भी खनिज का खनन पट्टा क्षेत्र से बिना रवन्ना के निगर्मन अवैध है। इसलिये खनिज की कीमत ₹ 62.20 करोड़ ठेकेदार से वसूली योग्य थी। इसके अतिरिक्त,

विभाग द्वारा उक्त प्रावधानों की पालना नहीं करने के कारण उसे ₹ 3.88 करोड़ की हानि हुई जबकि विभागीय चैक पोस्ट संचालित थे।

प्रकरण दिसम्बर 2012 में विभाग के ध्यान में लाया गया एवं सरकार को प्रतिवेदित किया गया। सरकार द्वारा अवगत (नवम्बर 2013) कराया कि अधिक अधिशुल्क संग्रहण ठेके में कॉबाल्स एवं चुनाई पत्थर पर देय अधिशुल्क शामिल था इसलिये इनके लिये पृथक से रवन्ना जारी नहीं किये गये। इसके अतिरिक्त, विभागीय चैक पोस्ट द्वारा पूर्व की भांति अधिशुल्क वसूली योग्य खनिज चुनाई पत्थर एवं कॉबाल्स पर परमिट फीस वसूली की गयी थी। हालांकि तकनीकी त्रुटि को दूर करने के लिये राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 1986 के नियमों में नियम 63ए जोड़ा गया जो कि 14 अक्टूबर 2011 से प्रभावी है, जिसमें कि खनिज कॉबाल्स एवं चुनाई पत्थर पर अधिशुल्क वसूली के लिये अल्पावधि पत्र जारी करने का प्रावधान है।

तथ्य यह रहते हैं कि राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 1986 के नियमों में नियम 63ए जोडनें के बाद भी विभाग द्वारा इसकी पालना सुनिश्चित नहीं की गयी।

7.7.12 विभाग की निष्क्रियता के कारण खनिज चुनाई पत्थर का अवैध रूप से उत्खनन एवं निर्गमन

राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 1986 के नियम 48(5) में प्रावधान है कि जब कोई व्यक्ति विधिक प्राधिकार के बिना कोई खनिज किसी भूमि से उत्खनित एवं निर्गमन करता है तो, सम्बन्धित खनि अभियंता ऐसे उत्खनित पर देय खनिज के अधिशुल्क के साथ-साथ कीमत वसूल कर सकेगा, जो प्रचलित दरों पर संदेय अधिशुल्क के दस गुणा के बराबर होगा।

अधीक्षण खनि अभियन्ता एवं खनि अभियन्ता (सतर्कता), जयपुर द्वारा किये गये मौका स्थल निरीक्षण रिपोर्ट की (मार्च एवं जुलाई 2012) मापक जांच में यह ध्यान में आया कि खनि अभियन्ता, सीकर के क्षेत्र में एक खनन पट्टा संख्या 46/99 रायपुर गांव के पास, तहसील दांतारामगढ़ में खनिज चुनाई पत्थर हेतु दिया गया था। अभिलेखों (जुलाई 2011) की जांच में यह सामने आया कि पट्टाधारी द्वारा खनन पट्टे के बाहर गेप क्षेत्र से 52,226 मैट्रिक टन खनिज चुनाई पत्थर अवैध रूप मे उत्खनित कर निर्गमित किया गया। फिर भी, खनि अभियन्ता द्वारा खनन पट्टाधारी से खनिज की कीमत राशि ₹ 1.15 करोड़ की मांग कायम नहीं की गई।

प्रकरण विभाग के ध्यान में लाया गया एवं सरकार को प्रतिवेदित (जून 2013) किया गया। सरकार ने अवगत कराया (दिसम्बर 2013) कि वसूली की प्रगति से अवगत करा दिया जावेगा।

(एस. आलोक)
महालेखाकार
(आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्र लेखापरीक्षा), राजस्थान

जयपुर
दिनांक

प्रतिहस्ताक्षरित

(शशि कान्त शर्मा)
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

नई दिल्ली
दिनांक

परिशिष्ट

परिशिष्ट 'अ'

(सन्दर्भः अनुच्छेद संख्या 1.2.4)

लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में दर्शाए गए एवं जन लेखा समिति में चर्चा हेतु 31 दिसम्बर 2013 को बकाया अनुच्छेदों की स्थिति

कर का नाम	विवरण	2005-06	2006-07	2007-08	2009-10	2010-11	2011-12	योग
बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में दर्शाए गए अनुच्छेद	14	11	5	8	9	6	53
	चर्चा हेतु बकाया अनुच्छेद	2	1	1	8	9	6	27
मोटर वाहनों पर कर	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में दर्शाए गए अनुच्छेद	6	6	9	4	5	4	34
	चर्चा हेतु बकाया अनुच्छेद	–	–	–	–	5	4	9
भू-राजस्व	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में दर्शाए गए अनुच्छेद	2	1	5	3	3	7	21
	चर्चा हेतु बकाया अनुच्छेद	–	–	–	–	3	7	10
मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में दर्शाए गए अनुच्छेद	3	3	6	5	1 (एकल प्रतिवेदन)	7	25
	चर्चा हेतु बकाया अनुच्छेद	–	–	–	5	1	7	13
राज्य आबकारी शुल्क	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में दर्शाए गए अनुच्छेद	2	5	4	2	1	4	18
	चर्चा हेतु बकाया अनुच्छेद	–	–	–	2	1	4	7
खनन	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में दर्शाए गए अनुच्छेद	9	10	8	1 (एकल प्रतिवेदन)	10	15	53
	चर्चा हेतु बकाया अनुच्छेद	–	–	–	1	10	15	26
अन्य	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में दर्शाए गए अनुच्छेद	3	5	2	5	3	–	18
	चर्चा हेतु बकाया अनुच्छेद	–	–	–	5	2	–	7
योग	**लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में दर्शाए गए अनुच्छेद**	**39**	**41**	**39**	**28**	**32**	**43**	**222**
	चर्चा हेतु बकाया अनुच्छेद	**2**	1	1	**21**	**31**	**43**	**99**

परिशिष्ट 'ब'

(सन्दर्भ: अनुच्छेद संख्या 1.2.4)

31 दिसम्बर 2013 को विभागों से बकाया क्रियान्विति विषयक टिप्पणियों की स्थिति

क्र. सं.	जन लेखा समिति के प्रतिवेदनों के क्रमांक	विधानसभा में उपस्थापित की दिनांक	विभाग का नाम	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	बकाया क्रियान्विति विषयक टिप्पणियों की संख्या
1	251 वां प्रतिवेदन 2007-08	17.3.2008	खान (कर-इतर)	2001-02	8
2	252 वां प्रतिवेदन 2007-08	17.3.2008	खान (कर-इतर)	2002-03	10
3	51 वां प्रतिवेदन 2010-11	31.8.2010	जल संसाधन विभाग एवं सार्वजनिक निर्माण विभाग (कर-इतर)	2005-06 एवं 2006-07	1
4	52 वां प्रतिवेदन 2010-11	15.3.2011	जल संसाधन (कर-इतर)	2003-04	10
5	66 वां प्रतिवेदन 2010-11	15.3.2011	परिवहन	2005-06	18
6	67 वां प्रतिवेदन 2010-11	15.3.2011	परिवहन	2006-07	9
7	84 वां प्रतिवेदन 2011-12	26.8.2011	परिवहन	2004-05	10
8	106 वां प्रतिवेदन 2011-12	26.8.2011	भू-राजस्व	2004-05 एवं 2006-07	3
9	116 वां प्रतिवेदन 2011-12	26.8.2011	खान (कर-इतर)	2003-04	5
10	131 वां प्रतिवेदन 2011-12	29.2.2012	पंजीयन एवं मुद्रांक	2007-08	10
11	132 वां प्रतिवेदन 2011-12	29.2.2012	पंजीयन एवं मुद्रांक	2005-06	8
12	133 वां प्रतिवेदन 2011-12	29.2.2012	नगरीय विकास (कर-इतर)	2008-09	14
13	135 वां प्रतिवेदन 2011-12	29.2.2012	पंजीयन एवं मुद्रांक	2008-09	12
14	139 वां प्रतिवेदन 2011-12	29.2.2012	भू-राजस्व एवं विद्युत	2005-06	9
15	154 वां प्रतिवेदन 2011-12	28.3.2012	खान (कर-इतर)	2004-05	15
16	155 वां प्रतिवेदन 2011-12	28.3.2012	खान (कर-इतर)	2005-06	11
17	156 वां प्रतिवेदन 2011-12	28.3.2012	खान (कर-इतर)	2006-07	10
18	169 वां प्रतिवेदन 2012-13	11.10.2012	राज्य आबकारी	2007-08	1
19	170 वां प्रतिवेदन 2012-13	11.10.2012	राज्य आबकारी	2006-07	1
20	171 वां प्रतिवेदन 2012-13	11.10.2012	राज्य आबकारी	2008-09	2
21	180 वां प्रतिवेदन 2012-13	11.10.2012	राज्य आबकारी	2005-06	10
22	182 वां प्रतिवेदन 2012-13	26.2.2013	पंजीयन एवं मुद्रांक	2006-07	30
23	214 वां प्रतिवेदन 2011-12	21.3.2013	भू-राजस्व	2007-08	11
24	220 वां प्रतिवेदन 2011-12	21.3.2013	खान (कर-इतर)	2007-08	6
25	222 वां प्रतिवेदन 2011-12	21.3.2013	भू-राजस्व	2009-10	27
			योग		251

© भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
www.cag.gov.in

http://www.agraj.cag.gov.in